माला, खंड 6, अंक 45

वाद विवाद का

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 6, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 45, बुधवार, 16 मई, 1985/26 वैशाख, 1907 (शक)

	पृष्ठ
के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 875 से 880, 882, 884 और 885	
सूचना प्रश्न संख्या 2	23—29
के लिखित उत्तर :	30—183
तारांकित प्रश्न संख्या : 881, 883 और 886 से 894	30—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6833 से 7026, 7026-क, 7026-ख और 7026-ग	35—181
पटल पर रखे गये पत्र	183—188
क—पुरःस्थापित	
आयुध (संशोधन) विधेयक, 1985	188—189
ा 377 के अधीन मामले	189—193
) उड़ीसा में झाड़सुगुड़ा स्थित भास्कर टैक्सटाइल मिल्स को पुनः चालू करने की आवश्यकता	
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	189
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता	
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	189
ग) डाकघरों के माध्यम से बीमाकृत पत्रों में भेजी गई धनराशि का वितरण कराने के लिए उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	190
र) बंगलौर शहर को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता	
श्री एस० एम० गुरद्डी	190
ङ) कर्नाटक में तुमकुर से बंगलौर तक एक नई एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता	
श्री जी० एस० बसवराजू	191

*तारां० नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(छः) वाराणसी से नागपुर होते हुए बम्बई तक एक वायुदूत विमान सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता	
श्री उमा कांत मिश्र	192
(सात) देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करने वाला समाचार प्रकाशित करने पर "दैनिक जागरण" के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता	
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	192
(आठ) सूखा राहत कार्य करने और पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को सहायता दिये जाने की आवश्यकता	
श्री केशव राव पारधी	192
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1985	193—216
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० जयपाल रेड्डी	193
श्री बृजमोहन महन्ती	196
श्री अमल दत्त	197
श्री इन्द्रजीत गुप्त	201
श्री वीरेन्द्र पाटिल	205
खण्ड 2	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वीरेन्द्र पाटिल	216
आंध्र प्रदेश विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक, 1985	216—218
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० आर० भारद्वाज	216
खण्ड 2 से 9	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० आर० भारद्वाज	217
श्री सी० माधव रेड्डी	217
श्री ई० अय्यपु रेड्डी	217
श्री एस० जयपाल रेड्डी	217
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1985	218—248
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० ए० डोरा	218
श्री शरद दिघे	231

विषय	पृष्ठ
श्री के० एन० प्रधान	223
श्री अजय विश्वास	225
श्री सोमनाथ रथ	227
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	227
श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर	229
श्री मूल चन्द डागा	230
श्री आर० अण्णानम्बी	232
श्री राज मंगल पांडे	234
श्री इन्द्रजीत गुप्त	236
श्री अब्दुल रशीद काबुली	240
श्री टी० अंजैया	245
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री टी० अंजैया	248
पनी (संशोधन) विधेयक, 1985	248—270
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वीरेन्द्र पाटिल	248
श्री सी० माधव रेड्डी	251
श्री राम प्यारे पनिका	252
श्री हरीश रावत	254
श्री सुरेश कुरूप	256
श्री राज मंगल पाण्डे	257
श्रीमती गीता मुखर्जी	258
श्री सलाहुद्दीन	261
प्रो० मधु दण्डवते	262
प्रो० एन० जी० रंगा (भाषण अपूर्ण)	266
स्थ का निधन	270

लोक सभा

गुरुवार, 16 मई, 1985/26 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामाराय.....उपस्थित नहीं हैं, अगला प्रश्न.....श्री जदेजा ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, श्री रामाराय उपस्थित हैं और वह अपना प्रश्न कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : वह अनुपस्थित नहीं हैं, अपितु वह कहीं खोये हुए हैं ।

रेलवे द्वारा विकास कार्यों के लिए पूंजी जुटाना

*875. **श्री आई० रामा राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय का विचार विकास गतिविधियों की मांगों को पूरा करने के किए बांड आदि जारी करके पूंजी जुटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेलवे के विकास के लिए रेल मंत्रालय स्वयं बांड जारी नहीं कर सकता । तथापि, रेल मंत्रालय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बांडों की अलग के एक से सीरीज जारी करने के लिए एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है ।

श्री आई० रामा राय : महोदय, चूंकि रेलवे परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, इसलिए विशेषकर दक्षिण के राज्यों तथा केरल और कर्नाटक में अधिक और बेहतर रेल सेवा की मांग है । यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि केन्द्र दक्षिण के राज्यों में रेलवे सेवा के विकास में पूरा योगदान नहीं दे रहा है । मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि रेल मंत्रालय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बांडों की अलग से एक सीरीज जारी करने के लिए एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय से किया गया है । वित्त मंत्री महोदय भी कह चुके हैं कि चुने हुए सरकारी क्षेत्रों के निगमों, विशेषकर उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, यथा विद्युत और दूरसंचार को एक निश्चित सीमा तक बांड जारी करने की अनुमति दे दी गई है । रेलों का विकास अवरुद्ध होने का मुख्य कारण धन की कमी है । सरकार का धन की कमी को पूरा करने तथा हमारे क्षेत्र की आवश्यक तथा जायज मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

श्री माधव राव सिंधिया : धन की कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय योजना आयोग से और अधिक राशि आबंटित करने की मांग करने का तथा वित्त मंत्रालय से नये रेलवे बांड जारी करने की अनुमति मांगने का विचार कर रहा है।

श्री आई० रामा राय : केन्द्र तथा राज्य स्तर के जन प्रतिनिधि दक्षिण में रेलवे स्टेशनों, कोच बैगनों, रेलवे लाइनों आदि की शोचनीय स्थिति के बारे में शिकायत करते आ रहे हैं। महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिक किराये और भाड़े के कारण केरल निवासी रेलवे को बहुत अधि या दण्डात्मक राजस्व अदा कर रहे हैं। पहले हमें बताया गया था कि केरल में एक कोच फैक्ट स्थापित की जायेगी। किन्तु यह फैक्टरी अभी तक स्थापित नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय जानना चाहता हूं कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या ठोस उपाय किय जा रहे हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : इन परिस्थितियों में हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मैं कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि सभा में प्रश्न न पढ़े जायें। अनुपूरक प्रश्न पूछते समय पहले से तैयार किए गए प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। सभा में कुछ भी न पढ़ा जाये और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे अनुपूरक प्रश्न सीधे पूछें जिसका मंत्री महोदय द्वारा कोई सार्थक उत्तर दिया जा सके।

विश्वविद्यालयों में अनुशासन

*876. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यीय विश्वविद्यालयों में बेहतर अनुशासन बनाये रखने के लि राज्यों को कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को ऐसी कोई मार्ग दर्शी रूपरेखाएं जारी नहीं की हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री डी० पी० जदेजा : महोदय, देश के अधिकांश शिक्षा संस्थानों का वित्त पोषण सरका करती है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका विचार एक आचार संहित जारी करने का है जिसे सभी छात्र स्वीकार करें और उसका पालन करें।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा उदाहरण है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : महोदय, आचार संहिता न केवल छात्रों पर लागू हो अपितु शिक्षको राजनैतिक दलों और उन बाहरी लोगों पर भी लागू होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय शिक्षा में रुचि लेते हैं। केवल छात्रों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री मधु दण्डवते : शिक्षा मंत्री पर भी।

एक माननीय सदस्य : माता-पिता पर भी।

श्री डी० पी० जदेजा : मैं उन सभी का उल्लेख करने की चेष्टा कर रहा था जिनका शिक्षा से संबंध है और मंत्री महोदय ने राजनैतिक दलों का उल्लेख भी किया है। मैं यह जानना

ाहता हूं कि क्या वह छात्र संघों के चुनावों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा छात्रों पर प्रभाव ालने और उनके चुनाव में दखलनन्दाजी करने पर रोक लगाने के बारे में विचार करेंगे ? क्या रकार राजनैतिक दलों की ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : ऐसे मामलों में प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होता । छात्रों की अनुशासनहीनता से हमारे विश्वविद्यालयों की संचालन व्यवस्था की जो क्षति हो ही है, उसे महसूस कराना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। महत्व की बात तो यह है कि विश्वविद्यालयों जब भी अशांति होती है, उसका कारण उचित भी ही सकता है, यह हो सकता है कि रेशानियां बहुत बढ़ गई हों किन्तु उन पर निर्णय शीघ्र न लिया जा सका हो, पर्याप्त सुविधायें पलब्ध न हों, अधिक भीड़भाड़ हो, चाहे जो भी कारण क्यों न हो, राजनैतिक दलों को कुछ न ुछ तो आत्म अनुशासन बनाये रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थिति और धिक न बिगड़ने पाये जिससे विश्वविद्यालय में समस्यायें बढ़ जाती हैं। छात्र ऐसे आन्दोलनों के शिकार हो जाते हैं और फिर ऐसी घटनायें घटती हैं जो भविष्य में विश्वविद्यालय को प्रभावित करती हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : स्वर्गीय श्री एम० सी० छागला के अनुसार अनुशासनहीनता कोई बीमारी नहीं है, यह बीमारी का लक्षण मात्र है । वास्तविक बीमारी तो नैतिक पतन है और उसका प्रारम्भ कालेज में नहीं अपितु हाई स्कूल से ही हो जाता है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस मौलिक तथ्य के बारे में जानकारी है, क्या वह अनुशासनहीनता का मूल कारण जानते हैं ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या उनका विचार अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ हाई स्कूल से ही नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम चालू करने का है जिसमें अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्रीय नेताओं, अपनी राजनैतिक प्रणाली आदि के बारे में अध्ययन की व्यवस्था हो ताकि छात्र समाज के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ भी कहा है वह शिक्षा तथा चरित्र निर्माण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है । प्रारम्भिक नैतिक शिक्षा की जानकारी देना महत्वपूर्ण है और मेरा विचार है कि ऐसी शिक्षा न केवल स्कूलों में दी जाये, अपितु घरों भी बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाये, क्योंकि घर में जो कमी रह जाती है उसे केवल स्कूल में नहीं सुधारा जा सकता है । इस समस्या के बारे में हम सभी को वास्तविक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखना होगा । किन्तु मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि इसमें शिक्षा की कोई भूमिका नहीं है अपितु मैं तो यही कहूंगा कि यही एक मात्र कारण नहीं है । वह भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है किन्तु और भी अन्य कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, बेरोजगारी का कारण है आदि आदि । विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के मध्य कोई संचार व्यवस्था नहीं है, विश्वविद्यालयों में बहुत अधिक भीड़-भाड़ है, विश्वविद्यालयों में उनके बीच जो निकटतम सम्पर्क होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है । बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, अनेक पाठ्यक्रमों में, शिक्षकों और छात्रों के पास पर्याप्त समय होता है, वे आपस में वार्तालाप करते हैं और छात्रों के कार्य निष्पादन का बार-बार मूल्यांकन करने से सही परिणाम निकल सकते हैं, इसलिए छात्रों के पास उचित कार्येतर गतिविधियों के अलावा अन्य बातों के लिए अधिक समय ही न बचे । तात्पर्य यह है कि शिक्षक स्वयं अपने ऊपर काम का अधिक भार लें । इस समस्या के ये पहलू हैं जिनके बारे में विचार करना होगा । परेशानियों को निपटाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि व्यक्तिगत कठिनाइयों पर

तत्काल ध्यान दिया जाय और सामूहिक कठिनाइयों को किसी तंत्र के माध्यम से, जैसा कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र है, सुलझायी जायें। विश्वविद्यालय के हर क्षेत्र में छात्रों को आज की तुलना में और अधिक भागीदार बनाया जाये। इसलिए, समस्या के बारे में आपकी अनुभूति के महत्व को स्वीकार करते हुए यह भी ध्यान रखना होगा कि इसके अन्य पहलू भी हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गांधीजी विश्वविद्यालय, कोट्टायम को मान्यता दिया जाना

*877. **श्री के० मोहन दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टायम स्थित गांधीजी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी तक मान्यता नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विश्वविद्यालय को शीघ्र मान्यता दिये जाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) गांधी जी विश्वविद्यालय, जो केरल विधान मण्डल के अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रहा है, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसी भी प्रकार की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपपुयत घोषित करना होगा।

(ख) और (ग) केरल सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अन्तर्गत तैयार किए गए नियमों में निर्धारित शर्तों को अभी पूरा करना है। इसी बीच, आयोग ने उस अधिनियम के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत गांधीजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है; अपने विचार राज्य सरकार को सूचित किये हैं। राज्य सरकार ने आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी नहीं भेजी हैं।

मुख्य उत्तर में परिवर्द्धन

मैं इसमें कुछ संसोधन करना चाहता हूं और वह यह है कि हाल ही में केरल के शिक्षा मंत्री यहां आये थे और उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों को नहीं लिया है।

श्री के० मोहन दास : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिंडीकेट और सीनेट की संरचना में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। तदनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम में कुछ संशोधन किये गये हैं। इस संबंध में केरल के माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री महोदय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया है। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निदेश देंगे ताकि वह भी अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप वही बात दोहरा रहे हैं, जिसे मैं पसंद नहीं करता। आप अपने अनुपूरक प्रश्न को दोहरा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं कि केरल के शिक्षा मंत्री यहां आये थे। वह मुझसे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से मिले थे। उन्होंने एक पत्र दिया था और उसके बारे में मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से बात कर ली है। विश्वविद्यालय आयोग द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों पर कार्यवाही कर ली गई है और कुछ अन्य मुद्दों की जांच करनी है तथा उनके बारे में राज्य सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि किसी मामूली सी वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय को मान्यता देने से इनकार नहीं करेगा। किन्तु सरांश रूप से उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संतुष्ट करना होगा। यह आवश्यक है।

श्री के० मोहन दास : गांधी विश्वविद्यालय प्राकृतिक विज्ञान, गांधी दर्शन अध्ययन और बहु रसायन विज्ञान, प्रारम्भिक चिकित्सा विज्ञान आदि जैसे विशेष पाठ्यक्रम चला रहा है जिनसे रोजगार मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए इस विश्वविद्यालय को विशेष सहायता देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदेश देने की कृपा करेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में सुधार करने तथा पाठ्यकमों को पुनः संरचित करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे विशेष सहायता देगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहनदास को भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पूरे वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता

*878. **श्री एन० डेनिस** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महिलाओं के विद्यालयों और महाविद्यालयों को विशेष सहायता मंजूर करने के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

IX से XII तक की कक्षाओं में लड़कियों के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति को एक योजना वर्ष 1985-86 से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

छठी योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अवर स्नातक शिक्षा को विकसित करने के लिए कालेजों को सहायता प्रदान करता रहा है बशर्ते कि संबंधित कालेज में कम-से-कम चार विभाग हों, प्रत्येक में कम-से-कम दो शिक्षक हों, और कम-से-कम कुल दस स्थायी शिक्षक हों, कुल छात्र-शिक्षक अनुपात 30 : 1 से अधिक न हो और कालेज में डिग्री कक्षाओं में कम-से-कम 300 छात्र हों। महिला कालेजों तथा पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों के मामले में दाखिले की आवश्यकता में 300 से 200 तक की ढील दी गई।

इसके अलावा, महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए आयोग पुरुष छात्रावासों के मामले में 50 प्रतिशत के मुकाबले में अनुमोदित लागत की 75 प्रतिशत की सीमा तक सहायता प्रदान करता रहा है। सातवीं योजना में कालेजों के लिए सहायता की पद्धति तैयार की जा रही है।

श्री एन० डेनिस : 1981 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में साक्षरता की प्रतिशतता 36.23 है। पुरुषों में 46.89 प्रतिशत साक्षरता है, जबकि महिला में 24.82 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता की प्रतिशतता 29.65 है। वहां पुरुषों में 40.79 प्रतिशत और महिलाओं में 17.96 प्रतिशत साक्षरता है। कुछ राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से कम है उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से कम महिलायें साक्षर हैं। महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में शिक्षा संस्थानों में यदि इतनी ही कम संख्या में महिलाओं ने प्रवेश लिया तो 1990 तक विश्वव्यापी प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों में निरक्षरता समाप्त करने तथा इस तमाम अन्तर और असंतुलन को दूर करने के लिए कोई विशेष सहायता देने और राशि आबंटन बढ़ाने का प्रस्ताव है?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि कुछ राज्यों में महिलायें शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं और यह कि निरक्षरता के स्वरूप को देखने से पता चलता है कि कुछ पिछड़े समुदायों की महिलायें साक्षरता में पिछड़ी हुई हैं। इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विवरण में तीन प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया गया है : पहले लड़कियों की शिक्षा निशुल्क की जा रही है अर्थात् कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक अर्थात् 12वीं कक्षा तक कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस समय आठवीं कक्षा तक कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। दूसरी बात कालेज में अपर स्नातक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में है जो विवरण में दी गयी है। मैं उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता।

तीसरी, महिला छात्रावासों के सम्बन्ध में है। ये तीनों योजनाएं विवरण में दी गई हैं। इनके अलावा प्राइमरी स्कूलों में अध्यापिकाओं को भर्ती करने के लिए विशेष सहायता दी जाती है; क्योंकि इससे लड़कियों के प्रवेश में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त विशेषकर लड़कियों के लिए चलाये जा रहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को विशेष सहायता दी जाती है। सह शिक्षा केन्द्रों की तुलना में केवल लड़कियों के लिए चलाये जा रहे केन्द्रों में दाखिला लेने वाली छात्राओं का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है। ये सब कुछ उपाय किये गये हैं।

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उन महिलाओं में, जिन्हें शिक्षा प्रणाली का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया है, शिक्षा का प्रसार करने में सहायता देने की आवश्यकता देने के प्रति सचेत है।

श्री एन० डेनिस : केन्द्र द्वारा शिक्षा के लिए जो राशि आबंटित की जाती है, उसका अनुपात योजना-दर-योजना कम होता जा रहा है। प्रथम योजना में 7.2 प्रतिशत राशि आबंटित की गई थी जबकि छठी योजना में 2.6 प्रतिशत की गई जबकि राज्यों में शिक्षा के लिए बजट का 25 प्रतिशत राशि आबंटित किया जाता है। इन आबंटित राशियों से उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण लड़कियों एवं सामाजिक एवं शिक्षा के

क्षेत्र में पिछड़े समाज की लड़कियों में शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए सरकार राशि आबंटन बढ़ायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इस बात का समर्थन करने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। मेरे विचार से वह वही बात कह रहे हैं जो किया जा चुका है। उनको मालूम है कि किसे करना है। उन्हें मेरी सहायता करनी होगी।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में बहुत कम प्रतिशत साक्षरता है। उनमें 5 से 6 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं। साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ? क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के समान कोई महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने अथवा उन महिला कालेजों और महिला स्कूलों को, जहां ग्रामीण क्षेत्र लड़कियों को शौच इत्यादि जाने की विशेष दिक्कत उठानी पड़ती है, ऐसी सुविधायें प्रदान करने का है ?

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए क्या सुविधायें बढ़ाने का विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : सरकार का विचार कोई महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का नहीं है। कुछ राज्यों ने महिला विश्वविद्यालय स्थापित किये हैं और उन्हें सामान्य रूप से सहायता प्रदान की जाती है। किन्तु अधिकांश विश्वविद्यालयों में सह शिक्षा है। वे लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर लड़कियां शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाती हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के लिए शौच आदि की भी समस्या है। 12वीं कक्षा तक लड़कियों के लिये निःशुल्क शिक्षा करने से राज्यों को सहायता देने की हमारे पास योजना है। जिन राज्यों को यह धन प्राप्त होता है तथा जिन राज्यों के पास कुछ अतिरिक्त धन है उन राज्यों से हमने कहा है कि इस धन को तथा अतिरिक्त धन को ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के लिए शौचालय और वर्दी आदि की व्यवस्था करने के लिए व्यय किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बिहार के रूरल एरियाज में ऐसे कालेजों की संख्या बहुत कम है और लगभग हैं ही नहीं। यदि कहीं ऐसे कालेज हैं तो क्या आप उनको ईयरमार्क करके विशेष अनुदान देंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अध्यक्ष जी, शिक्षा का भार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों पर है और उसी दायरे के अंदर रहते हुए जो सहायता हो सकती है, उतनी ही दी जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री डी० के० नायकर : क्या मंत्री महोदय को पता है कि 1985 में राज्य विधान सभा के मत चुनावों में कांग्रेस (इ) ने कुछ राज्यों में अपने चुनाव घोषणापत्र में घोषणा की थी कि

तृतीय स्तर तक बेसिक शिक्षा सरकार द्वारा निःशुल्क दी जायेगी। बढ़ती हुई निरक्षरता को ध्यान में रखते हुए क्या उनका विचार ऐसा कोई विधेयक लाने का है जिससे कि सभी स्तर पर बेसिक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा देने का आश्वासन पूरा किया जा सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यदि विधेयक लाने से यह काम हो सकता है तो, मुझे ऐसा विधेयक लाने में प्रसन्नता होगी। कुछ राज्य सरकार विधेयक लाई हैं किन्तु इससे वे शिक्षा की सार्वभौतिकता का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रश्न का सम्बध इरादा, अच्छा या विधि की कमी से नहीं है। प्रश्न संसाधनों का तथा इस कार्य को करने के संकल्प का है। मैं अपने माननीय सहयोगी को यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम 1990 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयत्न करने जा रहे हैं। मैंने मामले पर विचार किया है। इसमें कई कठिनाइयां है। मैं उन्हें कम महत्वपूर्ण नहीं कहना चाहता। लेकिन हम गंभीरतापूर्वक इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे और मैं इस मामले पर गहराई के साथ पर्याप्त विचार करने दके बा सभा में इस बात पर चर्चा करने के लिए कि इसकी क्या सीमाए हैं और हम उन्हें किस तरह दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सदन के समक्ष प्रस्ताव लाऊंगा।

यात्रियों को सुविधाएं

*879. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुधार समिति ने सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चित सुझाव दिए हैं/सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कई सुझाव/सिफारिशें कि गयी हैं :—

(1) बेहतर आरक्षण, पूछ-ताछ तथा सम्बद्ध सुविधाएं;

(2) खान-पान के स्तर में सुधार करने के लिए भारतीय रेल खान-पान निगम की स्थापना;

(3) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होटलों की स्थापना;

(4) विश्राम कक्षों के रख-रखाव में सुधार;

(5) होलीडे और पर्यटन स्पेशल गाड़ियां चलाकर पर्यटन को बढ़ावा;

(6) अन्तःनगर फास्ट गाड़ियां चलाना और बिजली/डीजल इंजनों से लम्बी दैनिक-यात्री गाड़ियां चलाना;

(7) प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ कम करना;

(8) गाड़ियों में ठंडे और पीने योग्य पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जल शीतकों की व्यवस्था;

(9) बिस्तरों के लिए मांग का मानकीकरण तथा उनकी समुचित धुलाई की व्यवस्था;

(10) भविष्य में बनाये जाने वाले दूसरे दर्जे के डिब्बों में गद्दीदार सीटों/शायिकाओं की व्यवस्था तथा अधिक वातानुकूलित कुर्सी यान तथा वातानुकूलित स्लीपरों के उत्पादन की व्यवस्था;

(11) यात्रियों की तुलना में प्रसाधन अनुपात में सुधार करने के लिए सवारी डिब्बों के अभिकल्प में सुधार, अधिक जल भण्डारण सुविधाओं और बिजली के जल-शीतकों की व्यवस्था;

(12) उपनगरीय सेवाओं में सुधार;

(13) टर्मिनलों पर गुणात्मक सुधार।

इन सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा रेलवे सुधार समिति की रिपोर्टों में दिया गया है जिन्हें माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद के पुस्तकालय में रखा गया है।

(ग) रेलवे सुधार समिति द्वारा दिये गये सुझावों/सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है जो पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सुझावों/सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए यथा व्यावहारिक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गयी है।

[हिन्दी]

श्री विजय एन० पाटिल : मंत्री महोदय ने उत्तर के भाग (सी) में रिप्लाई देते हुए कहा है कि :—

[अनुवाद]

"रेलवे सुधार समिति द्वारा दिए गये सुझाव/सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।"

[हिन्दी]

इसका मतलब यह हुआ कि रेलवे सुधार समिति द्वारा जो भी सुझाव या सिफारिशें की जाती हैं, उनका इम्पलीमैंटेशन एक कन्टीन्यूअस प्रोसैस है, केटरिंग के कार्य में एफीश्यैंसी और सुधार लाने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसी प्रश्न के (ख) भाग के उप-भाग (2) में आपने कहा है कि—

[अनुवाद]

"खान-पान का स्तर सुधारने के लिए भारतीय रेलवे खान-पान निगम की स्थापना।"

[हिन्दी]

क्या यह भी कन्टीन्यूअस प्रोसैस है, क्या आपने उसको सैट अप करने और उसका विस्तार करने के बारे में कुछ स्टैप्स लिए हैं।

श्री माधव राव सिन्धिया : इण्डियन रेलवेज लगभग 3 हजार 500 जगह कान्ट्रैक्टर्स के माध्यम से कैटरिंग सर्विस करवाता है और लगभग सवा सौ जगहों पर डिपार्टमैंटल कैटरिंग की जाती है। रेलवे कैटरिंग कार्पोरेशन बनाने का सुझाव अभी भी हमारे मंत्रालय के विचाराधीन है परन्तु हमारा विचार यह है कि एक पायलट प्रोजैक्ट को, एक पायलट योजना के रूप में पहले हाथ में लिया जाए और उससे जो अनुभव हमें प्राप्त होगा, उसके आधार पर ही हम आगे रेलवे कैटरिंग कारपोरेशन को सैट-अप करने या उसी कैटरिंग सर्विस के विस्तार करने के सम्बन्ध में विचार करेंगे। यह पायलट प्रोजैक्ट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए हाथ में लिया गया है और वह इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिए। इसमें आई० टी० डी० सी० को हमने कन्सल्टैंसी दी है।

श्री विजय एन० पाटिल : रेलवे रिफार्म्स कमेटी ने इन्ट्रोडक्शन आफ इन्टर-सिटी फास्ट ट्रेन्स चलाने के बारे में भी रिकमैंडेशन दी है और उसके आधार पर आपने कुछ फास्ट ट्रेन्स इन्ट्रोड्यूस भी की हैं मगर यह देखा जाता है कि जब हम दो रेलवेज की आपस में तुलना करते हैं, सैन्ट्रल और वैस्टर्न रेलवे की आपस में तुलना करते हैं तो सैन्ट्रल रेलवे की ट्रेन्स चलती हैं, वह दिल्ली से बम्बई पहुंचने में या हैदराबाद की तरफ से बम्बई आने में हमेशा लेट रहती हैं, एक घंटे और कभी-कभी 6-6 और 7.7 घंटे। वेस्टर्न रेलवे टाइम पर चलती है, दोनों में फर्क के क्या कारण हैं?

श्री माधव राव सिंधिया : कारण तो वही होते हैं और इसमें सुधार लाने का प्रयास जारी है। कुछ रैस्ट्रिक्शन्स होती हैं जैसे क्रासिंग प्रावलभ, चेन-पुलिंग आदि कारणों से लेट रनिंग प्रभावित होती है।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : यदि मैं ठीक से समझ पाया हूं तो हिमसागर एक्सप्रेस इस देश में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली गाड़ी है। यह गाड़ी कन्याकुमारी से काश्मीर तक जाती है और हम कह सकते हैं कि यह इस देश की एकता की प्रतीक कही जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस गाड़ी में खान-पान की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हर डिब्बे के बाहर यह नोटिस लगा होता है, 'कम सामान, अधिक आराम, यात्रा सुखमय बनाइए।' मेरा रेलवे से अनुरोध है कि यात्रियों को ठीक समय पर चाय और भोजन उपलब्ध कराए तथा उनकी यात्रा आरामदायक बनाए। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस सर्वाधिक दूरी तय करने वाली गाड़ी में खान-पान की सुविधा आरम्भ करें।

श्री माधव राव सिंधिया : निःसंदेह हिमसागर एक्सप्रेस देश में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली गाड़ी है और माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव अच्छा है। निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री वसुदेव आचार्य : रेल सुधार समिति ने सरकार को 21 सिफारिशें पेश की हैं और उनमें से 10 सिफारिशें यात्री सुविधा संबंधी हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह एक सतत

प्रक्रिया है अर्थात सुझावों और सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से विशिष्ट सुझाव जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि अभी तक कार्यान्वित किए गए हैं। निश्चय ही यह एक सतत प्रक्रिया है किंतु यात्रियों की सुविधा के संबंध में दिए गए 10 सुझावों में से उनकी संख्या 2, 3 अथवा 4 ही होगी। अब तक कौन-कौन-सी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं? मैं रेल मंत्री जी से इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री माधव राव सिंधिया : अभी तक जो सुझाव कार्यान्वित किए गए हैं वास्तव में उनकी संख्या बहुत है। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी तक जो मुख्य सुझाव कार्यान्वित किए गए हैं वे आरक्षण काउन्टर पर अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त करने, टिकट घरों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने और कम्प्यूटरीकरण करने, आदि के संबंध में हैं। कम्प्यूटरीकरण उत्तर रेलवे से आरंभ किया जा रहा है और यह पहली परियोजना होगी जिसे हाथ में लिया जायेगी और मुझे आशा है कि अगले वर्ष तक हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था कर देंगे और भी कई सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं। मैं उनकी पूरी सूची पढ़ सकता हूं किंतु मैं चाहूंगा कि उन्हें माननीय सदस्य को लिखित रूप में भेज दूं।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जयन्ती जनता एक्सप्रेस, जो बरौनी से नई दिल्ली तक चलती है, उसमें कई महीने से पैंटरी कार नहीं लगती है जब कि रेल रिफार्म्स कमेटी इस तरह की सुविधाएं देने की सिफारिश बहुत पहले कर चुकी है, सरकार इस बारे में क्या कर रही है?

श्री माधव राव सिंधिया : पैन्टरी कार की काफी कमी हम महसूस कर रहे हैं। पैन्टरी कार ऐसी ट्रेन्स में पहले लगाई जाती है जो काफी लम्बी दूरी पर चलती हैं जैसे अभी आनरेबल मैम्बर ने हिम सागर एक्सप्रेस के बारे में कहा। प्रायर्टी के अनुसार पैन्टरी कार ज्यादा से ज्यादा लगाई जाती है, लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा में पेन्टरी कार उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बालकवि बैरागी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस कमेटी के माध्यम से आई सिफारिशों के बाद मध्यमवर्गीय और न्यूनवर्गीय मुसाफिरों के लिए आप कौन-सी सुविधाएं देने पर विचार कर रहे हैं?

श्री माधव राव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मुख्य रिकमेंडेशन रेलवे रिफार्म्स कमेटी का था, जैसे कि अभी पायलेट प्रोजेक्ट हमने यात्री निवास का नई दिल्ली में लिया है। वह मध्यम और निम्न माध्यम वर्ग के यात्रियों के लिये है और हमारा यह प्रयास है कि···

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही कि गर्मियों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए?

श्री माधव राव सिंधिया : रेलवे प्लेटफार्मों और गाड़ियों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है (व्यवधान)। पेय जल के मामले में हमने न केवल रेलवे स्टेशनों पर तथा वेस्टिबुल गाड़ियों में, जिनमें पानी की व्यवस्था में विशेष ध्यान देने के

लिए कहा है अपितु हमने यह भी कहा है कि प्रथम श्रेणी वातानुकूलन, और प्रथम श्रेणी, यात्री यह एक विशेष श्रेणी है, जिसमें संभवतः माननीय सदस्या अकसर यात्रा करती हैं, इसीलिए वह इस संबंध में बहुत रुचि दिखा रही हैं, जिसमें या तो अपने थर्मस ले जाएं या फिर सुविधाएं पर्याप्त ही हैं। लेकिन दूसरी श्रेणी के यात्रियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसीलिए हमने कहा है कि वेस्टिबुल गाड़ियों में वहां बाल्टियां तथा जेरीकैन ढके हुए होने चाहिए तथा पानी पिलाने वाला होना चाहिए।

महाराष्ट्र और बिहार में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना

*880 **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि महाराष्ट्र और बिहार में कुछ सिंचाई परियोजनाएं उन्हें पूरा करने के निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे हैं;

(ख) क्या दोनों राज्यों की सरकारों ने ऐसी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र से पर्याप्त धनराशि देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) महाराष्ट्र और बिहार में कुछेक परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे हैं। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी योजना-विशेष अथवा विकास के सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं होती है। राज्यों को अपनी परियोजनाओं की आयोजना, वित्त-पोषण तथा उनका कार्यान्वयन स्वयं करना होता है और उनके लिए पर्याप्त प्रावधान अपने कुल योजना आबंटनों में से ही करना होता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महाराष्ट्र राज्य के 22 बड़े प्रकल्प और 42 मध्यम प्रकल्प वर्षों से पेंडिंग हैं, उसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार के 15 विभागों का उनमें तारतम्य नहीं है। जब प्रोजेक्ट राज्य सरकार की तरफ से केन्द्रीय जल आयोग को भेजा जाता है तो वहां से केन्द्रीय सरकार के 15 विभागों की तरफ से क्वेरीज आती हैं। वह भी एक समय नहीं आतीं, कोई 6 महीने बाद जगता है, दूसरा डिपार्टमेंट उसके [illegible] साल बाद में जगता है। इस तरह प्रोजेक्ट की क्वेरी चलते-चलते कई साल हो जाते हैं। ऐसा होने से प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ जाती है, जिससे फिर से रिवाइज्ड प्रोजेक्ट भेजना पड़ता है। इस तरह से यह साइकिल चलता जाता है।

दूसरा कारण निधि का अभाव है। आपका जो जंगलों का कानून है वह भी इन प्रोजेक्ट के आड़े आता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि केन्द्र के जो यह 15 डिपार्टमेंट हैं, इनमें को-आर्डिनेशन करके क्या इस प्रोजेक्ट को तुरन्त पूरा कराने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा, महाराष्ट्र राज्य ने कितना पैसा मांगा है और उसमें से कितने पैसे की केन्द्र ने मंजूरी दी है ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य को मुख्य शिकायत यह है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब किया जाता है क्योंकि उनके मतानुसार सरकार के विभिन्न विभागों का सिंचाई विभाग के साथ कोई तालमेल नहीं है। मैं सदन में इस विलम्ब के कारण का जिक्र कई बार कर चुका हूं। इसके कारण ये हैं कि राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाएं और परियोजनाएं सभी दृष्टि से पूरी नहीं होतीं जबकि केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किए जाते हैं। जब कुछ दोष पाये जाते हैं और कुछ टिप्पणियां की जाती हैं तो उन्हें वापिस भेज दिया जाता है और इस बीच उसकी लागत बढ़ जाती है। राज्य सरकार भी कभी-कभी परियोजनाओं में संशोधन करती है। वे स्वयं भी कई बार परियोजना में फेर बदल करते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी जानकारी माननीय सदस्य को नहीं है और जिनके लिए संभवतः सिंचाई विभाग या केन्द्रीय जल आयोग जिम्मेदार नहीं है (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : वह तालमेल की बात कर रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : उनमें सहयोग और तालमेल है। यह प्रश्न राज्य और केन्द्र के बीच सहयोग और तालमेल का है। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा पूछी गई सभी बातों का विस्तार में उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्त्वपूर्ण सवाल यह था कि महाराष्ट्र सरकार ने कितना पैसा मांगा था और कितना मंजूर किया गया। इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जितनी डिले होती है उतनी ही गड़बड़ी होती है। डिले की दूरी करने का काम होना चाहिए।

[अनुवाद]

विलम्ब अनेक समस्याओं की जड़ है।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैंने मुख्य प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि किसी विशेष योजना या परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। यह सहायता ब्लाक अनुदानों या ब्लाक ऋणों के रूप में दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में सहायता दिए जाने का अनुरोध किया था। 1980-81 में उन्होंने 32 करोड़ रुपए की मांग की 1981-82 में 20.70 करोड़ रुपए मांगे और 1982-83 में 22 करोड़ रुपए और 1983-84 में 47.06 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी गई। तथापि भारत सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

डा० गौरीशंकर राजहंस : महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। हमें स्पष्ट उत्तर चाहिए, उदाहरण के लिए मैं पश्चिम कोसी नहर की वास्तविक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। यह परियोजना दो देशों नेपाल और भारत से सम्बद्ध है और इसका काम बिहार राज्य के पास है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है और यह कब तक पूरी होगी।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या बिहार और महाराष्ट्र में ऐसी कोई परियोजनाएं हैं जो निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं और मैंने कहा कि ऐसी कुछ परियोजनाएं हैं जो धन के अभाव, तकनीकी स्वीकृति न मिलने और अन्य कारण से जो मैं पहले ही बता चुका हूं, समय पर पूरी नहीं हो पाई। बिहार में 12 बड़ी और 20 मध्यम दर्जे की छठी योजना से पहले की परियोजनायें हैं और 7 मध्यम दर्जे की छठी योजना की योजनायें जो सातवीं योजना में भी जारी रहेंगी। उनकी नवीनतम कुल अनुमानित लागत करीब 2300 करोड़ रुपए है जबकि मोटे तौर पर इस पर करीब 1700 करोड़ रुपए और खर्च होना है। बिहार सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पायी है, क्योंकि इसने कई परियोजनाएं शुरू की हैं जिनके लिए यह धन उपलब्ध नहीं करा सकते। विभिन्न परियोजनाओं के पूरे न होने का मुख्य कारण यह है कि परियोजनाएं बहुत-सी हैं जबकि उनके संसाधन सीमित हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामस्वरूप राम।

मैं तो राम की तरफ देख रहा हूं। बलराम राम की तरफ नहीं देखेगा तो कहां जायेगा।

श्री बाल कवि बैरागी : बलराम और राम के बीच में नन्दराम न रह जायें।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, तिलैया डाडर सिंचाई परियोजना तथा मुहाने रिजर्वायर परियोजना बहुत बड़ी महती स्कीम्स हैं जिनका शिलान्यास भी हो चुका है लेकिन फंड के अभाव में, धनराशि के अभाव में कार्य शुरू नहीं हुआ है यद्यपि शिलान्यास किए हुए एक साल हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन के तौर पर जानना चाहूंगा कि दोनों योजनाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जो राशि आबंटित की है, क्या उसको भेजने की शीघ्र व्यवस्था कर रहे हैं दो-तीन महीने में, जिससे कि वहां पर कार्य आरम्भ हो सके ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानंद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि धन राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। परियोजनाओं के लिए पैसा और उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। किसी भी परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री सी० पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सोन कैनाल जो कि 150 साल से रिनोवेट नहीं हुई है और जिसको अंग्रेज बनाकर चले गए थे, यह स्कीम बहुत दिनों से केन्द्रीय सरकार के पास निलंबित है, उसके ऊपर कुछ हो रहा है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोजेक्ट की बात तो नहीं बता पायेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जिस नहर का जिक्र किया है वह 120 वर्ष पुरानी है और इससे दो जिलों—भोजपुर रोहतास और पटना को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इस योजना के लिए पैसा विश्व बैंक द्वारा दिया जाना

था। राज्य सरकार द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और यह परियोजना केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री बी० शंकरानंद : महोदय, हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए कि यह परियोजना बिहार में पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से चल रही है।

प्रो० के० के० तिवारी : जी हां, यह देश की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से है। यह 100 वर्ष से अधिक पुरानी परियोजना है।

श्री बी० शंकरानंद : मैंने भी यही कहा है। इसके लिए हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए।

(व्यवधान)

यही कारण है कि बुद्ध भगवान का जन्म बिहार में हुआ।

श्री सी० पी० ठाकुर : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस संबंध में क्या कर रही है। मैं मंत्री महोदय से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री बी० शंकरानंद : बिहार को जो भी सहायता दी जा सकती थी, वह दी जा रही है। बिना पैसे के कोई परियोजना पूरी नहीं होती और न ही बिना पैसे के किसी योजना का आधुनिकीकरण अथवा नवीकरण किया जा सकता है। हम जो कुछ कर सकते थे, कर रहे हैं। अब शेष काम संभालने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, इसकी स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या मंत्री महोदय इसे शीघ्र स्वीकृति देने का निर्णय लेने पर विचार करेंगे ? राज्य सरकार द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या स्वीकृति दिए जाने जैसी कुछ बात है ?

श्री बी० शंकरानंद : महोदय, यदि बिहार सरकार सभी बातों का पालन करेगी तो हम एक क्षण की भी देरी नहीं करेंगे।

स्वतंत्रता सेनानियों को मानार्थ रेलवे पास

[हिन्दी]

*882. **श्री विष्णु मोदी :**
श्री तारिक अनवर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को "भारत दर्शन" के लिए प्रथम श्रेणी की पास सुविधा कराने की कोई योजना तैयार की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया;

(ग) क्या यह सुविधा हाल ही में वापस ले ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सुविधा को फिर से बहाल करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) रेलों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पहले दर्जे के 136 अखिल भारतीय मानार्थ कार्ड पास जारी किए गए थे । इनमें से कितने व्यक्तियों ने इस यात्रा सुविधा का वास्तव में लाभ उठाया, इसकी जानकारी नहीं है ।

(ग) इस सुविधा को आस्थगित रखा गया है ।

(घ) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) और (च) जी हां । मामला विचाराधीन है ।

(छ) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली भारत दर्शन की सुविधा, प्रथम श्रेणी का पास, इन्हें सुलभ करवाकर इस सुविधा को बन्द करने के पीछे क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने राज्य हैं, जिनमें से भारत दर्शन की सुविधा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को सूचित ही नहीं किया गया और वे इस लाभ से लाभांवित होने से वंचित रह गए—इसका विवरण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : जवान आदमी हैं, पढ़ने की क्या जरूरत थी, सीधा बोलना था ।

[अनुवाद]

मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य सभा में किसी विषय या प्रश्न अथवा तैयार वक्तव्य को पढ़ता है, तो बाहर के लोग समझते हैं कि हमें कोई सिखा रहा है। मैं नहीं चाहता कि सदन में ऐसी बातें हों । हमें अपनी बात कहनी चाहिए और किसी भी कीमत पर सदन की प्रतिष्ठा कम नहीं होने देनी चाहिए ।

प्रो० एन० जी० रंगा : लेकिन कुछ सदस्य ऐसे हैं जो वहीं पर अपना अनुपूरक प्रश्न तैयार नहीं कर पाते और न उन्हें पूछ पाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वे प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु इस तरह से समूचा लेख नहीं पढ़ सकते हैं । यह बात ठीक नहीं है अगला सत्र आने में अभी समय है । इस सत्र के एक-दो दिन ही शेष हैं ।

अत: हमें स्वयं को इसके लिए तैयार करना चाहिए, और अगले सत्र में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : ये अनुदेश विपक्षी दलों को भी दिए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जो नोट करने की अनुमति है, उसे नोट करना होगा आप भी नोट कर सकते हैं किन्तु शब्दश: पढ़ने की अनुमति नहीं है। यह सभी के लिए है।

(व्यवधान)

तैयार विवरण पढ़ना दूसरी बात है।

प्रो० के० के० तिवारी : इससे इस बात का पता चलता है कि उन्होंने कितनी तैयारी की है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपका विनिर्णय भी लिखित रूप में नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बंसी लाल : यह मामला होम मिनिस्ट्री को रेफर किया हुआ है, उनके जवाब का इन्तजार है।

श्री विष्णु मोदी : मैंने पूछा था कि इसको बन्द करने के कारण क्या हैं ?

श्री बंसी लाल : कारण यह है कि इसके ऊपर करीब 100 करोड़ रुपये का खर्चा होगा, इस खर्चे को कौन बरदाश्त करेगा। फ्रीडम फाइटर्स की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की है, इसलिए उनको रेफर किया हुआ है।

श्री विष्णु मोदी : कितने लोगों ने पास मांगा और कितने लोगों को दिया गया ? जिन लोगों को नहीं दिया गया उसके क्या कारण थे ?

श्री बंसी लाल : कितने लोगों ने मांगा उसका कोई रिकार्ड नहीं है, लेकिन जैसा मैंने मेन सवाल के जवाब में बतलाया है—196 लोगों को ये पास दिये गये।

श्री तारिक अनवर : हम जब भी कोई बात शुरू करते हैं, खास तौर से हम लोग जो राजनीति में हैं, अपने भाषण में स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान···

श्री भागवत झा आजाद : उनके बल पर यहां मौज करते हैं।

श्री तारिक अनवर : यह ठीक है कि उनके बल पर यहां बैठे हैं, यह उन्हीं की देन है। लेकिन जब हम उनकी सुविधाओं के सम्बन्ध में यहां बात करते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं। अभी-अभी कांग्रेस के शताब्दि समारोह के उद्घाटन के अवसर पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा ऐलान किया जिसके तहत उनकी पेन्शन को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया। यह वास्तव में एक बहुत ही उत्साही कदम है। लेकिन जहां तक रेलवे का सवाल है—

अभी मंत्री जी ने बतलाया कि 136 लोगों को फर्स्ट क्लास के पास दिये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं—क्या इसके लिए कोई मापदण्ड है कि किन लोगों को ये पास दिए जा सकते हैं? क्या इन्हीं लोगों को यह हक हासिल था और जो दूसरे थे उनको यह हक हासिल नहीं था? मैं यह भी जानना चाहता हूं—हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी गांवों में रहते हैं, उनको रेलवे जो सुविधा दे रही है उसकी जानकारी नहीं पहुंचती है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे जो सुविधा आप रेलवे की तरफ से देना चाहते हैं उसकी जानकारी उन तक पहुंच सके?

श्री बंसी लाल : पास के हकदार करीब चार लाख लोग देश में है, जिनमें से 1 लाख 29 हजार को सैंट्रल गवर्नमेंट पेंशन देती है, और पौने-तीन या तीन लाख लोगों को प्रान्तीय सरकारें पेंशन देती हैं, इसलिए जो पेंशन देने वाला डिपार्टमेंट है वही उनके किराये को बरदाश्त करेगा। होम मिनिस्ट्री को यह केस रेफर किया हुआ है, स्वतंत्रता सेनानियों को इन्कार नहीं किया गया है, मामला अभी विचाराधीन है।

श्री उत्तम राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब शुरू में मैंने इस सवाल को उठाया था तो उस वक्त सेठी जी ने इसको नहीं किया। तब प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कहा कि अब बहुत थोड़े स्वतंत्रता सेनानी जिन्दा हैं, हमको यह उनको देना चाहिए ताकि वे भी देख सकें कि देश कहां तक आगे बढ़ा है। क्या हम इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि जो बचे हैं उनमें से भी कुछ लोग चले जायें।

श्री बंसी लाल : इस बात का इन्तजार नहीं कर रहे हैं, जल्दी ही फैसला हो जाएगा।

पोलियो आदि रोगों के बाल रोगियों के लिए अस्पताल

[अनुवाद]

*884. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौ वर्ष से कम आयु के वर्ग के प्रति 4000 बच्चों में से एक बच्चा पोलियो रोग से पीड़ित है और पोलियो के लगभग 2,70,000 मामले हर वर्ष होते हैं;

(ख) क्या सरकार की पोलियो और डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक और टाइफाइड ज्वर जैसे रोगों के नियंत्रण के लिए कोई ठोस योजनाएं हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अलग से बच्चों के लिए विशेष अस्पताल खोलने का है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में इस समय पोलियो का कितना प्रकोप है, इसके बारे में सही अनुमान उपलब्ध नहीं है। 1983 में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना कार्यालय को लगभग 21 हजार रोगियों की सूचना दी थी।

(ख) डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक और टाइफाइड बुखार सम्बन्धी रोग प्रतिरक्षा की सेवाएं रोग प्रतिरक्षण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही हैं।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री डी० एन० रेड्डी : महोदय, हाल ही में कुछ राष्ट्रों द्वारा हमें सप्लाई किए गए पोलियो के टीके निष्प्रभावी पाए गए हैं। ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि कई विख्यात डाक्टरों ने यह पाया कि

ये टीके निष्प्रभावी हैं और उन्होंने इस तथ्य की जानकारी सरकार को दी। उसके साथ ही साथ सभी अस्पतालों में टीके रखने के लिए पर्याप्त शीतागार उपलब्ध नहीं हैं। टीके पर्याप्त मात्रा में आयात नहीं किए जाते जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पोलियो के टीके का ही नहीं अपितु ट्रिपल एन्टीजन टीकों का भी अभाव हो गया है। यह बहुत ही आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में इन महत्वपूर्ण औषधियों की सप्लाई की जाए जहां पोलियो से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत अधिक है।

जहां तक प्रश्न के भाग (ग) का सम्बन्ध है, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए स्कूलों में विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। विशेषकर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम तथा हैदराबाद में ये सेवाएं केवल बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध हैं। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करें कि क्या वह कम से कम जिला स्तर तक ये सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये सेवाएं केवल जिला स्तर पर ही नहीं अपितु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक उपलब्ध हैं, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 'फ्रीजर' है और जिला स्तर पर 'डीप फ्रीजर' उपलब्ध हैं। अतः हम जिला स्तर पर टीकों का भंडारण करते हैं और फिर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजते हैं जहां पुनः उन्हें कई दिन के लिए शीतागारों में रखा जाता है। फिर टीके उप-केन्द्र और गांव स्तर पर भेजे जाते हैं। इसलिए टीके देने के लिए उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों और 'रेफरल' केन्द्रों का जाल-सा बिछा हुआ है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा की गई शिकायत का सम्बन्ध है, हमारे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां टीका निष्प्रभावी पाया गया हो। ऐसा हो सकता है कि उचित समय पर उचित मात्रा में खुराक न दी गई हो, क्योंकि यह दवा कुछ निश्चित अंतराल के बाद देनी होती है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह निष्प्रभावी भी हो सकती है।

श्री डी० एन० रेड्डी : डाक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि···(**व्यवधान**) यदि पोलियो का टीका फ्रिज अथवा शीतागार में नहीं रखा जाएगा तो यह निष्प्रभावी हो जायेगा। यहां तक कि यदि कमरे में भी इसे कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें तो भी यह निष्प्रभावी हो जाता है। निष्प्रभावी या अनुपयोगी टीके सप्लाई किए जाने से कोई बात नहीं बनती है।

इसके अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि टीके पर्याप्त मात्रा में आयात किए जाएं और यहां तक कि ग्रामीण उप-केन्द्रों में भी उन्हें शीतागारों में रखा जाए। यह दलील देना कि इन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाना पड़ता है और इसलिए टीके निष्प्रभावी हो जाते हैं, ठीक नहीं है। निष्प्रभावी पोलियो टीके सप्लाई किए जाने का यही पर्याप्त कारण नहीं हो सकता।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, ऐसा किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम सभी बच्चों को ये टीके लगाने जा रहे हैं। रोग प्रतिरक्षण टीके लगाए जाने का कार्यक्रम बनाया जाएगा।

जैसा कि मैंने कहा है कि जिला स्तर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर शीतागारों की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि वहां 'फ्रिज' है। अतः इन्हें वहां सुरक्षित रखा जा सकता है। इन्हें ठंडी जगह में रखना होता है और वह सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध है। 5000 की आबादी वाले हर इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : शीतागार कोई भी नहीं हैं।

डा० बी० वेंकटेश : श्रीमन्, परहेज इलाज से बेहतर है। ये रोग खतरनाक हैं और ये समाज में बच्चों को हमेशा के लिए अपंग बना देती हैं। क्या सरकार ने कोई ऐसा उपाय सोचा है, जिसके तहत समुचित सफाई और शुद्ध पीने के पानी आदि की व्यवस्था कर इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके? ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी खुले में मलत्याग करते हैं और वहां कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी तक नहीं मिलता है। इन रोगों से, जो कि ग्रामीण लोगों को हमेशा के लिए अपंग बना देती हैं, बचाव के लिए है, क्या भारत सरकार ने निवारक उपायों के लिए कोई योजना बनाई है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमन्, हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बिल्कुल स्पष्ट है। पहले तो इसमें रोगों को रोकने और फिर यदि आवश्यक हो तो इसके इलाज और उपचार करने का उल्लेख है। लेकिन यह राज्य का कार्यक्रम है और भारत सरकार उन्हें सहायता और सलाह दे रही है। हम वित्तीय और तकनीकी सलाह देते हैं। अन्य चीजें भी भारत सरकार द्वारा मुहैया की जाती हैं। लेकिन इसे लागू करने का प्राथमिक कार्य, राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने सही कहा है कि ग्रामीण जल सप्लाई का भी इससे कुछ सम्बन्ध है, क्योंकि शुद्ध पेय जल उपलब्ध होगा तो कई एक बीमारियों से बचा जा सकता है और सरकार लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ इन योजनाओं के बारे में कार्य कर रही है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बच्चों के रोगों के लिए रोग निवारक औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतन-व्यवस्था उपलब्ध है।

मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय अपने इस वक्तव्य पर कायम रहेंगे? क्या माननीय मंत्री ने इस बारे में जांच की है? कम-से-कम मेरी जानकारी में पश्चिमी बंगाल के एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोग निवारक दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतन-व्यवस्था नहीं है। क्या यह सरकार की गलती नहीं है?

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने यह कह कर सही तथ्य नहीं दिए हैं। माननीय मंत्री कुछ लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उत्तेजित कर रहे हैं।

क्या मंत्री महोदय अपना वक्तव्य सही करेंगे या इस मामले की जांच करवाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री का उत्तर सुनिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : उत्तर प्रदेश में नहीं है और कहीं नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके विचार सुन लिए।

[अनुवाद]

उन्हें भी सुनिए। अपने उत्तरों से सावधान रहें।

[हिन्दी]

इसीलिए मैंने काशन भी कर दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : माननीय मंत्री का उत्तर गुमराहकारी है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : गुमराह करने का कोई प्रश्न ही नहीं है···

(व्यवधान)

क्या आप मेरी बात सुनेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अपने अधिकारियों से सावधान रहें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अधिकारियों द्वारा मंत्रियों को गुमराह किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने शुरू में ही कहा था कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और भारत सरकार केवल धनराशि ही उपलब्ध करा सकती है। यह राज्य सरकार का काम है कि वह इसे कार्यान्वित करे। एक विशेष राज्य में···

(व्यवधान)

अगर कुछ राज्यों में यह नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं ? हम धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं और हम राज्य सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि वह इसे लागू करे। (व्यवधान) यही बात है और वे इस बात की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिला सकते हैं।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

*883. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल लाइनों के विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश इस सम्बन्ध में अत्यन्त उपेक्षित क्षेत्र रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य	31-3-1985 तक विद्युतीकृत मार्ग कि० मी०	विद्युतीकरण का चालू/ स्वीकृत काम मार्ग मि० मी०
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	608	611

1	2	3
बिहार	877	611
गुजरात	524	93
हरियाणा	74	—
कर्नाटक	—	92
महाराष्ट्र	789	889
मध्य प्रदेश	473	1965
उड़ीसा	376	—
राजस्थान	22	557
तमिलनाडु	426	104
उत्तर प्रदेश	942	309
पश्चिम बंगाल	1240	—
संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	89	—
	6440	5231

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा-बलारशा लाइन पर विद्युतीकरण कार्य पिछले कई वर्षों से लम्बित है।

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह लाइन इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जाएगी। माननीय मंत्री ने उन रेल लाइनों की सूची दी है, जिनका इस वर्ष विद्युतीकरण किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सूची में विजयवाड़ा-बलारशा रेल लाइन शामिल है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किस रेल लाइन का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री एच० ए० डोरा : बलाशा मेरा जन्मस्थान है। मंत्री ने अपने बजट-भाषण में विजयवाड़ा-बलाशा रेल लाइन का जिक्र किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार नहीं कर सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या आप रेल लाइन का नाम नहीं जानते ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : यह विजयवाड़ा-बलारशा लाइन है न कि विजयवाड़ा-बलाशा लाइन। मेरे मित्र गलती पर हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो वही बात हुई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान।

[अनुवाद]

श्री बंसी लाल : विजयवाड़ा-बलारशा लाइन का कार्य प्रगति पर है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या सरकार इसका विद्युतीकरण इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर पायेगी ?

श्री बंसी लाल : यह कार्य 1987-88 तक पूरा होगा।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जहां तक हैदराबाद का सम्बन्ध है, इसका विस्तार हो रहा है, इसकी जनसंख्या बढ़ रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस बात को सभी जानते हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या सरकार इस लाइन का विद्युतीकरण कार्य आरम्भ करेगी, जिससे कि शहर के उपनगरों को विद्युत रेलगाड़ी द्वारा जोड़ा जा सकेगा ?

श्री बंसी लाल : मैं आपकी बात नहीं समझ पाया।

(व्यवधान)

अल्प सूचना प्रश्न

बिड़ला मिल्स दिल्ली

[अनुवाद]

2. **श्री ललित माकन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित बिड़ला मिल्स में एक मीटर कपड़े का उत्पादन नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त मिल के हजारों श्रमिकों को गत तीन वर्षों से एक भी पैसा नहीं मिला है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि हजारों श्रमिकों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, किसी भी प्रकार के कपड़े का उत्पादन नहीं हो रहा है क्योंकि बिड़ला मिल्स के बुनाई और अनुषंगी अनुभाग बन्द पड़े हैं।

(ख) हमें इस बात की जानकारी नहीं है। हम श्रमिकों को मजदूरी की अदायगी न करने के बारे में स्थिति की दिल्ली प्रशासन से पड़ताल कर रहे हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान 244 श्रमिकों को सेवा-निवृत्त किया गया है। इसके अतिरिक्त 721 स्थाई श्रमिकों को जबरी छुट्टी मुआवजा दिया जा रहा है जबकि 255 बदली श्रमिकों को एक माह में 11 दिनों के लिए काम दिया जा रहा है। बुनाई और अनुषंगी विभागों के बन्द होने के कारण प्रभावित शेष श्रमिकों, यदि कोई हों, के बारे में

दिल्ली प्रशासन से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। सरकार अलग से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त और कर्मचारी राज्य बीमा निगम संगठनों से ब्यौरों की पड़ताल करवा रही है और तब समुचित कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री महोदय ने एक बात को सही माना है कि बिरला मिल में पिछले तीन साल से एक गज कपड़ा भी नहीं बना है। इससे पहले कि मैं अपनी बात करूं, सबसे पहले मैं श्रम मंत्री जी और वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डी० सी० एम० के 6 हजार मजदूरों को जिन्हें कि वहां का मालिक एक ही झटके में जहर दे कर मारना चाहता था, उन्होंने बचा लिया। लेकिन यह जो बिरला मिल का मसला है यह डी० सी० एम० से भी खतरनाक है। यह इसलिए खतरनाक है कि वहां का मालिक बिरला मिल के वर्कर्स को धीरे-धीरे जहर देकर मारना चाहता है। बिरला मिल का मालिक कभी उनके हाथ काटता है, कभी उनके पांव काटता है, कभी उनके सिर काटता है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या ख्याल है कि सिर कटने के बाद कोई रह सकता है?

श्री ललित माकन : अब तो वे मरे ही रह गये हैं। वे मरे हुए क्यों रह गये हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल के अन्दर वहां ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिनमें दो हजार मजदूरों को जबर्दस्ती वहां से निकाला जा रहा है। दो साल के अन्दर दो हजार मजदूरों को निकाल दिया गया है। पहले वीविंग डिपार्टमेंट बंद किया गया, फिर दूसरे डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए जिनके कारण पिछले तीन साल से तीन हजार मजदूर बेकार बैठे हैं। इन बेकार मजदूरों को एक भी पैसा नहीं दिया गया। मंत्री जी ने खुद माना है कि इसकी हमारे पास खबर नहीं है। वहां के हजारों मजदूरों को दो साल से एक भी पैसा नहीं दिया गया है.

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्री ललित माकन : मैं सवाल पूछ रहा हूं। जब तक मैं वहां की स्थिति नहीं बताऊंगा तब तक मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पायेंगे।

मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि पिछले तीन सालों से वहां के वर्कर्स की एक भी पैसा नहीं दिया गया। पिछले तीन सालों के अन्दर वहां कितने वर्कर्स को पीटा गया? एक वर्कर को उठाकर वायलर में डाल दिया गया। एक के बाद एक डिपार्टमेंट वहां लगातार बंद किए गए। अब दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी बंद किया जा रहा है। पिछले तीन सालों से हमने इसके बारे में प्रदर्शन किए, एजीटेशन किए, भूख हड़तालें कीं और बीसियों बार पार्लियामेंट के बाहर भी प्रदर्शन किए। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कामर्स मिनिस्ट्री ने बिरला मिल के बारे में एक बार भी कुछ नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री ललित माकन : मैं सवालों पर आ रहा हूं।

क्या यह सच नहीं है कि आज से दो साल पहले दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल के जो लीडर आफ द हाउस मिस्टर जगप्रवेश चन्द्र हैं जो कि दिल्ली के चीफ एक्जीक्युटिव कौंसलर भी हैं, उन्होंने मेट्रोपोलिटन कौंसिल में एक रिजोल्युशन रखा था कि बिरला मिल का मैनेजमैंट बिरला

मिल को चलाना नहीं चाहता है इसलिए इसका टेक ओवर कर लिया जाए ? क्या यह सच नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही सवाल पूछिए ।

श्री ललित माकन : मैं इसी के साथ जोड़ देता हूं । क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली के लेबर कमिश्नर ने इंस्ट्रक्शंस जारी की थीं कि आप सारे के सारे डिपार्टमेंट्स चलाइये और जो तीन हजार मजदूर बेकार बैठे हैं उनको रोजगार दीजिए । लेकिन उनका यह कहना नहीं माना गया और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने बिरला मिल के खिलाफ मुकद्मा दायर कर दिया ? क्या यह सच नहीं है कि पिछले हफ्ते ही तीन डिपार्टमैंट बंद कर दिए गए ? मैं यह कहना चाहता हूं कि टाटा की मिल ली जा सकती है, डी० सी० एम० को लिया जा सकता है तो फिर बिड़ला की मिल क्यों नहीं ली जा सकती ।

श्री टी० अंजैया : अध्यक्ष महोदय, अब तक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने मैनेजमैंट पर 6 एक्शन लिए हैं, एक प्रासीक्यूशन किया है, क्योंकि वीविंग सेक्शन को बंद किया गया है, दूसरा कोर्ट इन्क्वारी चल रही है, तीसरा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को रेफर किया गया है । दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी किस्म की परमीशन वीविंग सेक्शन को बन्द करने की नहीं दी । मैनेजमेंट ने कोर्ट और कानून की परवाह न करते हुए सेक्शन को क्लोज किया है, हमें इस बात का दुःख है, इसके लिए हम एक्शन की तरफ जा रहे हैं । आज हर जगह मैनेजमेंट यही चाहता है कि इंडस्ट्री को बंद करके कोई दूसरी फैक्ट्री लगाई जाए । हमारे हिन्दुस्तान में 825 के करीब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं और बहुत से मिल मालिकों का यही रवैया चल रहा है । इसके संबंध में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से बातचीत चल रही है और उसकी जो रिपोर्ट आने वाली है, उसमें एक्शन के बारे में सोचा जाएगा । टेक-ओवर करने के बारे में और जनरल सिचुएशन को स्टडी किया जाएगा और जो रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार एक्शन लिया जाएगा ।

श्री ललित माकन : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया । मैंने पूछा था कि क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउंसिल में दो साल पहले एक रेजोल्यूशन पास किया गया था और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया था कि इस मिल को टेक-ओवर कर लिया जाए । आपने भी माना है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्ट्रक्शंस दी है और परमीशन नहीं दी है । मैं जानना चाहता हूं कि बिना परमीशन के यह मिल तीन साल से बंद कैसे पड़ी है, सरकार कैसे चुप बैठी है ।

[अनुवाद]

यह सरकार केवल मूक दर्शक मात्र है ।

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूं कि जब परमीशन नहीं दी तो बंद कैसे कर दिया और दिल्ली प्रशासन ने एक-मत से फैसला किया है, तो मेरी मांग है कि या तो श्रम मंत्री इस बात की जिम्मेदारी लें कि अगले सेशन के पहले पूरी मिल चलवा देंगे या फिर उसको टेक-ओवर करेंगे । इस तरह से खाली बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री टी० अंजैया : हम मीटिंग में बातचीत करके फैसला लेंगे । अभी कुछ कहना मुश्किल

है न आधी इंडस्ट्री चल रही है और आधी बंद कर दी गई है। उन पर फोर्स डालेंगे कि वे वीविंग सेक्शन चलाएं। अगर वे नहीं चलाएंगे तो हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकमण्ड किया है, उस पर गौर करेंगे।

श्री ललित माकन : आप यह बताइए कि दो महीने के अन्दर, अगले सेशन के पहले (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह वादविवाद का विषय नहीं हो सकता। उन्होंने कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : अध्यक्ष महोदय, इतना जबरदस्त मसला है, 6 हजार परिवारों का सवाल है। मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है कि वे इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : अगर मिल दो महीने के अंदर नहीं चली तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कह दिया है।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : कंसीडरेशन की बात है तो हमें बता दें। जब परमीशन नही मिली तो फिर मिल बंद कैसे पड़ी है, तीन साल से वहां कपड़ा नहीं बन रहा है और मजदूर सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि अगर दो महीने में मिल नहीं चलती तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कह दिया है। इससे अधिक मैं उनसे क्या कहलवा सकता हूं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ महानगर परिषद ने कहा है उस पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत यादव : जहां तक मैं समझ सका हूं, बिड़ला मिल्स का बुनाई विभाग अगस्त, 1982 से बन्द है। इसलिए यह कोई हाल की घटना नहीं है। मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि वे अब क्या करने जा रहे हैं। बुनाई विभाग को बन्द कर दिया गया था और जैसा कि श्री माकन ने कहा है कि इस मिल में एक गज कपड़े का भी उत्पादन नहीं हो रहा है और उन्होंने बुनाई विभाग को पूरी तरह से बन्द कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं। अब इसके बाद, पिछले सप्ताह उन्होंने तीन और विभाग—मुद्रण विभाग, कर्त्तन विभाग और रंगाई विभाग भी बन्द कर दिए हैं। ये कपड़े अंतिम रूप देने वाले विभाग हैं। जब कपड़ा बुनकर

तैयार हो जाता है, तो उसे अंतिम रूप देने के लिए इन विभागों में लाया जाता है। इसका मतलब है मिल-प्रबंधक इस बात के लिए कृत-संकल्प हैं कि कपड़े का उत्पादन पूरी तरह से बन्द कर दिया जाए। मैं उनसे जानना चाहता हूं। पिछले दिनों, श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान मैंने एक बात कही थी, जिससे यहां कई सदस्यों को गुस्सा आ गया था। शायद उनकी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री—जिनकी मैं काफी इज्जत करता हूं—श्रम प्रशासन को जो इस समय निष्क्रिय है, बचाने के लिए प्रयास करें। कुछ सदस्य गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा था कि यह शब्द असंसदीय है और इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए। इसे निकाला नहीं गया था 'इम्पोटेन्स' के कई अर्थ हैं। वे शायद इसका अन्य अर्थ लगा रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जड़ वस्तुओं की निष्क्रियता तो समझ में आती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, यह कैसी बात है कि इस बात के बावजूद कि बिड़ला प्रबंधक श्रम मंत्रालय और श्रम आयुक्त के आदेशों का पालन करने से बार-बार मना कर रहा है, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करके इस मिल के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? आपको इसका राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मिल के प्रबन्ध का अधिग्रहण करके उत्पादन आरम्भ कर देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा?

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : विविंग सैक्य सैक्शन बंद किया गया है इसलिए मैनेजमेंट पर प्रासीक्यूशन और कोर्ट आफ इंक्वायरी चल रही है···(व्यवधान) रिपोर्ट हमारे पास एवेलेबल है। मैंने आपको यह बताया था कि टेक-ओवर करना लेबर डिपार्टमेंट की परव्यू में नहीं है। फिर भी टैक्सटाइल मिनिस्ट्री को हम सिफारिश करेंगे। अगर कोई काम्प्रोमाइज नहीं हुआ तो इस बात पर जोर देंगे कि टेक-ओवर करना चाहिए। जो ऐसे प्रबन्धक हैं जिनके उपर एक्शन लेने की जरूरत है, हो सकता है मैनेजमेंट नहीं सुने, उस सूरत में एक्शन लेंगे तभी लोगों को सबक मिल सकता है। टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के पास पूरी एक रिपोर्ट है, जांच-पड़पाल की जा रही है कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। इस बजट सैशन में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस संबंध में बताया था। वर्कर्स के ऊपर जो मुसीबत आई है, उसको पूरे तरीके से ध्यान में रखते हुए एक्शन लेना चाहते हैं। थोड़े से समय की बात है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन डील कर रही है। जब वह रेफर करेंगे··· (व्यवधान) टैक्सटाइल मिनिस्ट्री को रिकेमन्ड किया है। टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से क्या बातचीत रही, उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। टैक्सटाइल मिनिस्टर यहां पर नहीं हैं। उनसे बात करना जरूरी है। जो एक्शन लेना है, वह लेंगे।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमन्, मैं स्पष्ट और सीधा उत्तर चाहता हूं। इस बात के बावजूद कि दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त ने उन्हें छह माह पूर्व इस बारे में आदेश दिये थे कि चुनाई विभाग को चालू किया जाए, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि "हम इसे चालू नहीं करेंगे।" मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में किसका आदेश चलता है। बारह सप्ताह का या

श्री बिड़ला का। इस बात के बावजूद कि उन्हें मना किया गया था, कि वे ऐसा न करें, वे एक-एक करके सभी विभाग बंद कर रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों की संख्या 6,000 से कम करके 4,000 कर दी है। उनकी यह मंशा है कि बाकी मजदूरों को भी निकालकर, केवल 1500 मजदूर ही रखे जाएं ? इस तरह कौन शक्तिशाली है ? मंत्री महोदय के आश्वासन के अलावा, इन्हें बताना चाहिए कि वे कैसे कार्य करते हैं ? क्या यह बात है कि इस देश में बिरला के ऊपर उनका हुक्म लागू नहीं होता ? यह कैसे है यह हम जानना चाहते हैं ?

[हिन्दी[

श्री टी० अंजैया : यह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैनेजमेंट द्वारा कन्टीन्युसली वायोलेशन हो रहा है।···(**व्यवधान**)

श्री भागवत झा आजाद : जेल में डाल दीजिए।···(**व्यवधान**)

श्री टी० अंजैया : मेरे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है कि जेल में बैठा दूं। मेरे पास लेबर डिपार्टमेंट है।···(**व्यवधान**)

श्री भागवत झा आजाद : आपने क्वेश्चन क्यों एडमिट किया।···(**व्यवधान**)

श्री टी० अंजैया : आप लोगों ने भी इस डिपार्टमेंट को डील किया है।

श्री भागवत झा आजाद: इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास उपाय है, और आप कर सकते हैं।

श्री टी० अंजैया : बराबर सुनने और एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। किसी तरह से मैनेजमेंट को फोर्स करेंगे कि उसको चालू रखिए। नहीं रखने की सूरत में··· (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : मैं आशा करता हूं कि वे मिठाई की गोलियां नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : दो महीने के अन्दर सैशन में आपको बतायेंगे।···(**व्यवधान**)

श्री ललित माकन : अगले सैशन में टेक-ओवर कर लीजिए।···(**व्यवधान**)

श्री टी० अंजैया : मेरे हाथ में रहा तो टेक-ओवर करायेंगे।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : दो माह बाद कोई मिठाई की गोलियां नहीं हैं। इसका कब अधिग्रहण किया जायेगा ? हम यह जानना चाहते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 1-1-80 को बिड़ला मिल में कुल 6,000 मजदूर थे। आज 4,000 हैं। मैं श्रम मंत्री से एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन 2,000 मजदूरों को सन्दिग्ध तरीकों से निकाला गया था उन्हें क्या-क्या सहायता प्रदान की गई है ?

श्री भागवत झा आजाद : हम इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : उसके लिए मैंने यह बात बताई है कि कुछ लोग नोर्मल रिडायरमैंट

लेकर चले गए हैं, उनकी संख्या 240 है और दूसरे कुछ लोग वालैंटरी रिटायरमैंट सीक कर लिए हैं···(व्यवधान)

वालैंटरी रिटायरमैंट जिन लोगों ने सीक किया है उनकी संख्या 1570 है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मजदूरों को निकाला गया है। हम मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं। 2,000 लोगों को निकाला गया है।

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : हमारे पास जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार 1570 लोग वालैंटरी रिटायरमेंट पर गए हैं, उन लोगों को भिजवाया गया है, ऐसी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 2,000 लोगों को निकाला गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसकी जानकारी मिली है। उन्होंने जानकारी दी है। वह तुम्हें गलत जानकारी नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : यह सब झूठ है, ऐसा नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूसरे तरीके से हुआ होगा।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : उनके सिर को फोड़ा गया, उनको जबर्दस्ती धक्के मारकर बाहर निकाला गया है···(व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : आपसे जो हमें इन्फार्मेशन मिली है, हम उसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि उनको फोर्सिबल निकाला गया है फोर्सेबल रिटायरमैंट किया गया है या उनको कुछ कम्पैन्सेशन भी दिया गया है या नहीं ···(व्यवधान) लेकिन जो हमारे पास सूचना आई है उसके अनुसार 240 लोग नौर्मल रिटायर हो गए हैं और 1500 से अधिक लोग वालैंटरी रिटायरमेंट ले गए हैं।

श्री भागवत झा आजाद : दो साल में दो हजार लोग रिटायर कर दिए गए···

(व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : हम लोग विचार कर रहे हैं, इन्क्वायरी कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सामाजिक और महिला कल्याण संगठनों का विकास

[हिन्दी]

*881. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने हाल ही में राज्य सरकारों को सामाजिक और महिला कल्याण संगठनों के विकास के बारे में कुछ अनुदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

मोकामा स्थित वर्कशाप

[अनुवाद]

*885. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोकामा पुल बनने से पूर्व मोकामा में नौका सेवा की व्यवस्था थी जहां नौकाओं का मरम्मत-कार्य करने के लिए वर्क-शाप के साथ एक बड़ी गोदी रेलवे के अधीन थी और उसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते थे जो आज भी वहां कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त वर्कशाप/गोदी के विस्तार और आगे विकास का कार्य बन्द करने का आदेश दिया है; और

(ग) क्या उपर्युक्त वर्कशाप में निकट भविष्य में श्रमिकों की छंटनी किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

अयोध्या और इलाहाबाद के बीच एक तेज गाड़ी चलाना

[हिन्दी]

*886. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अयोध्या और इलाहाबाद के बीच एक तेज गाड़ी चलाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस मार्ग पर पहले चलने वाली गाड़ी "सरयू एक्सप्रेस" बन्द कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) अयोध्या और इलाहाबाद में टर्मिनल सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) 1972 में इलाहाबाद और फैजाबाद के बीच चलने वाली तीन पैसेंजर गाड़ियों में से एक के ठहरावों को कम करके एक्सप्रेस में बदल दिया गया था। चूंकि उपभोगकर्ताओं ने इसका विरोध किया था इसलिए इसको पुनः पैसेंजर गाड़ी के रूप में चलाया गया था।

आंध्र प्रदेश से हावड़ा के लिए शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई हेतु दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा वैगनों की सप्लाई

[अनुवाद]

*887. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दक्षिण मध्य रेल अधिकारियों द्वारा आंध्र प्रदेश से हावड़ा तक अण्डा, मछली, नींबू, इत्यादि जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थ भेजने के लिए उपलब्ध कराए गए पार्सल वैगनों वी० पी० एस० और वी० पी० यू० एस० की संख्या में हाल ही में काफी कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि अनेक वैगनों का प्रयोग विलास-वस्तुओं के लाने ले-जाने के लिए किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए आम के यातायात के संचलन हेतु भारी मौसमी मांग के कारण हावड़ा के लिए मछली, अन्डे आदि के संचलन में अस्थायी कठिनाई पैदा हो गयी थी।

(ग) जी नहीं।

ठाणे और बम्बई वी० टी० के बीच रेल सेवायें फिर से चालू किया जाना

*888. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे द्वारा ठाणे और बम्बई वी० टी० के बीच रेलगाड़ियां चलाई जा रही थीं जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन रेल सेवाओं को फिर से चालू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। दैनिक यात्रियों को ले जाने वाली कुछ गाड़ियां कम कर दी गयी हैं।

(ख) बिजली गाड़ी के डिब्बों की कमी के कारण।

(ग) जी नहीं।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं

*889. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्री ने, उड़ीसा सरकार को उस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं क्योंकि वहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में सिंचाई सुविधाएं बहुत कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार से 1982 में अनुरोध किया था कि वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करते हुए आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए एक मास्टर योजना तैयार करें :—

(क) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में विकास हेतु प्रवाह सिंचाई (बृहद, मध्यम तथा लघु), लिफ्ट सिंचाई तथा भूमिगत जल विकास सहित उपयोग में लाने योग्य जल-संसाधन।

(ख) उक्त क्षेत्रों में वर्तमान सिंचाई की स्थिति तथा भविष्य के लिए जल-संसाधनों की उपयोगिता।

(ग) आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग प्रक्रिया तथा भूमि का योजनावार उपयोग।

(घ) वर्तमान फसल प्रक्रिया, प्रस्तावित फसल प्रक्रिया तथा आदिवासी परिवारों को होने वाले संभावित लाभ।

(ङ) कमान क्षेत्र विकास पहलू तथा मशीनरी एवं स्टाफ की आवश्यकता।

(च) विस्थापित होने वाले संभावित आदिवासियों के मामले में पुनर्वास कार्यक्रम/निर्माण के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि का पता लगाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।

(छ) भूमि तथा खेत-नालियों का विकास, प्रत्येक सिंचाई परियोजना का एक हिस्सा होना चाहिए तथा इन मदों पर किए जाने वाला निवेश परियोजना की कुल लागत में शामिल होना चाहिए।

(ज) सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तथा वित्तीय आवश्यकता को स्पष्ट तौर पर बताया जाना चाहिए।

हीराकुंड बांध परियोजना का आधुनिकीकरण

*890. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुंड सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) लगभग 332 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हीराकुंड परियोजना की नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। इसमें नहरों के अभिकल्प प्रवर्गों के अनुसार उनका निरूपण, चुनिंदा पहुंचों में नहरों को पक्का करना, अतिरिक्त नियंत्रण संरचनाओं का निर्माण तथा नहर सेवा सड़कों में सुधार की परिकल्पना की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी में सड़क वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं आदि से पर्यावरणीय प्रदूषण

*891. **श्री के० प्रधानी**
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी (दिल्ली/नई दिल्ली) में सड़क वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं आदि का, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजधानी को वाहनों द्वारा प्रदूषित किए जाने से बचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने, जिसने इसका अध्ययन किया है, अभी तक रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन को धुआं छोड़ने के मानक को शामिल करने के लिए मोटरयान अधिनियम 1939 के तहत आवश्यक नियमों में संशोधन करने के लिए कहा गया है।

विदेशी सहायता से बिजली परियोजनाएं

*892. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री देवी घोसाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम से कम चार पनबिजली और ताप बिजली और ताप बिजली केन्द्रों को विदेशी सहायता से आरम्भ करने का है;

(ख) क्या कोई देश इन परियोजनाओं के लिए सहायता देने के लिए सहमत हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कल तक लिए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) कुछ जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में बिचार किया जा रहा है परन्तु निधियों के स्रोत और स्वरूप के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र (यूनिट-6), फरक्का चरण-2, चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र और सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना विश्व बैंक सहायता से, रामागुण्डम चरण-2 साउदी अरब की सहायता से अनपारा"ख" जापान की सहायता से और सोवियत की सहायता से कहलगांव स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1985-86 के दौरान पारादीन पत्तन का विकास

*893. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन के विकास के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) पारादीन पत्तन के विकास के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान आंसारी) : (क) 1985-86 की वार्षिक योजना में 23.85 करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया है।

(ख) थर्ड जनरल कारगो बर्थ अभी हाल ही में पूरा किया गया है। उर्वरक बर्थ को अक्तूबर, 1985 तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है। इस परियोजना से पत्तन की क्षमता में जनरल कारगो हैंडलिंग के लिए 0.25 मिलियन टन और उर्वरक कच्चा माल की हैंडलिंग के लिए 1.20 मिलियन टन की वृद्धि हो जायगी। इसके अलावा, पूरे वर्ष भर पत्तन की गहराई को बनाये रखने के लिए भी निकर्षण कार्य शुरू किया गया है।

बाली मेला विद्युत परियोजना

*894. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में बाली मेला विद्युत परियोजना का और विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बाली मेला विद्युत परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजना का विस्तार कार्यक्रम 1985-86 में आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ?

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों की स्थानीय खरीद

[अनुवाद]

6833. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी और अन्य स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों की स्थानीय खरीद के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित हैं;

(ख) क्या कुछ चुने हुए सप्लायरों को ही मांग पत्र दिए जाते हैं और यदि हां, तो क्या कोई पैनल बनाया गया है और इन सप्लायरों का चयन किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि एकाधिकार सप्लाई एक या दो सप्लायरों को ही सौंपी जा रही है जिसके परिणामस्वरूप इन दवाइयों की सप्लाई 2-3 हफ्तों के पश्चात ही हो पाती है और वह भी कई बार बड़ी खराब और घटिया स्तर की होती हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आयुर्वेदिक औषधियों की निरन्तर विशेषकर वर्ष के आरम्भिक और अन्तिम महीनों में निरन्तर कमी रहती है; और

(ङ) इन औषधियों का उचित भंडार बनाये रखने और औषधालयों को सप्लाई की जा रही औषधियों की किस्म सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) आयुर्वेदिक दवाइयों की स्थानीय खरीद इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए स्थानीय केमिस्टों से तभी की जाती है जब आयुर्वेदिक भण्डार में सूचीबद्ध औषधियां उपलब्ध नहीं होतीं अथवा विशेषज्ञ द्वारा सूची के बाहर की औषधि लिख दी जाती हैं। स्थानीय कैमिस्टों की नियुक्तियां समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र मांग कर की जाती है और जो कैमिस्ट न्यूनतम सर्विस चार्जेज कोट करते हैं, उन्हें स्थानीय कैमिस्ट नियुक्त कर दिया जाता है। घटिया दवाई सप्लाई करने का कोई मामला नहीं है। तथापि, कभी-कभार दवाइयां सप्लाई करने में कुछ विलम्ब हो जाता है जिसके लिए दोषी कैमिस्टों को उपयुक्त चेतावनियां दे दी गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त लगाने हेतु राज्य सरकार को सहायता

6834. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना अवधि में राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त लगाने के लिए सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनका विशेषकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु प्राप्त/स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त योजना को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में पांच राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात दिल्ली, चण्डीगढ़ (राष्ट्रीय राजमार्ग-1) अहमदाबाद-सूरत (राष्ट्रीय राजमार्ग-8), बम्बई-कोल्हापुर, (राष्ट्रीय राजमार्ग-4) मद्रास-डिंडीगल (राष्ट्रीय राजमार्ग-45) और कलकत्ता-दुर्गापुर (राष्ट्रीय राजमार्ग-2) के चुनिंदा खण्डों पर शुरू किया गया था। भारी यातायात और दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए इन खंडों को चुना गया था। इस योजना में लगभग 50-60 कि० मी० की दूरी पर यातायात-सहायता चौकियां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक यातायात-सहायता चौकी को निर्दिष्ट क्षेत्र में गश्त करने और जब भी कोई दुर्घटना हो तो इसकी सूचना देने, दुर्घटना के शिकार लोगों को प्रथम-उपचार चिकित्सा सहायता सुलभ कराने, घायलों को सबसे नजदीक के चिकित्सा केन्द्र तक पहुंचाने, सड़क से वाहन को हटाने और यातायात निर्बाध रूप से चलता रहे यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उपस्करों का खर्च और यातायात-सहायता चौकी के कार्मिकों पर होने वाले प्रारंभिक वर्ष के खर्च को भी वहन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चार यातायात-सहायता चौकियों सहित कलकत्ता-दुर्गापुर खंड पर राजमार्ग गश्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुल 25.72 लाख रु० दिए गए।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में प्रशीतन सुविधायें

6835. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में प्रशीतन सुविधा तो उपलब्ध कराई गई है लेकिन वहां रेफ्रिजिरेटर खराब पड़े हैं; और

(ख) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में इन सभी रेफ्रिजिरेटरों की कब तक मरम्मत करा देने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्माता/सप्लायर/डिस्ट्रीब्यूटर से इनकी मरम्मत कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है और यदि निर्माता/सप्लायर/डिस्ट्रीब्यूटर इनकी मरम्मत करने का इच्छुक नहीं होता तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी निर्धारित औपचारिकताओं के अनुसार किसी भी फर्म से इनकी मरम्मत करा सकते हैं।

विवरण

उन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के नामों की सूची जहां टैफरीजरेटर्स खराब पड़े हैं

1. तिमारपुर
2. सब्जी मंडी
3. दिल्ली छावनी
4. कस्तूरबा नगर-1
5. लक्ष्मीबाई नगर
6. मोती बाग-1
7. आर० के० पुरम-1
8. श्रीनिवासपुरी

अभिनव आरोग्य महाविद्यालय, पुणे को मान्यता देना

6836. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अभिनव आरोग्य महाविद्यालय (ज्ञानेश्वर विद्यापीठ मेडीकल कालेज), पुणे के अस्तित्व के बारे में जानकारी है;

(ख) उपर्युक्त संस्था के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस संस्था से अध्ययनरत मैडीकल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह संस्था मान्यताप्राप्त है और यदि नहीं, तो खुले विश्वविद्यालय स्थापित करने की अपनी नीति को देखते हुए क्या सरकार इसे मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(ङ) क्या इस प्रकार की मान्यता दिये जाने तक सरकार इस संस्था के मैडीकल विद्यार्थियों को परीक्षा देने की अनुमति दिये जाने के बारे में विचार करेगी जिससे इस अन्तरराष्ट्रीय युवा वर्ष में उन्हें निराशा से बचाया जा सके ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क)जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के विद्युत लोड का नियमित किया जाना

6837. **श्री निहाल सिंह जैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पी० यू० सी० औद्योगिक इकाइयों ने वर्ष 1982 में तदर्थ म्यूनिसिपल लाइसेंस के आधार पर लोड को नियमित करने के लिए आवेदन किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी न किसी बहाने से इन मामलों को वर्ष 1983 से अब तक नियमित नहीं किया गया है; और

(ग) इन्हें कब तक नियमित कर दिया जाएगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) निर्धारित शर्तों को पूरा न करने वाले प्रार्थियों के मामलों को नियमित नहीं किया गया है।

(ग) एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रार्थी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही उसे नियमित किया जा सकता है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को हुआ घाटा

6838. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को घाटा हो रहा है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) पिछले तीन वर्षों में डेसू की हानियां 276 करोड़ रुपये की हुई थीं।

(ख) और (ग) अपने कार्यकलापों को व्यवहार्य बनाने के लिए डेसू ने अपनी दरों में वृद्धि की है।

छठी योजना में पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए आबंटित/खर्च की गई धनराशि

6839. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में पश्चिम बंगाल के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु वास्तव में कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा मार्च, 1985 तक कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) पश्चिम बंगाल में पांचवीं योजना के अन्त में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे और इस समय उनकी संख्या क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) योजना आयोग ने 1980-85

की छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 84.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया था। इस अवधि के दौरान 94.79 करोड़ रुपये का सम्भावित व्यय होने की सूचना मिली है।

(ख) पश्चिम बंगाल में 1-4-1979 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 316 थी और यह संख्या 1-4-1985 को बढ़कर 357 हो गई।

अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों संबंधी योजना के अन्तर्गत धनराशि आबंटित करने के लिए दिशा-निर्देश/मानदंड

6840. **श्री बी० सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों संबंधी योजना के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को धनराशि आबंटित करने के मामले में क्या दिशा-निर्देश/मानदंड अपनाए जाते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : भिन्न-भिन्न राज्यों को आर्थिक महत्व की स्कीम अथवा अन्तर्राज्यीय स्कीम के तहत राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन धन का आबंटन निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है :—

(क) ऋण के लिए परिचालन संस्वीकृति,

(ख) पहले ही से रिलीज किया गया कुल धन,

(ग) इस कार्य के लिए बजट प्रावधान में कुल उपलब्धता, और

(घ) प्रारम्भ में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि और राज्य सरकार की इस मद में व्यय किये जाने की क्षमता।

बिहार दैनिक यात्री संगठन से ज्ञापन

6841. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार दैनिक यात्री संगठन ने दिनांक 3 अप्रैल, 1985 को डिवीजनल रेलवे प्रबंधक, दानापुर डिवीजन, पूर्व रेलवे को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सड़क परिवहन निगमों में किया गया निवेश

6842. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शेयर पूंजी के रूप में विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों में कोई निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों में कितना निवेश किया गया; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 23(1) के तहत विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों को 1 : 2 के अनुपात में पूंजी अंशदान देती है । पूंजी अंशदान के भुगतान से सम्बन्धी काम इस मंत्रालय को 1-4-83 से अंतरित कर दिया गया । रेल मंत्रालय ने 31-3-83 तक 189,39,88,534.00 रुपये और वर्ष 1983-84 और 1984-85 में 38.50 करोड़ तथा इस मंत्रालय ने 41.40 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया । प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन निगम में किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरेवार विवरण संलग्न है ।

विवरण

31-3-85 तक विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों में किए गए पूंजी निवेश

क्र० सं०	निगम का नाम	रेल मंत्रालय द्वारा 31-3-83 तक किया गया पूंजी निवेश	1983-84 में पूंजी निवेश	1984-85 में निवेश
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	33,70,97,661	05,99,02,000	5,17,81,000
2.	आसाम एस आर टी सी	4,53,74,500	70,00,000	1,17,88,400
3.	बिहार एस आर टी सी	10,14,65,000	1,00,65,000	1,26,08,400
4.	गुजरात एस आर टी सी	35,28,37,925	10,44,83,000	5,38,21,000
5.	हिमाचल प्रदेश एस आर टी सी	5,68,43,000	86,76,500	83,68,000
6.	जम्मू और कश्मीर एस आर टी सी	1,31,53,000	1,66,47,000	1,36,67,700
7.	कर्नाटक एस आर टी सी	12,53,40,375	44,10,61,000	6,05,31,500
8.	केरल एस आर टी सी	10,96,88,000	95,79,000	1,72,67,400
9.	मध्य प्रदेश एस आर टी सी	14,81,12,500	2,66,59,000	2,73,35,400
10.	महाराष्ट्र एस आर टी सी	16,65,18,398	3,49,91,000	8,35,25,800
11.	मणिपुर एस आर टी सी	1,92,25,000	26,25,000	26,00,000
12.	मेघालय एस आर टी सी	2,05,32,000	52,30,000	60,00,000

1	2	3	4	5
13.	उड़ीसा एस आर टी सी	2,54,17,000	1,26,80,000	2,50,20,800
14.	पेप्सू आर टी सी	7,28,49,406	2,25,37,000	1,70,84,600
15.	राजस्थान एस आर टी सी	9,08,81,000	91,44,000	39,50,000
16.	त्रिपुरा एस आर टी सी	1,97,32,000	34,41,500	30,00,000
17.	उत्तर प्रदेश एस आर टी सी	16,13,91,000	1,02,59,000	3,56,50,000
18.	उत्तरी बंगाल एस आर टी सी	2,70,01,500	—	—
19.	मैसूर एस आर टी सी	5,29,269	—	—
	सकल योग	189,39,88,534	38,50,00,000	41,40,00,000

पश्चिम बंगाल में छठी योजना अवधि में बिजली की कमी

6843. **श्री बिमल कान्ति घोष** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में भारी कमी रही है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कमियों के मुख्य कारण क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पश्चिम बंगाल में राज्य क्षेत्र में 1368 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 778 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चालू की गई थी। सातवीं योजना में लाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	यूनिटों की सं० तथा क्षमता
1. कोलाघाट ताप विद्युत परियोजना	2×210 मेगावाट
2. दुर्गापुर परियोजना लि० यूनिट-6	1×110 मेगावाट
3. राम्मन जल-विद्युत परियोजना	4×12.5 मेगावाट

(ग) कमी के मुख्य कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब, औद्योगिक संबंध मधुर न होना, प्रतिकूल भू-वैज्ञानिक परिस्थितियां आदि हैं।

रेलवे कालोनियों में दुकानदारों को प्लाटों का आबंटन

6844. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रेलवे कालोनियों में दुकानदारों को उपयुक्त शर्तों पर प्लाट आबंटित किये थे;

(ख) क्या इस समय ऐसे आबंटन बन्द कर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न स्थानों पर रेलवे की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे की जानकारी है;

(ङ) क्या सरकार जरूरतमन्द लोगों को रेलवे की भूमि आबंटित करने के संबंध में किसी नई नीति पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेलमंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रेलवे सुधार समिति ने भूमि प्रबन्ध के प्रश्न की पुनरीक्षा की है और यह सिफारिश की है कि रेलवे भूमि के प्रबन्ध तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच यह विनिश्चय किया गया है कि रेलवे भूमि के युक्तियुक्त वाणिज्यिक उपयोग के लिए नीति को अन्तिम रूप दिये जाने तथा भूमि प्रबन्ध के लिए उपयुक्त संगठन की स्थापना होने तक रेलवे भूमि ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक कार्यालय, वेंडिंग स्टाल, क्लिनिक आदि बनाने के प्रयोजन के लिए, जिनका सम्बन्ध रेलों के कार्य से न हो, प्राइवेट व्यक्तियों को अस्थायी पट्टे पर देना बन्द कर दिया जाये।

(घ) जी हां।

(ङ) भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना हो जाने के बाद ही जरूरतमन्द व्यक्तियों को रेलवे भूमि आबंटित करने से संबंधित नीति पर विचार किया जायेगा।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरठ डिवीजन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोलना

[हिन्दी]

6845. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेरठ डिवीजन के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कम से कम छः आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना कब तक हो जायेगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जाली रेल टिकटों के छापे जाने को रोकने हेतु उठाये गये कदम

[अनुवाद]

6849. **श्री मुरलीधर माने** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाखों रुपए मूल्य के बड़ी संख्या में जाली रेल टिकटों के छापे जाने का मामला सरकार के ध्यान में आया है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) रेलों से कहा गया है कि वे जाली टिकटों का पता लगाने की दृष्टि से स्टेशनों के प्रवेश द्वारों और विकास द्वारों पर टिकटों का काटा जाना सुनिश्चित करें तथा एकत्र की गयी टिकटों की बारीकी से जांच करने के काम को गहन बनायें । इसके अतिरिक्त, टिकट खिड़कियों और निकास द्वारों पर अचानक जांच करने के लिए रेलों के धोखाधड़ीरोधी दस्तों के कार्यों को तेज कर दिया गया है ।

हिन्दी अध्यापकों के वेतनों के लिए अहिन्दी भाषा राज्यों को तुलनीय अनुदान दिया जाना

6847. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहिन्दी भाषी राज्यों में उन अध्यापकों को, जो उन राज्यों में हिन्दी पढ़ रहे हैं, वेतनों के भुगतान के लिये उन्हें तुलनीय अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्यों को दिये जा रहे वार्षिक तुलनीय अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राज्यों को अनुदान नियमित रूप से नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन राज्यों को तुलनीय अनुदान का भुगतान नियमित रूप से करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उन राज्यों में हिन्दी शिक्षण में नियुक्त अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन मिल सके ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) "गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति" की योजना के अंतर्गत गैर-हिन्दी-भाषी राज्य/संघ शासित क्षेत्र शिक्षा मंत्रालय से इन राज्यों में हिन्दी अध्यापकों को वेतनमानों के भुगतान के लिये समान अनुदान प्राप्त कर रहे हैं । संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए 50 : 50 की हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत/दी जा रही है ।

2. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिये गये

समान अनुदानों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1982-83	1983-84	1984-85
1.	असम	16.12	8.84	8.25
2.	आन्ध्र प्रदेश	5.76	—	20.37
3.	गुजरात	—	—	1.30
4.	नागालैंड	0.35	2.00	—
5.	उड़ीसा	1.27	9.22	8.89
6.	मेघालय	0.50	0.80	0.94
7.	मणिपुर	—	2.67	3.10
8.	मिजोरम	3.00	3.00	15.24

3. उपरोक्त ब्यौरों से यह देखा जा सकता है कि कुछ राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जैसे उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम आदि पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमित रूप से अपने-अपने अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान यदि किसी राज्य को इस योजना की बढ़ती हुई मांग के कारण भुगतान नहीं किया जाता तो प्रयत्न किये जाते हैं कि बकाया अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में मिल सके। इस प्रक्रिया में यह संभव है कि कुछ राज्यों में वेतनों के भुगतान में यदा-कदा विलम्ब हो जाये। तथापि, इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

आदिवासी एवं कमजोर वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य-स्थिति का सर्वेक्षण

6848. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आदिवासी जनसंख्या और अन्य कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण एकक स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। स्वास्थ्य सूचना और मानिटरिंग पद्धति (जिसका नया नाम मूल्यांकन और सर्वेक्षण है) को मजबूत बनाने की योजना के अन्तर्गत अब तक पटना, बंगलौर और भुवनेश्वर में तीन रीजनल फील्ड सर्वे यूनिटें स्थापित की जा चुकी हैं। ये यूनिटें चरणवार ढंग से स्थापित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा और कर्नाटक के चुनिंदा गांवों में आदिवासी और गैर-आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण संबंधी व्यवहार्य अध्ययन आयोजित किया गया था। इस अध्ययन के

दौरान ज्वर और सामान्य जुकाम तथा त्वचा रोगों जैसी सामान्य बीमारियों को छोड़कर किसी अन्य स्थायी रोग का पता नहीं चला। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें ग्राम स्वास्थ्य रक्षक तैनात किये गये हैं। इसके अतिरिक्त संचारी रोगों के नियंत्रण उन रोगों पर अनुसंधान कार्य करने, जिनका अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लगने का खतरा अधिक होता है, के कार्यक्रम चलाने के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के अस्पताल/औषधालय खोलने का काम भी शुरू किया गया है। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, मोबाइल यूनिटें भी उपलब्ध की जा रही हैं।

मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण

6849. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड/जोनल रेलवे द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के क्रमिक डीजलीकरण का कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कार्यक्रम तैयार करने का कोई विचार है तथा क्या उन मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को उचित प्राथमिकता देने का विचार है, जो कतिपय राज्यों/क्षेत्रों के लिए एकमात्र गाड़ियां हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा रेलवे बोर्ड/जोनल रेलवे द्वारा डीजलीकरण हेतु मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के चयन के लिए इस समय क्या तरीका अपनाया जा रहा है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान डीजलीकृत की गई गाड़ियों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) लम्बी दूरी की भीड़-भाड़ वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण चुनिंदा आधार पर डीजल रेल इंजनों की उपलब्धता के अनुसार, जो मुख्यतः अनिवार्य माल यातायात की निकासी के लिए अपेक्षित हैं, किया जा रहा है।

(ङ) भारतीय रेलों पर 1982-83 में 48, 1983-84 में 79 और 1984-85 में 52 यात्री गाड़ियों का डीजलीकरण किया गया था।

सातवीं योजना के दौरान माल-यातायात के बारे में मूल्यांकन

6850. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने माल-यातायात के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान माल-यातायात में भारी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ग) क्या इस अवधि के दौरान विद्यमान उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए माल यातायात प्रक्षेपण को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु रेलें यह मानकार चल रही हैं कि माल यातायात का स्तर 1984-85 में ढोये गये लगभग 264 मिलियन टन की तुलना में सातवीं योजना के टर्मिनल वर्ष में 350 मिलियन टन तक पहुंच सकता है।

(ग) योजना आवंटन के आधार पर उपस्कर के आधुनिकीकरण को सातवीं योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सिंग होम में इलाज के लिए पात्रता

6851. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के नर्सिंग होम में उपचार कराने और वहां दाखिल होने के लिए किस वर्ग के सरकारी कर्मचारी हकदार हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या विशिष्ट मार्ग-निर्देश जारी किये हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों का वेतन 750 रुपये प्रति माह से अधिक है वे डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सिंग होम में उपचार कराने तथा वहां दाखिल होने के पात्र हैं।

पश्चिम बंगाल में बिजली का उत्पादन

6852. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 से 1977 तक की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन की क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) वर्ष 1978 से 1985 तक की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन की क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) भाग (क) और (ख) का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में 1972-77 की अवधि के दौरान 250 मेगावाट और 1978-85 की अवधि के दौरान 1010 मेगावाट (दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत दुर्गापुर की 210 मेगावाट की 4 यूनिटें छोड़ कर) विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई थी।

(ग) इस क्षमता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1972-77	क्षमता मेगावाट
1. जलढाका	9
2. लिटिल रणजीत	1
3. सन्थालडीह	120
4. सन्थालडीह-दो	120
जोड़	250 मे० वा०

1978-85

1. रिचिन्गटन	2
2. सन्थालडीह्-3	120
3. गैस टर्बाइन	100
4. बंडेल	210
5. टीटागढ़ (सी० ई० एस० सी०)	60
6. जलढाका	85
7. टीटागढ (सी० ई० एस० सी०)	120
8. सन्थालडीह्-4	120
9. टीटागढ़ (सी० ई० एस० सी०)	60
10. कोलाघांट	210
जोड़	1010 मेगावाट

भीमवरम, आंध्र प्रदेश में बाह्य (बाईपास) सड़क का निर्माण

6853. **श्री विजय कुमार राजू** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भीमवरम, आंध्र प्रदेश में एक बाह्य (बाईपास) सड़क ने निर्माण के लिए लागत का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 50 प्रतिशत आंध्र प्रदेश सरकार देने के लिए सहमत हो गयी है, और

(ख) यदि हां, तो इस बाह्य सड़क का निर्माण करने के लिए सरकार के क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेहरी बांध परियोजना

6854. **श्री राम समुझावन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेहरी बांध परियोजना की बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना को पूरा करने हेतु धनराशि के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी धनराशि की मांग की गई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने टिहरी

बांध परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में करने का प्रस्ताव रखा है। परियोजना के विद्युत के भाग की लागत का बंटवारा क्रमशः 75 : 25 के अनुपात में किया जाएगा। इस संबंध में रूपरेखा तैयार की जा रही है।

बेंगलम और कोराड रेल फाटक पर ऊपरी पुल

6855. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कालीकट जिले में बेंगलम और कोराड रेल फाटक और कान्नानोर जिले में नाडल और योव्वा में उपरिपुल बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर दिल्ली-वाराणसी गंगा-जमुना एक्सप्रेस का रुकना

[हिन्दी]

6856. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-जमुना एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ होकर वाराणसी जाते हुए हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है लेकिन यह रेलगाड़ी वाराणसी से दिल्ली जाते समय हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त रेलगाड़ी को दिल्ली से वाराणसी जाते समय हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ए० के० छोटी लाइन खंड को बदलना और उसका राष्ट्रीयकरण

[अनुवाद]

6857. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पूर्व रेलवे के ए० के० खंड (छोटी लाइन) में माल बुक करने की सुविधा वापस लेने, सवारी डिब्बों को 3/4 तक कम करने और पुरानी पड़ गई खराब स्थिति में रेल लाइनों और ए० एम० बी० (बड़ी लाइन) के साथ मिलाने वाली गाड़ियों के न होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है;

(ग) क्या इस ए० के० खंड को बंद करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए ए० के० (छोटी लाइन) का राष्ट्रीयकरण करने और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार माल यातायात (आगत तथा निर्गामी दोनों) से 25,00 रुपये से कम की कुल वार्षिक आमदनी वाले स्टेशन, माल यातायात के लिए बन्द कर दिये गये हैं। जहां तक सवारी डिब्बों का सम्बन्ध है, गाड़ियों में तीन या चार सवारी डिब्बों की कोई कटौती नहीं की गयी हैं। जहां तक अहमदपुर में बड़ी लाइन की गाड़ियों के मेल लेने का सम्बन्ध है, इनके छोटी लाइन की गाड़ियों के साथ उपयुक्त मेल उपलब्ध हैं। सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम्पनी के स्वामित्व वाली इस रेलवे पर रेल लाइनें पुरानी हैं। लेकिन, आवश्यकता होने पर नैमित्तिक नवीकरण करके इन रेल लाइनों का अनुरक्षण संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं, यद्यपि यह रेलवे एक प्राइवेट कम्पनी के स्वामित्व वाली रेलवे है, लेकिन जुलाई, 1967 से इसका संचलन तथा प्रबन्ध पूर्व रेलवे द्वारा किया जाता है। मालिक कम्पनी के साथ हुए करार के अनुसार 31.3.1988 को पूरे होने वाले दस वर्षों के अंतराल पर केन्द्रीय सरकार इस लाइन को खरीद सकती है। इस खण्ड के आमान परिवर्तन का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

1977 बैच के जी० डी० ओ० ग्रेड-2 के अधिकारियों की पदोन्नति

6858. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये 1977 के बैच के जी० डी० ओ० ग्रेड-2 मेडिकल आफिसरों की अभी तक जी० डी० ओ० ग्रेड-1 के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और पिछले अनेक वर्षों से उनके जी० डी० ओ० ग्रेड-2 में ही रुके रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती हुए मेडिकल आफिसरों को, जिनका सेवा काल गत वर्ष से अधिक समय का हो गया है, जी० डी० ओ० ग्रेड-1 में पदोन्नत किया जाए सरकार का विचार इस काडर पर समीक्षा करने की आवश्यकता पर विचार करने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1977 के बैच के आधार पर भर्ती किए गए 166 अधिकारियों में से 49 चिकित्सा अधिकारियों को, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 38 अधिकारी भी शामिल हैं, जी० डी० ओ०

ग्रेड-1 में पदोन्नत किया जा चुका है। जी० डी० ओ० ग्रेड-1 में पदोन्नति, उस ग्रेड के में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर आधारित होती हैं। जी० डी० ओ० ग्रेड-1 में अतिरिक्त रिक्तियां उपलब्ध होते ही 1977 के बैच के शेष चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के काडर की समीक्षा पिछली बार नवम्बर, 1982 में पूरी हुई थी। इस अवस्था में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के काडर की एक और समीक्षा इतनी जल्दी नहीं की जा सकती।

सी० जी० एच० एस० मद्रास में श्रेणी 'घ' और 'ग' संवर्गों के लिए रोस्टर

6859. **श्री एम० महालिंगम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह यह सच है कि सी० जी० एच० एस० मद्रास में श्रेणी 'घ' और 'ग' संवर्गों के लिए प्रारम्भिक भर्ती, पदोन्नति के समय का और स्थायीकरण स्तर का रोस्टर नहीं बनाया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) यदि यह रोस्टर बनाया हुआ है तो तत्संबंधी संवर्गवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में पोलियो ड्राप्स का उपलब्ध न होना

[हिन्दी]

6860. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के नई दिल्ली के हौज खास सहित अन्य औषधालयों में गत कई महीनों से अधिकतर दवाइयां विशेषकर छोटे बच्चों के लिए पोलियो ड्राप्स आदि उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छोटे बच्चों के लिए आवश्यक अधिकांश दवाइयां, जिनमें पोलियो ड्राप्स आदि शामिल हैं, हौजखास औषधालय समेत दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में अधूरी पड़ी रेल परियोजनायें

[अनुवाद]

6861. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितनी रेल परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं;

(ख) ऐसी परियोजनाओं के लिए वर्ष 1985-86 हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 45.

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) परियोजनाओं का पूरा होना आगामी वर्षों में धन के आबंटन पर निर्भर करेगा ।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	85-86 में परिव्यय	टिप्पणी
1	2	3	4
	(क) नयी लाइनें		
1.	हवड़ा-शियाखला (17 कि० मी०)	0.0001	संसाधनों की कमी के कारण काम शुरू किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।
2.	हवड़ा-आमता/चम्पाडांगा (74 कि० मी०)	0.10	चरण 1-संतरागाछी-बड़गछिया (24 कि० मी०) यातायात के लिए खोल दिया गया है
3.	बजबज-नामखाना लक्ष्मीकान्तपुर कुल्पी सहित (100 कि० मी०)	0.0001	योजना आयोग द्वारा अभी स्वीकृत नहीं किया गया ।
4.	इकलाखी-बालूरघाट लकलाखी-मालदा टाउन तक विस्तार सहित (110 कि० मी०)	0.50	संसाधनों की कमी
5.	तामलुक-दीघा (88 कि० मी)	0.0001	अभी योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया ।
	(ख) दोहरी लाइन बिछाना		
1.	डानकुनी-चन्दनपुर के बीच तीसरी लाइन (25 कि० मी०)	2.14	कमरकुन्ड-चन्दनपुर अंतिम ब्लाक खंड (7 कि० मी०) प्रगति पर है ।

1	2	3	4
2.	दमदम-बारासात (15.24 कि० मी०)	1.50	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
3.	मुरी-बोकारो (चरण III) (13 कि० मी०)	1.00	—
4.	इकलाखी-कुमेदपुर (42 कि० मी०)	0.50	निर्माण कार्य हाल ही में स्वीकृत किया गया है।
	(ग) ऊपरी/निचले सड़क पुल		
1.	जगन्नाथ ऊपरी सड़क पुल	10.0 लाख	—
2.	मालदा में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	25.00 लाख	पहुंच मार्गों का काम अभी राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया जाना है।
3.	जादवपुर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	20.00 लाख	नक्शों और अनुमानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
4.	सीरामपुर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	15.00 लाख	—
5.	बेलगड़िया में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	15.00 लाख	—
6.	सोदेपुर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	5.00 लाख	नक्शों और अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
7.	पुरुलिया में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	10.00 लाख	राज्य सरकार द्वारा पहुंचे मार्ग के नक्शों को अभी अन्तिम रूप और अनुमानों की स्वीकृति दिया जाना है।
	(घ) अन्य कार्य		
1.	मालदा टाउन में नये मंडल कार्यालय की स्थापना	0.41 करोड़	—
	(ङ) कारखाने		
1.	कंचरापाड़ा-कारखाने के ढांचे में परिवर्तन और आधुनिकीकरण-चरण I	3.15 करोड़	कार्य 85-86 में पूरा हो जाने की संभावना है।
2.	लिलुआ-सवारी और माल डिब्बा मरम्मत कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण II)	0.51 करोड़	यह कार्य 84-85 बजट में शामिल कर लिया गया है।

1	2	3	4
3.	सोनारपुर-सियालदह दक्षिण खंड के लिए बिजली गाड़ी डिब्बों की अनुरक्षण सुविधा का विस्तार	1.01	—
4.	हवड़ा-बामनगाछी—30 से 60 रेल इंजनों के लिए डीजल शेड का विस्तार	0.40 करोड़	—
5.	बडेल-बिजली गाड़ी कार शेड की व्यवस्था	—	धनराशि की तंगी के कारण 85-86 के दौरान सांकेतिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है।
6.	अंडाला-20 से 50 शंटर इंजनों के लिए डीजल लोको शेड का विस्तार	0.40	—
7.	आसनसोल—80 रेल इंजनों की सम्हलाई के लिए डीजल लोको शेड की व्यवस्था	—	धनराशि की तंगी के कारण 85-86 के दौरान सांकेतिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है।
8.	मालदा—60 रेल इंजनों के लिए डीजल लोको शेड की स्थापना	0.28	—
9.	खड़गपुर-कारखाने का आधुनिकीकरण चरण I	0.58	—
10.	खड़गपुर-कारखाने का आधुनिकीकरण चरण II	0.51	85-86 के बजट में शामिल किया गया है।
11.	नीमपुरा (खड़गपुर)—60 रेल इंजनों के लिए डीजल शेड का निर्माण	—	धनराशि की तंगी के कारण 85-86 में सांकेतिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है
	(च) बिजली सम्बन्धी कार्य		
1.	पांसकुड़ा-प्रस्तावित बिजली गाड़ी कार शेड	0.0001	—
2.	सियालदह मंडल में पुरानी और गतायु दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली का आधुनिक सालिड स्टेट उपकरणों से बदलाव 25 स्टेशन-चरण I	0.0001	—

1	2	3	4
	(छ) मेट्रो परियोजनाएं		
1.	दमदम से टालीगंज तक द्रुत परिवहन प्रणाली (मेट्रो रेलवे)	81	दमदम से बेलगाछिया और एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक के आंशिक खंड को 84 में खोल दिया गया है। मार्च 86 तक इन सेवाओं को भवानीपुर से टालीगंज तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। यदि धनराशि की पर्याप्त उपलब्धता हो तो परियोजना 1989 के अंत तक पूरी हो जायेगी।
2.	सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता	4.8	84-85 में शामिल किये जाने के लिए योजना आयोग द्वारा इस परियोजना की अनंतिम रूप से स्वीकृति दी गई थी। योजना आयोग की औपचारिक स्वीकृति अभी आनी है।
	(ज) यातायात सुविधाएं		
1.	विधान नगर रोड-अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण	0.30	—
2.	चामग्राम-न्यू जलपाईगुड़ी-रानी नगर-न्यू बंगाईगांव खंड पर अतिरिक्त सुविधाएं	0.58	—
3.	(क) मालदा टाउन-कुमेदपुर खंड—पुराना मालदा के ढांचे में परिवर्तन और अन्य यातायात सुविधाएं	1.00	—
	(ख) कुमेदपुर-न्यू जलपाईगुड़ी खंड—3 स्टेशनों पर इकदिशिक आदान सुविधाओं सहित दूसरे लूप की व्यवस्था		—
4.	कुमेदपुर-न्यू बंगाईगांव खंड—(क) कुमेदपुर से न्यू बंगाईगांव तक 52 स्टेशनों पर टोकनरहित ब्लाक संचलन की व्यवस्था	0.50	—

1	2	3	4
	(ख) 12 स्टेशनों पर दूसरे लूप की व्यवस्था		—
5.	संकसइल-नये माल यातायात टर्मिनल सुविधाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण	0.30	—
6.	संकरसइल-प्रस्तावित नये माल टर्मिनल के संबंध में सिरोपरि उपस्करों सहित 3 लाइनों की व्यवस्था	0.30	—
7.	पदमापुकुर-कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण	0.01	—
8.	हल्दिया-पांसकुड़ा खंड—खंड क्षमता वृद्धि	0.50	—
	(झ) सिगनल और दूरसंचार-कार्य		
1.	बंडेल—आर० आर० आई० (बदलाव कार्य)	0.76	केबिन भवन का निर्माण चल रहा है।
2.	बंडाल—आर० आर० आई० (बदलाव कार्य)	0.12	आर० आर० आई० भवन का निर्माण चल रहा है।
3.	कलकत्ता—कलकत्ता क्षेत्र में एकीकृत टेलीफोन तंत्र की व्यवस्था	0.50	सामग्री खरीदी जा रही है।
4.	सीतारामपुर—नियंत्रण के बिन अंतरंग और बाह्य सिगनल गियरों का बदलाव	0.52	सामग्री प्राप्त हो गई है और आर० आर० आई० केबिन भवन बन गया है। आंतरिक तार बिछाने का काम चल रहा है।
5.	संचार और ब्लाक परिपथ्य के लिए डाक तार केबलों के स्थान पर रेलों के अपने भूमिगत दूर संचार केबुल की व्यवस्था	0.25	—
	(1) आद्रा-अनारा-चांद्रिल खंड		
	(2) आद्रा-भोजुडीह-जामडोबा-खंड		

रेलवे सेवा आयोगों के कार्य करण में अनियमिततायें

6862. **श्री पी० मालिक रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रेलवे सेवा आयोगों के पिछले तीन वर्षों के कार्यकरण के बारे में अब तक कोई जांच की है;

(ख) क्या रेलवे सेवा आयोगों के कार्यकरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की अनियमितताओं का पता चला है और इस संबंध में क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध तथा इन आयोगों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) विभिन्न रेल भर्ती बोर्डों (इससे पहले रेल सेवा आयोगों के नाम से जाने जाने वाले) के कार्य की समय-समय पर रेल मन्त्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि उनके कार्य संचालन में सुधार लाया जा सके। कुछ रेल भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित कुछ परीक्षाओं में कतिपय अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई थीं जो अंकों के बदले जाने, उत्तर पुस्तिकाओं के खो जाने, कुछ उम्मीदवारों द्वारा अनुचित तरीके अपनाये जाने, प्रश्न-पत्रों का समय से पहले पता चल जाने आदि जैसी किस्म की थीं। जहां आवश्यक समझा जाता है, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। प्राप्त अनुभव के आधार पर रेल भर्ती बोर्डों के कार्य संचलन में सुधार भी किये जाते हैं।

पंजाब और हरियाणा द्वारा संयुक्त पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना

6863. **डा० सी० विजय रामा राव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के बीच संयुक्त पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन पर यातायात

6864. **श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन में वर्ष 1982-83 से 1984-45 के दौरान यद्यपि वार्षिक यातायात के कार्य में बहुत कम वृद्धि हुई है परन्तु औसत प्रतीक्षा समय और जहाजों की वास्तविक वापसी अवधि में इसकी तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान अन्य प्रमुख पत्तनों की तुलना में कलकत्ता पत्तन पर जहाजों के लिए औसत प्रतीक्षा समय, उनकी वास्तविक वापसी अवधि और यातायात में कितना अन्तर आया है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान कलकत्ता पत्तन में जहाजों के औसत प्रतीक्षा समय और वास्तविक वापसी अवधि की दर में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ङ) कलकत्ता पत्तन पर लदान और ढुलान के कामों में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(च) इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी नहीं, कलकत्ता पत्तन, जिसमें हल्दिया डाक काम्प्लेक्स भी शामिल है, में वर्ष 1982-83 की तुलना में वर्ष 1983-84 और वर्ष 1984-85 में, वार्षिक ट्रैफिक हैंडलिंग कार्य में कमी आई है, जो निम्नलिखित है :—

वर्ष	हैंडल किया गया कुल ट्रैफिक (मिलियन टनों में)
1982-83	10.69
1983-84	10.47
1984-85	10.34

कलकत्ता में जहाजों की वास्तविक वापसी अवधि में वृद्धि के मुकाबले कलकत्ता और हल्दिया दोनों ही जगह पर जहाजों के घाट पर लगने से पहले रोके जाने के औसत समय में गिरावट आई है। इसका विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	घाट पर लगने से पहले रोके जाने का औसत (दिनों में)	
	कलकत्ता	हल्दिया
1982-83	1.3	2.6
1983-84	1.2	2.5
1984-85	0.8	1.9
औसत वापसी अवधि का समय (दिनों में)		
1982-83	13.8	7.0
1983-84	14.5	7.4
1984-85	15.2	6.1

(ग) प्रतीक्षा समय, जहाज की वापसी अवधि का समय तथा हैंडल किए गए ट्रैफिक की अन्तर पत्तन तुलना संभव नहीं हैं क्योंकि ये सब बातें जहाजों के आकार, ठोने जाने वाले कार्गो का

प्रकार, इस प्रकार के कार्गो को ढोने के लिए उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं तथा पत्तनों की क्षमता आदि पर निर्भर करती है;

(घ) हल्दिया सहित कलकत्ता पत्तन पर जहाजों के घाट पर लगने से पहले रोकने में तीन वर्षों में धीरे-धीरे कमी आई है। जहाजों के वापसी अवधि के समय में 1982-83 की तुलना में 1983-84 और 1984-85 में मुख्यत: जहाजों के खाली समय में रहने के कारण थोड़ी-सी वृद्धि आई है। मुख्यत: तैयार निर्यात कार्गो की अनुपलब्धता के कारण अधिकतर चुने हुए जहाज ही खाली रहे। मालिक तथा किराये पर लेने वाले या मालिक और नाविकों के झगड़े कार्गो की धीमी निकासी के कारण शेडों में होने वाले जमाव आदि अन्य कारणों ने भी वापसी अवधि को प्रभावित किया।

हल्दिया में, जहाजों के वापसी अवधि समय में तथा घाट पर आने वाले जहाजों को पहले ही रोकने में कमी में सुधार करने में मुख्य बाधा उर्वरक कुकिंग कोल, तथा जनरल कार्गो को ले जाने की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने में वर्थों की कमी रही है।

(ङ) और (च) कलकत्ता और हल्दिया में लोडिंग अनलोडिंग कार्यों में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

कलकत्ता :

1. 8 नई व्हार्फ और यार्ड क्रेनें लगाई जा रही हैं।

2. छठी योजना में पुराने मोबाइल कार्गो हैंडलिंग यंत्रों को बदला जा रहा है।

3. सातवीं योजना में अतिरिक्त कार्गो हैंडलिंग यंत्रों को खरीदने का प्रस्ताव है।

हल्दिया :

1. मैकेनिकल कोल हैंडलिंग प्लांट के तथा कोल हैंडलिंग के लिए मैकेनिकल और हैंडलिंग प्लांट को बदलने का कार्य चल रहा है।

2. सातवीं योजना में जनरल कार्गो वर्थ तथा दूसरी तेल की जेटी के निर्माण की स्कीम शामिल है।

3. कोयले के निर्यात के लिए हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव खरीदे जा रहे हैं।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान निदेशालय, दिल्ली में कर्मचारियों की संख्या

6865. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान निदेशालय, दिल्ली में दिनांक 1 अप्रैल, 1976 को उच्च श्रेणी लिपिकों और उच्च श्रेणी लिपिक-कम-कम्प्यूटरों की कुल मंजूरशुदा संख्या कितनी थी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

उच्च श्रेणी लिपिक	19
उच्च श्रेणी लिपिक-व-कम्प्यूटर	7

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में नये कालेज खोलना

[हिन्दी]

6866. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों में उच्च शिक्षा के लिए नए कालेज खोल सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने कालेज खोले गए और वे कहां-कहां खोले गए तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या आयोग उत्तर प्रदेश में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिले बस्ती में कालेज खोलने पर विचार करेगा; और

(घ) यदि हां, तो यह कालेज कब तक खोल दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, देश में विश्वविद्यालय और कालेज स्थापित करने का आयोग को अधिकार नहीं देता है ।

बाणसागर परियोजना के कारण भूमि का जलमग्न होना

[अनुवाद]

6867. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में बाणसागर सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए कुल कितने लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) जिन व्यक्तियों की भूमि जलमग्न हो जाएगी, उनको क्षतिपूर्ति देने एवं उनके पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय ने कुल कितनी धनराशि दी है;

(ग) क्या इन उजड़े हुए व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है; और

(घ) सिंचाई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एवं वित्त पोषित इस परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) बाणसागर परियोजना एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है जिसकी वित्त-व्यवस्था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारें कर रही हैं और भारत सरकार द्वारा स्थापित बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की देख-रेख तथा निदेशों के

अन्तर्गत इसका निष्पादन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की 1990-91 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते तीनों राज्यों द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती रहे। इससे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु माडल गांवों का निर्माण किया जा रहा है। मार्च, 1985 तक अधिग्रहित 3,231 हेक्टेयर भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों के लिए 5.99 करोड़ रुपये का मुआवजा अदा कर दिया गया है। यह मुआवजा कितने लोगों को दिया गया है, इस बारे में सूचना नहीं मिली है।

"बी० पी० टी०" धारियों को राशि वापिस करना

6868. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिए गए किराये के लिए गत्ते के टिकट जारी किए जाते हैं और कभी-कभी ब्लैक पेपर टिकट (बी० पी० टी०) भी जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेल गाडियों के रद्द किए जाने के समय उन यात्रियों को किराया सीधे रेलवे बुकिंग खिड़की से प्राप्त हो जाता है जिनके पास गत्ते के टिकट होते हैं, जबकि बी० पी० टी० धारियों को स्लीपर प्रभार सहित किराया वापिस करने में बिना किसी वैध कारण के विलम्ब किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद रेलगाड़ियों के रद्द किए जाने के कारण किराया वापिस करने हेतु जनता को हुई कठिनाइयों के संबंध में संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) ब्लैंक पेपर टिकट रियायती आदेशों और पुलिस वारंट आदि के लिए जारी किये जाते हैं। जब कभी किसी गन्तव्य स्थान विशेष के लिए मुद्रित कार्ड टिकट उपलब्ध न हों उस मार्ग पर दूरतम स्टेशन तक के लिए उपलब्ध मुद्रित कार्ड टिकट के साथ यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त किराया टिकट भी जारी किया जाता है।

(ग) और (घ) मुद्रित कार्ड टिकटों और ब्लैंक पेपर टिकटों पर वापसी की अनुमति स्टेशन पर दी जा सकती है बशर्ते कि उपयोग न किए गए टिकट को निर्धारित समय सीमा के भीतर अभ्यर्पित कर दिया जाए। तथापि आंशिक रूप से उपयोग में लाये गए ब्लैंक पेपर टिकट के मामले में वापसी के लिए संबंधित मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक को आवेदन करना होता है क्योंकि ब्लैंक पेपर टिकट पर छलपूर्ण वापसी के कई मामले हुए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोलार सिंचाई परियोजना

6869. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियाजना के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है तथा इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान पर्याप्त धनराशि के अभाव में निर्माण कार्य रुका रहा था;

(ग) यदि हां, तो उस पर परियोजना को शीघ्र और समय पर पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या इस परियोजना के लिए सी० ए० डी० एजेन्सी का गठन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) कोलार सिंचाई परियोजना को अभी योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने इस परियोजना का कार्य हाथ में ले लिया है और 96.36 करोड़ रुपये की अद्यतन अनुमानित लागत के प्रति मार्च, 1985 तक 31.58 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। राज्य का इस परियोजना को 1990-91 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। वर्ष 1984-85 के दौरान लगभग 12.16 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार ने कोलार परियोजना को बार्ने तथा हलाली परियोजना के लिए गठित कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में दिया है।

इंडियन काउंसिल आफ पैरा-मैडिकल रिहैबिलीटेशन प्रोफेशन के बारे में विधान

6870. **श्री एच० जी० रामुलु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री इंडियन काउंसिल आफ पैरा-मैडिकल रिहैबिलीटेशन प्रोफेशन के बारे में विधान लाने के निर्णय करने में विलम्ब के बारे में दिनांक 9 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2711 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काउंसिल आफ पैरा मैडिकल रिहैबिलीटेशन प्रोफेशन संबंधी विधायी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय का विधेयक संसद में कब तक पुन्य स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) और (ख) फिजियो थेरेपिस्टों और आकुपेशनल थेरेपिस्टों की परिषद स्थापित करने के प्रस्ताव पर, समाज और महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा पुनर्वास परिषद की स्थापना करने की कार्यवाही शुरू कर देने की बात को ध्यान में रखकर फिर से विचार किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए एक विधेयक तैयार करने संबंधी कार्यवाही समाज और महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा अन्तिम निर्णय ले लेने के बाद विधि मंत्रालय के परामर्श से की जाएगी।

दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर चाय और फलों के रस के स्टालों का आबंटन

6871. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1984 के दौराम दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों

पर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए बिना चाय और फलों के रस के कुछ स्टाल आबंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नवम्बर, 1984 के दौरान कई बेरोजगार स्नातक/अनुसूचित जाति/विकलांग उम्मीदवारों ने दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर चाय/फलों के रस के स्टालों के आबंटन हेतु निवेदन/आवेदन किया था परन्तु उन पर विचार नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार नवम्बर/दिसम्बर, 1984 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर नीति/नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/बेरोजगार स्नातकों/विकलांगों को चाय/फलों के रस के स्टाल आबंटित करने के लिए संसद सदस्यों से सुझाव प्राप्त हुए थे और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) नयी दिल्ली स्टेशन के परिचालन क्षेत्र में एक चाय-स्टाल और दिल्ली स्टेशन पर एक फ्रूट जूस स्टाल का अस्थायी तौर पर आबंटन स्थानीय तौर पर प्रचार करने तथा महानिदेशक/पुनर्वास, नयी दिल्ली को सूचित करने के बाद किया गया था।

(ख) (1) चाय-स्टाल का आबंटन नयी दिल्ली स्टेशन के दूसरे प्रवेश की ओर परिचालन क्षेत्र में किया गया है।

(2) फ्रूट जूस स्टाल का आबंटन दिल्ली मेन के प्लेटफार्म संख्या 8 पर किया गया है।

(ग) और (घ) सभी उम्मीदवारों का, जिन्होंने इन ठेकों के लिए आवेदन किया था, साक्षात्कार और स्क्रीनिंग एक विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया गया था और ठेके उन्हीं व्यक्तियों को आबंटित किए गए थे जिन्हें स्क्रीनिंग समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया।

(ङ) जी नहीं।

पुनर्वास परिषद् का गठन

6872. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **समाज और महिला कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विस्थापित लोगों का तीव्र गति से पुनर्वास करने के लिए एक 'पुनर्वास परिषद्' गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एन० चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

फिर भी, सरकार विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण व्यवसायों के लिए मानक निर्धारित करने और उन्हें लागू करने के लिए पुनर्वास परिषद् की स्थापना करने पर विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स आई० टी० सी० लि० और डन्कलान एग्रो लि० द्वारा धूम्रपान मिश्रणों का उत्पादन और विपणन

6873. **श्री रामे भगत पोसवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मैसर्स आई० टी० सी० लि० और डन्क्लान एग्रो लि० कुछ धूम्रपान मिश्रणों का उत्पादन और विपणन कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पूरे मामले की जांच करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कमबाना) : (क) और (ख) सरकार का यह विचार है कि हर प्रकार का धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट (विनियम, पूर्ति और वितरण) अधिनियम, 1975 के अनुसार सिगरेट के पैकेटों, डिब्बों तथा विज्ञापनों में धूम्रपान से स्वास्थ्य को खतरों के बारे में एक सांविधिक चेतावनी अंकित करनी होती है ताकि उपभोक्ताओं को सावधान किया जा सके।

मंडलीय रेल प्रबंधक, कटिहार द्वारा की गई नियुक्तियां

[हिन्दी]

6874. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडलीय रेल प्रबंधक, कटिहार द्वारा पिछले दो वर्षों अर्थात 1983 और 1984 के दौरान नियमित, अस्थायी, नैमित्तिक और दैनिक मजदूरी पर कितनी नियुक्तियां की गईं और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति थे;

(ख) क्या यह सच है कि इन पदों पर नियुक्तियां करते समय नियमों के अनुसार रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या रेल विभाग में यह नियम है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कम से कम 25 व्यक्ति प्रति वर्ष नियुक्त किए जायेंगे और यदि हां, तो क्या इस नियम का पालन किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है और इसलिए इसके कार्यान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरी और पूर्वी रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती

6875. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी और पूर्वी रेलवे के विभागों में 1982 से 1984 तक की अवधि के दौरान श्रेणी-तीन तथा श्रेणी-

चार के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फार्मास्यूटिकल फर्मों को पैथीडीन कच्ची सामग्री का आबंटन

[अनुवाद]

6876. **श्री चिन्त मोहन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मास्यूटिकल फर्मों को पैथीडीन कच्ची सामग्री का आबंटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान नई फर्मों को किस आधार पर इसका आबंटन किया गया;

(ग) इसके आबंटन के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है; और

(घ) क्या अधिक निष्पक्षता से वितरण करने के बारे में कोई अभ्यावेदन, शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) स्वापक आयुक्त, औषध नियंत्रक (भारत) को स्वापक औषधियों, जिनमें पेथीडीन भी शामिल है, के अनुमोदित अनुमान सूचित करता है । औषध नियंत्रक (भारत) विभिन्न राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को पैथीडीन सहित स्वापक औषधियों का कोटा, सम्बन्धित राज्य की जरूरतों और पिछले वर्ष उपयोग की गई इसकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए नियत करता है । राज्य औषध प्राधिकारी स्वापक औषधियों के इस कोटे को आगे राज्य में आने लाइसेंसशुदा दवाई निमार्ताओं को आबंटित करता है । इस मंत्रालय को यह जानकारी नहीं है कि 1984-85 के दौरान राज्य औषध अधिकारियों द्वारा नई फर्मों को पैथीडीन किस आधार पर और किस तरीके से आबंटित की गई थी ।

(घ) इस मंत्रालय को अभी तक कोई अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

रेलवे बोर्ड में रिक्त पद

6877. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में आज तक कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 10.5.85 को 160 पद रिक्त पड़े थे ।

(ख) इन पदों के रिक्त पड़े रहने के कारण तैनात अथवा भर्ती किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों का उस समय तक कार्यभार ग्रहण न करना, कुछ कोटियों में भर्ती पर प्रतिबंध तथा उपयुक्त कर्मचारियों की अनुपलब्धता हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि ये 160 पद रेलवे बोर्ड में कुल पदों के 5.5 प्रतिशत ही हैं अतः रिक्तियों की स्थिति असामान्य नहीं है ।

(ग) रिक्तियां होना और उनका भर्ती/पदोन्नति/चयन/प्रतिनियुक्ति और स्थानान्तरण आदि के माध्यम से भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए इन सभी रिक्तियों को भरे जाने के लिए कोई विशिष्ट तारीख बताना संभव नहीं है।

उटकमण्ड में हरबन स्कूल

6878. **श्री एम० अरुणाचल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में उटकमंड में हरबन स्कूल को 'एसोसिएटिड एक्जामिनिंग बोर्ड, लन्दन' की परीक्षा के लिए केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्कूल ने वही पाठ्यक्रम अपनाया है जो भारत ने 'एसोसिएटिड एग्जामिनिंग बोर्ड, लन्दन' ने अपनाया है; और

(ग) क्या भारत में किसी अन्य स्कूल ने भी 'एसोसिएटिड एग्जामिनिंग बोर्ड, लन्दन' के पाठ्यक्रम को अपनाया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) हरबन स्कूल, एसोसिएटिड एक्जामिनिंग बोर्ड, लन्दन की ओर से 'ओ' तथा 'ए' स्तरीय शिक्षा के सामान्य प्रमाण पत्र परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मान्यता प्राप्त केन्द्र है। यह एसोसिएटिड एक्जामिनिंग बोर्ड लन्दन द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करता है।

(ग) इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

भोपालपटनम, इन्चमपल्ली और मानस परियोजनाएं

6879. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भोपालपटनम और इन्चमपल्ली परियोजनाओं तथा असम और पश्चिम बंगाल में मानस परियोजना के क्रियान्वयन के विरुद्ध कड़ी पर्यावरण संबंधी आपत्तियां उठाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन तीनों परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के रूप में वर्गीकृत कितनी भूमि का अधिग्रहण करना होगा;

(ग) इस क्षेत्र से होकर बनाई नहरों का वनस्पति और पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कितना कोयला भण्डार जलमग्न हो जायेगा; और

(ङ) क्या इन आपत्तियों को देखते हुए सरकार का विचार इन परियोजनाओं को छोड़ने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) प्रस्तावित भोपालपटनम, इंचमपल्ली तथा मानस परियोजनाओं के विरुद्ध पर्यावरण की दृष्टि से कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। इंचमपल्ली तथा मानस परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टें केन्द्र को अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इन दोनों परियोजनाओं के पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव का मूल्यांकन, संबंधित परियोजना प्राधिकारियों

द्वारा सम्बद्ध पर्यावरण संबंधी पहलुओं के ब्यौरों सहित व्यवहार्यता रिपोर्टें भेजने के पश्चात ही किया जा सकता है।

भोपालपटनम परियोजना के सम्बन्ध में, परियोजना के पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं की जांच करने के लिए महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सरकारों ने जनवरी, 1985 में एक कार्यबल गठित किया है। इस कार्यबल की रिपोर्ट केन्द्र को प्राप्त नहीं हुई है।

यात्री किराया दर के सम्बन्ध में रेल शुल्क जांच समिति की सिफारिश

6880. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री किराया दर के संबंध में रेल शुल्क जांच समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) यात्री किराया दर के सम्बन्ध में रेल दर जांच समिति की 1980 में की गयी मुख्य सिफारिशें नीचे दी गयी हैं :—

सिफारिश सं० 68 :—यह सिफारिश की जाती है कि दूसरे (साधारण) दर्जे के किरायों का मानदंड जो मूल मानदंड होना चाहिए, नीचे दर्शाये गए अनुसार बनाया जाना चाहिए:—

दूरी	दूसरा (साधारण) दर्जा
शून्य कि० मी०	25 पैसे (निश्चित प्रभार)
1 से 150 कि० मी० तक	5 पैसे प्रति कि० मी०
151 से 400 कि० मी० तक	4 पैसे प्रति कि० मी०
401 से 750 कि० मी० तक	3.25 पैसे प्रति कि० मी०
751 से 1200 कि० मी० तक	2.75 पैसे प्रति कि० मी०
1200 कि० मी० से अधिक	2.50 पैसे प्रति कि० मी०

सिफारिश सं० 72 :—यह भी सिफारिश की जाती है कि विभिन्न दर्जों के किरायों के मानदंडों का दूसरे (साधारण) दर्जे के किरायों के मानदंड से निम्नलिखित सम्बन्ध होना चाहिए:

दर्जा	उपनगरीय	अनुनगरीय	
		साधारण	मेल/एक्सप्रेस
दूसरा दर्जा	100	100	140
वातानुकूल कुर्सीयान	...	...	300
पहला दर्जा	400	400	500
वातानुकूल दर्जा	...	...	1100

रेल दर जांच समिति राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति तथा रेल सुधार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल, 1983 से उपयुक्त आशोधनों के साथ एक युक्तिसंगत यात्री किराया ढांचा लागू किया है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. **दूसरा दर्जा (साधारण)** :—दूसरे दर्जे (साधारण) के किरायों में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे :—

शून्य कि० मी०	50 पैसे
* + 1 से 150 कि० मी० तक	6 पैसे प्रति कि० मी०
+ 151 से 400 कि० मी० तक	5 पैसे प्रति कि० मी०
+ 401 से 750 कि० मी० तक	4 पैसे प्रति कि० मी०
+ 751 से 1200 कि० मी०	3.5 पैसे प्रति कि० मी०
+ 1200 से अधिक कि० मी०	3 पैसे प्रति कि० मी०

*दूसरे दर्जे (साधारण) तथा मेल/एक्सप्रेस के लिए 150 कि० मी० तक की दूरी के किराये दूरी स्लैब 1-150 कि० मी० के लिए 6 पैसे प्रति कि० मी० किराये के बजाय 5.7 पैसे प्रति कि० मी० के आधार पर परिकलित किये गये थे।

2. **अन्य दर्जों के लिए किराए** :—1.4.1983 को अन्य दर्जों के किरायों के मानदंड का दसरे दर्जे (साधारण) के किरायों के मानदंड से, कुछ दूरी-क्षेत्रों में मामूली समायोजन के साथ, निम्नलिखित सम्बन्ध था :—

दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस	140 प्रतिशत
वातानुकूल कुर्सीयान	300 प्रतिशत
पहला दर्जा	550 प्रतिशत
वातानुकूल दर्जा	1100 प्रतिशत

चण्डीगढ़ में सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों का पी० जी० आई० से सम्बद्ध करना

6881. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में किसी अस्पताल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना से सम्बद्ध किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पी० जी० आई०, चण्डीगढ़ को इस योजना के साथ सम्बद्ध करने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । ऐसा इसलिए है कि चण्डीगढ़ में यह योजना नहीं चल रही है और स्नातकोत्तर संस्थान में ऐसी कोई और विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वे सुविधायें केवल उस संस्थान में ही उपलब्ध हैं, अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में नहीं हैं ।

भोपाल के गैस पीड़ितों में मानसिक रोग के लक्षण

6882. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल के कितने गैस पीड़ित व्यक्तियों में मानसिक रोगों के लक्षण दिखायी दे रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा समर्थित अध्ययन के एक अंग के रूप में किए गए एक आरम्भिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भोपाल में चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिकों में आने वाले रोगियों में से लगभग 10-12 प्रतिशत रोगियों में मनोरोग संबंधी लक्षण माजूद हैं ।

ताप बिजली संयंत्रों में ईंधन तेल की खपत कम करने की प्रणाली

6883. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की ताप बिजली संयंत्रों में ईंधन तेल की खपत कम करने की प्रणाली विकसित करने में सफलता मिली है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के वर्तमान ताप बिजली संयंत्रों में से एक संयंत्र में "डाइरेक्ट इग्निशन आफ पल्वेराइज्ड कोल" नामक नई प्रणाली का परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि उक्त प्रणाली सफल सिद्ध हुई है, तो तेल के उपयोग में मात्रा और धनराशि की दृष्टि से कितनी बचत होगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के अनुसार पिसे हुए कोयले का सीधा प्रज्वलन नामक प्रणाली का विकास किया गया है । इसका परीक्षण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के किसी भी विद्युत संयंत्र में नहीं किया गया है । भेल के अनुसार नई प्रणाली का किसी ताप विद्युत केन्त्र में परीक्षण किए जाने और कार्य निष्पादन संबंधी परीक्षण हो जाने के बाद ही ईंधन तेल की मात्रा और आर्थिक बचत सुनिश्चित की जा सकती है ।

सातवीं योजना के लिए उत्तर प्रदेश की सिंचाई योजनाएं

[हिन्दी]

6884. **श्री हरीश रावत** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवीं योजना में राज्य की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के

लिए उनके मंत्रालय को कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राज्य सरकार के सातवीं योजना के मसौदा प्रस्तावों में 7वीं योजना के दौरान बृहद तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों से 0.86 मिलियन हैक्टेयर तथा लघु सिंचाई स्कीमों से 0.97 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की परिकल्पना की गई है। राज्य की 7वीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

चम्बल कमान क्षेत्र के लिए ऋण

6885. **श्री शांति धारीवाल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से राजस्थान में चम्बल कमान क्षेत्र के लिए इस वर्ष ऋण मिलने की कोई संभावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार ने बाह्य सहायता हेतु कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा है।

एंट्रोक्विनोल एंट्रोबायोफार्म और मैक्साफार्म का हानिकारक प्रभाव

[अनुवाद]

6886. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एंट्रोक्विक्लोन एंट्रोबायोफार्म, मैक्साफार्म और अन्य ऐसी कतिपय औषधियों का मानव शरीर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिसके कारण नाड़ियों में दुर्बलता तथा अन्य विकार पैदा हो जाते हैं और परिणामस्वरूप बहरापन, अन्धापन, आदि जैसी बीमारियां हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के निर्माण और वितरण पर रोक लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अस्पतालों और औषधालयों से ऐसी औषधियां जारी की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के परामर्श से निर्णय लिया है कि मेक्सोफार्म और एन्ट्रोबायोफार्म के एक सक्रिम घटक हैलोजनेटिड हाइड्रोक्सी-क्यूनोलीन्स वाले

उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। हैलोजनेटिड हाईड्रोक्सी क्यूनोलीन्स ग्रुप की औषधियां अब अनुसूची "एच" की औषधियां हैं कि और ये केवल डाक्टर के नुस्खों पर ही बेची जा सकती हैं। इस औषधि के डिब्बे में एक चेतावनी नोट भी डालना होता है जिस पर चिकित्सा व्यवसायियों के मार्गदर्शन के लिए एस० एम० ओ० एन० (समोन) के प्रकोप पर प्रकाश डाला गया हो, जो जापानी लोगों को हुआ था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर का देखते हुए जनरल अस्पतालों और औषधालयों को रोगियों के लिए ऐसे नुस्खे लिखाने की अनुमति दी गयी है।

फार्मेसिस्ट पाठ्यक्रम की अवधि

[हिन्दी]

6887. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय फार्मेसी परिषद फार्मेसी पाठ्यक्रम को इन्टरमीडिएट के बाद दो वर्षीय पाठ्यक्रम करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे लागू कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय फार्मेसी परिषद इस बारे में अभी भी पाठ्यक्रम की विधियां तैयार कर रही है और ऐसा पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाए अथवा नहीं इस बारे में अन्तिम निर्णय राज्य/केन्द्र शासित सरकारों की सुविचारित राय की जांच करने के बाद किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के कर्मचारियों को चयन ग्रेड के संबंध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

6888. **श्री सरफराज अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 प्रतिशत कर्मचारियों को चयन ग्रेड देने के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के कार्यालयों में लागू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो 1-1-1973 से कितने फार्मेसिस्टों को चयन ग्रेड दिया गया है तथा शेष फार्मेसिस्टों को यह ग्रेड न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार के केवल पहली अगस्त, 1976 से ही समूह "ग" और "घ" संवर्गों में चयन ग्रेड लागू किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में कार्य कर रहे फार्मासिस्टों की वरिष्ठता को संशोधित करना पड़ा है। पात्र फार्मासिस्टों को चयन ग्रेड शीघ्र ही दे दिया जाएगा।

महिला होस्टलों के निर्माण के लिए कर्नाटक को सहायता

[अनुवाद]

6889. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला होस्टलों के निर्माण के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान कर्नाटक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) केन्द्रीय सहायता से वर्ष 1984-85 के दौरान कितने नये महिला होस्टलों का निर्माण किया गया ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) 1984-85 के दौरान कर्नाटक में श्रमजीवी महिला होस्टलों क निर्माण के लिए 5 स्वयंसेवी संगठनों को 19,42,187 रुपये की सहायता प्रदान की गई थी ।

(ख) 1984-85 के दौरान कर्नाटक के लिए तीन नए श्रमजीवी महिला होस्टल स्वीकृत किए गए ।

राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा निरीक्षण समिति

6890. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1981 में 15 सदस्यीय राष्ट्रीय चिकित्सा निरीक्षण समिति की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य कृत्य क्या हैं;

(ग) क्या इस निरीक्षण समिति के सदस्यों ने कभी ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया था; और

(घ) यदि हां, तो समिति की कार्य रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) भारत सरकार ने 1981 में किसी राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा निरीक्षण समिति का गठन नहीं किया था । वैसे, भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सार्वभौमिक व्यवस्था करके सन् 2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की राष्ट्रीय वचनबद्धता के संदर्भ में वर्तमान चिकित्सा शिक्षा पद्धति की पुनरीक्षा करने के लिए सितम्बर, 1981 में जसलोक अस्पताल, बम्बई के सेवानिवृत्त निदेशक डा० एस० जे० मेहता की अध्यक्षता में 15 सदस्यों की एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति का गठन किया था । इस समिति को जो कार्य करने थे वे इस प्रकार हैं, (i) वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा करता, (ii) स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में समग्र सुधार करने के बारे में उपाय सुझाना, (iii) स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर अध्ययन की अधिकतम अवधि की सिफारिश करना, (iv) इन्टर्नशिप कार्यक्रम की जांच तथा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में तथा उसके बाद कितने चिकित्सा कार्मिकों की आवश्यकता होगी उसका सही-सही अनुमान लगाना था ।

क्विलोन-कोट्टायम शटल का एर्नाकुलम तक चलाया जाना

6891. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम के बीच चलने वाली वेनाद एक्सप्रेस में हमेशा भारी भीड़ होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समय प्रातः काल चलने वाली क्विलोन-कोट्टायम शटल को एर्नाकुलम तक बढ़ाने और इस रेल गाड़ी को कोट्टायम और एर्नाकुलस के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में चलाने का है ताकि वेनाद एक्सप्रेस की भीड़ कम की जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यातायात का औचित्य न होने के प्रश्न के अलावा, मार्गवर्ती खंडों पर संतृप्त लाइन क्षमता के कारण 381/382 कोल्लम-कोट्टायम पैसेंजर गाड़ी को एर्णाकुलम से/तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है ।

बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में क्षय रोग और कुष्ठ रोग का फैलना

6892. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में क्षय रोग और कुष्ठ रोग जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में उक्त बीमारियों से कौन-कौन से आदिवासी क्षेत्र और कितने लोग प्रभावित हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन राज्यों की सहायता करने और आवश्यक दवाइयां प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में क्षय रोग और कुष्ठ रोग उच्च दर पर फैल रहा है। जहां तक कुष्ठ का संबंध है कुछ जिलों में, जिनमें जनजातीय जनसंख्या भी शामिल है, उच्च स्थानिकमारी के होने का पता चला है जहां व्याप्तता दर प्रति हजार 10 और उसके अधिक है। इन राज्यों में ऐसे जिलों की सूची विवरण-I में दी गयी है।

(ग) इन राज्यों को क्षय रोग और कुष्ठ रोग कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

उच्च महासारी वाले राज्यों की सूची जहां व्याप्तता दर 10/1000 और इससे अधिक है

राज्य का नाम	जिले
बिहार	संथाल परगना
	धनबाद
	गया
	सारन
	मुजफ्फरपुर
	मुंगेर
	हजारीबाग
	रांची
	रोहतास
	सिंहभूम
मध्य प्रदेश	विलासपुर
	रायपुर
	रायगढ़
	दुर्ग
	छिंदवाड़ा
उड़ीसा	गंजम
	बालासोर
	कटक
	चेंनकामन
	मयूरभंज
	पुरी
	सम्भलपुर
राजस्थान	अलवर
	भरतपुर

विवरण-II

1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाइ की गयी क्षयरोगी दवाओं की लागत और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता, जिनमें औषधियां भी शामिल है, को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	1982-83		1983-84		1984-85	
	क्षय रोग	कुष्ठ	क्षय रोग	कुष्ठ	क्षय रोग	कुष्ठ
बिहार	4.54	47.84	16.45	57.24	67.48	62.21
मध्य प्रदेश	10.84	33.98	18.83	55.95	78.73	66.12
उड़ीसा	5.11	66.77	9.88	66.61	26.96	119.86
राजस्थान	6.53	24.73	13.11	20.02	44.15	25.78

विभिन्न राज्यों में इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा

6893. **श्रीमती फूलरेणु गुहा : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में विद्यालयों में विद्यार्थियों को विश्व इतिहास किस स्तर और कक्षा से पढ़ाना आरम्भ किया जाता है; और

(घ) अन्य राज्यों के विद्यालयों की तुलना में पश्चिम बंगाल के विद्यालयों में इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल सामग्री का पता लगाने तथा हटाने के उद्देश्य से इतिहास और भाषाओं की स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम शुरू किया है । शुरू में, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इतिहास और भाषाओं की सभी निर्धारित/अनुमंसित स्कूली पाठ्यपुस्तकों की राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से समीक्षा की जानी है । समीक्षा विकेन्द्रीकृत आधार पर भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार की जा रही है । निम्नलिखित प्रतिकूल बातों तथा मनोवृत्तियों का पता लगाने तथा हटाने के लिए पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की जानी है :—

(1) साम्प्रदायिकतावाद

(2) जातिवाद

(3) क्षेत्रीयता और भाषावाद

(4) प्रजातिवाद

(5) रुढ़िवाद और अन्धविश्वास

सरकार ने राज्य मूल्यांकन दलों/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से प्राप्त हुई मूल्यांकन रिपोर्टों और कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित की है । मूल्यांकन का काम 27 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में पूरा कर लिया है ।

(ग) सामान्यत: अधिकांश राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अर्थात कक्षा IX और X पाठ्य-विवरण में विश्व इतिहास को शामिल किया गया है ।

(घ) पश्चिम बंगाल में, मिडिल स्कूल पर पढ़ाए जा रहे इतिहास में विश्व-इतिहास को मुख्य रूप से शामिल किया गया है । भारतीय इतिहास विश्व इतिहास के संदर्भ में पढ़ाया जाता है । कक्षा IX और X में भारत का विस्तृत इतिहास पढ़ाया जाता है । बहुत से राज्यों में, सामान्यत: मिडिल स्कूल स्तर पर भारतीय इतिहास और माध्यमिक स्कूल स्तर पर विश्व-इतिहास पढ़ाया जाता है ।

सामान पर माल भाड़े की अदायगी में छूट

6894. **प्रो० संफुद्दीन सोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को कुछ सीमा तक सामान के रूप में बुक की गई वस्तुओं पर भाड़े की अदायगी से छूट दी जानी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब यात्रियों ने घरेलू उपयोग की फर्नीचर संबंधी वस्तुओं की ढुलाई की इच्छा प्रकट की तो इस छूट को वापस ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) वर्तमान नियमों के अनुसार, प्रारंभिक स्टेशन से प्रत्येक टिकट पर सामान के कुल वजन पर निम्नलिखित मुफ्त रियायत दी गयी है :—

वातानुकूल दर्जा	70 कि० ग्रा०
पहला दर्जा/2-टियर वातानुकूल	50 कि० ग्रा०
वातानुकूल कुर्सीयान	40 कि० ग्रा०
दूसरा दर्जा	35 कि० ग्रा०

प्रत्येक बच्चे के (आधे) टिकट पर इस वजन से आधे की अनुमति दी गयी है।

अन्य बातों के साथ-साथ फर्नीचर जैसी किसी प्रकार की भारी वस्तुओं पर इस प्रकार की कोई मुफ्त रियायत अनुमेय नहीं है। उन पर उनके आयतन के कारण माप के आधार माल भाड़ा प्रभार्य होता है। यह नियम पिछले कई दशकों से प्रचलित है और इसमें कोई आशोधन नहीं किया गया है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आयाकट क्षेत्र

6895. **डा० के० जी० अवियोडी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 31 मार्च, 1985 तक कुल कितना क्षेत्र परियोजनावार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत था; और

(ख) आयाकट के विकास तथा वर्ष 1983-84 और 1984-85 में सी० डब्ल्यु० पी० आर० एस० के साथ जल प्रबन्ध के बारे में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; परियोजनावार क्या लाभ मिला और कितने क्षेत्र का विकास हुआ ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मार्च, 1985 के अन्त तक बृहद परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता के लिए लक्ष्यों के संबंध में सूचना निम्नवत् है :—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	लक्ष्य (हजार हेक्टे०)
1	2	3
1.	कल्लाडा	16.59

1	2	3
2.	पेरियार घाटी	79.46
3.	पम्बा	48.87
4.	कुट्टियाडी	34.87
5.	चित्तरपुझा	26.97
6.	कनिहारपुझा	23.99
7.	पझासी	21.18
8.	पूर्ण की गई बृहद स्कीमें	167.76

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान आयाकट विकास कार्य से सम्बद्ध नहीं थी।

विकलांग व्यक्तियों को नि:शुल्क यात्रा रियायत

6896. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों को नि:शुल्क यात्रा रियायत दी है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों की रेलगाड़ियों में यात्रा करने हेतु कुछ छूट देने पर विचार कर रही है; और

(घ) इस संबंध में कब तक आवश्यक कदम उठाये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) और (ख) जी नहीं। बिल्कुल मुफ्त यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गयी है। तथापि, उन्हें एक मार्गरक्षी के साथ पहले या दूसरे दर्जे में यात्रा करने के लिए 75 प्रतिशत की रियायत दी गयी है।

(ग) और (घ) जी नहीं। जो रियायत पहले दी गयी है, वह काफी अधिक है।

नये मेडिकल कालेजों का खोला जाना

6897. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार अलग-अलग कितने मेडिकल कालेज हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) किस राज्यों में एक भी मेडिकल कालेज नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय नीति के रूप में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ऐसा कालेज खोलने का है;

(घ) क्या इन राज्यों में ऐसे कालेज चालू वर्ष के दौरान प्रारम्भ किये जायेंगे;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) मौजूदा मेडिकल कालेजों से शिक्षा प्राप्त कर प्रत्येक वर्ष निकल रहे चिकित्सा स्नातक देश की चिकित्सा कार्मिक संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। इसलिए भारत सरकार की मौजूदा नीति यह है कि देश में नये मेडिकल कालेज न खोले जाएं। जोर इस बात पर दिया जाता है कि चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण की मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करने के बजाय उनका समेकन और सुधार किया जाए।

विवरण

(अ) राज्य	संख्या	चिकित्सा कालेजों के नाम
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	9	1. आंध्र मेडिकल कालेज, विशाखापटनम 2. रंगारया मेडिकल कालेज, काकीनादा 3. गुंटूर मेडिकल कालिज, गुंटूर 4. ओसमानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद 5. गांधी मेडिकल कालेज, हैदराबाद 6. काकातिया मेडिकल कालेज, वारांगल 7. कूरनौल मेडिकल कालेज, कूरनौल 8. एस० वी० मेडिकल कालेज, तिरुपति *9. सिद्धाता मेडिकल कालेज, विजयवाड़ा
2. असम और मणिपुर	4	1. गुहाटी मेडिकल कालेज, गुहाटी 2. सिलचर मेडिकल कालेज, सिलचर 3. रिजोनल मेडिकल कालेज, इम्फाल 4. असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़
3. बिहार	9	1. दरभंगा मेडिकल कालेज, लहेरियासराय 2. श्री कृष्ण मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर 3. पटना मेडिकल कालेज, पटना 4. राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची 5. एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, धनबाद 6. पाटिलपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद 7. मेडिकल कालेज, भागलपुर 8. मगध मेडिकल कालेज, पटना 9. नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना

1	2	3
4. दिल्ली	4	1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली 3. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली 4. यूनवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली
5. गुजरात	5	1. बी ० जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद 2. म्युनिसिपल कालेज, बड़ौदा 3. मेडिकल कालेज, बड़ौदा 4. एम० पी० शाह मेडिकल कालेज, जामनगर 5. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सूरत
6. हिमाचल प्रदेश	1	1. एच० पी० मेडिकल कालेज, शिमला
7. हरियाणा	1	1. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, रोहतक
8. जम्मू व कश्मीर	2	1. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर 2. मेडिकल कालेज, जम्मू
9. कर्नाटक	14	1. मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर 2. जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवनागरी 3. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल/मंगलौर 4. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर 5. सैंट जॉन्स मेडिकल कालेज, बंगलौर 6. कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली 7. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव 8. मेडिकल कालेज, बेल्लारे 9. एम० आर० मेडिकल कालेज, गुलबार्ग *10. एम० एस० रामिया मेडिकल कालेज, बंगलौर *11. बी० आर० अंबेडकर कालेज, बंगलौर *12. कामपोगुडा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, बंगलौर *13. मेडिकल कालेज, बिजापुर *14. मेडिकल कालेज, मैसूर
10. केरल	5	1. मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम 2. मेडिकल कालेज, कोट्टायम 3. टी० डी० मेडिकल कालेज, एल्लेपी 4. मेडिकल कालिज, कालीकट *5. मेडिकल कालेज, त्रिचूर

1	2	3
11. मध्य प्रदेश	6	1. मेडिकल कालेज, जबलपुर 2. टी० आर० मेडिकल कालेज, ग्वालियर 3. एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, इंदौर 4. गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल 5. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, रायपुर 6. एस० एस० मेडिकल कालेज, रीवा
12. महाराष्ट्र	16	1. ग्रांट मेडिकल कालेज, बम्बई 2. सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, बम्बई 3. टी० एन० मेडिकल कालेज, बम्बई 4. एल० टी० एम० मेडिकल कालेज, बम्बई 5. बी० जे० मेडिकल कालेज, बम्बई 6. आर्म्ड फोर्स मेडिकल कालिज, पूना 7. मिराज मेडिकल कालेज, मिराज 8. डा० वी० एस० मेडिकल कालेज, सोलापुर 9. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, औरंगाबाद 10. एस० आर० टी० आर० मेडिकल कालेज, अम्बाजोगाइ 11. मेडिकल कालेज, नागपुर 12. इंदिरा गांधी कोरपोरेशन मेडिकल कालेज, नागपुर 13. महात्मा गांधी संस्थान मेडिकल साइंस, वर्धा *14. कृष्ण इन्सटिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कुर्द *15. रूरल मेडिकल कालेज, लोनी *16. मेडिकल कालेज, अमरावती
13. उड़ीसा	3	1. एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक 2. वी० एस० एस० मेडिकल कालिज, बुरला 3. एम० के० सी० जी० मेडिकल कालेज, बेरामपुर
14. पंजाब	5	1. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, पटियाला 2. गुरु गोविन्द सिंह कालेज, फरीदकोट 3. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना 4. दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना 5. मेडिकल कालेज, अमृतसर
15. राजस्थान	5	1. एस० एस० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर 2. एस० पी० मेडिकल कालेज, बीकानेर 3. आर० एन० टी० मेडिकल कालेज, उदयपुर

1	2	3
		4. डा० एस० एन० मेडिकल कालेज, जोधपुर
		5. जे० एल० मेडिकल कालेज, अजमेर
16. तमिलनाडु	9	1. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास
		2. स्टेनले मेडिकल कालेज, मद्रास
		3. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, मद्रास विल्लौर
		4. किलपोक मेडिकल कालेज, मद्रास
		5. थानजावुर मेडिकल कालेज, थानजावुर
		6. मेडिकल कालेज, चिंगलेपुट
		7. मेडिकल कालेज, कोयम्बटोर
		8. मधुराई मेडिकल कालेज, मधुराई
		9. तिरुबेलनेलि मेडिकल कालेज, तिरुनेलवेलि
17. उत्तर प्रदेश	9	1. एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा
		2. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, अलीगढ़
		3. एम० एल० एन० मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
		4. आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी
		5. जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर
		6. एम० एल० बी० मेडिकल कालेज, झांसी
		7. के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ
		8. एल० एल० आर० एम० मेडिकल कालेज, मेरठ
		9. बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर
18. पश्चिम बंगाल	7	1. मेडिकल कालेज, कलकत्ता
		2. आर० जी० कार मेडिकल कालेज, कलकत्ता
		3. एन० आर० एम० मेडिकल कालेज, कलकत्ता
		4. कलकत्ता नेशनल मेडिकल कालेज, कलकत्ता
		5. बी० एस० मेडिकल कालेज, कलकत्ता
		6. नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुड़ी
		7. बर्दवान मेडिकल कालेज, बर्दवान
19. संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन एवं द्वीप	1	1. गोवा मेडिकल कालेज, पणजी
20. संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी	1	1. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी

1	2	3
(ख) वे राज्य जहां एक भी मेडिकल कालेज नहीं है		1. नागालैण्ड 2. मिजोरम 3. मेघालय 4. अरुणाचल प्रदेश 5. सिक्किम 6. संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 7. त्रिपुरा 8. लक्षद्वीप

*केन्द्रीय सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पूर्व-अनुमोदन के बिना शुरू किये गये।

तीर्थ यात्रियों को मक्का से जाने वाले पानी के जहाजों की संख्या

6898. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पानी के जहाजों से कितने तीर्थ यात्री मक्का गए;

(ख) क्या तीर्थ यात्रियों को मक्का ले जाने वाले जहाजों की संख्या काफी कम कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) :

(क) वर्ष	हज यात्री जिन्होंने समुद्र द्वारा यात्रा की
1982	9993
1983	9931
1984	4715

(ख) और (ग) 1983 तक मुगल लाइन्स हज यात्रियों के लिए दो स्टीमर चला रहा था। इनमें से एक को समुद्र में उतारने लायक न रहने के कारण हटा लेना पड़ा था और 1984 से हज मार्ग पर केवल एक जहाज चल रहा है। इसके अलावा, हज यात्रियों की यात्रा पद्धति धीरे-धीरे समुद्री मार्ग से वायु मार्ग में परिवर्तित हो रही है, इसका कारण यह है कि समुद्री यात्रा में समय अधिक लगता है, यात्रा असुविधाजनक होती है और खर्चा लगभग वायुयान द्वारा यात्रा के बराबर होता है।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय गान

6899. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों के काफी छात्र राष्ट्रीय गान को नहीं जानते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) शैक्षणिक संस्थाओं से आशा की जाती है कि वे छात्रों को राष्ट्रीय गान सिखाएं। तथापि, इन प्रयत्नों के बावजूद ऐसा संभव है कि कुछ छात्र राष्ट्रीय गान को उपयुक्त रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सामूहिक गान कार्यक्रम के अंतर्गत, सभी संगीत शिक्षकों को, जो देश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविरों में भाग लेते हैं, राष्ट्रीय गान को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करना सिखाया जा रहा है ताकि वे छात्रों को इसे सिखा सकें। रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा प्रकाशित "आओ मिलकर गाएं" नामक गान पुस्तक में संगीतात्मक संकेतनों के साथ राष्ट्रीय गान है, ताकि अध्यापक और छात्र उपयुक्त रूप से राष्ट्रीय गान गा सकें।

वाणिज्यिक लेखा प्रणाली अपनाना

6900. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य बिजली बोर्डों द्वारा वाणिज्यिक लेखा प्रणाली अपना ली गई है;

(ख) यदि हां, तो यह बिजली बोर्ड कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार देश में अन्य राज्य बिजली बोर्डों को भी यह प्रणाली अपनाने के लिए कहने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को केन्द्रीय दिशानिर्देश कब तक भेजे जाने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके, सभी राज्य बिजली बोर्डों में वाणिज्यिक लेखा प्रणाली लागू करने के लिए विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1983 को 1 अप्रैल, 1985 से लागू किया गया है। वाणिज्यिक लेखा प्रणाली लागू करने के लिए अपेक्षित नियम अधिसूचित किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को घटिया किस्म की औषधियों की सप्लाई

6901. **श्री चित्त महाता** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की घटिया

किस्म की औषधियां सप्लाई की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

अशिक्षितों की संख्या

6902. **श्री के० पी० उन्नी कृष्णन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1 जनवरी, 1985 को, कितने व्यक्ति अशिक्षित थे और उनके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या 15 अगस्त, 1947 की तुलना में अशिक्षित व्यक्तियों की उक्त संख्या पहले से बहुत अधिक है;

(ग) क्या सरकार ने अशिक्षा की समस्या से निबटने के लिए युद्ध स्तर पर कोई नीति अपनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) निरक्षरों की संख्या का पता केवल जनगणना के माध्यम से चलता है जो दस वर्ष में एक बार की जाती है । पिछली जनगणना वर्ष 1981 में की गई थी । 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में निरक्षरों की संख्या तथा राज्य-वार विवरण संलग्न विवरण-1 में है ।

(ख) यद्यपि साक्षरता की दर 1951 में 16.61 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 36.23 प्रतिशत हो गयी है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण निरक्षरों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ) जी, हां । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को, जिसे छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है, सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है । 15-35 आयु-वर्ग में निरक्षरता के उन्मूलन का लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, गैर औपचारिक शिक्षा तथा ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना जैसी कार्यात्मक साक्षरता को आगे बढ़ाने की विशेष योजनाओं, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना, राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा क्रमशः राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवक केन्द्र के जरिए छात्र तथा गैर-छात्र युवाओं के योगदान के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यात्मक साक्षरता के लिए जन आन्दोलन की एक नई योजना वित्त वर्ष 1985-86 से शुरू की जा रही है जिसमें छात्रों तथा गैर-छात्र युवकों तथा समाज के अन्य शिक्षित वर्गों अर्थात् सेवा निवृत्त सरकारी कार्मिकों, गृहणियों, शिक्षकों, दोनों संगठित तथा गैर संगठित क्षेत्रों के नियोक्ताओं की सक्रिय सहभागिता के जरिए निरक्षरता के उन्मूलन की परिकल्पना है ।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल जनसंख्या	निरक्षर व्यक्ति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	53,549,673	37,514,855
2.	असम	*	*
3.	बिहार	69,914,734	51,593,730
4.	गुजरात	34,085,799	19,198,955
5.	हरियाणा	12,922,618	8,252,720
6.	हिमाचल प्रदेश	4,280,818	2,462,531
7.	जम्मू और काश्मीर	5,987,389	4,390,613
8.	कर्नाटक	37,135,714	22,852,997
9.	केरल	25,453,680	7,528,948
10.	मध्य प्रदेश	52,178,844	37,634,276
11.	महाराष्ट्र	62,784,171	33,163,365
12.	मणिपुर	1,420,953	833,335
13.	मेघालय	1,335,819	880,628
14.	नागालैंड	774,930	445,052
15.	उड़ीसा	26,370,271	17,343,066
16.	पंजाब	16,788,915	9,928,566
17.	राजस्थान	34,261,862	25,907,745
18.	सिक्किम	316,385	208,647
19.	तमिलनाडु	48,408,077	25,770,418
20.	त्रिपुरा	2,053,058	1,188,258
21.	उत्तर प्रदेश	1,10,862,013	80,756,753
22.	पश्चिम बंगाल	54,580,647	32,236,494
23.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	188,741	91,420
24.	अरुणाचल प्रदेश	631,839	500,506
25.	चण्डीगढ़	451,610	159,030
26.	दादरा और नागर हवेली	103,676	76,021

1 2	3	4
27. दिल्ली	6,220,406	2,392,080
28. गोवा, दमन और द्वीव	1,086,730	470,978
29. लक्षद्वीप	40,249	18,084
30. मिजोरम	493,757	198,072
31. पांडिचेरी	604,471	266,856
कुल	665,287,849	424,256,000

* असम जहां अशान्ति की स्थिति के कारण जनगणना नहीं की जा सकी, की जनसंख्या शामिल नहीं है ।

सर्वोदय एक्सप्रेस का प्रतिदिन चलाया जाना

[हिन्दी]

6903. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद और नई दिल्ली के बीच चलने वाली "सर्वोदय एक्सप्रेस" में कितने शयन-यान लगाये जाते है;

(ख) क्या ये सभी पूरी तरह भरे रहते हैं अथवा उनमें से कुछ खाली भी रहते हैं;

(ग) सर्वोदय एक्सप्रेस की गति कितनी कम की गई है और इसकी गति कम करने का क्या कारण हैं;

(घ) इस गाड़ी को सप्ताह में दो दिन चलाने की बजाय इसे प्रतिदिन चलाने में क्या कठिनाई है;

(ङ) इस गाड़ी को प्रतिदिन चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) बारह दूसरे दर्जे के और एक वातानुकूल 2-टियर ।

(ख) वे पूरी तरह भर जाते हैं ।

(ग) गाड़ी की रफ्तार कम की गयी थी ताकि सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ायी जा सके । परिणामतः यात्रा समय में लगभग दो घंटे की वृद्धि की गयी थी ।

(घ) सवारी डिब्बों और डीजल इंजनों की कमी के कारण ।

(ङ) और (च) विभिन्न संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । तथापि, सवारी डिब्बों और डीजल इंजनों की कमी के कारण फेरे बढ़ाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

कांडला बन्दरगाह पर छोटे जहाजों/नौकाओं/पोतों के वार्षिक-सर्वेक्षण की कार्य विधि

[अनुवाद]

6904. **श्रीमती ऊषा ठक्कर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ (गुजरात) में छोटे जहाजों और नौकाओं के स्वामी मछुआरों को कांडला पत्तन न्यास के आदेश के अनुसार अपने जहाजों/नौकाओं/पोतों का प्रति वर्ष अनिवार्य सर्वेक्षण कराना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मछुआरों को इस सर्वेक्षण कार्य के लिए अपनी जीविका से हाथ धोकर दो तीन दिन खर्च करने पड़ते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या मछुआरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कांडला पत्तन के लिए इस संबंध में सरल प्रक्रिया बनाने का सरकार का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) मछुआरों के परामर्श से उनकी सुविधानुसार तय की गयी तारीख को, जब वे मछली के लिए नहीं जाते, टुना लघु पत्तन पर सर्वेक्षण का प्रबन्ध किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोचमपद परियोजना

6905. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में श्रीरामपद सागर (पोचमपद) परियोजना के दूसरे चरण को केन्द्र से मंजूरी मिल गयी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलौर और त्रिवेन्द्रम के बीच नई रेल गाड़ियां चलाना

6906. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और त्रिवेन्द्रम के बीच नई रेल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) सवारी डिबों और रेल इंजनों जैसे संसाधनों की कमी के कारण यह व्यवहार्य नहीं है।

कोचीन और मालदीव के बीच नौवहन सेवा का प्रस्ताव

6907. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और मीलदीव के बीच नौवहन सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कैमिस्टों और ड्रगिस्टों के अखिल भारतीय संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

6908. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को कैमिस्टों और ड्रगिस्टों के अखित भारतीय संघ से उनकी समस्याओं के बारे में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके अभ्यावेदन का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) कैमिस्टों और ड्रगिस्टों के अखिल भारतीय संघ से कुछेक अभ्यावेदन मिले थे जो फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 42 के संशोधन के प्रवर्तन को स्थगित करने के बारे में थे जिसके अन्तर्गत 1-9-1984 के पश्चात अपंजीकृत फार्मिस्टों द्वारा किसी औषधि के मिश्रण तैयार करने, नुस्खे तैयार करने अथवा देने पर रोक लगाई गई है। प्रारम्भ में यह व्यवस्था 1-9-1981 से लागू की जानी थी लेकिन बाद में राज्यों और विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन मिलने पर इसे तीन वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त फार्मासिस्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। सरकार ने इस स्थिति की पुनः सावधानीपूर्वक जांच की और यह निर्णय लिया कि इस अधिनियम की धारा 42 के प्रवर्तन को आगे स्थगित कर पाना उपयुक्त नहीं होगा।

दिल्ली परिवहन निगम को हानि होने के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई अध्ययन समिति

6909. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव :**
श्री एस० जी० घोलप :
श्री शान्ताराम पोतदुखे :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम को इसकी स्थापना प्रारम्भ से 31 मार्च, 1984 तक कुल कितनी हानि हो चुकी थी;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम को हानि होने के कारणों का गहराई से अध्ययन करने के लिए तथा हानि को कम करने और इसके कार्य निष्पादन में सुधार के उपाय सुझाने के लिए कोई अध्ययन समिति नियुक्त की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उसके सुझाव क्रियान्वित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यदि उसके कोई परिणाम निकले हैं; तो वे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम को उसके अस्तित्व में आने की तारीख से 31 मार्च, 84 तक 381.80 करोड़ रुपए की संचित हानि हुई।

(ख) और (ग) लोक उद्यम कार्यालय ने निम्नलिखित कार्य शर्तों पर एक अध्ययन दल का गठन किया :—

(1) दिल्ली/बम्बई/मद्रास/अहमदाबाद नगरों में प्रचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय मानदण्ड के आधार पर महानगरीय सड़क परिवहन उपक्रमों के तुलनात्मक कार्य का अध्ययन और विश्लेषण करना;

(2) उपक्रमों की प्रचालन लागत की जांच करना जिसमें दिल्ली परिवहन निगम और अन्य सड़क परिवहन निगम की नियत/व्यवहार्य लागत मदें खासकर अनुरक्षण, वस्तुसूची, जनशक्ति लागत भी शामिल है;

(3) सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य में अन्तर के लिए जिम्मेदार आंतरिक और साझरी मुद्दों का विश्लेषण करना;

(4) दिल्ली परिवहन निगम के कार्य में सुधार लाने और हानि से बचने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के उपचारी उपाय सुझाना।

(घ) और (ङ) अध्ययन दल ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

रेलवे कर्मचारियों को भूमि के प्लाटों का आबंटन

6910. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग के पास दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर में काफी फालतू जमीन

है जो वर्षों से खाली पड़ी है;

(ख) क्या सरकार को उन रेलवे कर्मचारियों को उचित शर्तों पर समुचित भूमि के प्लाट आवंटित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है जिनके पास कोई क्वार्टर नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) खड़गपुर में खाली भूमि के कुछ टुकड़े उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि वर्तमान नीति के अनुसार मकान बनाने के लिए रेलवे भूमि रेल कर्मचारियों के पक्ष में मुक्त नहीं की जा सकती।

पश्चिम बंगाल में बिजली के उत्पादन की लागत

6911. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में ताप बिजली के उत्पादन पर कितनी लागत आती है; और

(ख) अन्य राज्यों में देय बिजली दरों की तुलना में पश्चिम बंगाल में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये बिजली की दरें क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1-5-1985 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य बिजली बोर्डों/लाइसेंसधारियों के लिए बिजली की औसत दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/लाइसेंसधारियों की बिजली की अनुमानित औसत दरें दिखाने वाला विवरण (1-5-85 की स्थिति के अनुसार)

(दरें : पैसे/यूनिट)

क्र० सं०	राज्य बिजली बोर्ड/लाइसेंसधारी का नाम	घरेलू बत्ती तथा पंखे (30 यूनिट/माह)				वाणिज्यिक बत्ती तथा पंखे (200 यूनिट/माह)			
		दर	बिजली कर	एफ० सी० ए०	जोड़	दर	बिजली कर	एफ० सी० ए०	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	51.67	—	—	51.67	96.50	—	—	96.50
2.	असम	57.00	3.00	—	60.00	70.00	3.00	—	73.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	55.33	7.00	—	62.33	76.50	7.00	—	83.50
4.	गुजरात	46.56	12.60	—	59.16	56.16	17.98	—	74.14
5.	हरियाणा	34.75	10.25	—	45.00	70.80	12.95	17.00	100.75
6.	हिमाचल प्रदेश	43.33	1.50	—	44.83	72.50	2.00	—	74.50
7.	जम्मू और कश्मीर	30.00	3.08	—	33.08	52.00	6.90	—	58.90
8.	कर्नाटक	40.00	4.00	—	44.00	100.00	5.00	—	105.00
9.	केरल	43.33	4.33	—	47.66	55.00*	5.50	—	60.50
10.	मध्य प्रदेश								
	शहरी	40.00	6.50	—	46.50	80.00	10.50	—	90.50
	ग्रामीण	38.00	6.50	—	44.50	80.00	10.50	—	90.50
11.	महाराष्ट्र	30.00	7.50	—	37.50	65.25	17.50	—	82.75
12.	मेघालय	44.00	6.00	—	50.00	75.00	6.00	—	81.00
13.	उड़ीसा	50.00	7.50	—	57.50	62.00	9.75	—	71.75
14.	पंजाब	36.67	8.00	2.93	47.60	72.50	10.00	5.80	88.30
15.	तमिलनाडु								
	मद्रास	55.00	—	—	55.00	95.00	—	—	95.00
	अन्य क्षेत्र	55.00	—	—	55.00	90.00	—	—	90.00
16.	राजस्थान	40.00	6.00	—	46.00	60.00	6.00	—	66.00
17.	उत्तर प्रदेश	55.00	2.00	—	57.00	85.00	2.00	—	87.00
18.	पश्चिम बंगाल	52.00	5.00	—	57.00	75.00	3.00	—	78.00
19.	डेसू	27.00	2.00	—	29.00	89.00	2.00	—	91.00
20.	अहमदाबाद	21.50	7.50	29.85	58.85	43.50	14.63	29.85	87.98
21.	बी० ई० एस० टी०	15.00	8.50	48.35	71.84	83.50	22.50	48.34	154.34
22.	बम्बई सरबरन	21.94	8.50	47.30	77.74	72.80	22.50	47.30	142.60
23.	सी० ई० एस० ई०	21.50	5.00	24.33	50.83	53.00	10.00	37.50	100.50

*औसत सम्बद्ध भार 2 किलोवाट मानते हुए ।

टिप्पणी :—यह विवरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के ई० टी० ए० एण्ड ए० निदेशालय को 1-5-85 तक संचित की गई बिजली दरों, बिजली कर और ईंधन समायोजन प्रभार के आधार पर तैयार की गई है ।

विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/लाइसेंसधारियों की बिजली की अनुमानित औसत दरें दिखाने वाला विवरण (1-5-85 की स्थिति के अनुसार)

(दरें पैसे/यूनिट)

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड/लाइसेंस-धारियों का नाम	कृषि 5 हार्स पावर 10%एल० एफ० (272 यूनिट/माह)				लघु उद्योग 5 हार्स पावर 10% एल० एफ० (272/माह)			
		दर	बिजली	एफ० सी० ए०	जोड़	दर	बिजली	एफ० सी०ए०	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	9.50	—	—	9.50	56.84	—	—	56.84
2.	असम	30.00	—	—	30.00	55.00	2.00	—	57.00
3.	बिहार	34.00	2.00	—	36.00	84.00	2.00	—	86.00
4.	गुजरात	31.86*	1.64	—	33.50	36.23*	4.62	24.31	65.16
5.	हरियाणा	28.68	—	—	28.68	32.00	4.00	—	36.00
6.	हिमाचल प्रदेश	20.00	1.94	—	21.94	30.00	4.00	—	34.00
7.	जम्मू और कश्मीर	10.00	1.50	—	11.50	20.00	2.70	—	22.70
8.	कर्नाटक	7.66	—	—	7.66	45.00	5.00	—	50.00
9.	केरल	13.84	1.36	—	15.22	27.97	2.80	—	30.77
10.	मध्य प्रदेश								
	शहरी	16.00	—	—	16.00	46.00	1.50	—	47.50
	ग्रामीण	16.00	—	—	16.00	42.00	1.50	—	43.50
11.	महाराष्ट्र	22.98	—	—	22.98	42.00	3.50	—	45.50
12.	मेघालय	30.00	—	—	30.00	65.00	5.00	—	70.00
13.	उड़ीसा	15.00	2.73	4.49	22.22	40.00	6.33	1.62	47.95
14.	पंजाब	12.50	—	1.00	13.50	30.00	5.00	2.40	37.40
15.	राजस्थान	21.00	1.00	—	22.00	34.00	6.00	—	40.00
16.	तमिलनाडु								
	मद्रास	11.49	—	—	11.49	76.00	—	—	76.00
	अन्य क्षेत्र	11.49	—	—	11.49	71.00	—	—	71.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	उत्तर प्रदेश	41.36	—	—	41.36	50.00	2.00	7.38	59.38
8.	पश्चिम बंगाल	35.00	—	—	35.00	60.00	3.50	—	63.50
9.	डी० ई० ए० यू०	20.00	1.00	—	21.00	75.00	3.00	—	78.00
10.	अहमदाबाद इले० कंपनी	22.50	1.18	29.95	53.53	38.71	4.09	29.85	73.25
21.	बी० ई० एस० टी०	—	—	—	—	70.00	3.50	48.35	121.84
22.	बम्बई सर्बबन	20.00	—	—	20.00	40.00	3.50	47.30	99.80
23.	सी०ई०एस०सी०	—	—	—	—	39.00	3.50	37.50	80.00

*केवल रात्रि के दौरान (सायं 10.00 बजे से प्रातः 6 बजे तक) खपत के लिए 5 पैसे/यूनिट की छूट दी जाती है।

टिप्पणी : यह विवरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के० ई० टी० ए० एण्ड ए० निदेशालय को 1-5-85 तक सूचित की गई बिजली दरों, बिजली कर और ईंधन समायोजन प्रभार के आधार पर तैयार की गई है।

विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/लाइसेंसधारियों की बिजली की अनुमानित औसत दरें बिताने वाला विवरण (1-5-85 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य बिजली बोर्ड/ लाइसेंसधारियों के नाम	मध्यम उद्योग 50 किलोवाट 30%एल. एफ. (10950 यूनिट/ माह)				वृहत् उद्योग 1000 किलोवाट 50% एल. एफ. (365000 यूनिट/माह)			
		दर	बिजली कर	एफ. सी. ए.	जोड़	दर	बिजली कर	एफ. सी. ए.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	55.05	—	—	55.05	57.67	—	7.89	65.56
2.	असम	55.00	2.00	—	57.00	55.00	0.19	—	55.19
3.	बिहार	82.00	2.00	—	84.00	69.28	2.00	—	71.28
4.	गुजरात मई से अक्तूबर	43.47	6.19	24.31	73.97	41.52	10.23	23.69	75.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	नवम्बर से अप्रैल	47.62	6.45	24.31	78.38	45.04	10.76	23.69	79.49
5.	हरियाणा	30.53	7.63	17.00	55.16	30.12	7.53	17.00	54.65
6.	हिमाचल प्रदेश	30.76	4.00	—	34.76	30.00	4.00	—	34.00
7.	जम्मू और कश्मीर	20.00	2.70	—	22.70	18.00	2.40	—	20.40
8.	कर्नाटक	45.00	5.00	—	50.00	39.67	5.00	—	44.67
9.	केरल	20.65	2.07	—	22.72	26.18	7.10	—	33.28
10.	मध्य प्रदेश								
	शहरी	57.25	1.50	—	58.75	38.77	3.00	24.50	66.27
	ग्रामीण	53.42	1.50	—	54.92	38.77	3.00	24.50	66.27
11.	महाराष्ट्र								
	बम्बई और पूना	52.00	3.50	—	55.50	40.45	6.00	40.00	86.45
	अन्य क्षेत्र	52.00	3.50	—	55.50	26.80	6.00	40.00	72.80
12.	मेघालय	61.85	5.00	—	66.85	48.09	0.51	—	48.60
13.	उड़ीसा	42.50	9.97	1.62	54.09	47.28	16.06	1.62	64.96
14.	पंजाब	33.96	5.00	2.72	41.68	35.34	5.00	2.83	43.17
15.	राजस्थान	43.00	6.00	6.00	55.00	51.00	6.00	6.00	63.00
16.	तमिलनाडु								
	मद्रास	76.00	—	—	76.00	72.50	—	—	72.50
	अन्य क्षेत्र	71.00	—	—	71.00	67.50	—	—	67.50
17.	उत्तर प्रदेश	50.00	2.00	7.38	59.38	59.56	2.00	7.38	68.97
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	47.95	3.50	29.00	80.45
19.	डेसू	75.00	3.00	—	78.00	97.80	3.00	—	100.80
20.	अहमदाबाद	46.81	6.37	29.85	83.03	41.21	10.33	27.95	79.49
21.	बी० ई० एस० टी०	70.00	3.50	48.34	121.84	45.19	6.00	48.34	99.53
22.	बम्बई सबरबन	47.25	3.50	47.30	98.05	33.47	6.00	44.72	84.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	टाटा	—	—	—	—	28.61	6.00	42.00	76.61
24.	सी० ई० एस० सी०	39.00	3.50	37.50	80.00	41.36	3.50	37.50	82.36

टिप्पणी :—दो व्यस्ततमकालीन अवधियों के दौरान अर्थात 7.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा 17.00 बजे से 21.00 बजे तक ऊर्जा की खपत के लिए 6 पैसे/यूनिट की दर से अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा।

विटामिन 'ए' की कमी के कारण क्षय-रोग

6912. **श्री एन० डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुपोषण विटामिन 'ए' की कमी के कारण देश में कुष्ठ रोग और क्षय रोग का काफी प्रकोप है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार विटामिन 'ए' की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) क्षय रोग और कुष्ठ रोग दोनों संक्रामक रोग हैं तथा ये रोग क्रमशः ट्यूबरकल बेसिली तथा एम० लेपरे के संक्रमण के कारण होते हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि विटामिन 'ए' की कमी के कारण ये दोनों रोग होते हैं।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता में पंजीकृत नाविकों की दुर्दशा

6913. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाजरानी उद्योग में मन्दी का प्रभाव भारतीय नाविकों पर सबसे अधिक पड़ा है;

(ख) क्या कलकत्ता में पंजीकृत नाविकों की दशा बम्बई में पंजीकृत नाविकों से भी खराब है;

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता के इन बेरोजगार नाविकों को काम देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या समुद्री अधिकारी भी बेकार हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार नौवहन उद्योग में जन बल आयोजना की तमाम व्यवस्था की पुनरीक्षा कर रही है ताकि प्रशिक्षण के पश्चात इन युवा समुद्री अधिकारियों को रोजगार दिया जा सके; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। कलकत्ता के नाविकों को उपलब्ध रोजगार का अनुपात बम्बई से कम है।

(ग) नाविक रोजगार बोर्ड को, उपलब्ध रोजगार को कंपनी रोस्टर और जनरल रोस्टर से बीच, उचित आधार पर देने के लिए नौवहन महानिदेशक को परामर्श देने के लिए पुनः चालू किया जा रहा है। नंदा समिति की, जिसकी स्थापना नाविकों की बेरोजगारी के प्रश्न पर जांच करने के लिए की गई थी, सिफारिश पर, नए नाबिकों को प्रशिक्षण देना बंद कर दिया गया हैं।

(घ) जी हां। सेकेंड मेट प्रमाणपत्र रखने वाले लगभग 300 अधिकारी इस समय बेरोजगार हैं।

(ङ) नौवहन उद्योग के लिए अपेक्षित जनशक्ति की लगातार समीक्षा की जा रही है। पिछले दो वर्षों में समुद्र इंजीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय की स्नातक प्रवेश योजना को रद्द कर दिया गया है, टी० एस० "राजेन्द्र" में नौचालन अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि को 1983 में एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष कर दिया गया था और उसके द्वारा प्रवेश को घटा कर आधा कर दिया गया था, और 1984 से टी० एस० राजेन्द्र में प्रवेश को और घटा कर 125 से 70 कर दिया गया है।

(च) उक्त (ङ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं होता।

कोठागुडम से विजयवाड़ा तक रेल लाइन

6914. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा ताप बिजली घर तक कोयला ले जाने और प्रस्तावित रेलवे लाइन के साथ लगने वाले पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में सहायता के लिए आन्ध्र प्रदेश में तिरुवुरन होकर कोटागुडा से विजयवाड़ा तक एक नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) सर्वेक्षण कार्य कब शुरू किए जाने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस लाइन के महत्व को देखते हुए रेल मंत्रालय का इस प्रस्ताव पर विचार करने और इस काम के लिए सर्वेक्षण कराने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। संसाधनों की बेहद तंगी और पहले से हुई भारी वचनबद्धताओं के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अधिक "यूनेस्को" क्लबों की स्थापना करना

6915. **श्री० नारायण चन्द्र परांजपे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन क्लबों/संघों ने अब तक

वर्षों के दौरान देश में कोई विशेष प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के, राज्य-वार, नाम क्या हैं जो इस समय कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के साथ सहयोग के लिये भारतीय आयोग और सरकार देश में और विशेषकर उन राज्यों/क्षेत्रों में, जिन्हें अब तक इसके अन्तर्गत नहीं लाया गया, अधिक ऐसे क्लबों/संघों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाये गये कार्यक्रम अथवा दी जाने वाली सहायता की रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) देश में यूनेस्को के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के संवर्धन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय केन्द्रों, शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं आदि में स्थापित यूनेस्को क्लब/संगठन स्वैच्छिक संगठन हैं। ये क्लब/संगठन यूनेस्को के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचना का प्रसार करने के उद्देश्य से कार्यकलाप शुरू करते हैं । और यह अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग एवं विश्व शांति के संवर्धन हेतु कार्यकलापों का आयोजन भी करते हैं।

यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के अतिरिक्त तीन स्वैच्छिक संगठन हैं, जैसे भारतीय संयुक्त स्कूल संगठन, भारतीय यूनेस्को क्लब महासंघ एवं भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को संगठन महासंघ जो राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को क्लब के कार्यकलापों के समन्वय एवं निदेशन हेतु शीर्ष संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये संगठन यूनेस्को क्लबों की अपनी सूची रखते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) यूनेस्को क्लबों/संगठनों से यह आशा की जाती है कि वे अपने साधनों से अपने कार्यकलाप एवं कार्यक्रमों को संचालित करेंगे और अपने प्रयासों द्वारा एकत्र की गई निधि से अपने सम्पूर्ण आवर्ती खर्चों को पूरा करेंगे। तथापि, उन्हें कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना, मानव अधिकारों के लिए शिक्षा, शांति की समस्याओं से सम्बन्धित शिक्षण, विभिन्न देशों की संस्कृतियों के अध्ययन और यूनेस्को कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यकलापों के विषयों पर सेमिनारों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि जैसे अनुमोदित कार्यकलापों के लिये आंशिक वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग इन क्लबों को नियमित रूप से प्रकाशन और रुचि की अन्य सामग्री सप्लाई करता है। इन क्लबों को विशेष किट और सामग्री भी भेजी जाती है जिसमें ये संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानव अधिकार दिवस, साक्षरता दिवस आदि मना सकें।

केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद

6916. **श्री गुरुदास कामत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कर्मियों के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक सेवाओं को उपरोक्त प्रतिबन्ध-आदेशों की परिधि से छूट देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार लोगों के लिए उचित और सन्तोषजनक चिकित्सा सुविधायें किस प्रकार सुनिश्चित करने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) हालांकि भर्ती करने पर प्रतिबन्ध है, फिर भी इस मंत्रालय सम्बन्धी तात्कालिक और अनिवार्य जरूरतों पर सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है और प्रतिबन्ध के कारण कोई कठिनाई नहीं है।

भीमवरम (आन्ध्र प्रदेश) में रेलवे ऊपरी पुल

6917. **श्री विजय कुमार राजू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में भीमवरम में एक रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के विचाराधीन पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब से काम शुरू होने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) भीमवरम में समपार सं० 118 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण पहले से ही एक अनुमोदित कार्य है।

(ख) इस ऊपरी सड़क पुल के लिए नक्शों और अनुमानों का राज्य सरकार के साथ मिल कर अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन तथा रेल इंडिया टेक्निकल सर्विसेज द्वारा शुरू की गयी परियोजनायें

6918. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनोमिक सर्विसेज मिमिटेड द्वारा विदेशों में शुरू की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना में कितने भारतीय लगे हैं;

(ग) क्या इन दोनों निगमों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति सम्बन्धी आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है; और

(घ) इन संगठनों ने गत एक वर्ष के दौरान विदेशों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने श्रमिक भेजे हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

विदेशों में चल रही परियोजनाओं के नाम तथा उन परियोजनाओं में लगी भारतीय जनशक्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स)

परियोजना का नाम	लगी हुई जनशक्ति
1. अल्जीरिया	
(i) अल-खरौब-बौडचेकूफ लाइन का इंजीनियरी अध्ययन	5
(ii) एइन-टौटा/एम, साइल का निर्माण पर्यवेक्षण	2
2. इराक	
(i) बगदाद अल-क्वेम अकसात् रेलवे परियोजना के लिए सामान्य इंजीनियरी और रेजीडेन्ट इन्जीनियरी सेवाएं	47
(ii) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत तकनीकी और आर्थिक सेवाएं	32
(iii) इराकी रिपब्लिक रेलवे को अभिकल्प और सामान्य इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करना	3
(iv) बगदाद विन्यास यार्ड सर्वेक्षण	2
3. इथोपिया	
(i) इथोपिया में आदिस अबाबा से असाब तक तकनीकी एवं आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन	21
4. जौर्डन	
(i) सुवाह्य एसलिरोमीटर द्वारा रेलपथ की निगरानी पर एकीकृत परामर्श संविदा	58
(ii) अकाबा रेलवे कार्पोरेशन के लिए रेलपथ सामग्री का निरीक्षण	2
5. जाम्बिया	
( ) तकनीकी और व्यवसायिक सेवाओं में सहायता प्रदान करना	9
(ii) छिप्पटा-मर्किजी रेल लाइन के लिए सेवाएं प्रदान करना	2
6. घाना	
घाना रेलवे के कार्य निष्पादन के पुनः स्थापन और सुधार के लिए परामर्श सेवाएं	19
7. मोजाम्बिक	
(i) रेलों के सक्रियकरण और सुदृढ़ीकरण में प्रबंध और व्यावसायिक सेवाएं	7

8. श्रीलंका

(i) रेल कारखाने आदि में सुधार के लिए परामर्श सेवाएं 81

9. जिम्बाब्वे

(i) जिम्बाब्वे की नेशनल रेलों के अनुरक्षण और परिचालन में सहायता 349

इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि०

1. इराक

(i) सिगनल और दूरसंचार सम्बन्धी निर्माण कार्यों सहित मुसायेब-कर्बला-समावा रेलवे परियोजना के खंड 3 और 4 का निर्माण 376

(ii) अल-मुथाना में सीमेंट फैक्टरी के लिए उच्च गति शाखा लाइन का निर्माण 130

2. अल्जीरिया

(i) सैदा में सीमेंट संयंत्र के लिए रेल सुविधाओं की व्यवस्था 92

(ii) बेनीसेफ में सीमेंट संयंत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानक आमान की रेल लाइन का निर्माण 36

3. सऊदी अरब

(i) दम्माम में बड़े अनुरक्षण कारखाने का विस्तृत अभिकल्प और निर्माण 59

भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल में वर्ष 1984 में शिलान्यास करना

6919. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1984 में तत्कालीन रेल मंत्री ने कितने शिलान्यास किये थे;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 18.

(ख) 1. मालदा में रे० सु० बल प्रशिक्षण केन्द्र —पूरा हो गया ।

2. मालदा में लखनसेन आउटडोर स्टेडियम —पूरा हो गया है ।

3. मालदा में हुसैन शाह इंडोर स्टेडियम —पूरा हो गया ।

4. मालदा में रेलवे अस्पताल —पूरा हो गया ।

5. मालदा में रेल सेवा आयोग कार्यालय —पूरा हो गया ।

6. खालतिपुर खादी प्रशिक्षण केन्द्र —पूरा हो गया ।

7. मालदा में मंडल कार्यालय भवन —कार्य प्रगति पर है ।

8. मांझेरहाट तरणताल काम्पलैक्स—पूर्व, दक्षिण पूर्व और मेट्रो रेलवे की लागत भागेदारी के आधार पर 9 सितम्बर, 84 को आधारशिला रखी गयी ।

9. सियालदह—बी० आर० सिंह अस्पताल—हृदय रोग चिकित्सा के लिए अतिरिक्त सुविधाएं 26 अक्तूबर, 1984 को आधारशिला रखी गयी ।

10. बालीगंज और दमदम जंक्शन के बीच कांकरगाछी कार्ड पर सर गुरुदास बंद्योपाध्याय हाल्ट स्टेशन—26 अक्तूबर, 1984 को आधारशिला रखी गयी ।

11. सियालदह उपनगरीय काम्पलैक्स : 27 अक्तूबर, 1984 को आधारशिला रखी गयी ।

12. हवड़ा उपनगरीय काम्पलैक्स : 27 अक्तूबर, 1984 को आधारशिला रखी गयी ।

13. मालदा में कंक्रीट संयंत्र डिपो की स्थापना : 14.11.84 को आधारशिला रखी गयी ।

14. तामलुक-दीघा नयी रेल लाइन का निर्माण—4.5.85 को आधारशिला रखी गयी ।

15. रेलवे स्टेशन भवन : दीघा रेलवे स्टेशन के लिए 11.9.84 को आधारशिला रखी गयी ।

16. सिलीगुड़ी टाउन का परिहार करते हुए सिलीगुड़ी जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी तक विशाखन लाइन—10.7.84 को आधारशिला रखी गयी ।

17. सिलीगुड़ी टाउन में प्रतीक्षा हाल, साइकिल स्टैंड की व्यवस्था करके बुकिंग कार्यालय का विस्तार—पूरा हो गया ।

18. मालदा टाउन में स्नेहक तेल फिलटर विनिर्माण संयंत्र—20.10.84 को आधारशिला रखी गयी ।

(ग) और (घ) भाग 'ख' की मद संख्या 1 से 6 पूरी हो गयी है । मद संख्या 7 में 80% प्रगति हुई है ।

मद संख्या 8 : 85-86 में प्रस्ताव को कार्य रूप नहीं दिया जा सका ।

मद संख्या 9 : कार्य अनुमोदित हो गया है । आर० सी० बोर्ड पाये की नीव का काम प्रगति पर है ।

मद संख्या 10 : 17 जनवरी, 1985 को स्टेशन खोल दिया गया ।

मद संख्या 11 : संसाधनों की तंगी के कारण अनुमोदित नहीं हुआ ।

मद संख्या 12 : सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया है ।

मद संख्या 13 : निजी फर्मों से मालदा क्षेत्र में कंक्रीट स्लीपरों की सप्लाई के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करने का प्रस्ताव है ।

मद संख्या 14 और 15 : तामुलुक-दीघा लाइन के निर्माण के लिए योजना आयोग अभी सहमत नहीं हुआ है ।

मद संख्या 16 : सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी तक विशाखन लाइन के लिए राज्य सरकार ने अभी तक लागत में भागीदारी के लिए अपनी सहमति नहीं दी है।

मद संख्या 17 : पूरा हो गया है।

मद संख्या 18 : काम ठप्प है।

नई दिल्ली और गोरखपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाना

6920. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और गोरखपुर के बीच यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार नई दिल्ली और गोरखपुर के बीच एक नई गाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसाधनों अर्थात सवारी डिब्बों और डीजल रेल इंजनों की कमी के कारण।

मासिक धर्म नियमन पद्धति द्वारा गर्भपात

6921. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मासिक धर्म नियमन पद्धति द्वारा गर्भपात सर्वाधिक स्वच्छ, किफायती और शीघ्र होता है;

(ख) मुफस्सिल क्षेत्रों में कितने प्रतिशत अस्पताल इस प्रकार के उपस्करों से लैस हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि सभी अस्पताल इनसे लैस हों ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) छः सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के लिए मासिक धर्म नियमन एक अच्छा जाना-माना तरीका है। यह एक आसान तथा कम लागत की विधि है। अधिकांश सरकारी अस्पतालों में मासिक धर्म नियमन की सुविधायें उपलब्ध हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सभी सरकारी अस्पतालों में इस सुविधा का विस्तार करें।

हावड़ा-हल्दिया सैक्शन पर मतानगिरी एक्सप्रेस तथा दीघा के लिए सम्पर्क बस-सेवा की व्यवस्था

9622. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-हल्दिया सेक्शन पर दीघा के लिये सम्पर्क बस सेवा सहित मतानगिरी एक्सप्रेस की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस गाड़ी से दैनिक औसत आय क्या थी; और

(घ) दीघा के लिए सम्पर्क बस सेवा से दैनिक औसत आय क्या थी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) यात्रियों की संख्या बहुत कम होने के कारण हवड़ा और तामलुक के बीच मतानगिरि एक्सप्रेस गाड़ी, बस सेवा सहित बन्द कर दी गयी है ।

(ख) गाड़ी-वार आमदनी के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) सम्पर्क बस सेवा की दैनिक औसत आय 270 रुपये थी ।

केरल में रेल लाइनों का सर्वेक्षण

6923. श्री के० मोहनदास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में नई रेल लाइनों के लिए कितनी बार सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) ऐसी कितनी लाइनें स्वीकृत की गई हैं और कितने मामलों में कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) इन लाइनों के सम्बन्ध में निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) दो—

(i) अलेप्पी-कायनकुलम

(ii) त्रिचूर-कुट्टीपुरम (अद्यतन)

(ख) एक अर्थात अलेप्पी से कायनकुलम् तक बड़ी लाइन का विस्तार अनुमोदन किया जा चुका है ।

(ग) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करना

[हिन्दी]

6924. श्री विजय कुमार यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में केन्द्रीय सरकार की सहायता से 80 करोड़ रुपये की लागत पर इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिवगंत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके निर्माण कार्य की स्थिति क्या है; और

(घ) इसके तेजी से निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार सरकार द्वारा पटना में इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जा चुका है। भारत सरकार ने इस संस्थान को कोई वित्तीय सहायता देने का वचन नहीं दिया है ।

(ख) भारत के राष्ट्रपति ने 12 फरवरी, 1983 को इस संस्थान का शिलान्यास किया था।

(ग) यह सूचित किया गया है कि इस संस्थान को अलाट की गई भूमि पर 60,000 वर्ग फुट बने हुए क्षेत्र का पहले ही नवीकरण किया जा चुका है तथा 15 अगस्त, 1984 से जठरान्त्र रोग ज्ञान, जीव-चिकित्सीय परीक्षण, विकिरण विज्ञान, अलटरा साउंड ग्राफी तथा एण्डोस्कॉपिक संबंधी सेवाएं देनी प्रारम्भ कर दी हैं। रुड़की विश्वविद्यालय, जो इस संस्थान के भवन अस्पताल आवास स्थान आदि का निर्माण करने संबंधी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा राज्य सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस निर्माण कार्य को पूरा करने का विचार है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

यात्री किरायों में असमानता

[अनुवाद]

6925. **श्री उत्तम राठौर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में एक समान दूरी के लिए यात्री किरायों में असमानता है; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के जारी रहने का औचित्य क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) यात्री किराये सामान्यतः, यात्रा के मार्ग की वास्तविक दूरी के आधार पर निश्चित किये गये हैं। तथापि, कुछ खंडों पर जैसे पर्वतीय खंडों पर, परिचालन की अधिक लागत की आंशिक पूर्ति के लिए प्रभार्य दूरियों को उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है ।

सत्यनारायणपुरम् रेल-पथ हटाया जाना

6926. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा नगर निगम के नगरपाल ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री को, जब वह 23 मार्च, 1984 की विजयवाड़ा यात्रा पर गई थीं, एक ज्ञापन दिया था जिसमें विजयवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में सत्यनारायणपुरम रेल पथ को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया था जो कि अब इस्तेमाल में नहीं आता है क्योंकि रेलगाड़ियां पहले ही बिछाई जा चुकी दूसरी रेल लाइन पर चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या उसकी महत्ता और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे का विचार उक्त रेल लाइन को हटाने का है और वह स्थान निगम को सौंपने का है ताकि उसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 से मिलाया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सत्यनारायणपुरम के निकट मौजूदा संरेखण पर, जिसे उखाड़ने और भूमि नगरपालिका को सौंपने की मांग की गयी है, प्रत्येक दिशा में प्रतिदिन 14 जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं। वैकल्पिक सुविधाओं का सृजन किये बिना इस संरेखण को उखाड़ना संभव नहीं है। रेलवे ने विजयवाड़ा नगर निगम के अनुरोध तथा लागत पर इस सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण कराया था। वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था करने पर 3.52 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान लगाया गया है और वर्तमान नियमों के अनुसार यह लागत राज्य सरकार/विजयवाड़ा नगर निगम को वहन करनी होगी। राज्य सरकार विजयवाडा नगर निगम द्वारा अनुभाग अनुमोदित कर दिये जाने तथा लागत की राशि जमा करा दिये जाने के बाद ही रेलें इस कार्य को शुरू करेंगीं।

नौवहन कम्पनियों को दी गई सहायता

6927. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक नौवहन कम्पनी को वित्तीय सहायता देती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक नौवहन कम्पनी को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) 31 मार्च, 1985 को प्रत्येक नौवहन कम्पनी के वित्तीय स्रोत क्या थे; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और पत्स्विहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भारत में 72 नौवहन कम्पनियों में से 29 कम्पनियों को एस० डी० एफ० सी० सहायता देती है। एस० डी० एफ० सी० रुपए के ऋण के रूप में और साफौस ऋणों पर ब्याज के बराबर आर्थिक सहायता के रूप में इन नौवहन कम्पनियों को आर्थिक सहायता देती रही है। इन नौवहन कम्पनियों की सूची इन कम्पनियों को पिछले तीन साल के रुपए के रूप में दिए गए ऋणों और उनके द्वारा प्राप्त की गई साफौस संबंधी आर्थिक सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) एस० डी० एफ० सी० द्वारा सहायता प्राप्त कम्पनियों के संबंध में ऋण साम्य पूंजी का अनुपात विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक साफौन्स के अंतर्गत एस० डी० एफ० सी० द्वारा विभिन्न नौवहन कम्पनियों को दी गई आर्थिक सहायता ।

क्र० सं०	नौवहन कम्पनी का नाम	साफौंस के अन्तर्गत एस० डी० एफ० सी० द्वारा दी गई आर्थिक सहायता			एस० डी० एफ० सी० द्वारा रुपये के रूप में दिया गया ऋण		
		1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मै० इस्सर बल्क कैरियर्स लि० (न्यू इस्सर शिपिंग कं० लि०)	65.29	154.65	48.05	291.50	579.05	578.84
2.	मै० गरवारे शिपिंग कं० लि०	21.35	19.10	—			
3.	मै० स्टीमलाइन शिपिंग कं० लि०	1.25	—	—			
4.	मै० दक्कन शिपिंग कं० लि०	—	—	—			
5.	मै० सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कं० लि०	29.18	41.75	27.95			
6.	मै० डैम्पो स्टीमशिप लि०	1.79	—	—			
7.	मै० तुलानी शिपिंग कं० लि०	6.16	16.62	15.70	—	90.12	180.16
8.	मै० पंचशील शिपिंग कं० लि०	—	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	मै० शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	371.23	1100.86	775.89			
10.	मै० चौगुल्ले स्टीमशिप्स लि०	52.26	83.12	58.66	—	—	381.88
11.	मै० इंडओशनिक शिपिंग कं० लि०	5.78	3.82	—	—	70.24	69.44
12.	मै० इंडिया स्टीमशिप्स लि०	19.26	—	—			
13.	मै० सुरेन्द्र ओवरसीज लि०	57.75	95.13	76.20	123.14	—	—
14.	मै० हिनंगो लाइन्स लि०	1.39	1.45	1.73			
15.	मै० सागर शिपिंग कं० लि०	41.53	53.30	—			
16.	मै० कर्नाटका शिपिंग कं० लि०	7.01	0.95	5.00			
17.	मैं० मुगललाइन लि०	55.87	10.31	114.73			
18.	मै० साउथ इंडिया शिपिंग कारपो० लि०	—	77.26	44.60	—	90.12	381.88
19.	मै० वरुण शिपिंग कं० लि०	—	1.71	6.70			
20.	मै० हेडे नेवीगेशन कं० लि०	—	9.48	10.94			
21.	मै० रत्नाकर शिपिंग कं० लि०	—	—	118.64			
	कुल :	737.10	1669.65	1302.87	414.64	739.41	1296.69

*ऊपर दिखाए गए आंकड़े एस० डी० एफ० सी० द्वारा भुगतान की गई राशि से संबंधित है, इनमें शिपिंग कम्पनी पर बकाया राशि में समायोजित की गई राशि शामिल नहीं है।

विवरण-II

एस० डी० एफ० सी० द्वारा सहायता प्राप्त कम्पनियों के संबंध में ऋण साम्यपूंजी के अनुपात की स्थिति

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	ऋण साम्यपूंजी अनुपात	निम्नलिखित तारीख को*
(I)	**जिन कम्पनियों का ऋण साम्यपूंजी में है का अनुपात निर्धारित सीमा**		
1.	मै० चौगले स्टीमशिप लि०	5.98:1	31.3.1984
2.	मै० ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कं०	1.40:1	30.6.1984
3.	मै० मंगला बल्क कैरियर्स लि०	5.66:1	31.12.1983
4.	मै० तोलानी शिपिंग कं० लि०	3.07:1	31.5.1983
5.	मै० गरवारे शिपिंग कापोरेशन लि०	3.56:1	30.9.1983
6.	मै० साउथ इंडिया शिपिंग कार्पोरेशन	1.38:1	31.7.1983
7.	मै० इस्सर बल्क कैरियर्स लि०	5.65:1	31.3.1983
(II)	**कम्पनियां जिनका ऋण साम्यपूंजी अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक है**		
1.	मै० ठाकुर शिपिंग कं० लि०	6.36:1	31.3.1983
2.	मै० दामोदर बल्क कैरियर्स लि०	129.94:1	31.3.1984
3.	मै० निर्वाण शिपिंग लि०	6.95:1	31.7.1983
4.	मै० शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	6.06:1	31.3.1983
5.	मै० सिंधिया स्कीम नेवीगेशन कं० लि०	6.13:1	30.6.1983
6.	मै० वरुण शिपिंग कं० लि०	17.12:1	31.3.1984
7.	मै० हिनेन्गो लाइन्स लि०	36.99:1	31.3.1983
(III)	**कम्पनियां जिनकी कोई साम्यपूंजी नहीं है**		
1.	मै० सुरेन्द्र ओवरसीज लि०	शून्य	31.12.1983
2.	मै० मुगल लाइन लि०	शून्य	31.3.1984
3.	मै० इंडिया स्टीमशिप कं० लि०	शून्य	31.3.1984
4.	मै० रत्नाकर शिपिंग कं० लि०	शून्य	31.3.1984
5.	मै० सेवनसीज ट्रांस्पोर्टेशन लि०	शून्य	31.12.1983
6.	मै० इंडोशनिक शिपिंग कं० लि०	शून्य	31.12.1983
7.	मै० हेडे नेवीगेशन लि०	शून्य	31.8.1983
8.	मै० स्टीम लाइन शिपिंग कं० लि०	शून्य	30.6.1983
9.	मै० डैम्पो स्टीमशिप लि०	शून्य	30.6.1983
10.	मै० डक्कन शिपिंग लि०	शून्य	30.6.1983

*31.3.85 की अद्यतन स्थिति उपलब्ध नहीं है।

त्रिचूर-मंजेसवरम और पालघाट-त्रिवेन्द्रम के बीच रेल फाटक

6928. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिचूर और मंजेसवरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 17 और पालघाट और त्रिवेन्द्रम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 47 पर कितने रेल फाटक हैं;

(ख) क्या सरकार को त्रिचूर और मजेश्वरम के बीच बढ़ते हुए सड़क यातायात और इन रेल फाटकों के कारण होने वाली कठिनाइयों और विलम्ब की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) त्रिचूर और मंजेश्वरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 17 पर 11 समपार तथा पालघाट और तिरुवनन्तपुरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 47 पर एक समपार है।

(ख) और (ग) रेलें मौजूदा व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण का काम लागत में भागीदारी के आधार पर राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से करती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 17 पर समपार संख्या 168 के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य को पहले ही 1985-86 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है। चार अन्य समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था करने के प्रस्तावों की राज्य सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से जांच की जा रही है।

मैसर्स ए० एच० व्हीलर को पास जारी किया जाना

6929. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को वातानुकूलित (ए० सी०) प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी के कितने मानार्थ पास जारी किए गए;

(ख) क्या यह सच है कि, इन मानसूचक पासों को जारी करने का प्रावधान मूल ठेके में सम्मिलित नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो ठेके के नवीकरण के बाद मानसूचक पास जारी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को पास जारी करने की क्या आवश्यकता है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को कोई मानार्थ पास जारी नहीं किए गए हैं। बहरहाल, इन्हें निम्नलिखित संख्या में यात्रा पास जारी किए गए है :—

वातानुकूल	पहला वर्ग	दूसरा वर्ग
कोई नहीं	29	29

(ख) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के साथ हुए पहले के करारों में पास जारी किए जाने की व्यवस्था थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यात्री जनता के लिए बुक स्टालों का कुशल एवं संतोषजनक ढंग से प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी को बुक स्टालों की, जो बहुत सारे स्टेशनों तथा एक से अधिक क्षेत्रीय रेलों पर फैले हुए हैं, कारगर तथा संतोषजनक निगरानी/परिचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए यात्रा पास जारी किए गए हैं ।

केरल में रेलों के विकास के लिए धनराशि

6930. **श्री आई० रामा राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान केरल में रेलों के विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) सातवीं योजना में इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 51.47 करोड़ रुपए ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । तथापि 1985-86 में 6.3 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है ।

राज्यों द्वारा स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपेक्षा

6931. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अनदेखी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्यों ने इस प्रयोजन के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) इस समय 9 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा, दमन और दीव और पांडिचेरी द्वारा लगभग 1600 संस्थानों में प्रतिवर्ष करीब 60,000 छात्रों को +2 स्तर पर 120 व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं । उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ ने भी शैक्षिक सत्र 1985-86 से स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय किया है ।

(ग) और (घ) सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यावसायिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है । इस प्रकार व्यावसायीकरण के लिए निर्धारित निधियों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तीसरे विश्व की महिलाओं के लिए प्रतिबन्धित गर्भ निरोधकों का उपयोग

6932. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय औषधि-कम्पनियां 'डाल्कन शील्ड' नामक खतरनाक और प्रतिबंधित गर्भ-निरोधक लगाने के लिए गिनी-पिग के रूप में तीसरे विश्व की महिलाओं का उपयोग कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति को सुधारने हेतु क्या कार्यवाही की गई है। करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत के औषध नियंत्रक ने "डाल्कन शील्ड" नामक गर्भ-निरोधक के विपणन की अनुमति नहीं दी है। इसलिए यह देश में वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।

शराबखोरी के प्रसार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही

6933. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार देश में तेजी से फैल रही शराबखोरी को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ जैसे दूसरे देशों की तरह युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फैजाबाद जंकशन का विस्तार

[हिन्दी]

6934. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन ने फैजाबाद जंकशन के विस्तार की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) यह कार्यक्रम कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) फैजाबाद स्टेशन पर ब्लाक रेक सम्हलाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 60.32 लाख रुपये की लागत से एक निर्माण कार्य को 1985-86 के बजट में शामिल किया गया है। निर्माण कार्य-क्षेत्र में ब्लाक रेल सम्हलाई साइडिंग, माल की उतराई के लिए भूमि को समतल करना और पहुंच मार्ग का निर्माण शामिल है।

(ग) कार्य का पूरा होना आगामी वर्षों में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के एकक

6935. **श्री निर्मल खत्री : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उत्तर प्रदेश मे अब तक किन-किन स्थानों पर अपने एकक स्थापित किए हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा वास्तव में कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को उस राज्य में स्थित अपने विद्युत एककों से कितनी मात्रा मे विद्युत की सप्लाई की जा रही है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2000 मेगावाट) और रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-एक (1000 मेगावाट) स्थापित कर रहा है।

(ख) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र में अब तक 200-200 मेगावाट की 5 यूनिटें चालू की गई हैं। 1984-85 में बाहर भेजी गई कुल ऊर्जा लगभग 46005 लाख यूनिट थी।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अनुसार 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश ने लगभग 36180 लाख यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया है।

किसान एक्सप्रेस गाड़ी को रोज चलाना तथा उसे उचौली स्टेशन पर रोकना

6936. **श्री निर्मल खत्री : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे की किसान एक्सप्रेस गाड़ी को रोज चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार किसान एक्सप्रैस गाड़ी को रुदौली स्टेशन पर रोकने पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) गर्मी के महीनों के लिए किसान एक्सप्रैस के फेरों को 10-4-85 से सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर 4 दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, किसान एक्सप्रैस के समय पर ही लुधियाना और गोरखपुर के बीच सप्ताह में दो दिन एक ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी चलायी गयी है, इस प्रकार गर्मी के मौसम के दौरान लुधियाना और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच 6 दिन की सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ग) 1-5-1985 से इसकी व्यवस्था कर दी गयी है।

रायगडा, मुनीगड़ा, टीटलागढ़ और केसिंगा रेलवे स्टेशनों (दक्षिणी-पूर्व रेलवे) का विकास

[अनुवाद]

6937. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी-पूर्व रेल के वाल्टेयर मण्डल द्वारा छठी पंचीवर्षीय योजना के किस वित्तीय वर्ष के दौरान रायगडा, मुनीगडा, टीटलागढ़ और कसिंगा रेलवे स्टेशनों के विकास और सुधार का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कार्य के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या रायगड़ा में स्कूल भवन के सुधार, नये भवनों के निर्माण और स्कूल का दर्जा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) 1985-86 की वार्षिक योजना के दौरान रायगडा और केसिंगा रेलवे स्टेशन के बीच प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्य विशेषतः यात्री सुविधायें और कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रायगडा, टिटलागढ़ और केसिंगा रेलवे स्टेशनों पर किये गये सुधार कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) से (ङ) स्कूल की वर्तमान इमारत अच्छी हालत में है और इसका भली-भांति रख-रखाव किया जाता रहा है । स्कूल की इमारत में उपलब्ध स्थान वर्तमान आवश्यकता के लिए पर्याप्त समझा जाता है ।

रायगडा में वर्तमान शैक्षिक सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं और इसलिए रेलवे स्कूल का दर्जा बढ़ा कर इसे उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ।

(च) अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर एक कार्यक्रमबद्ध आधार पर की जाती है । 1985-86 के दौरान इन स्टेशनों पर सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

वर्ष	कार्य का नाम	लागत (लगभग)
1	2	3
(1) रायगडा स्टेशन		
1981-82	साइकिल स्टैंड	25,000 रु०

1	2	3
1982-83	(I) प्रतीक्षा कक्ष और विश्राम कक्ष सुविधाओं में सुधार	60,000 रु०
	(II) ऊपरी पैदल पुल पर छत की व्यवस्था	25,000 रु०
1983-84	आर० सी० सी० बैंचों की व्यवस्था	3,000 रु०
(II) टिटलागढ़ स्टेशन		
1981-82	(I) पैदल पुल पर छत	60,000 रु०
	(II) बुकिंग-एवं-पार्सल कार्यालय का विस्तार	30,000 रु०
	(III) सार्वजनिक उदघोषणा प्रणाली की व्यवस्था	25,000 रु०
1982-83	प्रतीक्षा कक्ष और विभाग कक्ष सुविधाओं में सुधार	60,000 रु०
1983-84	आर० सी० सी० बैंचों की व्यवस्था	3,000 रु०
(III) केसिंगा स्टेशन		
1980-81	चाय स्टाल	16,000 रु०
1981-82	(I) 100 फुट लम्बा छतदार प्लेटफार्म	1,00,000 रु०
	(II) बुकिंग-एवं-पार्सल कार्यालय का विस्तार	50,000 रु०
1983-84	आर० सी० सी० बैंचों की व्यवस्था	2,000 रु०

जनजातीय भाषाओं का विकास

6938. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी भाषायें लिखी और बोली जाती हैं;

(ख) उन जनजातीय भाषाओं/बोलियों, जो अभी केवल बोली जाती हैं, के विकास के लिए सरकार तथा राज्यों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) वे जनजातीय भाषायें कौन-कौन-सी हैं जिनकी अपनी लिपि है; और इनके विकास के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या काफी जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों ने लिखी और बोली जाने वाली जनजाति

भाषाओं के विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं और इन्हें जनजाति छात्रों को पढ़ाने की सूत्रों में व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारत की 1971 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर जिन मातृ भाषाओं के बोलने वालों की संख्या प्रत्येक में 10,000 अथवा इससे अधिक है उनकी संख्या का पता 106 लगाया गया है ।

(ख) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, जो मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, ने भाषाई-वर्णन तथा सामग्री निर्माण के लिए 57 जनजातीय भाषाओं/बोलियों को अपनाया है । राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थाएं भी प्रमुख जनजातीय भाषाओं तथा बोलियों में प्राइमरों तथा अध्ययन-सामग्रियों को तैयार करती है ।

(ग) विवरण संलग्न है जिसमें यह सूचना दी गई है ।

(घ) तथा (ङ) चूंकि जनजातीय भाषाओं सहित क्षेत्रीय भाषाओं की प्रोन्नति तथा विकास राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में सूचना सम्भवत: राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होगी ।

विवरण

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जनजातीय भाषाओं के नाम, जिनकी अपनी-अपनी लिपियां हैं

रोमन लिपि :

मिजोरम की मिजो, मेघालय की खासी तथा गारो, नागालैंड की अओ, अनंगामी, लोथा तथा अन्य नागा भाषाएं, मणिपुर की तंगखुल, माओ, हमार, थडोड तथा अन्य जनजातीय भाषाएं, असम की कर्बी (मिकिर), मिसिग (मिरी) तथा अन्य जनजातीय भाषाएं रोमन में लिखी जाती हैं यद्यपि असम सरकार की नीति है कि उन्हें असमी लिपि में लिखा जाए । अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की कार निकोबरी रोमन में लिखी जाती है यद्यपि सरकार की नीति देवनागरी का प्रयोग करने की है ।

देवनागरी लिपि :

अरुणाचल प्रदेश की आदी, अपातनी, मिश्मी, नोक्ते तथा अन्य भाषाएं, असम की बोदी, मध्य प्रदेश की गोन्डो, हल्बी, बिहार की कुरूख (उरांव) मुन्डारी तथा सन्थाली तथा उड़ीसा की हो ।

बंगला लिपि :

मणिपुर की मैथेई (मणिपुरी) त्रिपुरा की कोक बोरोक (त्रिपुरी), पश्चिम बंगाल की सिन्थाली भी रोमन तथा श्री रघुनाथ मुर्मू द्वारा तैयार की गई एक देशी लिपि ओल चिकी में लिखी जाती है ।

उड़िया लिपि :

उड़ीसा की कुवी, सोरा, हो तथा सन्थाली । श्री मंगल द्वारा तैयार की गई सोरा की भी

एक देशी लिपि भी है। इसी प्रकार हो की भी एक देशी लिपि है।

गुजराती लिपि :

दादरा तथा नगर हवेली की वारली।

फारस-अरबी लिपि :

जम्मू तथा कश्मीर की गोजरी, शिना, बाल्ती तथा बरोस्कत।

तिब्बती लिपि :

ज० व० का० की लद्दाखी, सिक्किम की भूटिया तथा अरुणाचल प्रदेश की मोन्पा।

देशी लिपियां :

सिक्किम की लिम्बु।

तेलुगु लिपि :

आन्ध्र प्रदेश की गोन्डी तथा देसिया।

कन्नड़ लिपि :

कर्नाटक की जेनु कुरूबा, सोलिगा तथा कोडागु और तमिलनाडु की बडागा।

तमिल लिपि :

तमिलनाडु की टुलु, कोटा, बडाग, तथा वक्री बोली।

मलयालम लिपि :

केरल की कुरूबा तथा पनिआन।

पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे :

जनजातीय सहित भारतीय भाषाओं के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत छठी योजना वार्फ के दौरान निम्नलिखित राशियां संस्वीकृत की गई हैं :—

वर्ष	जनजातीय भाषा/बोली	संस्वीकृत राशि (रुपए)
1980-81	सोरा	10,000
1981-82	चकमा	2,403
	मुन्डारी	6,000
	उड़ीसा की 11 बोलियों का समूह	16,000
1982-83	सोरा	10,000
	सन्थाली	14,000
	उड़ीसा की 11 बोलियों का समूह	20,000
1983-84	बोरो	8,148
	उड़ीसा की 11 बोलियों का समूह	30,000
1984-85	उड़ीसा की 11 बोलियों का समूह	20,000
	सन्थाली	14,000
		1,44,551

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान में जनजातीय तथा सीमावर्ती भाषाओं के लिये एक पूर्णरूपेण एकक है जो अनुसंधान तथा सामग्री निर्माण का कार्य करता है।

बाली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफार्म बनाना

6939. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हावड़ा-बर्दवान कार्ड लाइन ट्रेन स्टापेज के लिए पूर्वी रेलवे के बाली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफार्म बनाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) हवड़ा-बर्दवान कार्ड लाइन के लिए बाली में प्लेटफार्म की व्यवस्था करने के काम को 1986-87 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

भीड़ के घंटों के दौरान विखरोली और मुलन्द से बम्बई वी० टी० के लिए गाड़ियां चलाना

6940. **श्री मुरलीधर माने** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भीड़ के घण्टों के दौरान विखरोली से बम्बई वी० टी० और मुलन्द से बम्बई वी० टी० के लिए गाड़ियां चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : जी नहीं।

तुगलकाबाद यार्ड में सैनिक गोलाबारूद ले जा रही मालगाड़ी में आग लगना

6941. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री नारायण चौबे :
श्री धरमपाल सिंह मलिक :
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 अप्रैल, 1985 को तुगलकाबाद स्टेशन के रेलवे यार्ड में एक माल गाड़ी में आग लग जाने के कारण सैनिक गोलाबारूद ले जा रहा एक डिब्बा टुकड़े-टुकड़े हो गया और अन्य डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गये;

(ख) यदि हां, तो इससे कितना नुकसान हुआ और रेल सम्पत्ति को कितनी हानि हुई;

(ग) क्या आग लगने के कारण की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोई तोड़फोड़ किये जाने का सन्देह है; और

(च) रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या निवारक उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 20-4-1985 को तुगलकाबाद विन्यास यार्ड में शंटिंग कार्य के दौरान सैनिक गोला बारूद से लदे माल डिब्बा सं० 28604 में विस्फोट हो गया था जिसके परिणामस्वरूप उसमें आग लग गयी थी। इसके निकटवर्ती एक अन्य माल डिब्बे में भी आग लग गयी थी।

(ख) कोई जन-हानि नहीं हुई। रेल सम्पत्ति को लगभग 83,500 रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) से (ङ) इस दुर्घटना की विभागीय जांच की जा रही है। आग लगने के कारण का, उसके ब्यौरे का तथा इस बात का कि यह किसी तोड़फोड़ का मामला था या नहीं, पता समिति द्वारा रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही लगेगा।

(च) यह जांच समिति के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

दक्षिण-पूर्व के चक्रधरपुर मण्डल में अतिरिक्त यात्री मेल गाड़ियां चलाना

6942. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधर मण्डल में कितनी यात्री रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार के पास चक्रधरपुर मण्डल में कुछ अतिरिक्त यात्री रेल गाड़ी चलाने का एक प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो टाटानगर और बांस पानी के बीच एक यात्री रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 17 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के अलावा 20 जोड़ी यात्री गाड़ियां।

(ख) फिलहाल नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इब घाटी परियोजना के लिए विदेशी सहायता

6943. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में इब चाटी उच्च ताप विद्युत परियोजना के लिए विदेशी सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध किए जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने इब घाटी ताप विद्युत परियोजना के लिए विदेशी सहायता सहित वित्त पोषण के अनेक स्रोतों का प्रस्ताव किया है। परियोजना के वित्त-पोषण के सम्बन्ध में निर्णय योजना आयोग की स्वीकृति के पश्चात ही लिया जा सकता है।

सरकारी निकायों द्वारा आई० टी० सी० लि० को पोत आदि किराए पर देना

6944. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० आई० टी० सी० लि० ने नौवहन व्यापार में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो मै० आई० टी० सी० लि० के स्वामित्व में प्रत्येक पोत का ब्यौरा क्या है और कम्पनी द्वारा पोत किस तारीख से प्राप्त किए गए;

(ग) क्या किसी सरकारी निकाय ने मै० आई० टी० सी० लि० को पोत अथवा मोटर नौकाएं अथवा ट्रालियां किराये पर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं। तथापि उन्होंने 1977 में दो डीप सी ट्रालर खरीदा।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) नौवहन और परिवहन मंत्रालय को किसी सरकारी निकाय द्वारा मैसर्स आई० टी० सी० को कोई जहाज, मोटर बोट या ट्राली किराए पर दिए जाने की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग

[हिन्दी]

6945. **श्री हरीश रावत** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी संख्या में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार दोनों तरफ से यातायात के लिए उसका विभाजन करने और सड़क को विभाजित करने वाली खाली जगहों पर वृक्ष आदि लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और समूचा कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 पर दिल्ली और अमृतसर के बीच यातायात की अधिकता को ध्यान में रखते हुए

झाड़ियों और वृक्षों को लगाने के साथ-साथ चौहरी लेने में विभक्त क्रैरेचवे बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में 270.75 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। काम पूरा होने की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है क्योंकि यह बाद के वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

लखनऊ-पीलीभीत टनकपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6946. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के रेल बजट में लखनऊ-पीलीभीत-टनकपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होकर गुजरने वाली इस महत्वपूर्ण लाइन को कब तक बड़ी लाइन में बदले जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक कमी और भारी वचनबद्धताएं पहले से ही हाथ में होने के कारण इस मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय

6947. **श्री हरीश रावत :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में दिल्ली में कुछ और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ग) क्या इन प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालयों में से कुछ केन्द्रीय विद्यालय यमुना पार की नई कालोनियों में भी खोले जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार यमुना पार क्षेत्र में ए० जी० सी० आर० कालोनी के केन्द्रीय विद्यालय में तत्काल 10+2 कक्षाएं आरम्भ करेगी और उस क्षेत्र के अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में भी दसवीं कक्षा तक की कक्षायें आरम्भ करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) वर्ष 1985-86 में खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या और स्थान बताना इस स्तर पर संभव नहीं है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन नहीं है।

बड़े पत्तनों का औसत क्षमता उपयोग

[अनुवाद]

6948. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पत्तन क्षमता के औसत उपयोग के संबंध में बड़े पत्तनों में असन्तुलन रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बड़े पत्तनों के संबंध में औसत पत्तन क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है,

(ग) कुछ पत्तनों में ऐसे असन्तुलनों तथा क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) भविष्य में पत्तन क्षमता का और अधिक न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये का विचार है तो वे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्तनों की क्षमता का उपयोग इस प्रकार हुआ :—

क्षमता के उपयोग का प्रतिशत

पत्तन	1982-83	1983-84	1984 85
कलकत्ता	82.91	70.73	67.27
हल्दिया	64.06	61.45	73.25
परादीप	54.03	36.55	44.12
विशाखापत्तनम	90.16	91.52	77.07
मद्रास	77.69	82.99	91.41
टूटीकोरिन	65.25	65.14	69.17
कोचीन	104.77	77.53	55.13
न्यू मंगलौर	25.00	39.53	36.34
मुरगांव	80.50	83.34	90.12
बंबई	153.39	149.51	96.0
कांडला	96.93	108.51	77.97
कुल क्षमता का उपयोग	87.49	87.21	78.07

परादीप और न्यू मंगलौर पत्तनों की क्षमता के कम उपयोग का प्रमुख कारण लौह अयस्क के लिए उपलब्ध सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग न किया जाना था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लौह अयस्क बाजार में भारी मंदी रही। बंबई पत्तन ने अपनी क्षमता से अधिक कार्य किया, इसका कारण वहां रेल और सड़क यातायात जैसी आधारभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना और बढ़ाई गई सुविधाओं और जहाज मालिकों तथा शिपर्स को बंबई में सुलभ कराई जाने वाली सुविधाओं के आधार पर उनके द्वारा इसे तरजीह दिए जाने के कारण जहाजों का अधिक संख्या में वहां पर पहुंचना था।

(घ) पत्तनों की क्षमता के उपयोग में असंतुलत को दूर करने की दृष्टि से विभिन्न पत्तनों में युक्ति संगत सरकारी आयात/निर्यात आबंटित करने के लिए इस मंत्रालय की युक्तिसंगत कारगो वितरण संबंधी स्थायी समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में होती है, ताकि उपलब्ध क्षमता के कम उपयोग को घटाया जा सके और अधिक व्यस्त पत्तनों के कार्यभार को यथासंभव कम किया जा सके।

कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर कोयला ढुलाई सुविधाओं का उपयोग

6949. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर कोयला ढुलाई सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर कोयला ढुलाई सुविधाओं का कम उपयोग होने के क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) इन सुविधाओं के उपयोग का औसत स्तर क्या है; और

(घ) कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर कोयला ढुलाई क्षमता उपयोग के सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) कलकत्ता और हल्दिया में उपलब्ध कोयला हैंडलिंग सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। कलकत्ता और हल्दिया में इन सुविधाओं के नियत स्तर से कम इस्तेमाल के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

कलकत्ता :

(i) हुगली में कम गहराई में चलने वाले उपयुक्त कोलियर्स उपलब्ध न होना।

(ii) कोल वैगन की अनियतिम सप्लाई और कोल रेक्स और कोलियर्स के पहुंचने में तालमेल नहीं होना;

(iii) पारम्परिक चार चक्कों के वैगनों का उपलब्ध न होना जो कलकत्ता में केवल मेकेनिकल कोल हैंडलिंग प्लांट द्वारा ही हैंडल किया जा सकता है।

हल्दिया

(i) बार-बार बड़े आकार के कोयले कंकड़ पत्थरों का प्राप्त होने, जो कोल प्लांट में हैंडल करने के लिए अनुपयुक्त हैं और जिससे प्लांट और मशीनरी को क्षति पहुंचती है।

(ii) कोयले की सफाई के कारण समय बेकार होना,

(iii) पर्याप्त संख्या में वैगनों का उपलब्ध न होना,

(iv) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जहाजों का अपर्याप्त/अनियमित रूप से नामित करना,

(ग) कलकत्ता और हल्दिया में उसकी क्षमता के उपयोग का औसत स्तर क्रमशः 20 प्रतिशत और 50 प्रतिशत है।

(घ) कलकत्ता पत्तन न्यास ने नौवहन महानिदेशालय और इंडियन कोस्टल कान्फ्रेंस के साथ कलकत्ता से कोयला लाने ले जाने के लिए अधिक संख्या में जहाजों के उपलब्ध कराने का मामला उठाया है। हल्दिया में कोल हैंडलिंग क्षमता के विस्तार के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं जिसमें मौजूदा कोल हैंडलिंग प्लांट का आधुनिकीकरण, और हैंडलिंग प्लांट को कोल हैंडलिंग के लिए बदलना, तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा नियमित रूप से जलयानों का नामित किया जाना, कोयला खानों से उचित आकार के कोयला का भेजा जाना, आदि शामिल हैं। दैनिक रूप से कार्य क्षमता पर नजर रखी जाती है और कमियों को दूर किया जाता है।

"न्यू होप फार अस्थमा पेसेन्ट" शीर्षक समाचार

6950. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1985 "इंडियन एक्सप्रेस" में न्यू होप फार पेसेन्ट्स अस्थमा शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नये उपकरण का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में भी उक्त उपकरण को उपयोग में लाया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और अस्पताल के रोगियों को इस रोग से किस सीमा तक राहत मिलेगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) मिनिपीक फ्लो मीटर एक सरल उपकरण है जिसे अब भारत में विकसित कर लिया गया है और बाजार में उपलब्ध है। यह अस्थमा के रोगियों में श्वास लेने में रुकावट की गम्भीरता को रिकार्ड करने में सहायक होता है। यह रोग का उपचार नहीं करता बल्कि इलाज की प्रभावकारिता को रिकार्ड करने का एक उपकरण मात्र है।

(ग) और (घ) भारत में अनेक वक्ष केन्द्रों और क्लीनिकों के पास रोगियों के सांस की रुकावट का जायजा लेने के लिए उपकरण (अधिकतर आयातित) उपलब्ध हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, इन उपकरणों से दमे का इलाज नहीं किया जाता। ये उपकरण रोग की गम्भीरता का मूल्यांकन करने और उपचार की प्रभावकारिता का समय-समय पर पता लगाने में चिकित्सक की सहायता करते हैं।

सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए संस्थागत वित्तीय व्यवस्था

6951. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का कुछ सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सवगठित विद्युत उत्पादन निगम के माध्यम से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से संस्थागत वित्तीय सहायता लेने का विचार है;

(ख) क्या पहले भी कुछ अन्य विद्युत परियोजनाओं के लिए इस प्रकार की संस्थागत वित्तीय सहायता ली गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्तावित तालचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र, उड़ीसा के लिए इसी प्रकार की संस्थागत वित्तीय सहायता लेने का विचार है; और

(घ) इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) हाल ही में किसी विद्युत उत्पादन निगम का गठन नहीं किया है ।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की किसी भी परियोजना के लिए आई० डी० बी० आई० की सहायता नहीं ली गई है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मंचेश्वर रेलवे वर्कशाप, उड़ीसा

6952. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंचेश्वर रेलवे वर्कशाप, उड़ीसा पर कितनी अनुमानित लागत आई है;

(ख) क्या उक्त वर्कशाप पूरी तरह काम करने लगी है;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) स्वीकृत अनुमानित लागत 18.15 करोड़ रुपये है ।

(ख) से (घ) शुरू में इस कारखाने को अप्रैल, 83 में सवारी डिब्बों की संक्षारण मरम्मत के लिए चालू किया गया था और आवधिक ओवरहाल के बाद फरवरी, 84 में पहली बार सवारी डिब्बे बाहर निकले थे । सवारी डिब्बों के आवधिक ओवरहाल के निष्पादन का वर्तमान स्तर प्रति कार्य-दिवस दो यूनिट (चौपहिया) हैं । सातवीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त साधन सामग्री जुटाकर इस कारखाने की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करके प्रति दिन आठ यूनिट की जायेगी बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

सातवीं योजना में उड़ीसा में बिजली उत्पादन

6953. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सातवीं योजनावधि के दौरान उड़ीसा में विद्युत

उत्पादन के संबंध में कोई पुनरीक्षित अनुमान लगाया है; और

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बिजली उत्पादन का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में बारहवीं विद्युत संरक्षण समिति ने उड़ीसा के संबंध में विद्युत उत्पादन का मूल्यांकन किया था। क्षमता में वृद्धि, संयंत्रों की उपलब्धता और समुपयोजन के मानदण्डों, केन्द्रीय क्षेत्र और अन्य परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों आदि जैसे पहलुओं के आधार पर युटिलिटीज में ऊर्जा की उपलब्धता 7839 मिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है।

परसुराम एक्सप्रेस में डिब्बों का कम किया जाना

6954. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चलने वाली परसुराम एक्सप्रेस रेल गाड़ी में डिब्बों की संख्या सोलह से घटाकर ग्यारह कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उस गाड़ी में दिन-प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सवारी डिब्बों की संख्या पुनः सोलह करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) ये पहले से ही 16 सवारी डिब्बों सहित चलायी जा रही हैं।

कर्नाटक स्थित गुलबर्ग विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करने का प्रस्ताव

6955. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित गुलबर्ग विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करने का कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) 1980 में स्थापित गुलबर्ग विश्वविद्यालय को वि० अ० आ० अधिनियम 1956 की धारा 12-ख के अंतर्गत, आयोग से सहायता प्राप्त करने के लिए वि० अ० आ० द्वारा अभी योग्य घोषित किया जाना है। आयोग ने विश्वविद्यालय को योग्य घोषित किए जाने से पूर्व इसके अधिनियम में कुछ संशोधनों के सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर राज्य सरकार के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है। विश्वविद्यालय को कोई अनुदान संस्वीकृत करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है, जब विश्वविद्यालय को इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित किया जाए।

सामुदायिक सहायता और प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को दी गई सुविधायें

6956. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में "सामुदायिक सहायता और प्रायोजित कार्यक्रम" शुरू किया गया है और यदि हां, तो कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं;

(ख) इसके अन्तर्गत एक वर्ष में कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी इस कार्यक्रम को लागू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में रेलवे जोन की स्थापना

[हिन्दी]

6957. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के लोगों को रेलवे में रोजगार देने तथा राज्य में रेलवे सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से बिहार जोन की स्थापना करने की मांग बहुत समय से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां । बिहार में एक नया जोन बनाने की मांग, रेल सुधार समिति के विचारार्थ भेजी गयी थी । समिति से सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक करने के बाद इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है ।

नई रेल लाइन परियोजनाएं

[अनुवाद]

6958. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किसी नई रेल लाइन परियोजना को वर्ष 1985-86 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, जोनवार, ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले वर्ष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1985-86 में चल रही परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन कम कर दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की

गई सभी परियोजनाएं सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी कर दी जाती हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) यद्यपि 1984-85 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल नई लाइन की किसी नई परियोजना को 1985-86 के बजट में छोड़ा नहीं गया है, तथापि उत्तर रेलवे में कालका-परवानू (टिपरा) नयी लाइन (4.3 कि० मी०) के लिए चल रहे काम को हिमाचल प्रदेश सरकार के कहने पर बन्द कर दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः चालू कार्यों का पूरा होना सातवीं योजना में सुलभ कराये गये संसाधनों पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश को तकनीकी सहायता

6959. **श्री बी० सोभनाद्रीसवरा राव : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय जल आयोग को यह निदेश देने का विचार है कि वह आन्ध्र प्रदेश सरकार को "पुलीचिन्ताला बैलेंसिंग रिजरवायर" के संबंध में जांच, आयोजना, डिजाइन, वित्तीय विश्लेषण के बारे में विश्व बैंक के मानदंडों और मानकों के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन और पहिचान प्रतिवेदन तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन दे, ताकि विजयवाड़ा में कृष्णा बांध के अन्तर्गत 130 वर्ष पुराने 13 लाख एकड़ आयकर के तटीय अधिकारों की रक्षा की जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने "पुलीचिन्ताला बैलेंसिंग रिजरवायर प्रोजेक्ट" को विश्व बैंक सहायता की कड़ी में जोड़ने हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा है। अतः विश्व बैंक के मानदंडों और मानकों के अनुसार परियोजना रिपोर्ट एवं अभिनिर्धारण-रिपोर्ट तैयार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को वित्त प्रदान करने की योजना

6960. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में महिलाओं के लिए नए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को वित्त प्रदान करने की योजनाएं समाप्त कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना को जारी रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह योजना अभी जारी है।

नौवहन के बारे में भारत-सोवियत समझौता

6961. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और सोवियत संघ के बीच नौवहन के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच नौवहन के सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नौवहन पर भारत-सोवियत संयुक्त समिति के 7वें अधिवेशन की समाप्ति पर 12-4-1985 को एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किया गया था ।

(ख) और (ग) किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं :—

(1) दोनों देशों के पत्तनों में भारतीय और सोवियत जहाजों के कुल समय में सुधार संबंधी आगे के उपायों पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई ।

(2) वर्ष 1984 के दौरान सामान्य रूप से माल उठाने और आय में समानता को बनाए रखने पर दोनों पक्षों ने संतोष जाहिर किया ।

(3) भारतीय पत्तनों पर सोवियत टैंकरों की देरी में कमी लाने के उद्देश्य से सोवियत पक्ष से छोटे-छोटे टैंकरों के इस्तेमाल का अनुरोध किया गया ।

(4) उर्वरक, चावल, सल्फर और तेल केवल की चार्टर या अन्य शर्तों के बदले लाइनर आधार पर ढोते रहने के लिए सहमति व्यक्त की गई ।

(5) काला सागर के रास्ते भारत के अफगानिस्तान को जहाज से भेजे जाने वाले कार्यों को भी बराबरी में शामिल किया गया ।

(6) बिलम्ब शुल्क/चावल के लदान के डिस्पैच से सम्बन्धित बकाया दालों और उर्वरकों के पहले लदान की कमी के दावों के सम्बन्ध में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि प्राप्तकर्ता और खरीददार एक दूसरे से सम्पर्क करें और मामले को निपटाएं ।

(7) दोनों पक्षों ने नोट किया कि मार्ग में कार्गो में होने वाली क्षति को कम करने के लिए पैकेंजिंग में सुधार करना आवश्यक है ।

(8) सोवियत पक्ष तीसरे देश के कार्गो-आबंटन में तीसरे देश के जहाजों की अपेक्षा भारतीय जहाजों को तरजीह देने पर सहमत हुआ ।

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी और मैसर्स हैगिम बाथम एण्ड कम्पनी को बुक स्टालों का आबंटन

6962. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी और मैसर्स हैगम बाथम एण्ड कम्पनी

को 1 जनवरी, 1985 से 9 वर्ष के लिए प्रत्येक को 275 रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों का ठेका दिया गया है;

(ख) क्या इन्हीं रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न किस्मों के अन्य विक्रेताओं को तीन साल के लिए ठेके दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस तरह के भेद-भाव के क्या विशिष्ट कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार वर्तमान विक्रेताओं में असमानता को दूर करने हेतु सभी विक्रेताओं को तीन वर्ष अथवा नौ वर्ष के लिये एक समान ठेके देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स हिग्गिन बाथम एण्ड कम्पनी के क्रमशः 265 तथा 48 स्टेशनों के प्रत्येक बुक स्टाल ठेके का 1-1-1985 से अगली नौ वर्ष की अवधि के लिए केवल नवीकरण किया गया है।

(ख) रेलों पर खानपान/वेंडिंग ठेके पहले 3 वर्ष की अवधि के लिए आबंटित किये गये थे। इन ठेकों की कार्य अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने के लिए एक नीति-विषयक निर्णय लिया गया है जो ठेकों के अगले नवीकरण/नये आबंटन से प्रभावी होगा।

(ग) 1967 से पूर्व मैसर्स एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स हिग्गिनबाथम के बुक स्टाल ठेकों की कार्य अवधि अन्य बुक स्टाल ठेकेदारों की तरह पांच वर्ष की थी, लेकिन उनके करार में एक "स्वतः नवीकरण" खंड की व्यवस्था थी। "स्वतः नवीकरण" खंड, जिससे ये ठेकेदार रेलों पर अन्यथा स्थायी हो जाते, को समाप्त करने का विनिश्चय किये जाने के फलस्वरूप इस मामले में केन्द्रीय विधि मंत्रालय के परामर्श से इन ठेकेदारों से बातचीत की गई थी जो 9 वर्ष की लम्बी कार्य-अवधि दिये जाने की शर्त पर अपने करार में दिये गए उपर्युक्त खंड को समाप्त किये जाने के लिए राजी हो गये थे।

(घ) जी नहीं।

टेलीविजन के माध्यम से उच्च शिक्षा कार्यक्रम

6963. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रायोजित कार्यक्रम टेलीविजन पर रिले करने के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक सीधे कार्यक्रम ग्रहण करने वाले कुल कितने सेट स्थापित किए गए हैं और किन-किन स्थानों पर उन्हें स्थापित किया गया है;

(ग) सितम्बर, 1984 में समाप्त होने वाली अवधि तक इस पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(घ) अब तक कितने विषयों को इसके अन्तर्गत शामिल किया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इनसैट 1-बी० तथा दूरदर्शन नैट वर्क के माध्यम से उच्च शिक्षा पर कार्यक्रम का एक घंटे का प्रसारण 15 अगस्त, 1984 से प्रारम्भ हुआ था।

यह कार्यक्रम अपराह्न 12.45 बजे तथा अपराह्न 1.45 बजे के बीच प्रसारित किए जाते हैं। अपराह्न 4.00 बजे तथा अपराह्न 5.00 बजे के बीच इन कार्यक्रमों का पुन: प्रसारण लोकप्रिय मांग होने पर 16 फरवरी, 1985 से प्रारम्भ हुआ था। इस समय इन कार्यक्रमों के प्रसारण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित माध्यम केन्द्रों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम तथा देश और विदेश के अन्दर अन्य एजेन्सियों से प्राप्त कार्यक्रम शामिल हैं। जून, 1985 के अन्त तक प्रसारण के लिए कार्यक्रम पहले ही पुटित किए जा चुके हैं।

(ख) इन कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए सीधा रिसेप्शन सैट विश्वविद्यालयों और कालेजों में नहीं लगाये गये हैं। क्योंकि दूरदर्शन ट्रांसमीटर द्वारा इन प्रसारणों को इनसैट 1-बी के माध्यम से रिले किया जाता है, अत: दूरदर्शन ट्रांसमीटर की रैंज के अन्दर सभी कालेजों/विश्वविद्यालयों की सामान्य (वी० एच० एफ०) रंगीन टी० वी० रिसीवर्स की प्राप्ति के लिए आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) माध्यम केन्द्रों के विकास के लिए दिसम्बर, 1984 तक स्वीकृत कुल अनुदान 1.53 करोड़ रुपये के हैं।

(घ) इस समय प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं के किसी विशिष्ट भाग से सम्बद्ध नहीं हैं। इन कार्यक्रमों का स्वरूप व्यापक ज्ञान और जागरूकता प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों से सम्बन्धित समृद्धशाली कार्यक्रमों जैसा है।

राजधानी में गैर-सरकारी रक्त बैंक

6964. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में निजी नियंत्रण के अधीन कितने रक्त बैंक काम कर रहे हैं और कब से;

(ख) क्या सरकार यह देखने के लिए पर्याप्त कदम उठाती है कि

(एक) रक्त की किस्म अपेक्षित प्रकार की है;

(दो) इसे उचित प्रकार से रखा जाता है;

(तीन) इसे नियंत्रित मूल्यों पर बेचा जाता है;

(चार) रक्तदाता पेशावर नहीं है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें इन बैंकों द्वारा उपलब्धता कराया गया रक्त रोगियों के लिए जान-लेवा सिद्ध हुआ और सरकार ने कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्र शासित प्रदेश, दिल्ली में प्राइवेट नियंत्रणाधीन ब्लड बैंकों के नाम उन्हें जारी किये गए लाइसेंस की तारीख सहित इस प्रकार हैं :

ब्लड बैंक का नाम	लाइसेंस जारी करने की तारीख
1. ब्लड बैंक आर्गनाइजेशन, पूसा रोड, नई दिल्ली	29/4/1961
2. ब्लड ट्रांसफ्यूजन सैंटर, हनुमान रोड, नई दिल्ली	3/3/1964

3. साउथ एंड ब्लड बैंक, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	14/7/1980
4. सुनील ब्लड बैंक, वजीर नगर, नई दिल्ली	10/2/1983
5. जी० के० मेडिकल सैंटर, ग्रेटर कैलाश पार्ट-2, नई दिल्ली	23/6/1984

(ख) जी, हां। यह देखने के लिए कि रक्त अपेक्षित किस्म का है और उसे उचित ढंग से रखा गया है, दिल्ली प्रशासन का औषध नियन्त्रण संगठन इस पर पर्याप्त निगरानी रखता है।

माधव रक्त की बिक्री पर कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं है।

सभी ब्लड बैंक उन व्यक्तियों से रक्त लेते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलने वाली बीमारियों से मुक्त है और जिन रक्त में हेमोग्लोबिन कन्टेंट 85 प्रतिशत से कम नहीं है।

(ग) पिछले 2 वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन के औषध नियंत्रण संगठन को ऐसा कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया है।

गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम

[हिन्दी]

6965. **श्री शांति धारीवाल** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं द्वारा गर्भावस्था में लिए जाने वाले भोजन का शिशु के मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो गर्भावती महिलाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा/विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत, समाज के कमजोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 को चौड़ा करने और विकसित करने के लिए आवंटन

[अनुवाद]

6966. **श्री शांति धारीवाल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में जयपुर, भोपाल-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 को चौड़ा करने और विकसित करने के लिए कितनी राशि आवंटित की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 के विकास के लिए 385.31 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

राजस्थान में वर्ष 1985-86 के दौरान नसबंदी के लक्ष्य/उपलब्धि

[हिन्दी]

6967. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में वर्ष 1985-86 के दौरान नसबन्दी आपरेशन करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : वर्ष 1985-86 में राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित किए गये नसबंदी आपरेशन संबंधी लक्ष्यों की संख्या 2,85,000 है।

न्हावा शेवा पत्तन परियोजना

[अनुवाद]

6968. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्हावा शेवा पत्तन परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार का क्या योगदान है; और

(ख) इस नए बन्दरगाह की माल जहाजों से माल चढ़ाने-उतारने संबंधी क्षमता कितनी होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) न्हावा शेवा पत्तन परियोजना एक केन्द्रीय परियोजना है। महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना में किसी प्रकार का वित्तीय अंशदान नहीं दिया है। तथापि महाराष्ट्र सरकार ने पत्तन न्यास प्राधिकरण को इस परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि को निःशुल्क दिया।

(ख) नए पत्तन में वर्ष की शुष्क, बल्क और कंटेनरीकृत कारगो की हैंडलिंग क्षमता लगभग 11 मिलियन टन होगी।

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

6969. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में लेटराइट (मखरली) मिट्टी के कारण महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रस्तावित बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की लागत लागत-लाभ-अनुपात के अनुज्ञेय मानदंड से अपेक्षाकृत अधिक है;

(ख) महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए क्या भारत सरकार का सूखा-संभावित क्षेत्रों में प्रस्तावित बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में लागत-लाभ अनुपात में कुछ ढील देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कौन-सी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिन पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) महाराष्ट्र में लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों की परियोजना रिपोर्टों से यह पता चलता है कि उनकी लागत-लाभ दर अनुज्ञेय सीमाओं के अन्दर है।

(ख) बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाएं सामान्य लागत लाभ दर के मानदण्ड में रियायत के पात्र हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिवा-पनवेल उरान से तटवर्ती रेल लाइन

6970. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिवा से पनवेल तक की तटवर्ती रेल लाइन कब मंजूर की गई थी;

(ख) उस रेल लाइन को पनवेल से उरान तक बढ़ाने की मंजूरी कब दी गई थी;

(ग) यह दोनों मार्ग कब पूरे किए गए थे और इन दो मार्गों पर सरकार की कितनी लागत आई थी;

(घ) क्या इन दोनों मार्गों से यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 1961 में।

(ग) दिवा-पनवेल (26.3 कि० मी०) लाइन पूरी हो गयी थी और 31.10.1964 को माल यातायात के लिए तथा 28.12.1964 को यात्री यातायात के लिए खोल दी गयी थी। पनवेल तथा उरान के बीच का खंड (26.97 कि० मी०) 31.1.1966 को माल यातायात के लिए खोला गया था। इन लाइनों के पूरा होने की लागत 3.17 करोड़ रुपये है।

(घ) दिवा-पनवेल खंड पर दैनिक यात्री यातायात की ढुलाई की जाती है। पनवेल-उरान खंड केवल माल यातायात के लिए खुला है।

(ङ) पनवेल-उरान खंड अभी तक केवल माल यातायात के लिए खुला है।

महाराष्ट्र की चन्द्रपुर परियोजना

6971. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चन्द्रपुर की 'टर्न-की' परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उपरोक्त परियोजना के संबंध में विश्व भर में जारी की गई निविदाओं का क्या परिणाम निकला;

(ग) उपरोक्त विद्युत परियोजना का काम किसे सौंपा गया है; और

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) महाराष्ट्र में चन्द्रपुर ताप विद्युत परियोजना (चरण-तीन, 2×500 मेगा०) के लिए टर्न की के आधार पर करार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विश्वव्यापी निविदा संबंधी कागजात विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी

बोली प्रक्रिया के अनुसार जारी कर दिये गए हैं; और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 1.7.1985 है। परियोजना की अनुमानित लागत 902 करोड़ रु० है। परियोजना 1991-92 में पूरी किए जाने की संभावना है।

वर्ष 1985-86 के दौरान निर्मित किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

6972. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) योजना आयोग के साथ वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के समय राज्यों/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1985-86 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 1558 भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, नई दिल्ली

6973. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, दिल्ली केवल राजधानी में द मेडिकल कालेजों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और यदि हां, तो दिल्ली में किस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं और नई दिल्ली के बाहर विभिन्न कालेजों के प्रति इसके क्या उत्तर-दायित्व हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के क्षेत्रीय चिकित्सा पुस्तकालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या किसी राज्य से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस बारे में क्या उपाय किये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्त-कालय न केवल दिल्ली के मेडिकल कालेजों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है बल्कि देश के अन्य मेडिकल कालेजों, अनुसंधान संस्थानों और चिकित्सकों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है। यह पुस्तकालय ग्रंथ-सूची से सम्बन्धित सेवाएं, फोटो कापी की सेवाएं, आयुर्विज्ञान की सेवाएं, अन्तर पुस्तकालय उधार तथा अध्ययन-कक्ष की सुविधाएं प्रदान करता है। ये सुविधाएं देश के किसी भाग में स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में लगे हुए सभी व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाती हैं।

(ख) से (घ) देश के कुछ भागों में क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय खोलने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

क्षयरोग विरोधी औषधि की सप्लाई

6974. **डा० जी० विजय राघवराव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय क्षय रोग संघ द्वारा क्षय-रोग-विरोधी औषधियों की सप्लाई को शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाने के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को सामग्री, उपकरण और क्षयरोधी औषधियों की सप्लाई करने की योजना को शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने योजना आयोग के परामर्श से विचार किया है और यह निश्चय किया गया है कि इस कार्यक्रम को 50 : 50 के आधार पर जारी रखा जाए। सातवीं योजना के पहले वर्ष में भी यही पैटर्न जारी रखा गया है।

रायगडा और राउरकेला के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करना

6975. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में रायगडा और राउरकेला के बीच कोई सीधी रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त दो महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच सीधी रेल सेवा चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रायपुर (मध्य प्रदेश) स्थित रेलवे वैगन मरम्मत यूनिट का विस्तार

6976. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में रायपुर स्थित रेलवे वैगन मरम्मत यूनिट का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस रेलवे वैगन मरम्मत यूनिट में इस समय कितने कुशल और अकुशल कर्मचारी कार्य करते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) बड़ी लाइन के माल डिब्बों की आवधिक ओवरहाल के लिए रायपुर कारखाने की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्राप्त होने वाले कार्य-भार तथा धन की उपलब्धता के आधार पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

(ग) कुशल कामगार = 1047
अकुशल कामगार = 494

सम्बलपुर (उड़ीसा) में रेल डिवीजन

6977. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सम्बलपुर में रेलवे डिवीजन की स्थापना के लिए 1985-86 में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस परियोजना को कब मंजूरी दी गई थी; और

(ग) डिवीजन के कार्यालय भवन आदि का निर्माण पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) उड़ीसा के सम्बलपुर में मंडल मुख्यालय बनाना 1984 में सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु ऐसी किसी प्रमुख गतिविधि की प्रगति से पहले कुछ प्रारम्भिक उपाय किये जाने होते हैं। अतएव, सम्बलपुर स्टेशन के निकट 278 एकड़ भूमि निर्धारित की गयी है। मंडल कार्यालय काम्पलेक्स और आवश्यक कर्मचारी क्वार्टर समय आने पर इसी क्षेत्र में बनाये जाएंगे। इसके अलावा, स्टेशन एवं कार्यालय काम्पलेक्स के नये भवन की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस काम के लिए 35 लाख रुपये के परिव्यय का ठेका दे दिया गया है। इस प्रकार स्टेशन-एवं-कार्यालय काम्पलेक्स के निर्माण से शुभारम्भ हो जायेगा। कार्य की आगे प्रगति धन की उपलब्ध पर निर्भर करेगी और इसीलिए कोई लक्ष्य तिथि नहीं बतायी जा सकती है।

विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

6978. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1984 के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों को कुल कितनी धनराशि दी है;

(ख) क्या सरकार का विचार पिछड़े राज्यों में स्थापित विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन की राशि बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालयों को वर्ष 1985-86 में अनुदान की कुल कितनी राशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान इस प्रकार हैं:—

(लाख रुपये)

विश्वविद्यालय का नाम	दिया गया अनुदान
1	2
अवधेश प्रताप सिंह	20.86

1	2
भोपाल	8.60
इंदिरा कला संगीत	1.26
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	10.25
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	4.44
जिवाजी	6.76
रविशंकर	10.53
डा० एच० एच० और, सागर	29.59
विक्रम	25.45

(ख) और (ग) विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर विकास अनुदानों को आबंटित नहीं किया जाता है। प्रत्येक योजना अवधि के प्रारंभ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास के स्तर, इसके द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों के स्वरूप और स्तर, छात्र और संकाय संख्या और पिछली योजनाओं में की गई प्रगति जैसे अनेक पहलुओं के आधार पर प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अस्थायी आबंटन निर्धारित करता है। छठी योजना में अस्थायी आबंटन निर्धारित करते समय क्षेत्रीय असन्तुलनों को हटाने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया था। प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस प्रकार दर्शाये गए आबंटन की सीमा के अन्तर्गत कार्यान्वित करने हेतु कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते कहा जाता है। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन उन निरीक्षण समितियों के माध्यम से किया जाता है जिनकी सिफारिश पर अनुदान प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अनुमोदित किए जाते हैं। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के अनुसार विश्वविद्यालयों को समय-समय पर निधियां दी जाती हैं।

सातवीं योजना में उच्च शिक्षा के कुल परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। सांतवीं योजना में सामान्य विकास के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के अस्थायी आबंटन को आयोग द्वारा तभी अन्तिम रूप दिया जाएगा जब उपलब्ध किए जाने वाले कुल परिव्यय का पता लग जाएगा।

सोनपुर और बरौनी के बीच रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

[हिन्दी]

6979. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में सोनपुर और बरौनी बरास्ता शाहपुर पतोरी के बीच की दूरी 80 कि० मी० है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस 90 कि० मी० लम्बी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है ताकि सोनपुर और बरौनी के बीच लगने वाले यात्रा समय को कम किया जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। शाहपुर-पटरी के रास्ते सोनपुर और बरौनी के बीच की दूरी लगभग 91 कि० मी० है।

(ख) इस खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नमक उत्पादकों को राहत

[अनुवाद]

6980. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैगनों की वर्तमान कमी के कारण गुजरात में खपरकोडा, पाटडी और फंरगफरा के नमक उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इन नमक उत्पादकों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 1983-84 की तुलना में 1984-85 खुडा सहित खारघोडा, पाटडी और ध्रांगधरा क्षेत्रों से रेल द्वारा नमक का परिवहन लगभग 12 प्रतिशत अधिक रहा। पूर्वी भारत के लिए व्यापारियों द्वारा जहाजों में ढोये जाने वाले नमक की ढुलाई में गिरावट आ गयी है जिसके परिणामस्वरूप गुजरात में रेल परिवहन के लिए मांग बढ़ गयी।

इस क्षेत्र में यथा व्यवहार्य नमक के लदान के लिए माल डिब्बों की उपलब्धता में और अधिक वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

रेलगाड़ियों में और प्लेटफार्मों पर भिखारियों की संख्या में वृद्धि

6981. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रेलगाड़ियों में तथा प्लेटफार्मों पर भिखारियों की संख्या में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन डिवीजनों में और किन-किन मार्गों पर बड़ी संख्या में भिखारी होते हैं; और

(ग) इस बुराई को सदा के लिए समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेल प्रशासन भिखारियों द्वारा गाड़ियों में और प्लेटफार्मों पर पैदा की जा रही परेशानी से अवगत है। चूंकि गाड़ियों में तथा प्लेटफार्मों पर भिखारियों की संख्या के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि हाल ही में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) भिखारियों को गाड़ियों तथा स्टेशनों से हटाने के लिए रेलों द्वारा रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल, राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस की सहायता से नियमित रूप से जांच की जाती है और छापे मारे जाते हैं।

हैल्थ गाइड कार्यकर्ताओं की राज्यवार संख्या

[हिन्दी]

6982. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि बहु-प्रयोजनीय कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत गांव वालों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए राज्यवार कितने हैल्थ गाइड कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना एक अलग योजना है और यह योजना बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता योजना का एक भाग नहीं है। प्रशिक्षित किए गए स्वास्थ्य गाइडों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1	2
1. आंध्र प्रदेश	31534
2. असम	17634
3. बिहार	10000
4. गुजरात	22852
5. हरियाणा	10280
6. हिमाचल प्रदेश	4418
7. जम्मू व कश्मीर	स्वास्थ्य गाइड योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।
8. कर्नाटक	13716
9. केरल	स्वास्थ्य गाइड योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।
10. मध्य प्रदेश	35619
11. महाराष्ट्र	43774
12. मणिपुर	1690
13. मेघालय	2029
14. नागालैंड	340
15. उड़ीसा	22495
16. पंजाब	10906
17. राजस्थान	13878
18 सिक्किम	345
19. तमिलनाडु	स्वास्थ्य गाइड योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

1	2
20. त्रिपुरा	1860
21. उत्तर प्रदेश	82855
22. पश्चिम बंगाल	41199
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	346
24 अरुणाचल प्रदेश	स्वास्थ्य गाइड योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।
25. चण्डीगढ़	52
26. दादर व नगर हवेली	74
27. दिल्ली	160
28. गोवा, दमन व दीव	884
29. लक्षद्वीप	42
30. मिजोरम	697
31. पांडिचेरी	278
अखिल भारत योग :	369930

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को ग्रामीण अस्पतालों में बदलना

6983. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1984 के दौरान चिकित्सा केन्द्रों को ग्रामीण अस्पतालों में परिवर्तित किया गया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं पर हुए विचार-विमर्श के दौरान दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1984-85 में 99 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण अस्पताल) खोले जाने की सम्भावना थी।

ग्रामीण छात्र स्वास्थ्य योजना

6984. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ग्रामीण छात्र के लिए कोई स्वास्थ्य योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार की ग्रामीण छात्र स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी कोई योजना नहीं है। वैसे प्रायोगिक आधार पर 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखत कार्यकलाप शुरू किए जायेंगे :

(1) शिक्षकों का प्रशिक्षण;

(2) स्वास्थ्य शिक्षा;

(3) प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की स्वास्थ्य जांच;

(4) बीमार बच्चों का इलाज; और

(5) रोग-प्रतिरक्षण

इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा ताकि वे बीमार बच्चों का पता लगा सकें, स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड रखें, छोटी-मोटी बीमारियों का उपचार कर सकें और स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलापों का आयोजन कर सकें। ये शिक्षा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ द्वारा स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और रक्षा प्रतिरक्षण की व्यवस्था करने में सहायता भी देंगे।

जी० टी० एक्सप्रेस में बंगलौर के लिए सवारी डिब्बों को पुनः जोड़ा जाना

[अनुवाद]

6985. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० टी० एक्सप्रेस में बंगलौर के पांच सवारी डिब्बों को जोड़ने की प्रथा बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस निर्णय के कारण कर्नाटक की जनता को होने वाली परेशानियों की जानकारी है;

(ग) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से जी० टी० एक्सप्रेस में बंगलौर के लिए सवारी डिब्बों को जोड़ने की प्रथा जारी रखने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) यह सच है कि 15/16 जी० टी० एक्सप्रेस में बेंगलूरू और दिल्ली के बीच चलने वाले सीधे सवारी डिब्बों को सितम्बर, 1984 से अस्थायी रूप से चलाना बन्द कर दिया गया था।

1.5.1985 से ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में बेंगलूरू और नयी दिल्ली के बीच दो सवारी डिब्बे पुनः चला दिए गए हैं।

निजामुद्दीन, मंगलौर जयन्ती जनता एक्सप्रेस का समय बदलना और उसे नयी दिल्ली तक बढ़ाना

6986. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन से मंगलौर तक चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस का समय बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या सरकार को जयन्ती जनता एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक बढ़ाने के संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हजरत निजामुद्दीन, बंगलौर एक्सप्रेस को सप्ताह में दो बार चलाने का प्रस्ताव

6987. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हजरत निजामुद्दीन-बंगलौर एक्सप्रेस को सप्ताह में दो बार चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सवारी डिब्बों और रेल इंजनों जैसे संसाधनों की कमी के कारण यह व्यवहार्य नहीं है ।

नई दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच दैनिक रेल सेवा व्यवस्था का न होना

6988. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों की राजधानियों के नाम क्या है जिनके लिए नई दिल्ली से दैनिक रेल सेवा नहीं है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : केरल और कर्नाटक राज्यों की राजधानियों क्रमशः तिरुवनन्तपुरम और बैंगलुरु के लिए नयी दिल्ली से दैनिक सेवा उपलब्ध नहीं है, जबकि मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों की राजधानियों के लिए उनके राजधानी शहरों तक कोई रेल सम्पर्क नहीं है ।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा खुले बाजार से खरीदी गई औषधियों की जांच न किया जाना

6989. **श्री एम० महालिंगम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी मेडिकल डिपुओं को अनुदेश जारी किए हैं कि जांच करने

के पश्चात् ही किसी मद को डिपुओं में स्वीकार किया जाये;

(ख) क्या जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो के अलावा स्थानीय खरीद करते समय स्वयं अपनी अथवा बाहर की प्रयोगशालाओं में पूर्व जांच कराये बिना ही मद को स्वीकार कर लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो के अलावा स्थानीय रूप से खरीदी गई औषधियों की गुणवत्ता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) निदेशक, जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने यह सूचित है कि वे औषधियां जो मेडिकल स्टोर डिपो की वी० एम० एस० सूची में नहीं होती हैं, उन्हें संस्थान की विशेषज्ञ औषधि समिति की सिफारिश पर औषध नियंत्रक द्वारा दिए गए लाइसेंस वाली फर्मों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सरकारी दर संविदा पर अनुमोदित फर्मों से खरीदा जाता है और इसलिए इस संस्थान में अथवा बाहर की प्रयोगशालाओं में इनकी कोई प्रारम्भिक जांच नहीं की जाती है ।

(ग) यदि किसी औषधि की नैदानिक (गुणकारिता) पर सन्देह होता है, तो उस मामले में उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को उसकी सूचना दे दी जाती है ।

खाद्य पदार्थों और पानी में धातु कणों से स्वास्थ्य को खतरा

6989. **डा० विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाद्य पदार्थों और पानी में धातु कणों से स्वास्थ्य को खतरे की जानकारी है, जो दवा के द्वारा भी फैल रहे हैं और पेड़-पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों के लिए भी हानिकारक हैं; और यदि हां, तो इस बारे में अब तक यदि कोई अध्ययन किये हैं, तो उनके क्या परिणाम हैं;

(ख) संबंधित मुख्य धातुओं के नाम क्या हैं और स्वास्थ्य को इनसे किस प्रकार का खतरा है; और

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोई सीमायें निर्धारित की हैं और क्या देश में इनका पालन किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बढ़ते हुए औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप धातुओं से स्वास्थ्य को आम खतरा हो जाने की संभावनाएं हैं । इस दशक के प्रारम्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन/यू० एन० डी० पी० द्वारा मिलकर बड़ी सावधानी से चलाई गई एक विश्व-व्यापी परियोजना से देश की तीन शहरी बस्तियों में औसतन लोगों में सीसा और अरगजी के अत्यधिक मात्रा में अन्तर्ग्रहण किए जाने की बात सामने नहीं आई है । पर्यावरण विभाग द्वारा समर्थित एक बहु-केन्द्रिक अध्ययन चल रहा है जिसका उद्देश्य पानी, आहार और वायु में भारी धातुओं के आधारभूत आंकड़े प्राप्त करना है ।

(ख) मतलब की मुख्य धातुएं अरगजी, सीसा, पारा और आर्सेनिक हैं । अरगजी से गुर्दे

और हड्डियों को क्षति पहुंचती है जबकि सीसा और पारा मुख्यतः तंत्रिका में विषाक्तता पैदा करती हैं। आर्सेनिक से चर्म रोग हो सकते हैं।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछेक भारी धातुओं के संबंध में सहनशीलता की सीमायें निर्धारित की हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में भारी धातुओं की सीमायें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1955 के उपबन्धों के अधीन पहले ही निर्धारित है।

जहां तक पानी का प्रश्न है, सरकार ने भी भारी धातुओं की सहन-सीमायें निर्धारित करते हुए पीने के पानी की स्वीकार्यता के लिए अपने ही मार्ग निर्देश निर्धारित किए हैं।

बड़े पत्तनों पर शुल्क दरों में समानता लाने का प्रस्ताव

6991. **श्रीमती इन्दुमति भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बड़े पत्तनों के लिए शुल्क-दर निर्धारित करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) विभिन्न बड़े पत्तनों पर वसूल किए जाने वाले पत्तन प्रभारों और घाट शुल्क की दरें क्या हैं;

(ग) बड़े पत्तनों पर शुल्क दरों में अन्तर होने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या उन अन्य पत्तनों की तुलना में, जहां शुल्क दरें अधिक हैं, कम शुल्क दर वाले पत्तन अधिक यातायात आकर्षित कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सभी बड़े पत्तनों पर शुल्क दरों में समानता लाने का सरकार की कोई प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) किसी पत्तन से कई तरह की वस्तुएं गुजरती हैं। अलग-अलग वस्तुओं के पत्तन शुल्क में काफी अंतर होता है। कुछ वस्तुओं पर पूरी लागत नहीं मिल पाती जिसमें मूल्य ह्रास, खर्चे और लगी पूंजी पर न्यूनतम लाभ शामिल है। कोयला और नमक जैसी वस्तुएं तभी भेजी जाएंगी जब प्रभार काफी कम होंगे। ऐसे मामलों में इस तरह के यातायात के लिए पत्तनों से नाममात्र का प्रभार लेने की अपेक्षा की जाती है जितना पत्तन का खर्चा आता है और यह राशि शुल्क प्रणाली में फ्लोर प्रभार होती है। ऊंची कीमत वाली वस्तुओं और अपेक्षाकृत छोटे बल्क की दरें ऊंची हो सकती हैं जिन्हें पत्तन के सिद्धांत "यातायात कितना वहन कर सकता है" पर निर्धारित किया जाता है। वस्तुओं की अधिकता और प्रमुख पत्तनों द्वारा मुलभ कराई जाने वाली अपेक्षित सेवाओं को देखते हुए अलग-अलग वस्तुओं की दरें वर्गीकरण और कार्गो तथा जहाजों की हैंडलिंग लागत में भिन्नता के अनुसार अलग-अलग होती हैं। इस सिद्धांत के अनुपालन से विभिन्न वस्तुओं की हैंडलिंग और विभिन्न सेवाओं के लिए भी क्रॉस आर्थिक सहायता आवश्यक हो जाती है।

(ख) प्रमुख पत्तनों पर ली जाने वाली दरें स्केल्स ऑफ रेट्स नामक पुस्तकों में प्रकाशित की जाती हैं। ये सभी पुस्तकें कीमत देकर उपलब्ध हैं। सभी दस प्रमुख पत्तनों की इन बड़े आकार की पुस्तकों के पुनर्मुद्रण पर जितना श्रम और खर्च निहित है उस अनुपात में इसका लाभ नहीं होगा।

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है।

(घ) पत्तनों पर हैंडल किया जाने वाला यातायात पत्तन के हिंटरलैंड्स में हुए उत्पादन और उसकी जरूरतों तथा पत्तनों पर उपलब्ध अवस्थापन संबंधी सुविधाओं जैसे सड़क, रेलवे लिंक, परिवहन इत्यादि पर भी निर्भर करता है। शिपर्स की पत्तन विशेष में रुचि का कारण केवल शुल्क ढांचा ही नहीं होता है।

(ङ) कीमत, मात्रा और व्यापार की दिशा के अनुसार अलग-अलग दरें होती हैं। कुछ किस्म की वस्तुओं की कुछ अवधि के लिए अलग-अलग शुल्क दरें रखना जनता में रुचि पैदा करने के लिए आवश्यक होता है। एक समान दर प्रणाली का विचार आकर्षक है यद्यपि व्यावहारिक नहीं है। चूंकि प्रत्येक पत्तन की यातायात के मामले में अपनी अलग विशिष्टता हैं जैसे कलकत्ता पत्तन चाय, टाट बोरे, मद्रास, विशाखापटनम और मोर्मुगांव लौह अयस्क पर निर्भर करता है जिनसे उसे काफी आय होती है, अतः सभी पत्तनों के लिए एक समान दर निर्धारित करने में व्यवहारिक कठिनाइयां आएंगी। ये विचार विभिन्न पत्तनों पर प्रमुख वस्तुओं के लिए भी एक समान दरों के सिद्धांत के विपरीत होंगे।

सफदरजंग अस्पताल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विंग तथा रामकृष्णापुरम में पोली क्लीनिक

6992. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विंग एक मिली जुली सेवा नहीं है और चमड़ी, न्यूरोलाजी (तंत्रिका विज्ञान) हड्डी आदि के रोगियों को सफदरजंग अस्पताल में आम लोगों के साथ लाइन में खड़ा रहना पड़ता है;

(ख) क्या एक्सरे, ई० सी० जी० आदि करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए अलग प्रबन्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त विंग की मिली जुली विंग बनाने और रामकृष्णापुरम में एक पोली क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) रामकृष्णापुरम के सैक्टर चार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की इमारत कब तक तैयार हो जायेगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सफदरजंग अस्पताल के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विंग का विस्तार करने या आर० के० पुरम में एक पोली क्लीनिक खोलने संबंधी किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) इस प्रयोजन के लिये निर्धारित भूमि के प्लाट को खरीद लेने के बाद आर० के० पुरम सैक्टर 4 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के निर्माण पर विचार किया जाएगा।

सफदरजंग अस्पताल में नर्सिंग होम के निर्माण का प्रस्ताव

6993. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में राजधानी के उस भाग में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक नर्सिंग होम के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सफदरजंग अस्पताल में नर्सिंग होम खोलने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) वित्तीय कठिनाइयों के कारण फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

अस्पतालों के लिए मानकीकृत भोजन संबंधी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

6994. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों के लिए मानकीकृत भोजन संबंधी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है ताकि अन्तरंग रोगियों को एक समान भोजन मिल सके और क्या यह योजना दिल्ली के अस्पतालों के लिए ही है या देश के सभी सरकारी अस्पतालों में यह लागू होगी;

(ख) क्या दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल जैसे कुछ सरकारी अस्पताल भोजन बनाने की सामान्य वस्तुयें केन्द्रीय भंडार से खरीदते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि बाकी अस्पतालों को भी ऐसा करने का निर्देश दिया जाये और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अस्पतालों के लिए मानकीकृत भोजन संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों से सिफारिश की गई है । ये सिफारिशें दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों पर लागू होती हैं ।

(ख) और (ग) दिल्ली में सभी सरकारी अस्पताल भोजन सम्बन्धी चीजें केन्द्रीय भण्डार सुपर बाजार से पहले ही खरीद रहे हैं ।

परीक्षा सुधारों विषयक समिति

[हिन्दी]

6995. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा पद्धति के सुधार के लिये एक कार्यान्वयन समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उसका गठन और उसके निदेशायक क्या है; और

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने IV योजना में परीक्षा सुधार का एक कार्यक्रम शुरू किया था। परीक्षा सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर आयोग को सलाह देने के लिये एक स्थायी समिति भी गठित की गई थी। यह स्थायी समिति समय-समय पर गठित की जाती है।

(ख) परीक्षा सुधार के कार्यान्वयन से संबंधित स्थायी समिति का वर्तमान गठन निम्नलिखित है :

1. प्रो० रामारंजन मुखर्जी
   कुलपति
   रवीन्द्र भारती
   कलकत्ता

2. प्रो० आर० सी० मल्होत्रा
   रसायन शास्त्र विभाग,
   राजस्थान विश्वविद्यालय
   जयपुर।

3. प्रो० आर० जी० टकवाला
   भौतिकी विभाग
   पूना विश्वविद्यालय
   पूना।

4. प्रो० वी० एस० मिश्र
   शिक्षा विभाग,
   गोरखपुर विश्वविद्यालय
   गोरखपुर।

5. प्रो० एच० एस० श्रीवास्तव,
   मान तथा मूल्यांकन विभाग,
   रा० शै० अ० प्र० प०
   नई दिल्ली।

6. प्रो० एच० पी० दीक्षित
   गणित विभाग
   जबलपुर विश्वविद्यालय
   जबलपुर।

7. डा० एन० के० उपासनी
अवैतनिक निदेशक,
परीक्षा सुधार यूनिट
एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय
बम्बई ।

8. डा० डी० आचार्य
औद्योगिक प्रबन्ध केन्द्र
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
खड़गपुर

(ग) समिति की समय-समय पर बैठकें होती हैं और किए जाने वाले विशिष्ट उपायों पर आयोग को सलाह देती है। समिति ने अक्तूबर, 1982 में हुई अपनी पिछली बैठक में विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कुछ न्यूनतम सुधार कार्यक्रम के ब्यौरों की सिफारिश की थी। न्यूनतम सुधार कार्यक्रम की सूचना सभी विश्वविद्यालयों को जनवरी, 1983 में दी गई थी। सुझाए गए कार्यक्रमों में पाठ्यचर्या का यूनिटों में विभाजन, ऐसे प्रत्येक यूनिट में से प्रश्न सेट करना जिसमें विकल्प प्रत्येक यूनिट के प्रश्नों तक सीमित हो, पिछली परीक्षाओं से प्रश्नों को दोहराने की परीक्षकों को छूट, व्याख्यानों की न्यूनतम संख्या की अपेक्षा पूरी करने के बाद ही परीक्षाओं का आयोजन प्रयोगशाला सत्र इत्यादि और पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण इत्यादि सहित परीक्षाओं के उचित आयोजन की व्यवस्था करना शामिल है।

अशांत घोषित किये गये विश्वविद्यालय

[अनुवाद]

6996. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान वर्ष-वार कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी के बिना खुलने वाले विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान किन-किन विश्वविद्यालयों को अशांत घोषित किया गया है; और

(घ) उनके कार्यचालन को सुचारू बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और चूककर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना का वर्ष
1	2
1. भारतीयार विश्वविद्यालय कोयम्बतूर, तमिलनाडु	1982

1	2
2. भारतीदासन विश्वविद्यालय तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	1982
3. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	1982
4. आन्ध्र प्रदेश ओपन विश्वविद्यालय हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	1982
5. श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश	1983
6. अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती, महाराष्ट्र	1983
7. गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, मध्य प्रदेश	1983
8. गांधीजी विश्वविद्यालय कोट्टायम, केरल	1983
9. मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडयकनाल, तमिलनाडु	1984
10. अरुणाचल विश्वविद्यालय इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	1984

(ख) राज्य सरकारों को नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती । तथापि ऐसे विश्वविद्यालयों को आयोग से सहायता प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योग्य घोषित करने की जरूरत होती है । उपरोक्त उल्लिखित विश्वविद्यालयों में से अभी तक केवल तमिलनाडु में भारतीयार और भारतीदसन विश्वविद्यालय आयोग द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिये योग्य घोषित किए गए हैं ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अभी तक ऐसा घोषित नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर निर्माण कार्य

6997. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल और जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो निर्माणाधीन सड़क का और जो पुल अभी पूरे किए जाने हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 के लिए कितना आबंटन किया गया; और

(घ) छठी योजना अवधि के दौरान जयपुर-भोपाल और जबलपुर के बीच किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है और इनमें सुधार का काम राष्ट्रीय राजमार्ग की मौजूदा दशा, यातायात के परिमाण और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सुधार कार्यों की मंजूरी दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-12 पर 7.28 करोड़ रुपए मूल्य के 73 निर्माण कार्य पूरे हो गए और छठी योजना में 10.58 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-12 पर 7.68 करोड़ रुपए मूल्य के 50 निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में पूरे हो रहे हैं।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आबंटन

6998. **श्री एच० जी० रामुलू** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि का आबंटन केन्द्रीय सरकार के निरीक्षण में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों के बीच हुए करार के अन्तर्गत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पोंग बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए आरक्षित क्षेत्र में यह आबंटन किया गया है/था;

(ग) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में असामाजिक तथा अवांछित तत्व इन विस्थापित व्यक्तियों को तंग कर रहे हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) मुख्य मंत्रियों की समिति (जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री शामिल थे) द्वारा सितम्बर, 1970 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में पोंग बांध के विस्थापितों को आबंटन के लिए राजस्थान में नहर परियोजना में 2.25 लाख एकड़ कमान क्षेत्र आरक्षित किया था। राजस्थान में पोंग बांध के विस्थापितों को भूमि का आबंटन राजस्थान उपनिवेशन (पोंग बांध के विस्थापितों को राजस्थान नहर कालोनी में सरकारी भूमि का आबंटन) नियम, 1972 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ऐसे कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है जिनमें विस्थापित व्यक्तियों को आबंटित की गई भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। राजस्थान प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि विस्थापितों की शिकायत पर तत्परतापूर्वक कार्रवाही

करने के लिए स्थानीय सिविल प्रशासन को अनुदेश दें। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि कार्यवाही तत्परतापूर्वक की गई है।

पश्चिम बंगाल को दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई

6999. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है कि बिजली उत्पादन में गिरावट आने की दशा में राज्य बिजली बोर्ड और कलकत्ता बिजली पूर्ति निगम दोनों ही दामोदर घाटी निगम से अतिरिक्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) क्या मुख्य मन्त्री के आश्वासन के संदर्भ में दामोदर घाटी निगम से पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई में वृद्धि की जा सकती है; और

(ग) इस विषय में ताजा स्थिति क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजय नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कलकत्ता शहर में बड़ी मात्रा में लोड शैडिंग को देखते हुए दामोदर घाटी निगम को कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को कुछ अतिरिक्त विद्युत सप्लाई करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, यह देखा गया है कि सी० ई० एफ० सी० द्वारा सारे आबंटन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अभ्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान आबंटित विद्युत का 50 प्रतिशत से भी कम भाग लिया जा रहा है और अनेक बार व्यस्ततमकालीन अवधियों के दौरान भी कुल आबंटित विद्युत का समुपयोजन नहीं किया गया।

दामोदर घाटी निगम के विद्युत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, निगम पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को अतिरिक्त विद्युत सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है।

गंगा नहर के समानान्तर एक नहर का निर्माण

[हिन्दी]

7000. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र/उत्तर प्रदेश सरकार के पास विश्व बैंक की सहायता से देश की सबसे पुरानी नहर, गंगा नहर के समानान्तर एक नहर बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस नई गंगा नहर के निर्माण की निर्धारित अवधि क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखकर इस नहर के निर्माण के लिए निर्धारित धनराशि में कई गुणा वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समानान्तर गंगा नहर के निर्माण अवधि को कम करने का है ताकि इसके लिए निर्धारित धनराशि में भी इसका निर्माण कार्य पूरा हो सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। ऊपरी गंगा

नहर आधुनिकीकरण परियोजना के प्रथम सोपान को 1313 करोड़ रुपए की कुल लागत से 1984 से 2008 तक चार समयावधियों में 2008 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। सितम्बर, 1990 तक की 6 वर्ष का प्रथम समयावधि के लिए विश्व बैंक इस समय 125 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता दे रहा है तथा इस अवधि के दौरान इस परियोजना पर 249.77 करोड़ रुपए व्यय किये जाने की संभावना है।

(ग) प्रथम समयावधि की लागत में भौतिक आकस्मिक खर्च तथा मूल्य वृद्धि के लिए प्रावधान भी शामिल है।

(घ) राज्य सरकार ने समानान्तर गंगा नहर के निर्माण की अवधि को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

वाणिज्यिक ऊर्जा खपत

[अनुवाद]

7001. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 में कोयले के स्थान पर तेल उत्पादों और विद्युत की वाणिज्यिक ऊर्जा की खपत कितनी है;

(ख) अगले पांच वर्षों में इसकी कितनी आवश्यकता होगी;

(ग) क्या देश में खपत होनी वाली कुल ऊर्जा में गैर वाणिज्यिक ईंधनों जैसे गोबर, लकड़ी, चारकोल और वनस्पति अवशिष्ट का क्या अनुमान लगाया गया है; और

(घ) क्या देश के अधिकांश भागों में इन गैर वाणिज्यिक ईंधनों की कमी है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ में भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड के मुख्यालय की स्थापना

7002. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड के चेयरमैन को अपना मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थापित करने की अनुमति दी गयी है, जो महत्वपूर्ण परियोजना स्थलों अर्थात नांगल, तलवाड़ा और सुन्दरनगर से क्रमशः 108 किलोमीटर, 210 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की दूरी पर है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप चंडीगढ़ में भूमि की खरीद कार्यालय और आवासीय क्वार्टरों आदि के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी जबकि परियोजना स्थलों पर पहले से ही उपलब्ध आवास खाली पड़े हैं; और

(ग) क्या बोर्ड के उच्च अधिकारियों और शीर्ष और इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के कार्यालयों की स्थापना वास्तविक कार्यस्थलों पर करते के स्थान पर चंडीगढ़ में किया जाना अधिक कारगर प्रबंध के लिए प्रभावशाली माना जाता है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण वेहरू) : (क) से (ग) भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के विभिन्न परियोजना स्थलों, नई दिल्ली, भागीदार राज्यों की राजधानियों के समीप होने तथा बेहतर संचार सुविधाएं होने को मद्देजर रखते हुए भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड (अब भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड) ने 1967 में अपना मुख्यालय चण्डीगढ़ में स्थापित करने का निर्णय लिया था। यद्यपि बोर्ड का मुख्यालय चण्डीगढ़ में स्थित है, कारगर कार्य संचालन के लिए मुख्य इंजीनियर के स्तर तक के वरिष्ठ इंजीनियर विभिन्न परियोजना स्थलों पर पदस्थापित हैं। मुख्यालय चण्डीगढ़ में स्थित होने के परिणामस्वरूप नंगल में कोई रिहायती स्थान फालतू नहीं पड़ा हुआ है तथापि तलवाड़ा और सुन्दरनगर में कुछ आवासीय स्थान भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड की आवश्यताओं से अधिक हो गए हैं। यह स्थान न तो मुख्यालय के लिए पर्याप्त हैं और न ही उपयुक्त हैं। इन्हें पंजाब राज्य बिजली बोर्ड और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दोनों स्थलों पर अपने अधिकारियों/कार्यालयों के लिए बार-बार मांगें जाने पर, उन्हें किराए पर दे दिया गया है।

प्रतिबंधित औषधियों की बिक्री

7003. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्री भोला नाथ सेन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 1985 के स्टेट्समेन में "वैण्ड ड्रग्स सीकी अवेलेवल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन औषधियों का ब्यौरा क्या है जो कि देश में अब बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिन 26 औषधियों को कुछ देशों में वापस लिए जाने की सूचना दी है, उनमें से 12 औषधियों को भारत में बेचने की अनुमति ही नहीं दी गई थी। 8 औषधियों को बाजार से वापस ले लिया गया है और बाकी 6 औषधियों, नामत: (1) नाईट्रोफ्यूरन, कम्पाउंड्स (2) फेनफोरमिन (3) हाईड्रोक्सी-क्वीनोलीन डेरिवेटिव्स, (4) लाइनेस्ट्रोनोल की बड़ी खुराक, (5) पिपटाजिन और (6) फेनाइलबुटाजोन/आक्सीफेनबुटाजोन को चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श लेकर देश में बेचने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि औषधि के लेबल पर अथवा उसके डिब्बे के अन्दर रखी गई पर्ची पर चेतावनी और औषधि के प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख किया गया हो।

जहां तक इस मंत्रालय को जानकारी है, उक्त समाचार में बताई गई लोमोटिल औषधि पर किसी भी देश में प्रतिबन्ध नहीं है। वैसे, छः वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह औषधि देने की सिफारिश नहीं की गई है।

गढ़बेता कालेज, मिदनापुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

7004. **श्री अजित कुमार साहा :**
श्री रेणुपद दास :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिला मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में गढ़बेता कालेज को विकास सहायता के लिए 1,60,000 रुपए का वित्तीन अनुदान मंजूर किया है;

(ख) क्या उक्त कालेज के प्रशासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मांगे गए सभी संगत दस्तावेज, योजना आदि भेज दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान की राशि शीघ्र जारी कर रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1,60,000 रुपए की लागत से कक्षाओं के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया था जिसमें आयोग का हिस्सा 80,000 रुपए तक सीमित था।

(ख) और (ग) कक्षाओं के निर्माण के लिए योजनाएं और प्राक्कलन भेजने की बजाय कालेज ने प्रोफेसर कामन-रूम, प्रिंसिपल के चेम्बर आदि का विस्तार करने के लिए प्राक्कलन भेजे थे। अतः आयोग ने कालेज को अनुमोदित निर्माण कार्यक्रम के लिए योजनाएं और प्राक्कलन भेजने की सलाह दी थी। इनकी अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। अनुदान की अदायगी के प्रश्न पर विचार तभी किया जाएगा जब कक्षाओं के निर्माण के लिए योजना और प्राक्कलन प्राप्त हो जाएंगे तथा अनुमोदित कर दिए जाएंगे।

बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिए जाने का उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव

7005. **श्री जैनुल बशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव किया है कि केन्द्रीय सरकार को बहुत अधिक लागत वाली कुछ बहु-प्रयोजनीय पन-बिजली परियोजनाओं को अपने हाथ में लेना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन-सी परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना घाटी में किशाऊ बहुद्देशीय परियोजना (600 मेगावाट), गंगा घाटी में टिहरी बांध परियोजना (1000 मेगावाट) और शारदा घाटी में चार जल विद्युत स्कीमें, नामशः धोलीगंगा, गौरी गंगा पूर्वी रामगंगा तथा टनकपुर के केन्द्रीय क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र में कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया है। शारदा घाटी में परियोजनाओं के संबंध में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। टनकपुर जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा निर्माणाधीन है। अन्य तीन परियोजनाओं के संबंध में अन्वेषण कार्य अभी पूरे किए जाने हैं।

किशाऊ बहुद्देशीय परियोजना में यमुना के पानी के बंटवारे तथा हिमाचल प्रदेश में जल-मग्नता संबंधी अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल हैं। स्कीम के केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वयन के संबंध में विचार, अन्तर्राज्यीय मामलों के हल किए जाने तथा स्कीम की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता सुनिश्चित होने के बाद ही किया जा सकता है। टिहरी बांध परियोजना का भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के एक संयुक्त प्रयास के रूप में क्रियान्वयन संबंधी रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालयों में विकलांग बच्चों को रियायतें

[हिन्दी]

7006. **श्री आर० एस० भोये** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में विकलांग बच्चों में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि विकलांग बच्चों को स्कूल बसों आदि में कोई रियायत नहीं दी जाती; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए कोई विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं देने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछेक केन्द्रीय विद्यालयों में 'न लाभ न हानि' के आधार पर प्राइवेट परिवहन व्यवस्थाएं की जाती हैं तथा संबंधित छात्रों को इन खर्चों को बांटना होता है।

गरीब विद्यार्थियों का प्राथमिक स्तर पर दाखिले के सम्बन्ध में अध्ययन

[अनुवाद]

7007. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब विद्यार्थियों के प्राथमिक स्तर पर दाखिले के संबंध में कोई अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद और अन्य संगठनों ने जिन समस्याओं के कारण दाखिला कम हुआ है, प्रारंभिक स्तर पर उनके सम्बन्ध में कई वर्षों से अनेक अध्ययन किए हैं।

तथापि, मामले के महत्व को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा० शै० अ० प्र० प०), राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान (रा० शै० आ० प्रशा० सं०) और राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों से हाल ही में यह अनुरोध किया गया है कि वे गैर-दाखिले के कारणों को निर्धारित करने तथा व्यापक दाखिला प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु उन विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन आरंभ करें जहां कहीं इसकी आवश्यकता है।

आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय

7008. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता मिली है और कब से मिली है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य में कितने विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मान्यता के उपयुक्त घोषित नहीं किया है और उन्हे मान्यता न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने विश्वविद्यालयों को सहायतानुदान मिल रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और दो विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं सहित आन्ध्र प्रदेश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 13 है । इनमें से दो विश्वविद्यालय जो क्रमशः 1982 और 1983 में स्थापित किए थे, उन्हें अभी केन्द्रीय स्रोतों से सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित किया जाना है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आंध्र प्रदेश ओपन विश्वविद्यालय और श्री पद्मावती महिला महाविद्यालय को सहायता के लिए योग्य घोषित करने से पहले इनके अधिनियमों में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है । राज्य सरकार को अभी इन सुझावों पर अपने विचार सूचित करने हैं ।

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं सहित प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या, जिन्हें केन्द्रीय स्रोतों से अनुदान प्राप्त हो रहे हैं, संलग्न विवरण में दी गई है :—

विवरण

राज्यवार विश्वविद्यालयों की संख्या दर्शाने वाला विवरण जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता अनुदान मिल रहा है

राज्य का नाम	सहायक अनुदान प्राप्त कर रहे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	11
असम	3
बिहार	10
गुजरात	9
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	5

1	2
केरल	4
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	11
मणिपुर	1
मेघालय	1
उड़ीसा	4
पंजाब	4
राजस्थान	5
तमिलनाडु	9
उत्तर प्रदेश	22
पश्चिम बंगाल	8
दिल्ली	5

ललित नारायण मिश्र मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

[हिन्दी]

7009. **श्री महाबीर प्रसाद यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में ललित नारायण मिश्र मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कुन्भ चन्द्र पन्त) : (क) एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को वि० अनु० आ० से सहायता प्राप्त करने के योग्य इस शर्त पर घोषित किया गया है कि संस्थागत विकास के लिए अनुदान तभी उपलब्ध कराए जाएंगे जब विश्वविद्यालय का अधिनियम तथा विधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित सुझावों के अनुसार संशोधित कर दिए जाएंगे। इस बीच, विश्वविद्यालय को अन्य योजनों अर्थात् विजिटिंग प्रोफेसरों की नियुक्ति, सिम्पोजिया आयोजन करना प्रकाशनों, अभिदिष्ट अनुदानों आदि के लिए अनुदान स्वीकृत किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) 1981-82 से 1984-85 की अवधि के दौरान, आयोग ने 2.65 लाख रुपये का कुल अनुदान अनुमोदित किया था। तथापि, विश्वविद्यालय को केवल 40,170 रुपये दिए गए हैं। आयोग द्वारा नियुक्त एक निरीक्षण समिति ने विकास अनुदानों की अवेक्षणों का मूल्यांकन किया था। समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी जब राज्य सरकार जिन्हें

विद्यालय के अधिनियम तथा विधानों में किए गए संशोधनों के बारे में आयोग को सूचित करेगा।

भारत में आत्महत्या की दर

[अनुवाद]

7010. श्री आर० अन्नालाम्बी : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में आत्महत्या की क्या दरें हैं;

(ख) आत्महत्या के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों में पुरुषों और महिलाओं का क्या अनुपात है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चंद्रशेखर) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण 1 से 3 में दी गई है।

विवरण-1

1982 के दौरान प्रति एक लाख की जनसंख्या पर आत्महत्या की घटनाएं, आत्महत्याओं की दर संख्या।

क्रम सं०	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और नगरों का नाम	वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या (हजारों में)	आत्महत्याओं की संख्या	प्रति एक लाख की जनसंख्या पर आत्महत्याओं की दर संख्या	आत्महत्याओं का कुल प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	13593	2990	5.58	6.7
2.	असम	19903	1705	8.57	3.8
3.	बिहार	69823	714	1.02	1.6
4.	गुजरात	33961	1793	5.28	4.0
5.	हरियाणा	12851	461	3.59	1.0
6.	हिमाचल प्रदेश	4238	90	2.12	0.2
7.	जम्मू तथा कश्मीर	5954	22	0.37	—
8.	कर्नाटक	37044	5295	14.29	11.9
9.	केरल	25403	4613	18.16	10.3
10.	मध्य प्रदेश	52139	3051	5.85	6.9
11.	महाराष्ट्र	62715	3890	6.20	8.7

1	2	3	4	5	6
12.	मणिपुर	1412	41	2.90	0.1
13.	मेघालय	1328	36	2.71	0.1
14.	नागालैंड	773	5	0.65	—
15.	उड़ीसा	16272	2303	8.77	5.1
16.	पंजाब	16670	359	2.15	0.8
17.	राजस्थान	34108	937	2.75	2.1
18.	सिक्किम	315	17	5.40	—
19.	तमिलनाडु	48297	5490	11.37	12.3
20.	त्रिपुरा	2047	550	26.87	1.2
21.	उत्तर प्रदेश	110886	2477	2.24	5.5
22.	पश्चिम बंगाल	54486	6881	12.63	15.4
	जोड़ : (राज्य)	674218	43,720	6161.48	97.7
23.	अण्डमान और निकोबार	188	72	38.30	0.2
24.	अरुणाचल प्रदेश	628	23	3.66	—
25.	चण्डीगढ़	450	21	4.67	—
26.	दादर और नागर हवेली	104	15	14.42	—
27.	दिल्ली	6196	435	7.02	1.0
28.	गोवा, दमन दीयू	1082	86	7.95	0.2
29.	लक्षद्वीप	40	1	2.50	—
30.	मिजोरम	488	7	1.44	—
31.	पांडिचेरी	604	352	58.28	0.9
	जोड़ (केन्द्र शासित प्रदेश)	9780	1012	10.35	2.3
	कुल योग :	683998	44,732	71.83	100.0

टिप्पणी : जनसंख्या संबंधी आंकड़े 1.3.81 की मतगणना के अनुसार वास्तविक आंकड़े हैं और प्रति एक लाख की जनसंख्या संबंधी वाल्यूम वास्तविक जनगणना संबंधी आंकड़ों पर आधारित है। 1982 के वर्ष मध्य जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-2

1982 के दौरान आत्महत्याओं के कारणों का वर्गीकरण

क्रम सं०	आत्महत्याओं के कारण	घातक आत्महत्याओं की संख्या	आत्महत्याओं का कुल प्रतिशत
1.	परीक्षा में असफलता	771	1.7
2.	सास-ससुर से झगड़ा	3803	8.5
3.	पति-पत्नी में आपसी झगड़ा	2857	6.3
4.	निर्धनता	1202	2.7
5.	प्रेम-प्रणय के कारण	2185	4.9
6.	पागलपन	1428	3.2
7.	जायदाद संबंधी झगड़े	824	1.8
8.	भयानक रोग	6632	14.8
9.	बेरोजगारी	518	1.1
10.	दिवालियापन या आर्थिक स्थिति का अचानक बिगड़ना	374	1.0
11.	प्रियजनों की मृत्यु	380	1.0
12.	सामाजिक प्रतिष्ठा का गिरना	480	1.0
13.	अन्य कारण	23278	52.0
	जोड़ :	44732	100.0

विवरण-3

1982 के दौरान लिंगवार, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों वार और महानगरों के अनुसार वर्गीकरण आत्महत्याएं :—

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/नगरों का नाम	पुरुष	कुल संख्या में पुरुषों को प्रतिशत	महिलाएं	कुल सं० में महिलाओं का प्रतिशत	कुल
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,683	56.3	1,307	43.7	2,990

1 2	3	4	5	6	7
2. असम	1,229	72.1	476	27.9	1,705
3. बिहार	433	60.6	281	39.4	714
4. गुजरात	915	51.1	878	48.9	1,793
5. हरियाणा	246	53.4	215	46.6	461
6. हिमाचल प्रदेश	63	70.0	27	30.0	90
7. जम्मू तथा काश्मीर	13	59.1	9	40.9	22
8. कर्नाटक	3,196	60.4	2,099	39.6	5,295
9. केरल	3,188	69.1	1,425	30.9	4,613
10. मध्य प्रदेश	1,766	57.8	1,285	42.2	3,051
11. महाराष्ट्र	2,239	57.6	1,651	42.4	3,890
12. मणिपुर	33	80.5	8	19.5	41
13. मेघालय	27	75.0	9	25.0	36
14. नागालैंड	4	80.0	1	20.0	5
15. उड़ीसा	1,253	54.4	1,050	45.6	2,303
16. पंजाब	261	72.7	98	27.3	359
17. राजस्थान	547	58.4	390	41.6	937
18. सिक्किम	15	88.3	2	11.7	17
19. तमिलनाडु	3,414	62.2	2,076	37.8	5,490
20. त्रिपुरा	313	56.9	237	43.1	550
21. उत्तर प्रदेश	1,383	55.8	1,094	44.2	2,477
22. पश्चिम बंगाल	3,685	53.5	3,196	46.5	6,881
जोड़ (राज्य)	25,906	59.3	17,814	40.7	43,720
संघ शासित प्रदेश					
23. अण्डेमान और निकोबार	45	62.5	27	37.5	78
24. अरुणाचल प्रदेश	13	56.6	10	43.5	23
25. चण्डीगढ़	15	71.4	6	28.6	21
26. दादर और नागर हवेली	9	60.0	6	40.0	15
					301

1 2	3	4	5	6	7
27. दिल्ली	232	53.3	203	46.7	435
28. गोवा, दमन दीयु	58	67.4	23	32.6	86
29. लक्षद्वीप	—	—	1	100.0	1
30. मिजोरम	6	85.8	1	14.2	7
31. पांडिचेरी	236	67.1	116	32.9	352
जोड़ (केन्द्र शासित प्रदेश)	614	60.7	398	39.3	1012
कुल जोड़	26,520	59.3	18,212	40.7	44,732
शहर					
1. अहमदाबाद	89	48.1	96	51.9	185
2. बंगलौर	395	55.1	323	44.9	718
3. बम्बई	112	54.1	95	45.9	207
4. कलकत्ता	18	43.9	23	56.1	41
5. दिल्ली	219	52.5	198	47.5	417
6. हैदराबाद	107	56.9	81	43.1	188
7. कानपुर	21	47.7	23	52.3	44
8. मद्रास	262	56.7	200	43.3	462
9. जयपुर	61	48.4	65	51.6	126
10. पुणे	78	55.7	62	44.3	140
11. नागपुर	97	49.5	99	50.5	196
12. लखनऊ	—	लागू नहीं है			
जोड़ (शहर)	1,459	53.6	1,265	46.4	2,724

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या तथा प्रति व्यक्ति खर्च

7011. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस शैक्षिक वर्ष में प्रत्येक स्कूल और केन्द्र में अंशकालिक और पूर्णकालिक छात्रों की संख्या कितनी है;

(ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 31 जनवरी, 1985 को कितने छात्र विश्वविद्यालय छोड़कर चले गये; और

(ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वर्तमान शैक्षिक वर्ष में प्रति व्यक्ति खर्च कितना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) शैक्षिक वर्ष 1984-85 के शुरू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिल उन छात्रों की संख्या विवरण-1 में दी गई है, जो विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल और केन्द्र में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) 1984-85 के दौरान दाखिल किए गये छात्रों में से, जो या तो पढ़ाई बीच में छोड़ गये अथवा जिनके नाम निर्धारित समय के अंदर पात्रता की शर्तें पूरी करने में असफल रहने के कारण काट दिये गये, उन छात्रों के ब्यौरे विवरण-2 में दिये गये हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान दिये गये अनुरक्षण अनुदानों तथा 31-1-1985 को छात्र संख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति व्यय लगभग 27, 529 रुपये निकलता है।

विवरण-1

स्कूल/केंद्र	पूर्णकालिक छात्रों की संख्या एम० फिल/पी० एच० डी० एम० ए०	कुल	अंशकालिक कुल
1	2	3	4
1. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल			
अमरीकी तथा पश्चिमी यूरोपीय अध्ययन केन्द्र	39	—	—
कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अर्थशास्त्र अध्ययन केन्द्र	61	—	—
पूर्वी-एशियाई अध्ययन केन्द्र	44	—	—
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा संगठन केन्द्र	70	—	—

1	2	3	4	
दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी तथा केन्द्रीय एशियाई अध्ययन केन्द्र	42	—	—	
सोवियत तथा पूर्व-यूरोपीय अध्ययन केन्द्र	43	—	—	
पश्चिम एशियाई तथा अफ्रीकी अध्ययन केन्द्र	35	—	—	
राजनीति में एम० ए० (अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन)	—	58	—	
	कुल 334	58	392 —	392
II. सामाजिक-विज्ञान स्कूल				
क्षेत्रीय विकास का अध्ययन केन्द्र	102	27	—	
ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र	86	35	—	
सामाजिक पद्धतियों का अध्ययन केन्द्र	106	35	—	
राजनीतिक-अध्ययन केन्द्र	72	28	—	
अर्थशास्त्र अध्ययन तथा योजना केन्द्र	29	44	—	
जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र	27	—	—	—
सामाजिक औषधि तथा समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र	27	—	—	
विज्ञान-प्रणाली अध्ययन केन्द्र	2	—	—	
कुल	451	169	620 —	620

स्कूल/केन्द्र	पूर्णकालिक छात्रों की संख्या			अंश कालिक			
	एम० फिल/पी०एच०डी०	एम० ए०	पूर्व डिग्री डिप्लोमा	प्रवीणता का उच्च डिप्लोमा	प्रवीणता डिप्लोमा	प्रवीणता का प्रमाण पत्र	कुल
III. भाषाओं का स्कूल							
अफ्रीकी तथा एशियाई भाषा केन्द्र	10	90	8	—	7	58	
फ्रेंच अध्ययन केन्द्र	19	77	—	8	31	35	
जर्मनी अध्ययन केन्द्र	6	57	—	—	—	—	
भारतीय भाषा केन्द्र	71	13	—	15	—	16	
भाषाई तथा अंग्रेजी भाषाई केन्द्र	27	25	—	—	—	—	
दर्शन शास्त्र	3	—	—	—	—	—	
रूसी अध्ययन केन्द्र	9	84	—	—	12	25	
स्पेनिश अध्ययन केन्द्र	5	38	—	—	10	60	
कुल	150	363	8	23	60	194	798
IV. जीवन विज्ञान स्कूल	71	19	—	—	—	90	
V. संगणक तथा पद्धति विज्ञान स्कूल	35	—	—	—	—	35	
VI. पर्यावरण विज्ञान स्कूल	55	—	—	—	—	55	
				कुल योग		1990	

विवरण-2

स्कूल का नाम	दाखिल की गई संख्या			× छोड़ने वालों की संख्या			
	एम० फिल/पी० एच० डी०	एम०ए०	अंश-कालिक तथा डिप्लोमा	एम० फिल/पी० एच० डी०	एम०ए०	अंश-कालिक तथा डिप्लोमा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल	126	59	—	9	12	—	21

1	2	3	4	5	6	7	8
2. सामाजिक विज्ञान स्कूल	169	170	—	17	48	—	65
3. भाषाओं का स्कूल	53	173	288	2	28	164	194
4. जीवन विज्ञान स्कूल	32	21	—	5	3	—	8
5. संगणक तथा पद्धति विज्ञान स्कूल	15	—	—	4	—	—	4
6. पर्यावरणात्मक विज्ञान स्कूल	19	—	—	6	—	—	6
	416	423	288	43	91	164	298

× इन आंकड़ों में उन छात्रों की संख्या शामिल है जो या तो पढ़ाई बीच में छोड़ गये हैं अथवा जिनके नाम निर्धारित तिथि तक पात्रता-शर्तें पूरी करने में असफल रहने के कारण काट दिये गये।

महाराष्ट्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति

7012. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) महाराष्ट्र में 1983 से अब तक स्वीकृत की गई और निर्माण के लिए हाथ में ली गई चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में वास्तव में और वित्तीय रूप से अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	31-3-85 तक वास्तविक प्रगति (प्रतिशत)	31-3-85 तक वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	नई लाइनें			
1.	मानखुर्द-बेलापुर (18 कि० मी०) चार्ने क्रीक के ऊपर पुल सहित	0.86	1.42	—

1	2	3	4	5
	आमान परिवर्तन			
1.	परभनी-पूर्णा और मुदखेड़-आदिलाबाद आमान परिवर्तन तथा पूर्णा-मुदखेड़ समानान्तर बड़ी लाइन (248 कि० मी०)	—	0.20	—
	दोहरी लाइन बिछाना			
1.	रावली पर फ्लाई ओवर सहित अंधेरी और बांद्रा के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइनें	1.4	1.15	—
	अन्य यातायात सुविधाएं			
1.	विखरौली-चौथे टर्मिनल की व्यवस्था के लिए भूमि का अधिग्रहण	—	0.04	—
2.	विखरौली-चौथे टर्मिनल की व्यवस्था (चरण-1)	—	—	—
3.	ऊधना-जलगांव खंड-लाइन क्षमता कार्य	—	—	अंशत: गुजरात में
	ऊपरी/निचले सड़क पुल			
1.	कांदीवली-बोरीवली के बीच ऊपरी सड़क पुल	—	0.06	—
2.	पिम्परी में ऊपरी सड़क पुल	27.0	0.36	—
3.	चूनाभट्टी में ऊपरी सड़क पुल	—	0.01	—
4.	वर्धा में ऊपरी सड़क पुल	—	0.05	—
	सिगनल और दूर-संचार परियोजनाएं			
1.	भुसावल-रूट रिले अन्तर्पाशन	—	—	—
2.	बोरीवली-विरार खंड पर रंगीन रोशनी सिगनल ए० सी० वेने टाइप रिले और बिजली आपूर्ति प्रणाली का बदलाव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—
3.	गोरेगांव में मौजूदा वेने टाइप रिले, रेलपथ परिपथन, लीवर फ्रेमों का बदलाव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—
4.	चर्च गेट में 800 लाइन वाले टेलीफोन एक्सचेंज का इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलाव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—
5.	बम्बई उपनगरी खंड में संचार प्रणाली में सुधार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—

1	2	3	4	5
	कारखाने और शेड			
1.	पुणे—60 से 100 रेल इंजनों को ठहराने के लिए डीजल शेड का विस्तार	12.99	1.26	—
	विद्युतीकरण			
1.	दुर्ग-नागपुर (265 कि० मी०)	—	0.01	186 कि०मी० महाराष्ट्र में पड़ता है।

चिकित्सा किटों की खरीद संबंधी दिशा निर्देश

7013. **श्री अनादि चरण दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ग्राम स्वास्थ्य रक्षकों (हैल्थ गाइड) को सप्लाई करने के लिए केन्द्र सरकार के चिकित्सा किटों की खरीद संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है;

(ख) केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई पूर्ण धनराशि को व्यय नहीं कर सके हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होते ही पटल पर रख दिया जाएगा।

मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध, विशेषकर गुजरात में, चलते-फिरते क्लीनिक

7014. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा योजनाओं के पुनःस्थापन के प्रयोजन से देश भर में मेडिकल कालेजों को 300 चलते-फिरते क्लीनिक सप्लाई किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में स्थित मेडिकल कालेजों को ऐसे कितने चलते-फिरते क्लीनिक सप्लाई किये गये हैं और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार को सम्बन्धित मेडिकल कालेजों से चलते-फिरते क्लीनिकों के उपयोग के सम्बन्ध में नियमित रूप से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्यों में प्रत्येक क्लिनिक के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण लाभार्थियों की प्रतिशतता की दर का ब्यौरा क्या है और इस योजना का विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में, जहां डाक्टर और अन्य पैरा-मेडिकल कर्मचारी सामान्य तौर पर सेवा करने को अनिच्छुक हैं, प्रसार करने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने यू० के० सहायता कार्यक्रम के अधीन 318 मोबाइल क्लीनिक प्राप्त किए थे। देहाती तथा अर्ध-देहाती इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य उपचर्या सेवाएं प्रदान करने के कार्य में लगाने के लिए इन क्लीनिकों को चिकित्सा कालेजों के साथ सम्बद्ध किया गया है। गुजरात के चिकित्सा कालेजों को 3 मोबाइल क्लीनिक प्रति कालेज की दर से 15 मोबाइल क्लीनिक सप्लाई किये गये हैं। 5 चिकित्सा कालेजों में चिकित्सा शिक्षण को समयानुकूल बनाने की योजना कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये गुजरात राज्य सरकार को कुल 00.20 लाख रुपये की राशि दी गई। गुजरात में एक चिकित्सा कालेज को छोड़कर बाकी सभी चिकित्सा कालेजों से मोबाइल क्लीनिकों के उपयोग की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। मोबाइल क्लीनिकों का काम शहरी लोगों के बजाय देहाती तथा अर्ध-देहाती लोगों को स्वास्थ्य उपचर्या सेवाएं प्रदान करना है। इन क्लीनिकों का उपयोग अलग-अलग संस्थान में अलग-अलग होता है। जो कई एक बातों पर निर्भर करता है जिनमें वर्तमान देहाती स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप तथा पूरक संसाधनों आदि की उपलब्धता शामिल है। जहां-जहां सम्भव होता है, इन क्लीनिकों की सेवाओं का अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी उपयोग किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मासिस्टों की शिकायतों पर विचार करने के लिए गठित समिति द्वारा की गई शिकायतें

7015. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मासिस्टों की शिकायतों पर विचार करने के लिए गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा समिति का प्रतिवेदन सरकार को किस तारीख को प्राप्त हुआ;

(ख) फार्मासिस्टों की प्रत्येक शिकायत के बारे में समिति के क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इनमें अब तक कौन-कौन-सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है और यदि कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है, तो प्रत्येक के सम्बन्ध में क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मासिस्टों की शिकायतों पर विचार करने के लिए जो समिति गठित की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट 2-5-1979 को प्रस्तुत कर दी थी और उसने पदोन्नति के निम्नलिखित पद सृजित करने की सिफारिश की थी :—

1. वरिष्ठ फार्मासिस्ट एवं स्टोर कीपर।

2. सहायक स्टोर अधीक्षक।

3. जोनल स्टोर अधीक्षक ।

4. डिपो प्रबंधक ।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका ।

दक्षिण दिल्ली में हैजे की महामारी फैलना

7016. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में माह अप्रैल, 1985 में हैजा फैलने की सूचना मिली है;

(ख) क्या दिल्ली में हैजा महामारी का रूप ले रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार हैजे को फैलने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी, नहीं । तथापि, आवश्यक निवारक उपाय शुरू किए गए हैं ।

कुष्ठ रोगी पुनर्वास केन्द्र

7017. **श्री चिन्तामणि जेना** :
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता से देश में कितने कुष्ठ रोगी पुनर्वास केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में कितने कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया; और

(ग) क्या इस संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए देश में और अधिक कुष्ठ रोगी पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में कुष्ठ पुनर्वास संवर्धन एककों की स्थापना करने के लिए एक योजना क्रियान्वित की जा रही है । मंजूर किए गए ऐसे 15 केन्द्रों में से अब तक 7 केन्द्र खोल दिए गए हैं । ये पुनर्वास केन्द्र शारीरिक विकृतियों को ठीक करने के लिए आवश्यक सर्जिकल इलाज करते हैं जिससे कि वे काम-धंधे कर सकें और औजार पकड़ सकें । कुष्ठ रोगियों का उपचार कुष्ठ नियंत्रण एककों, शहरी कुष्ठ केन्द्रों, एस० ई० टी० केन्द्रों और कुष्ठ अस्पतालों आदि में किया जाता है । मार्च, 1985 के अन्त तक विभिन्न एककों में 30.27 लाख रोगी उपचार करा रहे थे ।

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान देश में 9 और कुष्ठ पुनर्वास संवर्धन एकक खोलने का प्रस्ताव है ।

महिला विश्वविद्यालय

7018. **डा० चिन्त मोहन** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी कितने महिला विश्वविद्यालय चल रहे हैं और कब से;

(ख) अब तक कितने विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई है; और अन्य को मान्यता न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार संतुष्ट है कि महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश में पर्याप्त संख्या में महिला विश्वविद्यालय हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस समय देश में 3 महिला विश्वविद्यालय हैं। इनमें से पहले की स्थापना बम्बई में 1951 में की गई थी। दूसरा 1983 में आंन्ध्र प्रदेश में तिरुपति में स्थापित किया गया था और तीसरा 1984 में तमिलनाडु कोडाकनाल में स्थापित किया गया था।

(ख) ये विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधानमण्डलों के अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा और आगे मान्यता देना अपेक्षित नहीं है। तथापि, 1983 और 1984 में आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए गए 2 विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए वि० अ० आ० द्वारा अभी योग्य घोषित किया जाना है।

(ग) देश के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं महिलाओं के लिए भी सुलभ हैं। अतः महिलाओं के लिए अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में उकाई, गांधी नगर तथा ध्रुवरण बिजली घरों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

7019. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उकाई, गांधी नगर तथा ध्रुवरण स्थित बिजली घरों के आधुनिकीकरण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उक्त तीनों बिजली घरों में क्या दोष पाये गए और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उनके आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और उक्त आधुनिकीकरण के बाद उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जाएगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) उकाई, गांधीनगर और ध्रुवारन केन्द्रों की मरम्मत करके विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई कुल ऋण सहायता 21.34 करोड़ रु० है।

(ख) नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कार्य की प्रमुख मदें वायलरों के संबंध में हैं जिनमें इकनोमाईजर और एयर प्रीहीटर नियंत्रण है तथा इन्स्ट्रुमेंटेशन, टर्बो जनेरेटर तथा टरबाइन के सहायक उपस्कर आदि शामिल हैं।

(ग) यह कार्यक्रम लगभग 3 से 4 वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। इन तीन विद्युत केन्द्रों में कार्यक्रमों के क्रियान्वित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन में होने वाली संभावित वृद्धि लगभग

500 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष होने की संभावना है।

श्री चित्रा थिरुनल मेडिकल सेन्टर, त्रिवेन्द्रम का दर्जा

[अनुवाद]

7020. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री चित्रा थिरुनल मेडिकल सेन्टर का दर्जा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सुविधायें दी जा रही हैं;

(ख) इस केन्द्र में किन-किन क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान हो रहा है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इन परिणामों का व्यवहारिक उपभोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संसद के एक अधिनियम के द्वारा गठित यह एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और इसे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। इस संस्थान में बायोमेटिरियल्स साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रयोगशालायें, हृदयरोग विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान के रोगियों के लिए उपकरणों से पूर्ण सुसज्जित सर्जिकल केन्द्र तथा कार्डियो-थोरासिस सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। उपर्युक्त चिकित्सा क्षेत्रों में यहां स्नातकपूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और तकनोलाजी में अनुसंधान और विकास कार्य किया जाता है, बायोसर्फेस तकनालाजी और थ्रोम्बोसेस में मौलिक अनुसंधान अध्ययन किए जाते हैं। इस संस्थान द्वारा विकसित किए गये बायोमेडिकल उपकरणों (डबल ब्लड बैग, डिस्पोजेबल आक्सीजेनेटर और कार्डियोटामी रिजर्वायर-कम-फिल्टर) संबंधी तकनीकी जानकारी भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम के माध्यम से फर्मों को उक्त उपकरणों का वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए प्रदान की गई। इसी प्रकार चित्रा टिल्टिंग डिस्क वाल्व और प्रोस्थेटिक वास्कुलर ग्राफ का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाने वाला है।

विकास गतिविधियों के लिए अनुदान मंजूर करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड

7021. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में विभिन्न कालेजों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भवन, में छात्रावास तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिए अनुदान मंजूर करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या मानदंड और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) क्या शहरी और ग्रामीण कालेजों के बीच कोई अन्तर रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का अन्तर रखा गया है तथा प्रत्येक मामले में वास्तविक कसौटी क्या है; और

(घ) इस संबंध में ग्रामीण और शहरी कालेजों की आयोग द्वारा मान्य परिभाषा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) छठी योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन कालेजों को सहायता प्रदान करता रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है और जहां पर भी लागू हो धारा (ख) के अंतर्गत योग्य घोषित किए गए हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए पात्रता की निर्धारित शर्तें निम्नलिखित हैं :

1. मूल सहायता

जिन कालेजों के डिग्री पायठ्क्रमों में 150 छात्र हैं, और पांच स्थायी अध्यापक हैं, उन्हें संकाय सुधार, पुस्तकें और पत्रिकाएं तथा उपस्करों के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर मूल सहायता संस्वीकृत की जाती है। पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए अनुदान की मात्रा, प्रति छात्र 50 रुपए की दर से, बशर्ते अधिकतम राशि 40,000 रुपए हो, और प्रयोगशाला कार्य वाले पाठ्यक्रमों में उपस्कर अनुदान 150 रुपए प्रति छात्र की दर से बशर्ते अधिकतम राशि 50,000 रुपए हो, निर्धारित की जाती है।

2. विकास अनुदान

विकास अनुदान उन कालेजों को संस्वीकृत किए जाते हैं जिनमें कम से कम 4 विभाग हों तथा प्रत्येक में कम से कम 2 अध्यापक हों और स्थायी अध्यापकों की संख्या 10 हो और डिग्री पायठ्क्रमों में छात्रों की कुल संख्या 300 हो। ऐसे कालेज, जिनमें दाखिले की संख्या 300-600 छात्र हैं, उन्हें कुल अनुदान 4 लाख रुपए संस्वीकृत किया जाता है, जिनमें दाखिले की संख्या 601-2000 है उन्हें 5 लाख रुपए और जिनमें दाखिले की संख्या 2001 और इससे अधिक है उन्हें 7.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इन सीमाओं के अन्दर आयोग की सीमा स्टाफ पुस्तकों और उपस्करों तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिए 75 प्रतिशत की सीमा तक संकाय सुधार कार्यक्रमों तथा उपचारात्मक पाठ्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत तक एवं भवनों के लिए 50 प्रतिशत तक सहायता देता है।

(ख और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों के मामले में उपरोक्त आधार पर सहायता, न्यूनतम दाखिले की अपेक्षा में 300 से 200 तक छूट देकर संस्वीकृत की जाती है।

(घ) सहायता के प्रयोजन के लिए कालेज को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित तब समझा जाता है, यदि यह नगरपालिका निगम, नगर अथवा अधिसूचित क्षेत्र, छावनी अथवा ऐसे ही किसी अन्य नगरी निकायों की सीमा के बाहर स्थित हो।

विद्युत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

7022. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा अब तक मंजूर की गई विद्युत परियोजनाओं के लागत प्राक्कलनों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मूल प्राक्कलनों की तुलना में लागत प्राक्कलनों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) कितनी और कौन-कौन-सी परियोजनाओं में यह वृद्धि हुई है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) केन्द्र द्वारा स्वीकृत की गई देश में ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजना के नाम, मूलतः स्वीकृत लागत और अब प्रत्याशित लागत दिखाने वाले विवरण 1 और 2 सभा पटल पर रख दिए गए हैं [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1130/85**]

(घ) लागत अनुमानों में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं :

(1) संयंत्र और उपस्करों की लागत में वृद्धि;

(2) स्टील, सीमेंट, अन्य कच्चे माल और श्रम की लागत में वद्धि;

(3) भू-वैज्ञानिक तथा स्थल संबंधी अन्य परिस्थितियों के कारण डिजाइन में आवश्यक परिवर्तनों सहित कार्य के स्वरूप में परिवर्तन;

(4) मूल अनुमानों में अपर्याप्त प्रावधान होना; और

(5) विदेशी वित्त व्यवस्था आदि के कारण उपस्करों का आघात आवश्यक हो जाने की वजह से सीमा शुल्क में वृद्धि।

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग

7023. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की स्थानीय समिति की एक दिवसीय बैठक 4 अप्रैल, 1985 को दक्षिण त्रिपुरा में बेलोनिया में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कोई भी सहमति होने में असफलता के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस मुद्दे को निपटाने के लिए सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या अधिकारी स्तर की कोई नई वार्ता शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बैठक 3.4.85 को हुई थी।

(ख) बंगला देश-पक्ष ने बेलोनिया के प्रतिमुख आरंभ किए गए कार्यों को बन्द करना स्वीकार नहीं किया।

(ग) से (ङ) इस मामले पर संयुक्त नदी आयोग की स्थायी समिति में 30 अप्रैल, 1985 को विचार-विमर्श हुआ। मतभेद होने के कारण स्थायी समिति ने उक्त मामले को संयुक्त नदी आयोग को भेज दिया है।

पश्चिम बंगाल में मुख्य रेल-परियोजनायें

7024. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में स्वीकृत की गई मुख्य रेल परियोजनाओं और जिन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य आरंभ किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके संबंध में व्यावहारिक और वित्तीय दृष्टि से अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या प्रगति बहुत धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग (क) से (घ) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान स्वीकृत बड़ी रेल परियोजनाओं की प्रगति सहित उसका ब्यौरा :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदन का वर्ष	मार्च, 85 तक प्रत्याशित व्यय	प्रगति	धीमी प्रगति के कारण, यदि कोई हों
1	2	3	4	5	6
	(क) नयी लाइनें				
1.	एकलाखी-मालदा टाउन से विस्तार सहित एकलाखी-बलूरघाट (110 कि० मी०)	83-84	3.00	2 प्रतिशत	धन की कमी
2.	तामलुक-दीघा (88 कि० मी०)	84-85	—	—	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।
	(ख) दोहरी लाइन बिछाना				
1.	मुरी-बोकारो (चरण III) (13 कि० मी०)	83-84	0.23	—	संसाधनों की कमी
2.	एकलाखी-कुमेदपुर (42 कि० मी०)	84-85	—	—	कार्य को हाल ही में स्वीकृत किया गया।
	(ग) ऊपरी/निचले सड़क पुल				
1.	मालदा में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	83-84	24.80	100 प्रतिशत (रेलवे के हिस्से का काम)	पहुंच मार्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य आरंभ किया जाना है।
2.	जादवपुर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	83-84	7.00	—	नक्शों और अनुमानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
3.	सीरामपुर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	83-84	7.42 लाख	20 प्रतिशत	—
4.	बैलघरिया में ऊपरी सड़क का पुल का निर्माण	83-84	11.15 लाख	15 प्रतिशत	—
5.	सोदपुर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	84-85	—	—	नक्शों और अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
6.	पुरुलिया में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	82-83	—	—	सड़क पहुंच मार्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा नक्शों को अन्तिम रूप दिया जाना है और अनुमानों को स्वीकृत किया जाना है।
	(घ) अन्य कार्य				
1.	मालदा टाउन में नये मंडल कार्यालय की स्थापना	84-85	0.75 करोड़	40 प्रतिशत	—
	(ङ) कारखाने				
1.	लिलुआ-सवारी और माल डिब्बा मरम्मत कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण II)	84-85	0.30	—	इस कार्य को हाल ही में 84-85 के बजट में शामिल किया गया है।
	(च) मैट्रो परियोजनाएं				
1.	सर्कुलन रेलवे, कलकत्ता	84-85	10.0	12 प्रतिशत	योजना आयोग के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
	(छ) यातायात सुविधाएं				
1.	विधानगर रोड--अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण	84-85	0.10	—	हाल ही में बजट में शामिल किया
2.	(क) मालदा टाउन-कुमेमपुर खण्ड-पुराने मालदा के ढ़ांचे में परिवर्तन तथा अन्य यातायात सुविधाएं	84-85	1.25	—	—वही—
	(ख) कुमेदपुर न्युजलपाईगुडी खण्ड-इकदिशिक आदान सुविधाओं सहित 3 स्टेशनों पर दूसरे लूप की व्यवस्था	—	—	—	—
3.	कुमेदपुर-न्यूबंगाईगावं खण्ड				
	(क) कुमेदपुर से न्यू बंगाईगांव तक 52 स्टेशनों पर टोकन रहित ब्लाक संचलन की व्यवस्था	84-85	0.20	—	संसाधनों की तंगी के कारण
	(ख) 12 स्टेशनों पर दूसरे लूप की व्यवस्था				
4.	हल्दिया-पांसकुड़ा खण्ड—खण्ड क्षमता में वृद्धि करना	84-85	0.58	—	हाल ही में बजट में शामिल किया गया।

जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों से अभ्यावेदन

7025. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रौद्योगिकी विभाग में वायुयान अनुक्षरण इंजीनियरिंग का अध्ययन करने वाले छात्रों ने यह लिखित अभ्यावेदन किया है कि उनके पाठ्यक्रम को बी० ई० (इयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्स) के रूप में मान्यता प्रदान की जाए;

(ख) क्या उनके पाठ्यक्रम को इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा अपने संगठन में नागर विमानन महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना रोजगार के लिए मान्यता दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय जामिया द्वारा प्रदान किया जा रहा पाठ्यक्रम डिग्री स्तर का नहीं हैं और इसे बी० ई० (विमान अनुरक्षण) के समकक्ष मान्यता देने के योग्य बनाने के लिए इसके स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इस पाठ्यक्रम के स्नातकों को स्नातक अभियन्ताओं के रूप में रोजगार देने के लिए इंडियन एयर लाइन्स एवं एयर इंडिया द्वारा स्वीकार किए जाने का प्रश्न तभी उठेगा जब इस पाठ्यक्रम का स्तर उचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

रेलवे वैगनों में निर्धारित सीमा से अधिक कोयला लादने के लिए जुर्माने की वसूली

7026. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड से निदेशक रेलवे आवागमन (मूवमेंट) और भारतीय वाणिज्य मंडल महासंघ ने 1984 में यह निर्णय किया था कि रेलवे वैगन में निर्धारित सीमा से अधिक कोयले के लदान के लिए जुर्माना ग्राहक से वसूल किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं जबकि वस्तुतः निर्धारित सीमा से अधिक कोयले का वैगन में लदान करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड अथवा रेलवे जिम्मेदार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस जुर्माने की वसूली ग्राहकों से करने के बजाय कोल इंडिया लिमिटेड से अथवा रेलवे से अथवा उनके लिए जिम्मेदार एजेंसी से करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। माल दर सूची नियमों के अनुसार जुर्माने की वसूली माल भाड़ा देने वाले व्यक्ति से की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

जीव-चुम्बकीय पद्धति (बायोमेग्नेटिज्म) से रोगियों का उपचार

7026-क. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीव-चुम्बकीय पद्धति (बायो-मैग्नेटिज्म) से रोगियों का उपचार करने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो कहां;

(ग) क्या हम इस चिकित्सा पद्धति के संबंध में दूसरे देशों से संपर्क बनाये हुए हैं; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं और उनकी सफलता की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि जीवित अंगों के माध्यम से शरीर में मैग्नेटिक फील्ड से उपचार करना सम्भव नहीं है। तथापि, यह सुविदित है कि मैग्नेटिक उपचार से शरीर की क्रियाओं में अर्थात ब्रेन वेव्ज (ई० ई० जी०) रक्त प्रवाह और सम्भव शोथ प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाता है। यह भी सिद्ध हो गया है कि मानव शरीर मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करता है। इन फील्ड्स का नैदानिक प्रयोजनों अर्थात मैग्नेटोकार्डियोग्राफी का पता लगाने के लिए किया जाता है।

(ख) चिकित्सा के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोमैग्नेटिज्म के जरिये रोग पर असर डालने संबंधी उपकरण भारत में तैयार किये जाते हैं। इनमें से बहुत से प्रारम्भिक अवस्था में हैं और/अथवा नीम-हकीमों तक सीमित हैं। मद्रास में एक चैरिटेबल ट्रस्ट नियमित रूप से मैग्नेटोथेरापी क्लीनिक चला रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) रूस और जर्मनी मैग्नेटिक फील्ड्स के जैविक प्रभावों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अमेरिका में सैद्धान्तिक कार्य किया जाता है।

लक्जरी बस ओनर्स फ्लोरिशिंग रैकेट शीर्षक से समाचार

7026-ख. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री राम समुझावन :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लक्जरी बस ओनर्स फ्लोरिशिंग रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार दिल्ली, जयपुर और आगरा में कितनी डीलक्स और वीडियोयुक्त बसें पंजीकृत की गई हैं;

(ग) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में नियमित टिकटें जारी न किये जाने, डुप्लिकेट टिकट पुस्तकें रखने, विभिन्न नामों से बसें पंजीकृत करने, पंजीकरण के बिना अतिरिक्त बसें चलाने से संबंधित कितने मामले पकड़े हैं, और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दिल्ली, जयपुर और आगरा में इस समय सरकार के नियंत्रण में ऐसी कितनी बसें चल रही हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) जयपुर और आगरा में, पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत डीलक्स और वीडियो

बसों के संबंध में सूचना संबद्ध राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली के मामले में यह सूचना नीचे दी जा रही है :—

	1982	1983	1984
बसें	25	37	41

(ग) प्रश्नाधीन लक्जरी और वीडियो बसें कांट्रेक्ट कैरेज की, जो वाहन को पूरी तरह से उपयोग करने के लिए कांट्रेक्ट के अंतर्गत यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए बनी हैं, श्रेणी में आती हैं और इसलिए यात्रियों को टिकट जारी करने का प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि डुप्लीकेट टिकट पुस्तकें रखने, बिना पंजीकरण कराए अतिरिक्त बसें चलाने या विनियमों की आवश्यकतानुसार पंजीकरण ठीक नहीं होने आदि जैसी कोई अनियमितता उनके ध्यान में नहीं आई है।

(घ) इस समय दिल्ली में वातानुकूलित बसों सहित 20 बसें दिल्ली पर्यटन विकास निगम और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाई जा रही हैं। जयपुर और आगरा के बारे में उक्त सूचना अभी संबद्ध राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है।

गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा लक्जरी और वीडियो युक्त बसें चलाया जाना

7026-ग. **श्री लक्ष्मण मलिक :**
श्री राम समुझावन :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रमुख महानगरों के बीच चलने वाली लक्जरी और वीडियो युक्त अधिकांश बसें गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती हैं, जिनका विभिन्न कर अधिकारियों को धोखा देने हेतु सुनियोजित जाल फैला हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक नगर में महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकांश आपरेटरों के बुकिंग एजेंट हैं जहां यात्री पूरे किराए का अग्रिम भुगतान करके लक्जरी बसों में यात्रा के लिए सीट बुक करा सकते हैं जिसकी उसे रसीद दी जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यात्रियों को कोई टिकट नहीं दिया जाता है और बस-कन्डक्टर नकली रसीद भी इस बहाने से ले लेता है कि बुकिंग एजेन्टों से पैसा लेना है; और

(घ) क्या ऐसी धांधलियां सरकार की जानकारी में आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) प्रश्न में उल्लिखित लक्जरी और वीडियो कोच वाली बसें कन्ट्रैक्ट कैरिज बस की श्रेणी में आती हैं। इस प्रकार की बसें ठेके के अधीन किराये पर पूरी गाड़ी को इस्तेमाल कर यात्रियों को ढोने के लिए होती हैं। अतः व्यक्तिगत यात्रियों को टिकट जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र सामान्यतः जारी परमिट की अवधि के लिए कर

की वसूली करता है और जब गाड़ी राज्य की सीमा को पार करती है, तब दूसरे राज्य के लिए सीमा चेक पोस्ट पर कर की वसूली कर ली जाती है। इस प्रकार के मामले में कर की चोरी नगण्य है।

आल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर परिचालित बसों/कोचों के संबंध में कदाचार और गलत ढंग से परिचालन की घटनाएं सामने आयी हैं और इसलिए टूरिस्ट बसों के गलत ढंग से इस्तेमाल के क्षेत्र को समाप्त करने के लिए स्कीम में संशोधन करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। एक मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है। यह काफी समय से विचाराधीन है। मुझे एक ज्ञापन मिला है। मैं चाहूंगा कि आप इसे कल लें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : दूसरा, आज इस सत्र का शायद अन्तिम दिन है, मैं देश के कलाकारों के बारे में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। हम अमरीका और फ्रान्स में भारत महोत्सव मनाने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप 377 में कर देना।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : तीन भरत नाटयम् कलाकार·····

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए। इस तरह नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने लिखकर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम अनुमति देंगे। लेकिन इस तरह नहीं। मैं इसकी नियमित रूप से अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अनियमित रूप से—मैं नियमित रूप से ही कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको नियम 377 के अधीन अनुमति दूंगा, कोई समस्या नहीं है,

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्रीमन्, मैं पहले आपसे आपके चेम्बर में मिलना चाहता

था। क्षमा करना। लेकिन जब कुछ ऐसी बात हो गई है तो मैं अपना सुझाव यहीं सभा में रखना चाहता हूं। इस सभा के विरुद्ध भेदभाव किये जाने का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने एक प्रश्न की सूचना दी थी, जिसे···**ने मुझे यह कह कर लौटा दिया कि आपका प्रश्न स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने उनसे इस बारे में स्पष्टीकरण पूछा। जो आदमी मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि यह प्रश्न जो कि भारत और इटली के बीच हुए रक्षा मामलों में अनुसंधान के बारे में हुए करार से संबंधित था इसकी अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि इसमें कुछ वर्गीकृत जानकारी है जिसे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं दिया जा सकता। मैं चुप रहा। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है। मुझे हैरानी उस समय हुई, जब मैंने अरब समाचार पत्रों में पाया कि उसी प्रश्न का पूरक प्रश्नों के साथ दूसरी सभा में उत्तर दिया गया है। एक ही जानकारी लोक सभा के लिए वर्गीकृत सूचना और दूसरी सभा के लिए गैर-वर्गीकृत सूचना नहीं हो सकती। हम किस प्रकार के नियम और मानदंड अपना रहे हैं ? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसकी दूसरी सभा में अनुमति दी जा सकती है और इस सभा में नहीं ? किसी को इस बारे में अवश्य जांच करनी चाहिए·····

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूंगा। मैं आपसे बात करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सभा को द्वितीय श्रेणी की सभा नहीं माना जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस बात से बहुत खिन्न हूं। मैंने आपसे बात की है। मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। आपने कहा था कि आप मंत्री से कुछ रिपोर्ट मांगेंगे। मैंने उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहा था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उस रिपोर्ट के बारे में, आपके पास आदमी अवश्य गया होगा। मैं नहीं जानता कि इस बारे में कैसे भेद किया जा सकता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसकी दूसरी सभा में कैसे अनुमति दी गई और यहां अनुमति नहीं दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस बारे में जांच करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बारे में हमें कुछ उपचारात्मक उपाय करने होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूंगा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, श्री पूर्ण चन्द्र मलिक द्वारा दिए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव की क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे कर रहे हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : श्रीमन्, कल इस सत्र का अन्तिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। शायद कल सत्र का अन्तिम दिन हो।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, हमने इतना बोला है। कल शून्य काल में, आप हमारे विशेषाधिकार प्रस्तावों पर निर्णय दें, श्रीमन् आप बोलेंगे और हम सुनेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० रघुमा रेड्डी। नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

12.20 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबंध अधिनियम, 1985, उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबंध अधिनियम, 1985 की धारा 22 की उपधारा 30 के अन्तर्गत, कलकत्ता, भूमिगत रेल (अस्थायी उपबन्ध) सामान्य नियम, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 22 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 735 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 941/85]

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया नई दिल्ली, आदि के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, आदि

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 942/85]

(3) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाओं की एक प्रति ।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 943/85]

(5) नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 944/85]

(7) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 945/85]

(9) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंन्धान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा से संबंधित एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 946/85]

(11) (एक) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(तीन) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 947/85]

(13) अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन; दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन; हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन; नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के वर्ष 1982-83 और 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन; तथा नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं और विश्व भारती के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 948/85]

चिल्ड्रन्स मिस्स सोसाइटी, इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर रखे जाने के कारणों का विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं चिल्ड्रन्स

फिल्मस सोसाइटी, इंडिया के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 949/85]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचना, दिल्ली परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा, पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम 1983 की धारा 124 की उपधारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 305 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 25 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तूतिकोरिन पत्तन न्यास (मकानों का आबंटन) संशोधन विनियम 1985 अनुमोदित किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 950/85]

(2) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 (2-ख) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 357 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 6 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें बम्बई पत्तन की सीमाओं के भीतर चलने वाले ऐसे जहाजों, जो सेल्फ प्रोपेलिंग वाले नहीं हैं, का निरीक्षण, सर्वेक्षण और विनियमन करने के नियम दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी (देखिये संख्या एल० टी० 951/85]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कान्डला पत्तन न्यास, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 952/85]

(5) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 953/85]

(7) पैप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) पैप्सू सड़क परिवहन निगम, के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक लेखाओं तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 954/85]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अधिसूचना संघ सरकार के वर्ष 1983-84 के विनियोग लेखे, आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 10 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 418 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 955/85]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 1983-84 संघ सरकार (सिविल) संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 956/85]

(3) संघ सरकार, के वर्ष 1983-84 संबंधी वित्तीय लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल० टी० संख्या 957/85]

(4) संघ सरकार के वर्ष 1983-84 विनियोग लेखाओं (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 958/85]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अधिसूचनायें

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1984, जो 15 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 764(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 29 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 385 (अ) में प्रकाशित (हिन्दी संस्करण) का एक शुद्धि पत्र ।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 1985, जो 1 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 3(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 8 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का नि० 142(अ) प्रकाशित उसका एक शुद्धि पत्र ।

(तीन) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1985, जो 4 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 11 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 18 अप्रैल 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 368 (अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धि पत्र ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 959/85]

(2) (एक) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 960/85]

12.20 म० प०

आयुध (संशोधन) विधेयक, 1985*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं कि आयुध अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 16-5-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

"कि आयुध अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती राजकुमारी सिन्हा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

13.21 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में झाड़सुगुड़ा स्थित भास्कर टेक्सटाइल मिल्स को पुनः चालू करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : भास्कर टेक्सटाइल मिल्स, झाड़सुगुड़ा उड़ीसा की दो मिलों में से एक है और राज्य के पश्चिमी भाग में अपने ही तरह की एक मिल है। वास्तव में यह झाड़सुगुड़ा में एक बड़ा उद्योग है जो पश्चिमी उड़ीसा का प्रवेशद्वार होने के नाते राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इस मिल के प्रबन्धकों ने दो वर्ष पहले इस मिल को इस कारण बन्द कर दिया कि श्रमिकों में अशान्ति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मिल के मालिक श्रमिकों तथा औद्योगिक कानूनों और विनियमों की जरा भी परवाह नहीं करते। वे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मिलों को पुनः चालू करने के बारे में समझौते के लिए दिये गये निदेशों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसके फलस्वरूप लगभग दो हजार मजदूरों की नौकरी छूट गई है और पिछले दो वर्षों से वे बेरोजगार हैं।

इस निर्धन और असहाय मजदूरों की स्थिति भलीभांति समझी जा सकती है। इस स्थान के इस मुख्य उद्योग के बन्द हो जाने से वहां की अर्थ-व्यवस्था को धक्का लगा है।

फिर भी, मैं उड़ीसा सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इस स्थिति की गम्भीरता को समझकर और मिलों को दुबारा चालू करने के लिए प्रबन्धकों के अड़ियल रवैये को देखकर इसने हाल ही में मिल के राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया है और तदनुसार इस बारे में केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से विशेष रूप से माननीय वस्त्र मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे भास्कर टेक्सटाइल मिल को, इसके वाणिज्यिक महत्व, आवश्यकता तथा इसमें निहित मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए, पुनः चालू करने के लिए उड़ीसा सरकार की सिफारिशों तथा इस निर्णय पर तुरन्त ही आवश्यक कदम उठायें।

(दो) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता

श्री के० रामचंद्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर और चित्तूर और कर्नाटक के

कोलार, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिले चिरकाल से सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। इन पांच जिलों में सिंचाई सुविधायें बहुत कम हैं। अकाल से यह क्षेत्र बार-बार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है तथा गरीब व्यक्तियों का दुःख और कठिनाइयां मानव सहन शक्ति से परे है।

घोर अकाल की स्थिति से लोगों को बचाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाये। ये क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हैं और सिंचाई साधन क्षमता में सुधार करना आसान कार्य नहीं है।

कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में नेत्रावती नदी का करीब 500 टी० एम० सी० पानी अरब सागर में बेकार ही चला जाता है। इस पानी को ऊपरी भद्रा क्षेत्र की ओर ले जाया जा सकता है और इससे इन पांच जिलों में सिंचाई की जा सकती है। इस पर काफी लागत आयेगी। भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा कर्नाटक सरकार मिलकर इस परियोजना को शुरू कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार उक्त जिलों में सिंचाई में सुधार लाने के लिए नेत्रावती नदी के पानी को उपयोग में लाने की संभाव्यता की जांच करवाने का आदेश दे सकती है।

(तीन) डाकघरों के माध्यम से बीमाकृत पत्रों में भेजी गई धनराशि का वितत्त्व कराने के लिए उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में लोगों को जहां जीवनयापन का साधन मिलता है, वहीं पर रहने लगते हैं, किन्तु उनके परिवार के लोग पूर्व-स्थान पर ही रहते हैं और इनका आपस में सम्बन्ध भी बना रहता है, जिसमें सहायक है डाकघर।

आज सबसे बड़ी समस्या है, स्वजनों के पास रुपया भेजने की। कोई भी व्यक्ति कहीं भी धन कमाता है, वह स्वजनों के पास कुछ न कुछ अवश्य भेजता है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मनिआर्डर द्वारा भेजा गया रुपया जहां विलम्ब से पहुंचता है, वहीं पर खर्च भी अधिक पड़ता है, इसलिए गरीब लोग अपना पैसा बीमा किये हुए पत्र द्वारा भेजते हैं। किन्तु इधर काफी दिनों से बीमा किया हुआ पैसा असुरक्षित-सा हो गया है क्योंकि आये दिन बीमों का सील टूट जाना और उसमें से रुपयों का गायब हो जाना आम बात बन चुकी है।

अतः मैं संचार मंत्री का ध्यान उक्त घटनाओं की ओर आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि इनको समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठायें जिससे लोगों में डाकघर के प्रति उत्पन्न अविश्वास समाप्त हो सके।

(चार) बंगलौर शहर को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

****श्री एस० एम० गुरुडी (बीजापुर)** : जो लोग प्रकृति के साथ रहकर उसका आनन्द उठाना चाहते हैं उनके लिए बंगलौर जमीन पर एक जीता-जागता स्वर्ग है। इसे उद्योग का शहर भी कहते हैं। किसी समय संसद का एक सत्र यहां बुलाने का भी प्रस्ताव था। यहां पर पानी से भरी हुई हवायें पूरे ग्रीष्म में चलती है और यहां के लोग सर्दी के दिनों में धूप का आनन्द उठा सकते हैं।

**कन्नड़ में दिये गये मूल वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आपकी नींद खुलते ही पेड़ की सरसराहट की आवाजें सुनाई देंगी और खिड़की खुलते ही अफ्रीकन टुलिप्स, बैनजोनियस, आदि फूलों के वृक्ष ओस में नहाये हुए नजर आते हैं और ये सभी चीजे अपनी आलौकिक सुन्दरता बिखेरती हैं। पूरा दिन घने जंगलों से कोयल और बारबोट्स की मधुर आवाजें सनाई देती हैं तथा शाम को वातावरण चमेली तथा 'मौसम' की महक से सुगन्धित हो जाता है।

परन्तु बंलौर का सौंदर्य बिगड़ता जा रहा है। धीरे-धीरे आबादी में वृद्धि होने, अनियोजित तरीके से हुए निर्माण कार्यों तथा बहुत से उद्योगों की स्थापना की वजह से इस नगर का सौन्दर्य बिगड़ता जा रहा है। कृष्णराजपुरम्, महावतंपुरम् आदि क्षेत्रों में धुंआ बहुत होता है तथा इससे यह शहर अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। कुछ और भी कारण हैं जिनकी वजह से इस शहर की सुन्दरता समाप्त हुई है :—

(1) यहा पर एक दर्जन बी० एड० कालेज हैं। ये पूरे शहर में अलग-अलग जगह नहीं हैं।

(2) विधान सौध, क्यूबन पार्क तथा महारानी कालेज और मौड़ी सेन्ट्रल जेल एक साथ नहीं हो सकते। सेन्ट्रल जेल शहर से बाहर होनी चाहिए।

(3) गांधीनगर एक फिल्म कालोनी है।

(4) कैम्पा गौडा रोड पर, जिसका नाम इस शहर को बनाने वाले के नाम के नाम पर रखा गया है, सिनेमा थियेटरों का जमाव है जिससे वातावरण खराब होता है।

(5) शहर के बीच में स्थित रेसकोर्स होने के गंदे वातावरण से बंगलौर का वातावरण भी खराब हो रहा है।

मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी से इस शहर को प्रदूषण से बचाने एवं इसकी सुन्दरता को बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) कर्नाटक में तुमकुर से बंगलौर तक एक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री जी० एस० बसवराजू (तुमकुर) : तुमकुर एक जिला मुख्यालय है और एक प्रमुख शिक्षा केन्द्र है। यहां पर तीन इंजीनियरिंग कालेज, तीन बी० एड० कालेज तथा बहुत-सी अन्य शिक्षा संस्थायें है। 'होली सिद्ध गंगा सेन्टर' यहां पर स्थित है और यह सम्पूर्ण देश से आने वाले हजारों लोगों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करती है।

तुमकुर कर्नाटक का एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र भी है। नारियल, सुपारी (अरेकानट), 'सैपोटा', आदि यहां पर बहुतायत में पैदा होते हैं और इनमें से कुछ का निर्यात भी किया जाता है। तुमकुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र भी हैं। एच०एम०टी० तथा बहुत-सी अन्य मध्यय व छोटे उद्योग यहां पर स्थित हैं। यहां से लगभग 3000 लोग हर रोज रेल द्वारा बंगलौर जाते हैं। उनमें से 1500 व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारी और विद्यार्थी भी प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। परन्तु दूर्भाग्यवश तुमकुर और बंगलौर के बीच चार डिब्बे वाली केवल दो शटल गाड़ियां चलती हैं। यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। ये शटल गाड़ियां बंगलौर जाने में तीन घंटे का समय लेती हैं जो कि तुमकुर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। सरकारी कर्मचारियों को इन धीमी गति वाली गाड़ियों में छह घन्टे

किराये बढ़ते हैं। इन गाड़ियों में यात्रा करना वास्तव में यात्रियों को कड़ी सजा देना है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस मामले में जांच करने तथा तुरन्त तुमकूर से बंगलौर तक एक एक्सप्रेस गाड़ी प्रतिदिन चलाने का अनुरोध करता हूं।

(छः) वाराणसी से नागपुर होते हुए बम्बई तक एक वायुयान विमान सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वाराणसी एक महत्वपूर्ण नगरी है। यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। भारत के प्रत्येक राज्य से भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग काशी की यात्रा करते रहते हैं। काशी एक महान तीर्थ स्थल भी है। यहां पर विदेशी यात्री भी पर्याप्त संख्या में आते हैं, किन्तु अभी तक वाराणसी का विमान सेवा सम्बन्ध सीधे बम्बई महानगर से नहीं हो पाया है। साथ ही दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण स्थानों में यात्रा करने के लिए भी यात्रियों को दिल्ली से विमान पकड़ना पड़ता है।

मेरा नागरिक उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध है कि वे वाराणसी से बम्बई वाया नागपुर एक विमान सेवा प्रारम्भ करने का आदेश दें। इस विमान सेवा से दक्षिणी भारत के हैदराबाद, तिरुपति त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, मद्रास इत्यादि स्थानों की भी यात्रायें वाराणसी से वाया नागपुर सीधे जुड़ जायेंगी। वाराणसी से बम्बई तथा बम्बई से वाराणसी साथ-साथ बम्बई से दक्षिणी भारत के नगरों में और महत्वपूर्ण स्थानों में यात्रा करने वालों की संख्या पर्याप्त है और जनता की मांग भी है कि बम्बई से वाराणसी वाया नागपुर विमान सेवा तत्काल प्रारम्भ की जाये।

आशा है, नागरिक उड्डयन मंत्री जी इस मांग को तत्काल स्वीकार करेंगे।

(सात) देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करने वाला समाचार प्रकाशित करने पर "दैनिक जागरण" के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दैनिक जागरण, कानपुर के दिनांक 10 मई, 1985 के पृष्ठ 10 पर "राजीव के बाद कौन" खबर प्रकाशित हुई है। उस खबर से उत्तरी भारत में ही नहीं, वरन् दक्षिण भारत में भी लोगों में भारी असंतोष व्याप्त है और इस खबर ने समस्त भारतवासियों के मन में गम्भीर चिन्ता पैदा कर दी है। इस प्रकार की भविष्यवाणी करने वाले ने, जो अपने आपको तांत्रिक बताता है, देशविरोधी कार्य किया है। इस प्रकार की खबरों से देश का सिर नीचा होता है। ऐसे तांत्रिकों के विरुद्ध, जो देश में चिन्ता, भय व अस्थिरता का वातावरण पैदा करने का प्रयास करते हैं, आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए।

(आठ) सूखा राहत कार्य करने और पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के कई जिलों में इस साल सूखा पड़ा है, जिसमें से भंडारा जिले में भारी सूखा पड़ा है। राज्य सरकार की ओर से रोजगार के काम प्रारम्भ हैं फिर भी लोगों को पूरा काम नहीं मिल रहा है। पीने के पानी की अड़चन भी

भारी है, इसमें राहत देने का, जानवरों को चारे की कमी को दूर करने का, लोगों को अनाज और पूरा काम देना जरूरी है और आगे किसानों को बिजाई भी देनी होगी। ऐसी परिस्थितियों में भी किसानों से रोजगार हमी टैक्स, भूमि राजस्व भूमि मापन टैक्स, सिंचाई टैक्स और बैंकों के कर्जों की वसूली चल रही है। कुछ किसानों ने भूमि विकास बैंक से कर्ज लेकर कुएं बनाये, इलैक्ट्रिक मोटर खरीदे। बिजली का कनेक्शन तीन-तीन वर्ष तक नहीं मिल रहे हैं। जिससे किसान कुएं तथा इलैक्ट्रीज मोटर का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं भूमि विकास बैंक के कर्ज की वसूली प्रारम्भ हो गई है। सूखे की वजह से किसान कहां से देवे यह सब वसूली तुरन्त स्थगित करना आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार की सूखा राहत कार्य देखने वास्ते आई हुई टीम ने यह समस्या भी देखी है।

मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि सूखा राहत कार्य में और पीने के पानी की समस्या दूर करने में राज्य सरकार को मदद करने की कृपा करें।

12.34 म० प०

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10—श्री वीरेन्द्र पाटिल द्वारा 15 मई, 1985 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार आरम्भ करेंगे, अर्थात् :

> "कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इसके लिए एक घंटा और अड़तीस मिनट का समय आबंटित किया जाता है और मैं माननीय सदस्यों से संक्षेप में बोलने का अनुरोध करता हूं। श्री जयपाल रेड्डी बोलेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, आज यह विधेयक बजट प्रस्तावों के एक भाग के रूप में हमारे समक्ष है क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा था कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। इस वर्ष का बजट न केवल अनेक महत्वपूर्ण और मौलिक बातों और पिछले तीन से अधिक दशकों से अनुसरण की जा रही स्वीकृत राष्ट्रीय नीति से हटने के कारण बल्कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान बनाई गई भावी नीति से भी हटने के कारण एक असाधारण बजट बन गया है।

बजट केवल वित्तीय प्रस्तावों के कारण महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि कई अन्य गैर-वित्तीय प्रस्तावों के कारण भी महत्वपूर्ण होता है। और गैर-वित्तीय प्रस्तावों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह था। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि नई सरकार किस दिशा में अग्रसर होना चाहती है। कांग्रेस (आई) अब तक समाजवाद का बहाना तो बना रही थी परन्तु अब तो उसने वह बहाना भी छोड़ दिया है। इस सरकार के लिए उस पृष्ठभूमि को अथवा उस स्थिति को याद करना अच्छा होगा जिसमें यह विधेयक पहले स्थान पर लाया गया। छठे दशक में महालोनिस की अध्यक्षता में एक अध्ययन प्रतिवेदन और हजारी की अध्यक्षता में एक अध्ययन

प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया गया था कि इस देश में आर्थिक शक्ति का विकास अनुपात-हीन ढंग से हो रहा है और यह शक्ति निरन्तर कम से कम हाथों में केन्द्रित होती चली जा रही है। इसी कारण एक आयोग, एक स्थायी अर्ध न्यायिक आयोग गठित करने वाला यह कानून 1970 में पास किया गया था।

मैं संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं करना चाहता। मुझे संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए सजग प्रयास करने की आवश्यकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 39(ग) में संविधान निदेश देता है :

> "कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो;"

अब हमें यह देखना होगा कि क्या नया संशोधन संविधान के नीति-निदेशक तत्वों के अनुरूप है? यद्यपि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग पिछले पन्द्रह वर्षों से कार्यरत है फिर भी हमें यह देखना होगा कि क्या आयोग को इच्छानुसार काम करने दिया गया या काम करने की अनुमति दी गई, ताकि इस व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1971 और 1977 के बीच एकाधिकार का विकास 1980 और 83 के बीच हुए विकास से कम था। 1980 में कांग्रेस के सत्ता में लौट आने के बाद सातवें दशक के प्रारम्भ में जो दावे थे वे छोड़ दिए गए।

आज यह विधेयक अचानक नहीं लाया गया है। यह गत पांच वर्षों के दौरान कांग्रेस (आई०) द्वारा अनुसरित की गयी बहुत से नीतियों का एक अच्छा परिणाम है। 1971-77 के बीच देश में दस बड़े ग्रुपों ने अपनी निगमित आस्तियों में 43 प्रतिशत तक की वृद्धि की; दिसम्बर, 1980 और दिसम्बर, 1983 के बीच इन्हीं दस निगमित ग्रुपों ने अपनी आस्तियों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की। उदाहरण के लिए बिड़ला ग्रुप को लें। केवल तीन वर्ष की अवधि में बिड़ला ग्रुप कम्पनियों की आस्तियों का मूल्य 1431 करोड़ रुपये से बढ़कर 2900 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार बिड़ला कम्पनियों के ग्रुप ने अपनी आस्तियों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की। यही स्थिति टाटा बंधुओं के बारे में है। तीन वर्ष की इसी अवधि के दौरान टाटा ग्रुप की आस्तियां 1500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2700 करोड़ हो गईं।

विदेशों में इक्विटी पूंजी में वृद्धि की प्रवृत्ति की यही स्थिति थी। यदि हम इस क्षेत्र में देश में 8 औद्योगिक घरानों के मामले को लें तो हमें पता चलेगा कि विदेशों में उनकी इक्विटी 66 प्रतिशत तक है। यहां पर पुनः बिड़ला ग्रुप बाजी मार गये हैं। बिड़ला ग्रुप कम्पनियों की विदेशों में इक्विटी पूंजी 30 प्रतिशत है। अब सरकार को विचार करना चाहिए कि बड़े ग्रुपों की निगमित आस्तियों में लगातार तेजी से वृद्धि होने के पीछे कारण क्या है और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग उन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल हुआ है जिसके लिए इसकी स्थापना अथवा गठन किया गया था। इसका कारण यह है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को जान-बूझकर एक बेजान संस्था अथवा एक दिखावटी संस्था बने रहने की अनुमति दी गई है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की भूमिका केवल सिफारिशें करना है। एक विशेषज्ञ के गंभीर विचार, जो एक न्यायिक आयुक्त हैं, सरकार पर बिलकुल बाध्यकारी नहीं हैं। दूसरे, मैं यह भी उल्लेख कर सकता हूं कि सरकार के लिए

जरूरी नहीं है कि वह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग कम्पनियों के सभी मामले आयोग के पास भेजे। सरकार अपनी मर्जी से इन कम्पनियों के गुणावगुण पर निर्णय कर सकती है। जनता शासन के दौरान नियुक्त की गई सच्चर समिति ने इस प्रश्न पर बिचार किया और उसने उल्लेख किया है कि अधिनियम की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत 246 मामलों में से जनवरी, 1974 और दिसम्बर, 1976 के बीच भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निपटाये गये 227 मामले थे जो सरकार ने आयोग को सौंपे बिना स्वयं ही निपटाये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को दस मिनट दे रहा हूं। अतः यहां पर बहुत से सदस्य शिकायत कर रहे हैं। मैं इससे अधिक समय की अनुमति नहीं दे सकता हूं। आपके आठ मिनट खत्म हो चुके हैं, दो मिनट अभी और हैं। कई सदस्यों ने बहुत-सी शिकायतें की हैं कि मैं कुछ सदस्यों को अधिक समय दे रहा हूं और कुछ सदस्यों को कम समय दे रहा हूं। मैं दोबारा सदस्यों से इस प्रकार की शिकायतें नहीं सुनना चाहता हूं। मैं इस प्रकार का भेदभाव नहीं बरतना चाहता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार यदि आयोग की खुले रूप से अवमानना नहीं कर रही है तो वह जान-बूझकर इसकी घोर उपेक्षा तो कर ही रही है।

जैसा मैंने उल्लेख किया है यह एक निष्प्रभावी संस्था है। इसमें पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं तथा इसके पास अपने आदेशों के बारे में जानकारी उपलब्ध करने अथवा उन्हें लागू करने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। आयोग के पास भेजे गये कुछ मामलों पर भी इसे अन्तिम आदेश देने के अधिकार नहीं है।

अब मैं उस तरीके का उल्लेख करूंगा जिसमें आयोग सदैव न केवल एकाधिकार के विकास में वृद्धि को रोकने अपितु अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के क्षेत्र में भी निष्प्रभावी प्रमाणित हो रहा है।

आयोग ने 6 अगस्त, 1970 को इसकी स्थापना होने से लेकर 31 दिसम्बर, 1982 तक केवल 404 जांच की हैं। इन 404 जांचों में आर० आर० टी० ए० के आवेदन-पत्रों के आधार पर आयोग ने 153 और स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर 233 जांच की थीं। यह नोट करना अत्यन्त रुचिकर है कि व्यापारी अथवा उपभोक्ता संघों, जिनकी सदस्य संख्या 25 प्रतिशत से अधिक है, द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर केवल 16 जांच की गई थीं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा गत 13 वर्षों में केवल दो मामले भेजे गये थे। यह नोट करते हुए खेद है कि इस देश में राज्य सरकारों ने गत 13 वर्षों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास एक भी मामला नहीं भेजा था। दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी बड़ी कम्पनियां कर से बच रही हैं। वे लघु क्षेत्र की इकाइयां को दी गई विशेष सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा।

थाइरिसटर्स कन्ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अंतर्गत 1978 से रिलायन्स टेक्सटाइल ग्रुप के एक भाग के रूप में पंजीकृत हुई थी, अब और लघु इकाई के रूप में सरकार से खरीद के उद्देश्य से एन० एस० आई० सी० में पंजीकृत है।

स्केफको इंडिया बेयरिंग, जो टाटा ग्रुप की एक कम्पनी है, जिसमें 39 प्रतिशत विदेशी

लेयर हैं, 1971 से एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। वर्ष 1981 की इसकी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कम्पनी की लाइसेंसशुदा क्षमता नहीं है लेकिन यह लघु इकाई के रूप में महाराष्ट्र में पंजीकृत है।

मैं एक अन्य मामले का भी जिक्र करूंगा। सिंहानिया ग्रुप की होयलेज पेंट्स 1971 से एम० आर० टी० पी० की कंपनी है। उसने 1981 में दावा किया कि लाइसेंसशुदा क्षमता निदेशक, कुटीर और लघु उद्योग, पश्चिम बंगाल के यहां दाखिल कराई गई रिटर्न के मुताबिक है।

औषध और दवा निर्माण उद्योग में विदेशों का अधिकतम प्रभुत्व है और वे लघु इकाइयों के रूप में चल रहे हैं।

अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे यू० एस० वाईटामिन्स, फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन और ऐली जैली को सरकारी खरीद के लिए लघु इकाइयों की सूची में रखा गया।

कार्टर वैलैस ने लघु इकाई होने का दावा किया।

क्या मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि आयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जायेंगे।

इस विधेयक से केवल यह पता चलता है कि सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में नहीं रहा और इसने सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा अर्थ-व्यवस्था को चरम सीमा तक विकसित करने के अपनी प्रतिबद्धता को छोड़ दिया है, इसने सारा लाभ बड़े व्यापारियों को देने की सोच ली है।

श्री बृजमोहन महंती (पुरी) : जहां तक इस संशोधन का संबंध है, यह युक्तिसंगत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कानून संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों और निदेशात्मक तत्वों के प्रतिकूल जाने वाला नहीं है जनता पार्टी को, जब वह सत्ता में थी, संविधि पुस्तक से इसे हटाने से किसने रोका था? स्थिति की अनिवार्यता को, जो हमें पसंद न हो, स्वीकार करना होगा। अनिवार्य बुराई को स्वीकार करना होगा। समय की आवश्यकता क्या है? आज जरूरत है अधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी और पूंजी की। इसी कारण चीन में पारंपरिक विचारधारा के स्थान पर उन्होंने अपनी नई विचारधारा बना ली है। लेकिन यह विकास की नीति है। जहां तक चीन सरकार के राज्याध्यक्ष का सम्बन्ध है, उन्होंने यह सिद्धांत स्वीकार किया है कि बिल्ली चाहे काली हो या सफेद, यदि वह चूहे पकड़ पाती है तो ठीक है। प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, संरक्षण की प्रक्रिया चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि इससे उत्पादन और क्षमता बढ़ती है, तो इसे स्वीकार करना होगा। इसलिए जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चीन में आमंत्रित किया गया है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी विकास के मामले में अमरीका के साथ उनके आपसी सम्बन्ध हैं। अब उन्हें अमरीका से कुछ परमाणु प्रौद्योगिकी मिल रही है। पश्चिम यूरोप के समाजवादी देशों में क्या हो रहा है? स्वीडन और फ्रांस अब निजी क्षेत्र पर अधिक बल दे रहे हैं और सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र वालों के हाथ में दिया जा रहा है। इसका कारण यह है कि वह अधिक उत्पादन चाहते हैं।

यह संशोधन बजट में स्वीकृत हमारी नीतियों को फल है। कमजोर भारत समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। जब भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तभी इसका अन्तर्राष्ट्रीय

जगत में नाम होगा। यहां तक कि छोटे देश भी आज हमारी कमजोरियों के कारण हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाए हुए हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें हम शक्तिशाली नहीं लगते। हमें अधिक आधुनिक और पूंजी की आवश्यकता है। यदि हम सभी बड़े गृहों को समाप्त कर दें तो क्या विकास संभव होगा ?

1972 में केवल 815 बड़े उद्योग पंजीकृत किए गए। उनकी परिसंपत्ति कुल 5,600 करोड़ रुपए हो गई और 1982 में उनकी परिसम्पत्ति बढ़कर 21,600 करोड़ रुपए हो गई। ये सरकारी आंकड़े हैं। 1972 में पंजीकृत उपक्रमों की संख्या 850 थी तथा 1981-82 में यह बढ़कर 1,270 हो गई। यह प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिर भी हमें मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति संबंधी दबावों पर विचार करना है। हमें यह देखना है कि कीमतें किस प्रकार बढ़ी हैं, निवेश लागत किस प्रकार बढ़ी है। अतः वास्तविक रूप से यदि आप मूल्य सूचकांक के अनुसार हिसाब लगायें तो 20 करोड़ रुपए शायद अब 50 करोड़ या 60 करोड़ रुपए हो जायेंगे और सरकार इसमें संशोधन करके इसे 100 करोड़ रुपए कर रही है क्योंकि जब तक हम बड़ी कम्पनियों को, जिन्हें बहुत निवेश की आवश्यकता है, अवसर नहीं देंगे तब तक वे इसे नहीं कर सकती हैं। इसलिए संशोधन बिल्कुल उचित है और मेरा यह अनुरोध है कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। 1972 में जब यह अधिनियम पेश किया गया था, तब उस समय इस पर विवाद था। उस समय कुछ लोगों ने सैद्धांतिक दृष्टि से इस पर आपत्ति की थी। परन्तु जब एक बार हमने इस प्रक्रिया को स्वीकार किया है तो अब इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

हमें इसके दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए अर्थात सरकारी क्षेत्र का विकास। वर्ष 1980-81 में सरकारी क्षेत्र का विकास 26.3 प्रतिशत था जबकि एम० आर० टी० पी० घरानों की वृद्धि केवल 20.7 प्रतिशत थी। अतः यह एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है जिसे हमने अपनाया हुआ है। यह पूर्णतः समाजवादी अर्थ-व्यवस्था नहीं है और इस अर्थ-व्यवस्था को बदलकर पूर्णतः समाजवादी अर्थ-व्यवस्था लाने में कई वर्ष लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने समाजवाद के लक्ष्य से हट गई है या कांग्रेस दल इससे हट गया है। हम समाजवाद के समर्थक हैं। समाजवाद भगवान की देन नहीं है, यह कई दशकों से संघर्ष का नतीजा है कि कांग्रेस दल ने समाजवाद के लक्ष्य को अपनाया है। सहकारी राष्ट्रमण्डल समाज के समाजवादी ढांचे और फिर समाजवादी समाज को। कांग्रेस दल ने समाज के अमीर लोगों सहित हर संप्रदाय के लोगों, सामन्तवादी, श्रम-जीवी वर्ग और सबसे गरीब व्यक्तियों को गले लगाया है। अतः यह स्वाभाविक है कि हमें समाजवाद को, जो कि हमारा लक्ष्य है, प्राप्त करने के लिए कई दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। नई आव-श्यकताओं के कारण हम अपने विकास की नीति में परिवर्तन कर रहे हैं। मैं इस संशोधन का पूरा समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि आप मध्याह्न भोजन को छोड़ दें। जो भी मध्याह्न भोजन करना चाहते थे वे पहले ही चले गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप मध्याह्न भोजन छोड़ रहे हैं। इसलिए अब मैं श्री अमल दत्त से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : कांग्रेस दल से कोई नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, बहुत से लोग हैं

श्री अमल दत्त : समाजवादी चले गये हैं।

एक माननीय सदस्य : वे मध्याह्न भोजन के बाद आयेंगे।

श्री अमल दत्त : महोदय, यह उन सुझावों में से एक सुझाव है जिसे बजट में से एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के लिए परिसम्पत्तियों के मूल्यों की सीमा को बढ़ाने के लिए लाया गया है। इससे पता चलता है कि यह एम० आर० टी० पी० कार्य कर रहा है। वास्तव में यह कोई बात नहीं हैं कि चाहे अधिकतम 20 करोड़ सीमा रुपए या 100 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए निर्धारित की जाये।

मेरे माननीय दोस्त श्री रेड्डी ने बिड़ला ग्रुप का उल्लेख किया है। वास्तव में बिड़ला ग्रुप, टाटा ग्रुप के पास 2000 करोड़ रुपए से अधिक की परिसम्पत्तियां हैं पर यदि वे विस्तार करने के लिए किसी प्रस्ताव के साथ आगे आते हैं तो सरकार द्वारा उसे स्वतः मंजूरी दी जाएगी। अतः 100 करोड़ रुपए तक की सीमा को बढ़ाना वास्तव में कोई बात नहीं है। मेरे विचार में अब केवल 50 या 60 कम्पनियां रह जायेंगी क्योंकि बहुत-सी चोटी की कम्पनियां पहले से ही 100 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा पार कर चुकी हैं।

1.00 म० प०

लेकिन यह विशेष अधिनियम सरकार द्वारा इसके प्रारम्भ होने के समय 1970 से किस तरह से लागू किया जा रहा है? इसकी बहुत जिज्ञासा है। सरकार ने अन्तर्मंत्रालय सलाहकार ग्रुप स्थापित किया था। एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इस ग्रुप का गठन किया गया था और इस ग्रुप ने सरकार को यह सलाह देनी थी कि क्या एम० आर० टी० पी० कम्पनी के एक विशेष प्रस्ताव की एम० आर० टी० पी० आयोग द्वारा और आगे जांच करने की आवश्यकता होगी। और जैसा कि होता है, अधिकांश मामलों में ग्रुप ने यह सिफारिश की थी कि जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग को भेजे बिना ही सरकार ने 90 प्रतिशत मामलों का निपटान स्वयं ही कर दिया था। अतः जैसे मेरे माननीय दोस्त श्री रेड्डी ने ठीक ही कहा है कि आयोग केवल दिखावे के लिए है। यह आयोग उन लोगों के लिए था जो भारत से बाहर थे या उन लोगों के लिए जिनकी समाजवाद में आस्था और विश्वास है तथा जो सोचते हैं कि कांग्रेस आर्थिक शक्ति के केन्द्रण था इसके किसी भाग के केन्द्रण को रोकने से जैसे समाजवाद के कुछ आदर्शों को किसी न किसी तरह लागू कर रही है। इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए यह आयोग है। इसके 15 वर्षों की अवधि में कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, क्योंकि संविधि इस तरीके से बनायी गई है कि यह आयोग तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक सरकार नहीं चाहेगी। और सरकार ने यह नहीं चाहा है कि यह किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करे।

अब आयोग ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में एक सुझाव दिया है कि जहां तक आयोग का संबंध है सरकार का काम करने का यह विशेष ढंग बहुत उबाने वाला है। उसने इसलिए असहाय महसूस किया है कि सरकार इसको मामले नहीं भेजती है। इसने कहा है कि सरकार के लिए ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाएं कि किस प्रकार के मामले आयोग के पास अवश्य भेजे जाएं और किस प्रकार के नहीं। अभी तक सरकार ने इस प्रकार के कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं बनाए

हैं। यदि मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाते हैं तो सरकार का विवेक खत्म हो जाता है। अत: इसे कोई मार्गदर्शी सिद्धांत क्यों बनाने चाहिए। सरकार ने इस दृष्टि से सभी प्रकार के तरीके अपना लिए हैं कि आयोग अपना वह कार्य न कर सके जिसे कानून द्वारा इसे दिया गया है। शुरू से ही इसका कार्य केवल परामर्श देने का रहा है। आयोग की सिफारिशों में आदेशात्मक बात कोई नहीं है। ऐसे मामले हुए हैं जहां आयोग को मामला भेजने के बाद भी सरकार ने इसकी सिफारिशों को अस्वीकार किया है।

अत: यह 20 करोड़ रुपए की सीमा, जिसको कि बढ़ाया जा रहा है, जैसा कि उद्देश्यों के खण्ड में बताया गया है, मुद्रास्फीति के कारण है जिससे लागत में वृद्धि हुई है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह उल्लेख है :

> "उस समय के पश्चात से परियोजनाओं की लागत और उनके आर्थिक स्वरूप में हुई पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह सीमा पुनरीक्षित करके सौ करोड़ रुपए कर दी जाए।"

अब शुरू में जब माननीय मंत्री ने यह विधेयक पेश किया था तब उन्होंने कहा था कि 20 करोड़ रुपए के मूल आंकड़े अस्थायी हैं। मैंने उस समय को जब इस मूल अधिनियम को अधिनियमित किया, वाद विवाद को पढ़ा है और मैंने यह पाया है कि उस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कि अस्थायी सीमा सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वस्तुत: मैं कहना चाहूंगा कि तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ गई है तथा इस तथ्य के देखते हुए कि बहुत-सी कम्पनियां, जो 20 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी से कार्य कर रही हैं और सरकार उन्हें कार्य करने की अनुमति दे रही है तो सीमा को बढ़ाने की किसी भी तरह से आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ सीमा को घटाया जा सकता है। अत: सरकार का या तो प्रतिस्पर्धा में विश्वास है अथवा विश्वास नहीं है। यदि यह एकाधिकार में विश्वास रखती है तो यह विधेयक पेश करना सही है। यदि यह प्रतिस्पर्धा और समाजवाद में विश्वास करती है तो इस सीमा को कम कर देना चाहिए था। परन्तु सरकार ने इस विधेयक को बड़ी बुद्धिमत्ता से पेश किया है जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जब तक बड़े एकाधिकार गृहों के कार्य करने का संबंध है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे यह सांविधिक सीमा बढ़ायी जाये या नहीं क्योंकि उनके पास पहले से ही इससे बहुत अधिक पूंजी है कई उदाहरण पहले ही दिए गए हैं विभिन्न वक्ताओं द्वारा कि संविधिक पुस्तक में इस विधेयक के होने पर भी यह किस प्रकार से, पिछले 15 वर्षों के दौरान आर्थिक शक्ति का केन्द्रण हुआ है। 15 वर्षों में कुछ कम्पनियों का परिसम्पत्तियां 250 करोड़ रुपये से 2500 करोड़ रुपए तक हो गई हैं। इस प्रकार से ये 10 गुना बढ़ गई हैं। इस प्रकार की बातें हुई हैं। हम जानते हैं कि वे कौन-सी कम्पनियां हैं और सम्भवत: 101 कम्पनियां हैं जो 20 करोड़ रुपए की सीमा से ऊपर हैं, जिनमें से 61 कम्पनियों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वे पहले से ही 100 करोड़ रुपए की सीमा से अधिक है जो कि निर्धारित की जा रही है। परन्तु लाभ पहले से ही हैं, क्योंकि उनकी अपनी सरकार है। वे जानती हैं कि जब कभी वे सरकार के पास किसी न किसी कारण से नया प्रस्ताव लेकर जायेंगी तो सरकार उन्हें अनुमति देगी और सरकार कोई कारण भी नहीं बतायेगी। अत: किसी भी तरह के विस्तार की अनुमति दी जा रही है।

उनकी लाइसेंस क्षमता की तुलना में उत्पादन के मूल्य में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अनुमति दिए जाने के कारण प्रभुत्व और परिसम्पत्ति की संकल्पना में पहले ही काफी कमी आई

है। इसके अलावा परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। यदि लागत बढ़ती है तो इसका न केवल भविष्य में किए जाने वाले निवेश पर ही प्रभाव पड़ता है बल्कि उसका मौजूदा परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब, एक कम्पनी जिसकी मौजूदा परिसम्पत्ति का अंकित मूल्य 20 करोड़ रुपए है, की परिसम्पत्ति 20 से 25 करोड़ रुपए या इसी के लगभग दिखाई जाती है। यदि इसका वर्तमान मूल्यों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करें तो यह 100 करोड़ रुपए से अधिक होगी। अतः इस बारे में सरकार क्या कर रही है? मंत्री महोदय इस संबंध में उत्तर दें। यदि इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो 51 कम्पनियों, जो अब प्रभावित होनी चाहिए थी अन्यथा जिनका मूल्य 100 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, की बजाय इनकी संख्या 200 या 300 कम्पनियों से अधिक हो सकती है और मुझे विश्वास है कि सरकार इसे करने नहीं जा रही है।

बजट प्रस्ताव का एक दूसरा पहलू यह है कि सरकार उन प्रबन्धों को, जिन्होंने कम्पनी की वास्तविक परिसम्पत्तियां को शून्य करके इसे बरबाद कर दिया है, दण्ड देगी। मुझे यह समझना चाहिए था कि इसकी अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि विस्तार करने, इक्विटी में और वृद्धि करने और इसी तरह की सभी बातों की मंजूरी सरकार के विवेक पर है। परन्तु दूसरी तरफ हम पाते हैं कि जब तक कम्पनी की वास्तविक परिसम्पत्तियों में कमी का संबंध है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। हम जानते हैं कि रोज कितनी कम्पनियां रुग्ण हो रही हैं। जैसा कि संसद में उत्तर दिया गया है उसके अनुसार अब 2,000 कम्पनियां रुग्ण हैं। यदि ऐसा है तो सरकार को यह कहना आवश्यक होना कि जो प्रबन्धक एक कम्पनी के बाद दूसरी कम्पनी को बरबाद करते जा रहे हैं उन्हें सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक निधि भी उपलब्ध नहीं कराने दी जाती है। लेकिन सरकार इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कोई विधेयक पेश करने की परवाह नहीं करती है। इसके विपरीत इसे एकाधिकारियों को गले लगाना है। अतः इसने सत्र में ही इस विधेयक को पेश किया है।

आर्थिक शक्ति का केन्द्रित होना बहुत समय से देखा गया है। इस विधेयक के अधिनियमित होने से पहले भी चार समितियों ने इस बारे में विचार किया था। महालानोनिस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1960 में प्रस्तुत की थी। इसके बाद हाजर समिति बनी। उसके बाद एकाधिकार जांच समिति बनाई गई थी तथा इसके बाद दत्ता समिति बनाई गई थी। इन सभी समितियों को दो बातें नजर आईं कि आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो रही है तथा विषमता बढ़ रही है। इसका एक कारण यह था कि सरकार की लाइसेंस पद्धति इस प्रकार से कार्य कर रही है जिससे आर्थिक शक्ति के केन्द्रण को बढ़ावा मिले। मैं जानना चाहता हूं कि लाइसेंस पद्धति इस तरह से कार्य न करे इसके लिए पिछले 15 वर्षों में सरकार ने क्या किया है। इसके विपरीत मैं समझता हूं कि यह लाइसेंस पद्धति अनुचित ढंग से कार्य करती रही है। अन्यथा कुछ कम्पनियां अपनी परिसम्पत्तियां किस प्रकार बढ़ा सकती हैं? उन परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य में पिछले 15 वर्षों में 10 गुना वृद्धि हुई है उनके बाजार मूल्य में नहीं। अतः यदि यह पहले ही हुआ है तो इसे और आगे कम करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को खुश करने और कुछ लोगों को चुप करने के लिए ही सरकार इस विधान को लाई है अन्यथा जो कुछ वह करना चाहती है वह किया जा सकता है और इसे किया जा रहा है। केवल यही नहीं इसे किया जा सकता था और एकाधिकार आयोग को मामले न भेज करके यह पहले ही कर रही है और स्वयं मामलों को निपटा रही है। किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न कम्पनियों को पूरी छूट देने के लिए इस प्रणाली

में अनेक कमियों और त्रुटियों को बनाए रखने दे रही है। इन कमिलों का वह उदारतापूर्वक प्रयोग कर रही है। अतः मैं यह कहूंगा कि यह भी एक प्रस्ताव है, जिसके द्वारा सरकार एक तरफ तो विश्वभर में समाजवाद का दावा करती है, लेकिन भारत में वह पूंजीपतियों और एकाधिकारियों का पक्ष लेती है क्योंकि वह उनके धन का स्रोत है। मैं समझता हूं कि आज हमें राजनीतिक दलों के चंदा देने के बारे में कानून बनाने के एक विधेयक मिला है। अतः इन सबको एक साथ मिला करके इन लोगों की तरफदारी करनी होगी, ताकि वे सत्ता दल को चंदा दे सकें। इसलिए यह भी एक मुद्दा है जहां बजट के प्रस्ताव सरकार के वास्तविक आचरण के अनुरूप हैं अर्थात् यह पूंजीपतियों और एकाधिकारियों की समर्थन है।

बाहरी विश्व को यह एक भिन्न तस्वीर पेश करती है कि यह समाजवाद और गुटनिरपेक्षता तथा इसी तरह की बातों की समर्थक है। लेकिन वास्तव में यह देश के भीतर बहुत भिन्न प्रकार का आचरण कर रही है। जहां तक विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने तथा व्यापारिक समझौते करने के लिए प्रौद्योगिकी सहयोग प्राप्त करने का संबंध है, वह अधिकाधिक रूप से साम्राज्यवादियों की ओर जा रही है और मैं समझता हूं कि यह सरकार की वर्तमान नीति है, हम इसकी आलोचना करते हैं किन्तु वर्तमान सरकार इसी प्रकार के कार्य करती रहेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, इस संशोधनकारी विधेयक को आगे पेश करने के लिए सरकार ने तो कारण बताए हैं जैसा कि विवरण के उद्देश्यों और कारणों के कथन में बहुत संक्षेप में यह बताया गया है कि परियोजनाओं की लागत और आर्थिक आधार में हुई पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परिसम्पतियों की सीमा में 100 करोड़ रुपए करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है। लेकिन महोदय, मैं माननीय मंत्री को इस अवसर पर याद दिलाना चाहता हूं कि एम० आर० टी० पी० अधिनियम के मूल उद्देश्यों के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। एम० आर० टी० सी० अधिनियम को इस कारण से नहीं लाया गया था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, सरकार द्वारा 1969 में यह एक उपाय किया गया था। लेकिन मैं सरकार को सन्देह का लाभ दूंगा। परन्तु वे उस समय निस्संदेह सरकार की छवि को निखारने की कोशिश कर रही थीं जो बैंकिंग उद्योग के राष्ट्रीयकण, निजी थैलियों के उत्सादन करने और वे सभी प्रकार के उपाय जो उस समय उस अवधि में किए गए थे, सहित कुछ आमूल सुधार लाने के लिए उत्सुक थीं उनमें से एक एम० आर० टी० पी० अधिनियम का विधान था।

इस प्रकार से एम० आर० टी० पी० अधिनियम के उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति विकास में सहायक या गैर सहायक उपक्रम के आधार से कुछ नहीं था। एम० आर० टी० पी० अधिनियम को उत्पत्ति के मूल आधार राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भारत के संविधान में दिए गए हैं। यदि आप मूल एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के उद्देश्यों को देखें तो आपको पता चलेगा कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) हैं जिसमें यह व्यवस्था है कि राज्य अपनी नीतियों-उद्देश्यों को लेकर बनाएगी।

पहला उद्देश्य यह है कि समुदाय के आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण और स्वामित्व का इस प्रकार वितरण किया जाए कि जो आप लोगों के हित को सहमत हो। दूसरा उद्देश्य यह है कि आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार से न हो कि सम्पति तथा उत्पादन के साधनों का केन्द्रण हो जो सामान्य तौर पर हानिकर हो। मैंने संविधान से उद्धृत किया है। अतः एम० आर० टी० पी० अधिनियम की पूरी योजना का आधार यह है। अब इस मानदण्ड के अनुसार मंत्री जी को हमें

बताना चाहिए कि संशोधी विधेयक को पेश करने का क्या औचित्य है। इसका कारण क्या है? जैसा कि श्री अमल दत्त ने बताया है कि मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सब पर जाऊं।

वास्तव में इस एम० आर० टी० पी० आयोग को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लघु क्षेत्र के हित में, सरकारी क्षेत्र के हित में तथा गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के हित में आर्थिक शक्ति के केन्द्रण पर अंकुश लगाना, इसे कम करना और बड़े घरानों के देश के बाजार में हिस्से को कम करना था। बहुत-सी बड़ी कम्पनियां हैं लेकिन वे एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अंतर्गत नही आती हैं। परन्तु कुछ छोटे उद्योग हैं, सरकारी क्षेत्र हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की यह योजना थी कि कुछ कम्पनियों के हाथों में अधिक शक्ति का और केन्द्रण रोकना चाहिए और बाजार में उनके शेयरों को भी धीरे-धीरे कम करना चाहिए। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि हमने इन 15 या 10 वर्षों में इस अधिनियम को कहां तक लागू किया है तथा एम० आर० टी० पी० आयोग कहां तक कार्य करता रहा है। हम उस दिशा में जा रहे हैं या क्या हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं सरकारी आकड़े सिद्ध करते हैं कि इन कम्पनियों की परिसम्पतियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। वे औसतन 26 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही हैं। यदि आप सबसे उपर की 25 बड़े घरानों के लें—ए० सी० सी०, अशोक लीलेण्ड, बजाज, बांगुर, बिडला, चौगुले, डनलप, हिन्दुस्तान लीवर, इंडियन दुबैको कम्पनी, आई० सी० आई०, जे० के०, सिंहानिया, किरलोस्कर, खराऊ, लारसेन और ट्रौबरो, मफतलाल, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, मोदी, रिलाइंस टेक्सटाइल, साराभाई, श्रीराम, टाटा, टी० वी० एस०, थापर, यूनाइटेड ब्रेजरीज, बालचन्द, आदि। इन सबकी परिसम्पतियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जो कि प्रतिवर्ष 25 या 30 प्रतिशत से अधिक है। अतः अधिनियम और एम० आर० टी० पी० आयोग की उपलब्धि क्या रही है? समूची प्रक्रिया विपरीत दिशा में चल रही है। अब, जो इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि 101 कम्पनियों में से, जो 20 करोड़ रुपए या इससे अधिक की परिसम्पतियों की पूर्व सीमा के अन्तर्गत आती हैं लगभग 49 कम्पनियां पूरी तरह से बाहर हो रही हैं और एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अंतर्गत 52 कम्पनियां रह जाती हैं। अतः जो रहती है वे रहेंगी ही क्योंकि वे वास्तव में बहुत बड़ी हैं, उनकी परिसम्पतियां इस सीमा से बहुत आगे हैं। उनके पास परिसम्पत्तियां, बहुत परिसम्पत्तियां हैं जो हजारों करोड़ों रुपयों की हैं तथा जिन कम्पनियों के नाम मैंने पढ़े हैं उसमें वे सब कम्पनियां हैं जो वास्तव में सहायक कम्पनियां या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शाखायें हैं। वे वहां हैं। वे वहीं रहेंगी और वे लगातार बढ़ती रहेंगी। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उन पर नियंत्रण कर सके या उनके केन्द्रण की दर कम कर सके। कम से कम यह आयोग नहीं कर सकता है। हमारी संविधि के अनुसार इस आयोग को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। यदि आप उसके नवीनतम प्रतिवेदन को देखें जो हमें दिया गया है जो 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1983 की अवधि का है तो उसमें आप पायेंगे कि आयोग संकोच से यह स्वीकार कर रहा है कि उनके पास काम बहुत कम है, बहुत कम काम वह कर सकता है। मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मैं आपको विस्तार से बता सकता था। वर्ष 1983 का हवाला देते हुए उन्होंने यह कहा, मैं आयोग के प्रतिवेदन से उद्धृत कर रहा हूं :—

> "एकाधिकारी व्यापार व्यवहार की जांच के लिए एम० आर० टी० पी० आयोग को केन्द्रीय सरकार ने केवल तीन मामलें भेजे थे···"

यह व्यापार व्यवहार के बारे में है :

"निम्नलिखित कम्पनियों से संबंधित ये मामले हैं···"

वे कौन हैं ? कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, कडबारी-फ्राई (इंडिया) लिमिटेड और कालगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड, ये सभी विख्यात विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शाखाएं और सहायक कंपनियां हैं तब आयोग ने खेदपूर्वक यह बताया कि वह इन मामलों में जांच क्यों नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि आदेश तत्काल दिए गए थे। इन कम्पनियों ने रिट याचिकाओं के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में इन मामलों को दायर करने की चुनौती दी। आयोग के समक्ष जो कार्रवाई थी उसे रोक दिया गया और तब वे आदेश रद्द कर दिए गए।

वे कम्पनियां तत्काल उच्चतम न्यायालय में चली गई। उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिए और एम० आर० टी० पी० आयोग को आदेश दिया कि वह आगे कार्यवाही न करे। आयोग ने खेद पूर्वक स्वीकार किया है कि साल समाप्त हो गया है और वह जांच कार्य में जरा भी प्रगति नहीं कर पाया है। यह एक उदाहरण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आयोग की स्थिति दंतहीन चीते की तरह है। इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कुछ कर पाए।

अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कंपनी अगर अपना विस्तार करना चाहती है तो उसे सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना वे विस्तार नहीं कर सकती। अगर वे नया उपक्रम स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी। एक कम्पनी का दूसरी में विलय या अधिग्रहण के लिए उन्हें सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी।

मेरा सुझाव है कि बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों के पास जिस तीव्र गति से संपत्ति बढ़ रही है उसे देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि इनके विस्तार, नए उपक्रमों की स्थापना, तथा विलय के इन सभी मामलों में सरकार ने उन्हें व्यापक रूप से मंजूरी दी हुई है। कुछ मामलों में तो ऐसा बिना अनुमति लिए ही किया गया है। हिन्दुस्तान लीवर कंपनी का प्रश्न है। मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जानते होंगे कि इस सरकार के बहुत से मंत्रालयों को बहुत बार अनेक अभ्यावेदन भेजे गए हैं जिनमें कहा गया है कि उस कम्पनी ने सरकार से अनुमति लिए बिना आगे कार्यवाही की, पूंजी निवेश किया और संयंत्र स्थापित किए, आदि। यह सब काम सरकार से अनुमति लिए बिना किया गया और सर्वप्रथम वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने उक्त कम्पनी को यह नोटिस भेजा कि "अगर आप अनुमति नहीं लेंगे तो यह समझा जाएगा कि आपने अधिनियम का उल्लंघन किया है और आपको दंडित किया जाएगा।" मालूम नहीं उसके बाद क्या हुआ। परोक्ष रूप से कुछ रहस्यपूर्व कार्यवाही की गयी और कुछ समय बाद हमें सूचित किया गया कि :

> "जी नहीं, कंपनी ने सरकार को इस बात की तसल्ली करा दी है कि इस मामले में पूर्वानुमति लेना जरूरी नहीं था अतः उन्हें अपना काम जारी रखने की स्वीकृति दे दी गई है।"

खैर बहुत-सी बातें हो रही हैं। अतः प्रमुख उपक्रम कौन से हैं, अन्तः सम्बद्ध उपक्रम कौन से हैं तथा समूह वाले कौन समझे जाते हैं—इस तरह के सभी प्रश्न उठ रहे हैं और इसकी परिभाषाएं भी अनेक दी गई हैं। लेकिन सरकार ने कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया है जिससे इन समूह वाले, अन्त संबद्ध तथा प्रमुख उपक्रमों को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनने से रोकना।

अत: मैं उन सभी मित्रों से सहमत हूं जिनका कहना है कि सरकार की नीति इन एकाधिकारी कंपनियों को मजबूत करने की है। लेकिन उन कंपनियों का क्या होगा जिनकी परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए नहीं है? वे बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उनकी परिसंपत्तियां 100 करोड़ रुपए से कम हैं और वे एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आयेंगी। अब वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे इन दिखावटी प्रतिबंधों से भी मुक्त हो गई हैं कि वे कुछ क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं कर सकतीं कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र में उद्योग नहीं लगा सकतीं। वे केवल प्रमुख क्षेत्रों या उन्नत प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में पूंजी निवेश कर सकती हैं। वे परिशिष्ट I में नहीं दिए गए उद्योगों में पूंजी नहीं लगा सकतीं। ये सभी कंपनियां अब इन सबसे मुक्त हो गई हैं, क्योंकि अब वे एकाधिकार कंपनियां की परिभाषा में नही आतीं। उनकी परिसंपत्तियां 100 करोड़ रुपए नहीं होंगी। उनके पास 75 या 50 या 60 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति होगी। अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें अब एकाधिकार कंपनिनां नहीं समझा जाएगा। उनके ऊपर से सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब वे कहीं भी जैसा चाहें पूंजी लगा सकती हैं, विविध मदों में पूंजी लगा सकती हैं। कंपनी का जैसे चाहे विस्तार कर सकती हैं। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। कुछ समय बाद संभवत: उनकी परिसंपत्ति भी 100 करोड़ रुपए हो जाएगी। अब चूंकि सीमा बढ़ा दी गई है अत: उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए से कम ही घोषित की है। ताकि वे उपलब्ध सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

आयोग के इस प्रतिवेदन में अवरोधक तथा एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार का उल्लेख भी किया गया है। पुन: बिक्री मूल्य बनाये रखने के प्रश्न के बारे में मैं विस्तार में नहीं जा सकता। आपस में मिल करके तय की जाने वाली कीमतों के बारे में उनका ध्यान कई बातों की ओर दिलाया गया है। होता क्या है कि ये कई कंपनियां मिलकर परस्पर समझौता कर लेती हैं ताकि टेंडर में दी जाने वाली कीमत एक सी हो। कभी-कभी वे दूसरी कंपनियों का माल बाजार में लाने से रोकने के लिए उनका बायकाट कर देती हैं। इसके बाद आपस में मिल जुलकर मनमानी कीमत तय की जाती है। इसके बाद उनकी बिक्री एजेंटों तथा विपणन एजेंटों से बातचीत होती है। ये सभी अवरोधक व्यवहार हैं जो एम० आर० टी० पी० आयोग के अन्तर्गत आते हैं जिनकी उन्हें जांच करनी होती है तथा उन पर नियंत्रण रखना होता है। अब हमारे पास इन कंपनियों की परिसंपत्तियों की सीमा बढ़ाने का प्रश्न है जिसका यह तात्पर्य है कि इस समय 49 कंपनियां उन औपचारिक प्रतिबंधों से मुक्त हो जायेंगी जोकि एकाधिकार कंपनियों पर लगाए जाते हैं। अब उनकी गिनती एकाधिकार कंपनियों में नहीं होगी। अब वे अपनी इच्छा से कुछ भी करने और कहीं भी उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक उन कंपनियों का संबंध है जिनकी परिसंपत्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक हैं हम आज भी सदन में सुनते रहे हैं कि विडला आदि कंपनियां उत्पादन के मामले में किस तरह व्यवहार कर रही हैं। यहां मंत्री कहते है कि वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं। मंत्री महोदय का भी इससे संबंध है और उन्हें वह जानते हैं दिल्ली क्लाथ मिल तथा बिड़ला टेक्सटाइल मिलों में क्या हो रहा है उनकी गणना सर्वोच्च 25 लोगों में है—ये सभी लोग—श्री राम ग्रुप, बिड़ला ग्रुप, वे सभी यहां हैं छोटे-छोटे मामलों में भी जैसे फैक्टरी बन्द करना, बन्द करने की घोषणा करना तथा हजारों कामगारों को नौकरी से हटाना आदि जिनके बारे में हम सदन की कार्यवाही के दौरान रोज सुनते हैं, सरकार कुछ करने में असमर्थ है और वह कुछ नहीं कर सकती। उनका कहना है कि उनके पास इस संबंध में कुछ करने की शक्ति नहीं है। एम० आर० टी० पी० आयोग की भी यही स्थिति है। इसे

कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, फलस्वरूप ये व्यापारिक संस्थान बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। संविधान के नीतिनिर्देशक तत्वों के अनुसार धन का केन्द्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन धन का केन्द्रण कम होने की बजाए बढ़ रहा है। यह विधेयक उस समय लाया गया है जब धन का केन्द्रण घटने की बजाय बढ़ रहा है। इसलिए बहुत से अर्थशास्त्रियों तथा देश के विद्वानों ने टिप्पणी भी की है कि यह सब सरकार भी बजट सम्बन्धी विचारधारा का ही एक हिस्सा है। अर्थात् धन की असमानता कम होने की बजाय बढ़ रही है। आय बढ़ती है। उत्पादन हो रहा है। देश में सम्पत्ति बढ़ रही है। लेकिन अगर स्वामित्व की प्रणाली ऐसी है कि अविधि संपत्ति का केन्द्रण अर्जित आय के आधार पर हो तो असमानतायें कम होकर बढ़ेंगी ही। इससे सारे देश को कौन-कौन-सी सामाजिक तथा राजनैतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ? अतः हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कुछ कंपनियों को सहायता देना है, उन्हें यह स्वतंत्रता देना है कि वे जहां चाहें जाएं, जो कुछ करना चाहें करें। सरकार ने कोई नया प्रस्ताव नहीं रखा है कि वह इन बड़ी कंपनियों के साथ कैसे निपटेगी जो अपनी संपत्ति की प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत से अधिक की दर से केंद्रण करती जा रही हैं। अतः जो कुछ किया जा रहा है वह एक पाखंड है। विधेयक में मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है जिससे देश या अर्थ व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : चर्चा में बहुत कम सदस्यों ने भाग लिया। जहां तक विपक्ष के माननीय सदस्यों का संबंध है जैसी उनसे आशा की गई थी वैसे ही उन्होंने चर्चा में भाग लिया। मुझे आशा ही नहीं थी कि वे इसका स्वागत करेंगे।

बजट पेश किए जाने के बाद से ही माननीय सदस्यों खासकर विपक्षी सदस्यों ने सत्तारूढ़ दल तथा सरकार को प्रतिक्रियावादी तथा समाजवाद विरोधी कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी है——

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एकाधिकारवादी समर्थन।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उनका कहना है कि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आदि आदि। व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि एक विकासशील देश के लिए विचारधारा की बात करना तो ठीक है लेकिन जिन लोगों पर प्रशासन चलाने का दायित्व है उन्हें पूंजीवादी, समाजवादी साम्यवादी के बजाय यथार्थवादी बनना होगा या कोई भी वादी हो, परन्तु उनके व्यावहारिक होना चाहिए अन्यथा किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा काम करना सम्भव नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं मैं कहना यह चाहता हूं कि कुछ दल या कुछ व्यक्तियों के लिए मैं जानबूझकर नहीं कहना चाहता कि समाजवादी देश में तैयार की जाने वाली डबलरोटी पूंजीवादी देश में बनने वाली डबलरोटी से अधिक अच्छी होती है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से भूखे व्यक्ति को केवल डबलरोटी से संबंध होता है। डबलरोटी कहां बनी इससे उसे कोई मतलब नहीं होता। वह तो अपना पेट भरना चाहता है।

मैं यह भी कहूंगा कि विचारधाराओं के बारे में प्रचार करना या शोर मचाने से लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि कल मैंने 'टेलीग्राफ' समाचार पत्र पढ़ा था। उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने निजी क्षेत्र की

सराहना की है। उन्होंने वहां निजी क्षेत्र के एक समारोह में भाग लिया था। वहां उन्होंने निजी क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि :—

> "मुख्य मंत्री, ज्योति बसु ने निजी क्षेत्र की सराहना की क्योंकि इसने पश्चिम बंगाल में उस समय पूंजी निवेश किया है जब केन्द्र ने औद्योगिक विकास में सहायता देने से इंकार कर दिया है।"

स्वाभाविक है कि विपक्षी दल के मुख्य मंत्री होने के नाते पश्चिम बंगाल में विकास कार्य होने की स्थिति में वह केन्द्र सरकार पर दोष मढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने ही नहीं बल्कि विपक्ष में बैठने वाले तथा पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों ने इसके लिए केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराया है। परन्तु माननीय सदस्यों को मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि परिभाषा के अनुसार पश्चिम बंगाल के 15 जिलों में से 13 जिले पिछड़े जिले हैं और वे पिछड़े जिले घोषित किए गए हैं। इसके बावजूद वहां कोई विकास नहीं हुआ है। अगर वहां फिर विकास नहीं होता है तो वे फिर पश्चिम बंगाल में विकास न होने के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरायेंगे। वह एक अलग मामला है। मैं मुख्य मंत्री के चयन की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसके पैर न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। अब यह समस्या उन पर आ पड़ी है उन्हें समस्याएं तो सुलझानी ही पड़ेंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने क्या कहा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उन्होंने निजी क्षेत्र का स्वागत किया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि सरकार वहां पूंजी-निवेश करने से इंकार कर रही है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : वहां ऐसा कोई सरकारी क्षेत्र नहीं है जिसका वह स्वागत करें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के जितने उद्योग हैं उतने आपको देश के किसी भी भाग में नहीं मिलेंगे। जहां तक उद्योग मंत्रालय का संबंध है वहां अनेक हैं। यदि हम सरकारी क्षेत्र पर विचार करें तो ये पश्चिम बंगाल में हावड़ा, कलकत्ता या किसी अन्य स्थानों में हैं।

एक माननीय सदस्य : सभी रुग्ण कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई है। मेरे विचार में इससे इस पक्ष और उस पक्ष के सभी सदस्यों का हाथ है और हम उस मिश्रित नीति का अनुसरण करते रहे हैं। महोदय अब प्रश्न यह है कि जब सरकार के समक्ष वित्तीय कठिनाइयां हैं तो इसे क्या करना चाहिए ? मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा विपक्ष के अन्य सदस्य सोचते हैं कि किसी उद्योग का शुरू करना, स्थापित करना, विशेष में उद्योग स्थापित करके किसी क्षेत्र का विकास करना, आदि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने यह निर्धारित किया है कि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत या बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा और लघु क्षेत्र द्वारा कौन से उद्योग स्थापित किए जायेंगे। हर एक की पहले ही व्याख्या की जा चुकी

है। अब माननीय सदस्यों को वह सब बताने का कोई प्रश्न ही नहीं। मैं माननीय सदस्यों से पूछूंगा ताकि उन्हें यह महसूस न हो कि पश्चिम बंगाल के साथ कोई भेदभाव बरता जा रहा है। मेरे ख्याल से कल ही बिहार के एक माननीय सदस्य ने रोहतास उद्योग के बारे में पूछा था। वहां काम करने वाले 15,000 कर्मचारी अब बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। सारा औद्योगिक समूह बन्द पड़ा है। उन्होंने मांग की कि सरकार उस समूह की सारी कंपनियों का एकदम से राष्ट्रीयकरण न क्यों नहीं कर देती। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि हमने हिसाब लगाया है कि यह 175 करोड़ रुपये है उस उद्योग की चुकता पूंजी 6 करोड़ रुपए है। उसे दोबारा से चालू करने के लिए हमें 175 करोड़ रुपए लगाने होंगे। उन उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए 175 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस बात का पक्का पता नहीं है कि ऐसा करने पर ये उद्योग लाभ पर चलेंगे अथवा नहीं। मैं यही बात कहना चाहता हूं। वित्तीय कठिनाइयां हैं। हमारे पास संसाधन हैं ही नहीं। अतः ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत से सदस्य पूछ रहे हैं : आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह उद्योग क्यों नहीं लगा सकते, आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आमुक उद्योग क्यों नहीं स्थापित कर सकते आदि जैसे कि मांग करने पर हर किसी जगह उद्योग लगाना सरकार की जिम्मेदारी हो। ऐसा करना संभव नहीं है। अब हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। मेरे विचार में माननीय सदस्यों को बहुत जल्दी ही सातवीं योजना पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। संसाधन सीमित हैं, अतः मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग आधारभूत सुविधाओं के लिए अथवा हर जगह उद्योग स्थापित करने के लिए किया जाए। मेरे ख्याल से तो हमें सारा पैसा आधारभूत सुविधाएं जुटाने में लगाना चाहिए अन्यथा उद्योग कैसे स्थापित किए जायेंगे ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यहां तक कि निजी कंपनियों के लिए भी 80 प्रतिशत पूंजी निवेश तो सार्वजनिक संस्थाएं करती हैं। मालूम नहीं कि उद्योग मंत्री इस बात को समझ पायेंगे या नहीं।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : योजना तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि क्या धनराशि वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हुई है अथवा नहीं। यह एक अलग बात है। जो भी पैसा है वह सरकार का है प्रश्न यह है कि क्या इसको आधारभूत सुविधायें जुटाने पर इस्तेमाल किया जाए या उद्योग लगाने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। सरकार के समक्ष दो प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव 100 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में है और दूसरा प्रस्ताव दस लाख टन क्षतता का सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के बारे में है। मैं श्री जयपाल रेड्डी से पूछूंगा कि हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : दोनों स्थापित करिए।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : संसाधन नहीं हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 10 लाख टन क्षमता के सीमेंट संयंत्र के लिए भी 80 प्रतिशत वित्त की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थाएं करेंगी।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : यही तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक के लिए ही संसाधन हैं। इन दो में से किसको प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा दोनों को। कुछ समय बाद वह कहेंगे कि अधिक नोट छापिए और अपेक्षित निवेश करके उद्योग चालू कर दीजिए।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : आयोजना की उन्हें समझ नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि एकाधिकारी घराने बढ़ रहे हैं और उनकी परिसम्पत्तियों में भी वृद्धि हो रही है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एम० आर० टी० पी० अधिनियम की प्रस्तावना में यह बात स्पष्ट कही गई है, उस अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया है कि एकाधिकारवादी कंपनियों पर नियंत्रण रखने तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार पर रोक लगाने तथा तत्संबद्ध मामलों के लिए आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार से हो कि आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण न हो जो कि सभी के लिए अहितकर हो। यह अर्थव्यवस्था के विकास के विरुद्ध नहीं है। यह ऐसे विकास के विरुद्ध है जोकि हानिकारक होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मतलब कुछ लोग ही विकास करें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अगर माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि जो कुछ भी विकास होगा वह समाज के लिये हानिकारक है तो यह एक अलग बात है। ऐसा सोचने की उन्हें पूरी आजादी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सार्वजनिक क्षेत्र का विकास अच्छा है। हम इसका स्वागत करते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सवाल यह उठता है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 से लागू है। मैं जानता हूं कि इन घरानों की परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। लेकिन मुख्यालय से लाभ किसे मिल रहा है। केवल 10 या 20 घरानों को ही मुख्य रूप से लाभ हो रहा है। शेष घरानों को नहीं। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं उनका उल्लेख कर सकता हूं। 100 करोड़ रुपए के इस आंकड़े के लिए भी मेरे पास जानकारी है। 31-12-83 को एम० आर० टी० पी० घरानों की संख्या 1321 थी जो कि 31-12-84 को बढ़कर 1784 हो गई है।

मैं वह आंकड़े उद्धृत करना नहीं चाहता। अतः 1321 उपक्रमों की कुल आस्तियां 25,962 करोड़ रुपए हैं और इस 25,962 करोड़ रुपये में से यदि आप पहले 10-20 घरानों को भी लें तो 50 प्रतिशत भी अधिक बैठता है और उनको कुल आस्तियों के 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत पर नियंत्रण है और शेष पर नहीं। अब सीमा 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने के बाद भी 25,962 करोड़ रुपए में से कितनी राशि एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत रहेगी? यह मात्र 23 प्रतिशत है। इनमें केवल 23 प्रतिशत आस्तियां ही एम० आर० टी० पी० के क्षेत्र से बाहर निकलेंगी। इसका अर्थ है शेष 77 प्रतिशत अभी भी एम० आर० टी० पी० के अधिकार क्षेत्र में बनी रहेंगी। श्री जयपाल रेड्डी टाटा और बिड़ला का जिक्र कर रहे थे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार ये मामले आयोग के पास नहीं भेज रही थी। फिर आयोग क्या कर सकता है? 92 प्रतिशत मामलों में आयोग के विचाराधीन मामलों में से 92% मामले भेजे नहीं गए थे। यदि मंत्री महोदय हमें आश्वासन दें कि एम० आर० टी० पी० संबंधी सभी आवेदन पत्रों को पहले आयोग को भेजा जाएगा और फिर सरकार निर्णय लेगी, तो हम इस पर सहमत होंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आयोग द्वारा एकाधिकारवादी संबंधी या अवरोधक व्यापारिक

व्यवहार की जांच के संबंध में मैं कहूंगा कि यह न्यायिक आयोग है। आयोग ऐसे कार्यों संबंधी शिकायतें मिलने पर उस संबंध में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा उस शिकायत को भेजे जाने पर किसी भी अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की जांच कर सकता है।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों ने कोई भी मामला नहीं भेजा था। क्या आपका तात्पर्य यह है कि एकाधिकार आयोग को कोई मामला न भेजने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है? एकाधिकार आयोग को यह अधिकार है कि वह ऐसी बातों पर ध्यान दे। सरकार कुछ नहीं करती।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री महोदय को भ्रम हो रहा है। धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत एम० आर० टी० पी० आयोग अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के क्षेत्र में अपने आप कार्यवाही नहीं कर सकता है और एम० आर० टी० पी० कंपनियों द्वारा जांच के लिए भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार कर सकता है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वे आयोग के पास नहीं जाएंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम चाहते हैं कि वह आयोग के पास जाएं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो वे आयोग के पास कैसे जा सकते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस संबंध में धारा 21-22 और 23 विनियमन हैं। वे आयोग में नहीं जाते। वे स्वीकृति के लिए आपके पास आते हैं। अधिनियम के अंतर्गत उनसे ऐसी ही आशा की जाती है लेकिन कई मामलों में वे स्वीकृति के लिए केवल आपके पास आते हैं। और कई मामलों में जब वे आपके पास आते हैं, आपने उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकृति दी है। आप मुझे कोई भी उदाहरण बताइए जब आपने उन्हें स्वीकृति न दी हो।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जब कभी उद्योग के विस्तार किए जाने का मामलो हो, नए लाइसेंस का मामला हो, किसी उद्योग को दूसरे उद्योग में सम्मिलित करने का मामला हो उन्हें एम० आर० टी० पी० स्वीकृति के लिए सरकार अथवा कंपनी कानून बोर्ड से निवेदन करना पड़ता है। उसकी एक प्रक्रिया है। एम० आर० टी० पी० स्वीकृति की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया से गुजरने के बाद स्वीकृति दी जाती है। और वे उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आपसे आशा की जाती है कि आप मामले भेजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब अर्ध न्यायिक आयोग है तो आप मामले क्यों नहीं भेजते?

श्री अमल दत्त : आपको मामले भेजने का अधिकार है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे खेद है, माननीय सदस्यों की बात ठीक नहीं हैं। अधिनियम के अन्तर्गत आयोग का काम यह है कि वह अनुचित व्यापारिक व्यवहारों पर ध्यान दें। माननीय सदस्यों का सुझाव है कि एम० आर० टी० पी० स्वीकृति के लिए आए सभी आवेदन पत्र आयोग को भेजे जाने चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जाए। आयोग इस काम के लिए नहीं है।

श्री अमल दत्त: मेरे विचार से मंत्री महोदय ठीक नहीं कह रहे हैं। वे कृपया धारा 21, 22

और 23 पढ़ें। हम समझते हैं कि सरकार को यह अधिकार है कि वह मामले आयोग को भेजे। सरकार उन्हें मामले नहीं भेज रही है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं और वाद-विवाद में पड़ना नहीं चाहता।

श्री अमल दत्त : इसका काम है कि वह कंपनियों के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : 20 करोड़ रुपए की यह सीमा 1969 में निर्धारित की गई थी। और माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि 1969 में रुपए की कीमत आज से अधिक थी। रुपए की कीमत में कमी आई है, मुद्रा-स्फीति बढ़ी है। 1969 में 20 करोड़ रुपए की यह सीमा जो थी, यदि आप गणना करें को पाएंगे कि आज इसका मूल्य वही 20 करोड़ रुपए नहीं है।

माननीय सदस्य यह तर्क भी दे सकते हैं कि यह सीमा 100 करोड़ रुपए नहीं होनी चाहिए थी; आपने इस सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए क्यों किया? मैं इस बात से सहमत हूं कि उनके विचारानुसार यदि मैं मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखता तो यह सीमा 60 करोड़ रुपए हो सकती थी किन्हीं लोगों की गणना के अनुसार यह 70 या 75 करोड़ रुपए भी हो सकती थी। अब प्रश्न यह है कि सब इस बात से सहमत हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ी है। वे इस आंकड़े से सहमत नहीं हैं। जो भी हो यह बात दूसरी है। सब कोई इस बात से सहमत हैं कि 20 करोड़ रुपए की यह सीमा 1985 में वही नहीं है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह सीमा 60 करोड़ रुपये या 70 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

अत: मैं कहूंगा कि जब हम यह सीमा बढ़ा रहे हैं तो इसे एक-दो वर्ष के लिये नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने 20 करोड़ की सीमा 1969 में निर्धारित की थी और आज यह सीमा 100 करोड़ रुपये निर्धारित की जा रही है और मैं नहीं कह सकता कि हम इसमें पुन: कब संशोधन करने जा रहे हैं या कब इसमें संशोधन कर 150 करोड़ रुपये करने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जब हम कुछ कर रहे हैं तो इसे एक वर्ष के लिए या किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं कर रहे। मैं नहीं जानता कि अगली बार किसका शासन होगा और वे इसमें क्या संशोधन करेंगे क्या वे इसकी सीमा 100 करोड़ रुपये ही रखेंगे अथवा इसे बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए करेंगे या कम करके 50 करोड़ रुपए निर्धारित करेंगे। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भविष्य में सत्ता में आने वाली सरकार के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम चाहते हैं कि कुछ निश्चित हो। अनिश्चितता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि यदि आज की बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति को ध्यान में रखें तो हम देखेंगे कि इसकी सीमा 60-70 करोड़ रुपये बनती है। हमें 70 करोड़ रुपये तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए क्योंकि यदि और मुद्रा-स्फीति होती है, तो हम यह कहकर इस सीमा में हर वर्ष परिवर्तन नहीं कर सकते कि इस वर्ष मुद्रा-स्फीति 5 प्रतिशत बढ़ी है इसलिए हम इसकी सीमा 70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर देंगे। अगले वर्ष 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप 21वीं शताब्दी तक की योजना बना रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ निश्चय की स्थिति होनी चाहिए।

कल, हमारे वाणिज्यिक मंत्री ने दो वर्ष की अवधि के लिए हमारी निर्यात-आयात नीति की घोषणा की थी। क्योंकि कुछ निश्चितता होनी चाहिए। अनिश्चितता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा : सीमा 60 करोड़ या 65 करोड़ या 70 करोड़ रुपए रखने की बजाय और फिर 2 वर्ष या 5 वर्ष बाद इसे बदलने की बजाय अच्छा यह है कि इसे अभी ही 100 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिया जाए। और फिर एक उपयुक्त अवधि तक इंतजार किया जाए ताकि कुछ निश्चित हो। उन सब लोगों की सुरक्षा हो जो पूंजी निवेश करने जा रहे हैं अथवा जिन्होंने पूंजी निवेश किया हुआ है। इसीलिए इसकी सीमा 100 करोड़ रुपए रखी गई है।

माननीय सदस्य इस तरह तर्क दे रहे हैं जैसे हम कुछ कम्पनियों के हित के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं। वे इस तथ्य से अवगत हैं कि हमने लघु उद्योगों के लिए भी यह सीमा बढ़ाई है। क्या हमने उनकी सीमा बढ़ाकर 35 लाख रुपए नहीं कर दी ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने इसे 25 लाख से बढ़ाकर 35 लाख किया।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पहले इसे 25 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए किया गया और फिर सहायक उद्योगों के मामले में हमने यह सीमा 45 लाख रखी। आपको यह बात समझनी चाहिए। आज से 10-12 वर्ष पहले, लघु उद्योगों की सीमा 5 लाख रुपए थी। आज यह सीमा 5 लाख से बढ़कर 45 लाख तक हो गई है। आप यह तर्क दे सकते हैं कि यह 100 करोड़ रुपए न होकर 70-80 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि इसमें हमारा मतभेद रहेगा।

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि "ऐसा मत कहिए कि हम किसी एक विशेष वर्ग की सहायता कर रहे हैं।" ऐसा नहीं है।

श्री अमल दत्त : आस्तियों के उचित मूल्यांकन के बारे में आपका क्या विचार है ? आप आस्तियों के अंकित मूल्य को ध्यान में रख रहे हैं। जबकि वह मूल्य बाजार मूल्य के बराबर नहीं है। आपको उस समय के बाजार मूल्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। वास्तव में 100 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित कर आप 1000 करोड़ रुपए तक सीमा रख रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसके पीछे एक और उद्देश्य है। लेकिन मैं मानता हूं कि यदि मैं माननीय सदस्यों को यह तर्क दूं तब भी मैं उन्हें विश्वास नहीं दिला पाऊंगा। आज क्या हो रहा है ? इस तरीके से हम केवल बड़े 10-20 एकाधिकारवादियों की ही सहायता कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप इसका विश्लेषण करें तो आपको विश्वास हो जाएगा। आप एक ऐसी पार्टी को लीजिए जिसके पास 25 करोड़ रुपए हैं। आज वह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यहार घराना है। 4 जानना चाहता हूं कि क्या जिस उद्योग के पास 25 करोड़ रुपए की आस्तियां हैं वह 1500 करोड़ रुपए की आस्तियों वाले घराने के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आज वे समान हैं। उनसे भेदभाव नहीं किया जाता। वे सब समान हैं क्योंकि 'सभी एम० आर० टी० पी० घरानों' का मतलब है, उन 20 एकाधिकारों के अतिरिक्त सभी एकाधिकार घराने, भले ही उनकी आस्तियां कितनी भी हों।

श्री अमल दत्त : इसकी सीमा बढ़ा देने से प्रतिस्पर्धा में उन्हें कैसे सहायता मिलेगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इससे केवल उन 20 घरानों को सहायता मिल रही है। आज वे एकाधिकार का लाभ उठा रहे हैं। हम उस एकाधिकार को तोड़ना चाहते हैं। हम उनमें प्रतिस्पर्धा

पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इन घरानों को एम० आर० टी० पी० के क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए इनकी सहायता की जाए।

आज क्या हो रहा है ? यद्यपि एम० आर० टी० पी० अधिनियम लागू है, उपबंध भी बनाए गए हैं—क्या इसके बावजूद भी आप एम० आर० टी० पी० घरानों को परिशिष्ट-एक बाह्य उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमसे ऐसी आशा नहीं की जाती।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हम कुछ क्षेत्रों में इसकी अनुमति दे रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एकाधिकार घरानों के लिए परिशिष्ट एक बाह्य उद्योग लगाने पर प्रतिबन्ध है। आप उन्हें कैसे अनुमति दे रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं आपको बताता हूं आपकी जानकारी से ऐसा हो रहा है। यदि एम० आर० टी० पी० घराने लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि 75 प्रतिशत आयात की बात स्वीकार कर लेते हैं। एम० आर० टी० पी० घराने पिछड़े क्षेत्रों, उद्योग रहित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर सकते हैं तथा परिशिष्ट-बाह्य उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं बशर्ते वे 30 प्रतिशत आयात की बात स्वीकार लें। उद्योगरहित क्षेत्र में तब उद्योग स्थापित कर सकते हैं जब वे 50 प्रतिशत आयात की बात स्वीकार कर लें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने हाल ही में अपनी औद्योगिक नीति में संशोधन किया था। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं आपको अधिकारपूर्वक बता रहा हूं। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं और क्यों बताना चाहता हूं कि हम इसमें छूट दे रहे हैं, हम उन्हें पिछड़े जिलों में जाने को क्यों कह रहे हैं, हम उन्हें यह क्यों कह रहे हैं कि हम उन्हें रियायतें देने के लिए तैयार हैं। इसका कारण यह है कि आज लघु उद्योगपतियों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अधिक पूंजी निवेश कर सकें और एम० आर० टी० पी० घरानों को पूंजी निवेश करने तथा काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाती। तब यह काम कौन करे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग आपकी योजनानुसार चलेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वे हमारी योजनानुसार चलें या न चलें हम यह पता लगाने नहीं जा रहे हैं कि ये लोग क्या हैं और कौन हैं, हम नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं। मैं यह कह रहा हूं कि हम सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन यदि लोग पूंजी निवेश करने के लिए आगे नहीं आते तो क्या किया जाए ? हम यदि एकाधिकार घरानों के क्रियाकलापों को रोकते हैं या यह कहते हैं कि हमारे देश में एकाधिकार कंपनियां और पूंजी-निवेश नहीं करेंगी, उनके पास जो कुछ है, उन्हें वैसे ही चलने दीजिए, हम उन्हें और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते। हम आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि उनकी कोई गतिविधि न हो ?

श्री अमल दत्त : ताकि एम० आर० टी० पी० वाले उद्योग काम शुरू कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यद्यपि हमने एम० आर० टी० पी० की कम्पनियों को बन्द करने का पूरा प्रयत्न किया, दुर्भाग्यवश हम उन्हें बन्द नहीं कर सके क्योंकि अन्य कम्पनियों ने आगे आकर

पूंजी निवेश करने की इच्छा जाहिर की। इसलिए हमने कहा, ठीक है यदि आप पिछड़े क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो हम यह छूट देंगे। हमने छूट क्यों दी? इसके लिए हमें मजबूर होना पड़ा है (व्यवधान) ठीक है, हम एकाधिकार वाली कम्पनियां बन्द कर देते हैं, लेकिन गैर-एकाधिकार वाली कम्पनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए, वे आगे नहीं आ रही हैं। यदि वे हैं। यदि वे आगे नहीं आती हैं तो फिर उसका क्या उपाय है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन लोगों की सहायता क्यों नहीं करते जो इस क्षेत्र में आना तो चाहते हैं लेकिन साधनों की कमी के कारण आ नहीं सकते? इन उद्योगों को संसाधनों की कमी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि उद्योग लगाने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता है उसका करीब 70 प्रतिशत से 75 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों से मिलता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप उसे बन्द करने जा रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : नहीं, नहीं, हम उसे बन्द नहीं करने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस समय जिन 49 कम्पनियों को एम० आर० टी० पी० अधिनियम के क्षेत्र से बाहर निकाला जा रहा है, तथा आप आशा कर रहे हैं कि वे पिछड़े जिलों में जाएंगे और हर तरह का काम करेंगे·····

श्री वीरेन्द्र पाटिल : एकाधिकार वाली कम्पनियों को पिछड़े क्षेत्रों में जाने की अनुमति है, वे वहां जाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर आप इन कम्पनियों से क्या आशा कर रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : एम० आर० टी० पी० अधिनियम के क्षेत्र से जो कम्पनियां बाहर निकलने जा रही हैं उनसे मुझे आशा है—माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि हममें 25 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त घोषित कर दिया हैं—वे इन उद्योगों की स्थापना करेंगी क्योंकि ये लाइसेंस मुक्त उद्योग एकाधिकार वाली कम्पनियों के लिए नहीं हैं तथा लघु उद्योगों के पास वे उद्योग स्थापित करने के लिए संसाधन नहीं हैं।

श्री एम० जयपाल रेड्डी : इसीलिए कुछ एकाधिकार वाली कम्पनियों को एम० आर० टी० पी० अधिनियम से बाहर किया जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि कोई कम्पनी इस क्षेत्र में न आए। (व्यवधान) मैं इस तर्क का उत्तर नहीं दे सकता। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग जो इन्हें समझ नहीं पा रहे, अब व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि यदि एक बार ये कम्पनियां एम० आर० टी० पी० ऐक्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर निकल गईं तो वे जो चाहे करेंगी। ऐसा नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्पष्टतया वे ऐसा करेंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : नहीं। उन्हें केवल दो तरह से रियायतें दी गई हैं।

2.00 म० प०

एकाधिकारवादी कम्पनियों को लाईसेंस लेने के लिए, कम्पनी के विस्तार के लिए स्वीकृति लेने या एक कम्पनी को दूसरे में मिलाने, अथवा किसी उद्योग की सहायता करने के लिए दो तरह की प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। पहला यह कि उन्हें आशय पत्र देने और उसे लाइसेंस में बदलने के लिए नियमित आवेदन पत्र देना होता है। यह एक प्रक्रिया है। उसे प्राप्त करने के बाद उन्हें एम० आर० टी० पी० स्वीकृत्ति के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। अतः ऐसे मामलों में, जहां 100 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई, उन्हें एक का प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, दूसरी का नहीं। उन्हें बस यही लाभ है। यदि माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि यह अधिनियम इन सब पर लागू नहीं होगा तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। उन पर इस अधिनियम के सभी प्रबन्ध वैसे ही लागू होंगे चाहे उनकी आस्तियां कितनी ही क्यों न हों। यदि वे भ्रष्टाचार करते हैं, तब यह अधिनियम उन पर लागू होगा। यदि किसी ऐसी कम्पनी के विरुद्ध शिकायत मिलती है, चाहे उसकी आस्तियां 100 करोड़ रुपए से कम ही क्यों न हों, तो वह मामला आयोग को सौंपा जाएगा, आयोग मामले की जांच करेगा तथा दोषी पाए जाने पर उस कम्पनी को दंड देगा।

उन्हें केवल दो फायदे हैं। एक यह कि लाइसेंस मिलने के बाद, उन्हें एम० आर० टी० पी० स्वीकृति के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है। एक फायदा यह है। दूसरा फायदा यह है, कि जहां तक उन 25 उद्योगों का सम्बन्ध है, जिन्हें लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है उन उद्योगों में व्यवसाय करने के लिए उन्हें एम० आर० टी० पी० स्वीकृति लेने अथवा कोई औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः उन्हें केवल ये दो सुविधाएं ही उपलब्ध कराई गई हैं। आज यदि वे एकाधिकार घराने, जिनकी आस्तियां 25 या 50 करोड़ रुपए हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर एम० आर० टी० पी० स्वीकृति के लिए कम्पनी कार्य मंत्रालय को आवेदन करना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया यह है कि जैसे ही वे एम० आर० टी० पी० स्वीकृति के लिए आवेदन करते हैं, इसे अधिसूचित करना होता है और इस सम्बन्ध में आपत्तियां आमन्त्रित करने के लिए उन्हें प्रकाशित कराना होता है। मैं यहां कहना चाहता हूं कि पहले 10-20 बड़े घराओं को इस पर आपत्ति होती है और वे उन्हें उस क्षेत्र में आने से रोकते हैं। ऐसा ही हो रहा है। यही कारण है कि मैं इन 10-20 बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कराना चाहता हूं। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं आपको बताता हूं कि कुल 25,000 करोड़ रुपए की आस्तियों में से इन 10-20 औद्योगिक ग्रहों के पास कितने मूल्य की आस्तियां हैं। इन सभी 1300 एकाधिकार घरानों की कुछ आस्तियों में से 60 प्रतिशत, 65 प्रतिशत से भी अधिक आपत्तियों पर इनका नियंत्रण है। क्या आप चाहते हैं कि वे और आगे बढ़े? आप नहीं चाहते कि उनकी प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं प्रतिस्पर्धा चाहता हूं। मै चाहता हूं कि लोग उनके साथ मुकाबला करें। अब उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने के बाद एम० आर० टी० पी० की स्वीकृति की मुश्किल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इन उद्योगों पर से लाइसेंस उठा लिया गया है और जो एम० आर० टी० पी० घरानों के लिए आरक्षित नहीं हैं, वे उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते। लघु उद्योगों के पास इन उद्योगों में प्रवेश करने के लिए संसाधन नहीं

हैं। और हमें कुछ करना है। अगर आप 'न खायेंगे न खाने देंगे' वाली नीति नहीं अपनाना चाहते हैं तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। या तो आप उत्पादन कीजिए या आप किन्हीं अन्य लोगों को उत्पादन करने दीजिए। अगर आप कहते हैं, "न तो खुद उत्पादन करेंगे और न ही किसी और को उत्पादन करने देंगे" तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में कोई भी उत्पादन नहीं होगा। देश की कोई प्रगति नहीं होगी, और इस धारणा के फलस्वरूप देश की क्षति होगी तथा आम व्यक्ति की क्षति होगी। इसी कारण, मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने यह बड़े घरानों के लाभ के लिए नहीं किया है बल्कि उन लोगों के लाभ के लिए किया है जिनके पास सीमित और थोड़े बहुत संसाधन हैं। हम चाहते हैं कि इन बड़े घरानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले पैदा किये जायें चूंकि केवल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हम कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, हम उन्नति कर सकते हैं तथा केवल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रत्येक पूंजी निवेशकर्ता तथा प्रत्येक उद्योगपति यह महसूस कर सकेगा कि वह टिक सकता है। केवल जब प्रतिस्पर्धा होगी तभी वह टिक सकता है और केवल प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ही हम कुशलता लाने योग्य होंगे। इस अधिनियम का यही उद्देश्य है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : यह ठीक है। हमने आपकी दलील को समझ लिया है। चाहे हम उससे सहमत हों अथवा नहीं। आप चाहते हैं कि इन कम्पनियों को, जो अब एम० आर० टी० पी० के बाहर हो रही हैं, इन कठिन प्रक्रियाओं से कुछ राहत दी जानी चाहिए आदि ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। परन्तु क्या आप अपने संस्थानों से उनको वित्तीय सहायता देने संबंधी कोई नयी नीति भी अपना रहे हैं? क्या उसे और भी उदार बनाया जायेगा अथवा क्या उसे 50 करोड़ या 75 करोड़ की परिसंपत्तियों वाली कम्पनियों के लिए अत्यन्त सख्त बनाया जाएगा? क्या कोई रास्ता है जिससे उन्हें संसाधन जुटाने में अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा सके, अथवा क्या आप उन्हें अपने सरकारी वित्तीय संस्थानों से मदद दिलवायेंगे? इसके संबंध में क्या नीति है?

श्री वीरेंद्र पाटिल : जहां तक एम० आर० टी० पी० कंपनियों का संबंध है, माननीय सदस्य को नीति की जानकारी है। उन पर धन जुटाने ऋण आदि प्राप्त करने की गरज से वित्तीय संस्थाओं से बातचीत करने के बारे में बहुत प्रतिबंध लगे हुए हैं। एम० आर० टी० पी० कंपनियां एक विशेष सीमा तक ही अपने संसाधन जुटा सकती हैं। जो भी सुविधाएं गैर-एम० आर० टी० पी० कंपनियों को मिल रही हैं, इन कंपनियों को भी वही सुविधाएं मिलेंगी। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मुझे ऐसी एम० आर० टी० पी० कंपनियों के बारे में पता है जहां हमने कहा है कि उनके शेयर इतने होने चाहिए, उनके ऋण शेयर इस अनुपात में होने चाहिए। परन्तु गैर-एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के मामले में ऐसी सख्त शर्तें नहीं हैं। इसी कारण, उन्हें और कोई अधिक रियायत देने का प्रश्न ही नहीं उठता। पहले ही गैर-एम० आर० टी० पी० कंपनियों के लिए रियायतें हैं तथा एम० आर० टी० पी० कंपनियों पर सख्त शर्तें लागू होती हैं।

फिर से मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उन 10 या 20 बड़े औद्योगिक घरानों के मुकाबले में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है जिनका सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर इस समय एकाधिकार है। इसी उद्देश्य को लेकर यह संशोधनकारी विधेयक लाया गया है। जब हम प्रत्येक स्तर पर सीमा को बढ़ा रहे हैं—हमने लघु उद्योगों तथा सहायक उद्योगों के मामले में भी सीमा बढ़ाई है—इसी प्रकार से हमने सोचा कि हमें इन एम० आर० टी० पी० कंपनियों की भी सीमा 25 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपए तक बढ़ा देनी चाहिएं। ऐसी बात नहीं कि हम

समाजवाद के अपने सिद्धान्त से दूर जा रहे हैं, हम प्रतिक्रियावादी हो रहे हैं; हमारा झुकाव पूंजीवाद की ओर है या इसी तरह की कोई चीज है ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थापित नीति तथा प्रक्रिया से हटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम केवल यही चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, देश का समुचित आर्थिक विकास हो तथा केवल 10 या 20 शीर्षस्थ लोगों के हाथ में आर्थिक विकास केन्द्रित न हो। इसी उद्देश्य के साथ मैं यह विधेयक आपके सामने लाया हूं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरी दलीलों से संतुष्ट हो गये होंगे तथा वह इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री वीरेंद्र पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.09 म० प०

आंध्र प्रदेश विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आंध्र प्रदेश विधान परिषद के उत्सादन का तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसके लिए कितना समय निर्धारित करें ?

कुछ माननीय सदस्य : चर्चा की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रश्न यह है :

"कि आंध्र प्रदेश विधान परिषद के उत्सादन का तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 9 तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 9 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं एक मिनट का समय चाहूंगा । जिस प्रकार से सरकार ने आंध्र प्रदेश की सरकार तथा वहां के लोगों की इच्छा का आदर करते हुए कार्य किया है, इस पर मैं प्रसन्नता तथा आभार व्यक्त करता हूं । मैं इस विधेयक का समर्थक हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, इस विधेयक के जरिए श्री भारद्वाज जी ने दरवाजा खोल दिया है जिसे आंध्र प्रदेश की जनता के लिए बंद कर दिया गया था, तथा उन्होंने केन्द्र सहयोग को रचनात्मक रूप दिया है उसे और सुदृढ़ किया है । हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं और हम आंध्र प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं का आदर करने तथा आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का आदर करने के लिए प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी । तीन रेड्डी बोलना चाहते हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं, परन्तु मुझे कोई कारण नहीं नजर आता जिसके लिए किसी व्यक्ति का धन्यवाद किया जाये । मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर दूं क्योंकि हमने सोचा था कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी । अब कुछ चर्चा की जा रही है, मैं अपना दृष्टिकोण अवश्य प्रस्तुत करूंगा । मेरे विचार में कोई भी व्यक्ति धन्यवाद का अधिकारी नहीं है । इसका सीधा-सा कारण यह है कि आंध्र प्रदेश की विधान सभा को दूसरी बार यह प्रस्ताव पारित करने पर मजबूर होना पड़ा । मैं मात्र एक बात का हवाला दूंगा, संविधान सभा का वाद-विवाद । श्री अम्बेदकर ने इस अनुच्छेद का जिक्र करते हुए बिल्कुल स्पष्ट कहा था :

"इस अनुच्छेद के उपबन्ध लगभग उसी प्रकार के उपबन्ध हैं जैसे कि भारत सरकार के अधिनियम की धारा 60 में हैं, जो विधान परिषद बनाने के लिए हैं तथा धारा 308, जो उत्सादन का प्रावधान करती है, बनाने तथा उत्सादन करने के लिए यहां जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके अनुसार यह कार्य वास्तव में विधानसभा के सुपुर्द कर दिया है, जो एक प्रस्ताव द्वारा दोनों कार्यों में से जिसका भी यह फैसला करे, किसी को भी सिफारिश कर सकती है। दूसरा सदन बनाने तथा दूसरे सदन के उत्सादन में से किसी भी परिवर्तन को सरल बनाने के लिए उपबन्ध किया गया है कि इस प्रकार का कानून संविधान का संशोधन नही माना जायेगा, ताकि उस कठिन प्रक्रिया से बचा जा सके जो ड्राफ्ट संविधान में संविधान संशोधन के लिए बनाई गई है।"

श्री अम्बेदकर ने संबंधित अनुच्छेद के लिए विधेयक का प्रस्ताव करते हुए कहा था कि इसका निर्णय संबंधित राज्य के विधानसभा के विवेक पर छोड़ा गया था। भारत सरकार की इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी जैसा कि जाहिर है। मुझे बहरहाल प्रसन्नता है कि सरकार ने देर से ही सही, समझदारी का परिचय दिया है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस भावना का जवाब देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आप कृपया इस बात को मानेंगे कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद लोकतंत्रीय व्यवहार के नए आदर्श स्थापित हुए हैं, और आप यह मानेंगे कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव को लागू करके, हम जो बहुत ही उच्च लोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं। मैं विरोधी पक्ष के नेताओं का आभारी हूं जिन्होंने कहा कि वे इस पर बोलना नहीं चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, महोदय, हमारे दल का परिषद में बहुमत था तथा हमारे अपने लागों ने इसका काफी विरोध किया था। परन्तु, जैसा कि मैंने कहा, अगर लोकतंत्र कायम रखना है, संस्थाओं का पौषण करना है, तो हमें कुर्बानियां करनी होंगी। मुझे खुशी होगी अगर श्री जयपाल रेड्डी इस भावना से इसे देखें। इस भावना के सिवाय और कोई भी अन्य भावना नहीं है। इस देश में प्रजातंत्र की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखने के लिए हम भविष्य में सहयोग करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.15 म० प०

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 12 पर विचार शुरू करेंगे—बोनस (संदाय) संशोधन विधेयक। श्री गुलाम नबी आजाद श्री अंजैय्या की ओर से विधेयक को विचार हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, श्री अंजैया की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। परम्परा यह है कि जब विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इसे संबंधित मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए और संबंधित मंत्री महोदय इस समय यहां मौजूद नहीं हैं। अतः वह सदन में दिए गए भाषणों को नहीं सुन सकेंगे। तब वह उनका उत्तर कैसे देंगे ? यह बहुत ज्यादती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय एक अविलंबनीय कार्य में फंस गए हैं। इस बीच दूसरे मंत्री जो भी मुद्दे सदस्यों द्वारा उठाये जायेंगे उन्हें नोट करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे श्री अंजैया की क्षमता के बारे में कोई शक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय मुद्दों को नोट करेंगे। यह कोई समस्या वाली बात नहीं है।

प्रस्ताव किया गया :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

अब श्री डोरा बोल सकते हैं।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, अब जो संशोधन सरकार द्वारा पुनःस्थापित किया गया है वह बोनस अधिनियम, 1965 की धारा 12 को हटाने के लिए है। एकमात्र संशोधन जो इस अधिनियम, अर्थात्, बोनस अधिनियम, 1965 में करने के लिए लाया गया है वह बोनस अधिनियम की धारा 12 को हटाने संबंधी है। दूसरे शब्दों में, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 12 का लोप हो जायगा। मैं आदरपूर्वक इस मान्य सभा को बताना चाहता हूं कि बेशक यह खास संशोधन, एक प्रगतिशील विधान है परन्तु, जैसा कि माननीय श्रम मंत्री ने इस माह की 9 तारीख को राज्य सभा में कहा था कि वह एक विस्तृत विधान पेश करेंगे ताकि इसे देश के सभी वर्गों के कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके, मैं केवल खेद व्यक्त कर सकता हूं कि ऐसा विधान इस मान्य सदन में पुनःस्थापित नहीं किया गया है, विशेषकर इस सत्र में, यद्यपि इस माह की 9 तारीख को माननीय मंत्री ने इसका वायदा किया था।

अब माननीय श्रम मंत्री सदन में पहुंच गये हैं अतः जो आपत्ति मेरे विद्वान मित्र ने की थी अब दूर हो गई है, मेरे विचार से अब चूंकि माननीय मंत्री आ गए हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह खास विधान तथा इस पर दिया गया बल, इसमें शक नहीं कि एक प्रगतिशील विधान है परन्तु यह देश के सभी कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं करता है।

2.19 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

महोदय, देश का मजदूर वर्ग ने अपना बोनस का अंश किसी विधान के जरिये प्राप्त नहीं किया है बल्कि एक कड़े संघर्ष से प्राप्त किया है जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जानें गवाईं और

उस संघर्ष का परिणाम जो बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के लागू होने से पहले रहा है इस रूप में प्रकट हुआ है और इसलिए, जो मैं कहना चाहता हूं कि इस विशेष धारा का लोप करना इस देश के रेलवे कर्मचारियों के हित में नहीं है। आपको ज्ञात है कि रेलवे कर्मचारी, जो भारतीय रेलों में कार्य कर रहे हैं, असंख्य हैं। लाखों कर्मचारी हैं जो इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कार्य कर रहे हैं और जिन्हें यह बोनस विशेष नहीं मिल रहा है। बोनस अधिनियम इस सम्बन्ध में चुप है और उन्हें लाभ दिलाने के लिए इनमें कुछ नहीं है और इसलिए, इस विशेषधारा का लोप ही काफी नहीं है हालांकि यह छोटे वर्ग के संगठित कर्मचारियों को लाभ पहुंचाता है। आपको पता है कि इस देश में बहुत संख्या में असंगठित कर्मचारी हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं, परन्तु संशोधन इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में चुप है और मैं माननीय मंत्री को बधाई देता अगर वह एक भिन्न संशोधन लाते, एक सकारात्मक संशोधन इस विशेष अधिनियम के लिए लाते जिसमें इस देश के सभी संगठित तथा असंगठित कर्मचारी इसके अन्तर्गत आ जाते। वास्तव में, माननीय मंत्री को, जो आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, अच्छी तरह से मालूम है और वह श्रमिक समुदाय से ही संबंधित हैं और वह श्रमिक समुदाय की इज्जत करते हैं, उन्हें ज्ञात है कि किस प्रकार से इस देश में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। वे इन विशेष लोगों के लिए पराये नहीं हैं, जैसे कि इस सदन के कुछ मंत्रीगण हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि कुछ खास उपबन्ध हैं जो इस अधिनियम विशेष के लाभ को समाप्त कर देते हैं और वे बोनस अधिनियम, 1965 की धारा 32 में हैं। मुझे इस धारा 32 को उद्धृत करने की अनुमति दी जाए :

"इस अधिनियम की कोई भी बात निम्नलिखित में से किसी को भी लागू नहीं होगी :—

(एक) साधारण बीमा कारबार चलाने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा नियोजित कर्मचारी तथा लाइफ इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा नियोजित कर्मचारी;

(दो) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खण्ड (42) में यथा परिभाषित नाविक;

(तीन) वे कर्मचारी जो डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध हों तथा रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध नियोजकों द्वारा नियोजित हों;

(चार) ऐसे किसी उद्योग में लगे हुए किसी स्थापन द्वारा नियोजित कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाता है;

(पांच) निम्नलिखित द्वारा नियोजित कर्मचारी :—

(क) इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी या वैसे ही प्रकार की कोई अन्य संस्था (जिसके अंतर्गत उसकी शाखाएं भी आती हैं),

(ख) विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थाएं;

(ग) ऐसी संस्थाएं (जिनके अंतर्गत अस्पताल, वाणिज्य मण्डल और सामाजिक कल्याण संस्थाएं आती हैं; जो लाभ के प्रयोजन से स्थापित नहीं हैं;

(छः) भवन निर्माण क्रियाओं में ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मचारी।"

मेरा कहना कि धारा 32 एक बाधा है और वास्तव में यह इस देश के बहुत सारे कर्मचारियों को लाभ से वंचित करती है। मेरा यह कहना है कि इस धारा 32 को हटाया जा सकता था और इस अधिनियम विशेष की धारा 12 के बजाय एक संशोधन इस सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता था।

यह आवश्यक है कि इस देश के श्रमिकों की संख्या को मान्यता दी जाये। आपको विदित है कि हमारी जनता का 51 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है। और यह 51 प्रतिशत लोग इस देश में विभिन्न क्षेत्रों के संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। वे कारखानों में तथा ठेकेदारों के नीचे काम कर रहे हैं। आपको यह भी पता है कि काफी संख्या में मजदूर ठेकेदारों के नीचे काम करते हैं। परन्तु बोनस अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत उन्हें भी इस लाभ से वंचित कर दिया गया है। अतः मैं माननीय श्रम मंत्री से आग्रह करता हूं कि यह जो विधेयक को लाने जा रहे हैं, कम से कम उसमें वह एक संशोधन लायें जो बोनस अधिनियम की धारा 32 का लोप कर सके जिससे निश्चित तौर पर इस देश के बहुत से मजदूरों को लाभ होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शरद डिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इसका इसलिए स्वागत करता हूं, क्योंकि एक तो यह संशोधन बहुत पहले किया जाना चाहिए था; दूसरे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि सभा में यह संशोधन लायेंगे। इस विधेयक को लाकर, सरकार वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में दिए गए अपने वचन को पूरा कर रही है।

1965 में बोनस संदाय अधिनियम गठित किया गया था और उस समय यह धारा 12 लागू की गई थी, जिसके अधीन यह फैसला किया गया था कि अगर कोई कर्मचारी 1600 रु० वेतन भी ले रहा हो तो उसे यह मान कर कि उसका वेतन 750 रु० ही है, उसे बोनस की अदायगी की जायेगी। अब हम इस धारा 12 का लोप कर रहे हैं जोकि बोनस की अदायगी के लिए सीमा निर्धारित करती थी। सीमा यह थी कि बोनस के लिए कर्मचारी का वेतन केवल 750 रु० ही लिया जाएगा, चाहे उसे उससे अधिक वेतन मिल रहा हो। अब हम इस धारा 12 का लोप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा हम इस सीमा को हटा रहे हैं और अब 1600 रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारी को भी अपने वेतन के अनुसार, बिना 750 रु० की सीमा के, बोनस मिलेगा। बोनस अधिनियम में किया गया यह संशोधन सराहनीय है।

जहां मैं यह कह रहा हूं, वहीं मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि एक तरह से यह आधे दिल से किया गया उपाय है। जब हम बोनस संदाय अधिनियम की धारा 12 समाप्त कर रहे हैं, तो हमें दूसरी धारा में भी संशोधन करना चाहिए जोकि एक तर्कसंगत संशोधन होता।

जब बोनस संदाय अधिनियम पारित किया गया था, उस समय अधिनियम की स्कीम इस प्रकार थी।

जिस व्यक्ति को 1600 रु० वेतन मिलता था, वह भी बोनस का हकदार था। लेकिन बोनस वास्तव में 750 रु० वेतन तक ही परिकलन किया जाता था। इस तरह जब हम धारा 12 का लोप कर रहे हैं, तो बोनस के परिकलन के लिए हम वेतन-सीमा को बढ़ाकर 1600 रु० तक कर रहे हैं। इसलिए, बोनस अदायगी के लिए, उच्च सीमा को बढ़ाकर तर्कसंगत 3,000 रु० कर

देना चाहिए। इसलिए, मेरा सुझाव है कि हम धारा 12 को समाप्त कर रहे हैं, तो साथ ही हमें इस अधिनियम में कर्मचारी की 'परिभाषा' में भी परिवर्तन करना चाहिए। कर्मचारी की परिभाषा में कहा गया है कि प्रशिक्षु कर्मचारी के अलावा, किसी भी कर्मचारी, जिसका वेतन या मजदूरी 1,600 रु० प्रति माह से अधिक न हो। मेरा सुझाव यह है कि अगर यह सीमा 1965 में लगाई गई थी तो 1985 में इसे बढ़ाने की आवश्यकता थी, विशेषकर जब रुपए के मूल्य में काफी कमी आई है। बहुत से कर्मचारियों को बोनस की अदायगी इसलिए नहीं होगी, क्योंकि उनके परिलाभ 1,600 रु० से अधिक हैं। तर्कपूर्ण बात तो यह थी कि इस परिभाषा में भी उसी समय संशोधन किया जाता ताकि जो व्यक्ति 3,000 रु० से अधिक वेतन नहीं ले रहा, वह भी बोनस का हकदार हो। जैसा कि मैंने कहा, 1965 में बोनस संदाय अधिनियम पारित किया गया था। उस समय भी 1961 के वर्ष से गणना की गई थी। पहले बोनस के श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक फार्मूला सुझाया था। इसकी उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की थी और 6-12-1961 को एक बोनस आयोग की स्थापना की गई थी। उस बोनस आयोग के निदेश पर निर्धारित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन भी किया गया था और अन्ततः 24-1-1964 को बोनस आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जोकि सभा में 2-9-1964 को पेश की गई। इसलिए मेरा सुझाव है कि बोनस की अदायगी के लिए जो उच्चतम और न्यूनतम वेतन सीमा निर्धारित की गई थी, वह 1961 और 1964 के बीच निर्धारित की गई थी। मूल्य सूचकांक और रुपए की कीमत में गिरावट आने की वजह से ये आंकड़ें अब वैध नहीं रहे हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा है, सरकार को अधिनियम में 'कर्मचारी' की परिभाषा में भी संशोधन करना चाहिए था। भाग्यवश मेरे लिए, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि हाल ही में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय श्रम मंत्री ने की थी यही बात कही गई है, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सरकार का विचार है कि एक संशोधन लाकर कर्मचारी के वेतन मामले में 1,600 रु० की सीमा बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया जाए। जैसा कि मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है यह आश्वासन श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में दिया गया है। मुझे यह भी पता लगा है कि श्रम मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी केन्द्रीय श्रम मंत्री ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि सरकार द्वारा निकट भविष्य में यह संशोधन लाया जायेगा ताकि तर्क की दृष्टि से भी समूचा अधिनियम सही प्रकार से सन्तुलित हो सके और कर्मचारियों को सही न्याय मिल सके।

मेरा सुझाव यह है कि अधिनियम के अन्य भागों में भी शीघ्र संशोधन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, यह अधिनियम उन संस्थानों पर लागू होता है, जहां 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं। मेरा सुझाव है कि वर्तमान संदर्भ में अधिनियम में 20 की इस संख्या को बदलकर 10 कर देना चाहिए और इसे 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों पर लागू करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बोनस कोई अनुग्रहपूर्वक अदायगी नहीं है, बल्कि यह आस्थगित मजदूरी है। इसलिए अगर यह आस्थगित मजदूरी के रूप में है, तो उन संस्थानों के कर्मचारी भी, जिनकी संख्या 10-20 के बीच में है, बोनस के लाभ को पाने के न्यायसंगत हकदार हैं। इसलिए, मैं सरकार से अपील करूंगा कि वे बोनस अधिनियम पर व्यापक दृष्टि से विचार कर दिये गये सभी सुझावों को सम्मिलित कर एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे, बोनस फार्मूले की भी समीक्षा की जानी चाहिए। अधिनियम के कई प्रावधानों की सही समीक्षा की जानी चाहिए और शीघ्र ही सभा के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इतने कम समय में,

इसी सत्र में वे यह संशोधन लाये और मैं एक दफा फिर अनुरोध करूंगा कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपना कर अगले सत्र में इस बोनस विधेयक के लिए आवश्यक सभी संशोधन पेश करें।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति जी, यह जो बोनस का कानून श्रम मंत्री जी ने रखा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। सरकार की ओर से बजट के अवसर पर जो घोषणाएं मजदूरों के लाभ के लिए की गई थीं, उनमें से एक बोनस की भी थी।

श्रीमन्, मजदूर अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिये युगों से और पीढ़ियों से लड़ाई करते चले आए हैं, तब जाकर अपने कुछ अधिकार प्राप्त किये हैं, जिनमें से यह बोनस का अधिकार भी है। शुरू में इसको लाभ के रूप में मालिकों ने स्वीकार किया था और अपने लाभ में से थोड़ा सा हिस्सा मजदूरों को भी दे दिया जाए, यह उन्होंने माना लेकिन धीरे-धीरे लड़ाई आगे बढ़ी और अन्त में वे इस बात में सफल हुए कि इसको विलम्बित वेतन के रूप में माना गया, डेफर्ड वेज के रूप में इसको स्वीकार किया गया और सरकार ने 1965 में बोनस ऐक्ट बनाया। इस बार जो संशोधन लाया है, यह सही है कि उससे कुछ मजदूरों को, कुछ कर्मचारियों को लाभ होगा लेकिन वास्तव में एक बड़े हिस्से को इससे वंचित रह जाना पड़ेगा बल्कि अगर यह कहा जाए कि उनको घाटा होगा, तो गलत नहीं होगा इसलिए कि बोनस कानून 1965 में बना, उसकी धारा 2 की उपधारा 13 में कर्मचारी और मजदूर की जो डेफीनीशन है, उसको 1600 रुपये तक सीमित किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि बोनस केवल 1600 रुपये तक जो लोग वेतन पाते हैं, उन्हीं को मिल पाएगा।

इसमें एक बड़ी एनामली भी है। आप सोच कर देखें कि आज जिसको 1600 रुपये वेतन मिलता है, उसको जब बोनस मिलेगा 20 प्रतिशत के हिसाब से तो वह लगभग एक महीने में 320 रुपये पड़ता है। इस तरह से 1600 रुपये पाने वाले को वास्तव में 1920 रुपये मिलेंगे जबकि 1610 रुपये या 1650 रुपये या 1800 रुपये पाने वाला कर्मचारी उससे सीनियर होते हुए भी पे के हिसाब से जूनियर हो जाएगा। यह इस कानून के मौजूदा संशोधन में एक बहुत बड़ी एनामली है। लाभ कितनों को मिलेगा, मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। बी० एच० ई० एल०, भोपाल में जब यह कानून 1965 में बना था, तो एक, दो अधिकारियों को छोड़कर लगभग 18 हजार कर्मचारियों को बोनस का लाभ पहुंचा था लेकिन अब केवल 6 हजार को ही पहुंचने वाला है।

2.40 म० प०

[श्री शरद डिघे पीठासीन हुए]

उनमें से जिन लोगों को साढ़े सात सौ वेतन मिलता है, वास्तव में उनका कोई बड़ा ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जिनका वेतन साढ़े सात सौ से सोलह सौ तक होना है उनको इससे लाभ पहुंचा है। जहां पहले 18 हजार कर्मचारियों को बोनस मिलता था वहां अब चार हजार कर्मचारी और इस बोनस का लाभ उठा सकेंगे।

मैं समझता हूं कि इस बिल की भावना अच्छी है लेकिन इस देश की स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार और श्रम मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने

मजदूरों की भलाई के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया था, तब से यह पहला अवसर है जबकि किसी कानून के माध्यम से मजदूरों और कर्मचारियों को लाभ के बजाय नुकसान होने वाला है। इस कानून से उनका एक बड़ा हिस्सा लाभों से वंचित होने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक यह अमेंडमेंट नहीं आयेगा तब तक उनका घाटा बना रहेगा।

श्रीमन्, इसमें और भी अनोमलीज हैं। उदाहरण के रूप में जब किसी कम्पनी का ग्रास प्रोफिट निकाला जाता है तो उसमें से इनकम टेक्स काट लिया जाता है और इनकम टेक्स काटने के बाद बचे हुए प्राफिट में से मजदूरों को जब बोनस दिया जाता है तो स बोनस को मिला कर भी, अगर उनका बेतन टेक्सेवल हो जाता है तो उसमें से भी इनकम टेक्स काट लिया जाता है। मैं समझता हूं कि दो-दो स्थानों पर इनकम टेक्स लिया जाना किसी तरह से भी उचित नहीं है।

इसी प्रकार से 20 प्रतिशत तक बोनस देने की हमने सीमा रख दी है। जब मजदूरों को देने की बात हो तो यह सीमा क्यों निर्धारित की जाए? इसी प्रकार से जो अवेलेवल सरपलस है, उस अवेलेवल सरपलस में से भी 60 प्रतिशत देते हैं। जबकि पहले ही केपिटल इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यु कटौती के नाम पर हम काफी बड़ा हिस्सा काट लेते हैं। फिर जो सौ फीसदी अवेलेवल सरपलस है उसमें से बोनस क्यों न दिया जाए?

इसी प्रकार से 1984-85 में आपने डेप्रीसियेशन के रेट भी बढ़ा दिये हैं। इससे जिसमें से मजदूरों को प्रोफिट मिलने वाला था वह निश्चित रूप से कम हो जाता है। मेरा श्रम मंत्री जी से निवेदन है कि देश की स्वतंत्रता के बाद से आज तक बराबर मजदूरों के हितों में, उनको ज्यादा लाभ पहुंचाने में हर कानून ने मदद की है। इस वक्त भी हमारी नीयत यही थी कि मजदूरों को हम अच्छा बोनस दे सकें। ऐसा लगता है कि इसके बारे में या तो आप शुरू में कुछ देख नहीं पाये या कुछ अलग-अलग विभागों के झगड़ों में या इस अन्देशे में पता नहीं किस विभाग को कितना देना पड़ेगा, सरकार ने इसके बारे में सोचा नहीं। मजदूरों के हकों को देखते हुए, मजदूरों की गाढ़ी कमाई जो डेफर्ड वेज के नाम पर है, उस पर किसी भी विभाग को यह सोचने का अधिकार कहीं से भी पैदा नहीं होता कि हमें इससे कितना घाटा होगा या कितना फायदा होगा।

श्रीमन्, इसी प्रकार अन्त में मैं एक अपील और करना चाहूंगा कि जो दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं शासकीय कर्मचारी उनको भी बोनस का अधिकार मिलना चाहिए। उनको भी यह बोनस दिया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय श्रम मंत्री जी, जिनका मजदूरों के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, मजदूरों के प्रति जिनके दिल में बड़ी भावना है, वे निश्चित रूप से अब इस बात को टालेंगे नहीं और जल्दी से जल्दी यह जो हमारा बोनस कानून है, इसको व्यावहारिक बनाने के लिए जल्दी ही इसमें संशोधन लाएंगे। इसके साथ-साथ और भी कई कानून हैं, जिनमें संशोधन की आज आवश्यकता है, अभी सुबह बिड़ला मिल्स के बारे में चर्चा चल रही थी, मुझे अध्यक्ष महोदय ने मौका नहीं दिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यह देश की सबसे पुरानी इंडस्ट्री होने के साथ-साथ इसका आज भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से मालिकों की एक मानसिकता हो गई है, टेंडेंसी हो गई है कि वे बराबर धीरे-धीरे उसमें से मलाई खाते जाते हैं और उसको घाटे में उतारते जाते हैं और ऐसी स्टेज में उसको लाकर खड़ा कर देते हैं कि जहां मजदूर को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और सरकार को मजबूर होकर इसको अपने कब्जे में लेना पड़ता है। पिछले 10-15 वर्षों से यही चल रहा है। क्या सरकार मिल-मालिकों की इस नीयत को, जो कि निरंतर

बढ़ रही है, देखते हुए कोई पूरी तरह से फैसला नहीं कर सकती है ? क्या हमने इस देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था इसलिए नही अपनाई थी कि पूंजीपति कहलाने वाले, निजी सेक्टर के जो लोग हैं, हमने इन पर भरोसा किया था कि देश हित में ये देश का साथ देंगे, देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने में साथ देंगे, लेकिन क्या यह बात साबित नहीं करती है कि उन्होंने अपने आपको देश के प्रति उतना ईमानदार साबित नहीं किया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भी एक बार पूरा फैसला हो जाना चाहिए। पिछले कई वर्षों से इस देश के अन्दर अनेकों कपड़ा मिलों के मजदूरों को बुरी हालत का सामना करना पड़ा है, कइयों को भूखे मरना पड़ा है, बेरोजगार होना पड़ा है और सरकार की हर कोशिश के बावजूद वे मिल-मालिक अपनी मिलों को निरंतर गड्ढे में उतारते गए हैं, कभी उसमें सुधार लाने की उन्होंने कोशिश नहीं की और आखिर में सरकार को टेक-ओवर करना पड़ता है।

मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरे जो लेबर कानून हैं उनमें भी आवश्यकता के अनुसार जल्दी से जल्दी संशोधन करने की मंत्री महोदय कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : श्रीमन्, सरकार ने यह छोटा-सा विधेयक पेश किया है, इससे निश्चिय ही मजदूरों के एक वर्ग को लाभ होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बिना व्यापक विधेयक लाये मजदूरों की समस्याएं नहीं सुलझेंगी, बोनस का आधार क्या है ? बोनस आस्थगित मज़दूरी है। संविधान के अनुसार, राज्य देश के मजदूरों और कर्मचारियों को जीवन-यापन के लिए मजदूरी दिलाने का प्रयत्न करेगा। लेकिन मजदूरों और कर्मचारियों को यह पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पा रही है। उन्हें आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है। उन्हें आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन से काफी कम वेतन मिलता है। इस तरह मजदूरों और कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा है और जिसकी उन्हें आवश्यकता है, उसमें काफी अन्तर है। इसी अन्तर का मुकावजा बोनस है। जैसा कि मैंने कहा कि यह आस्थगित मजदूरी है। अगर ऐसा है तो देश के सभी मजदूरों, सभी कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मजदूरों ने इस हक को किसी दान या एहसान स्वरूप नहीं पाया है, बल्कि अपने खून और पसीने से इसे हासिल किया है।

1965 में, केन्द्रीय सरकार ने बोनस संदाय अधिनियम पारित किया था। बोनस को आस्थगित मजदूरी से जोड़ा गया था। लेकिन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों को बोनस परिधि से अलग रखा गया था। मैं इसको समझ नहीं पाया। अगर सरकार ने यह सिद्धांत मान लिया था कि बोनस आस्थगित मजदूरी है, तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों, और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को बोनस अधिनियम की परिधि से अलग क्यों रखा गया जबकि श्रीमन्, कई एक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि बोनस आस्थगित मजदूरी है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों ने सरकार के इस दृष्टिकोण को नहीं माना। उन्होंने काफी संघर्ष किया। आप सभी 1974 में हुई रेल कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में जानते हैं। अंततः सरकार को केन्द्रीय कर्मचारियों के बोनस के हक को मानना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में जो

बोनस लागू किया गया है, उसे उत्पादकता से जोड़ दिया गया है। यहां मैं, यह कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में आपने बोनस को आस्थगित मजदूरी से जोड़ा है। लेकिन जब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बोनस अधिनियम लागू किया गया तो उसे उत्पादकता के साथ जोड़ दिया। मैं नहीं जानता कि सरकार इस मामले में दोहरी नीति क्यों अपना रही है। इस तरह करने से देश के पूंजीपतियों और शोषण करने वालों को ही बल मिलेगा। इस तरह आपको निश्चित करना होगा कि सरकारी कर्मचारियों को बोनस की अदायगी करते समय, इसे आस्थगित मजदूरी से जोड़ना है या नहीं।

श्रीमन्, इस समय राज्यों के और अर्ध-सरकारी उपक्रमों के करीब 60 लाख कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जा रहा है। वे दुविधा की स्थिति में हैं। कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए अनुग्रहपूर्वक भुगतान की व्यवस्था की है। वह बोनस नहीं है। केन्द्रीय सरकार ही राष्ट्रीय मजदूरी नीति या बोनस नीति निर्धारित कर सकती है। संसद अधिनियम पारित कर सकती है। राज्य सरकारों को कोई शक्ति नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे व्यापक विधेयक लाने के बारे में विचार करेंगे ताकि राज्य सरकार कर्मचारियों और अर्ध-सरकार कर्मचारियों को, जिनकी संख्या लगभग 60 लाख है, भी बोनस मिल सके।

श्रीमान्, अब इस संशोधन में अधिकतम सीमा को 750 रु० से बढ़ा कर 1600 रु० कर दिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन बोनस की पात्रता के बारे में क्या किया गया है? यह अभी भी 160 रुपये ही है। 1965 में बोनस अधिनियम पारित किया गया था। इन 20 वर्षों के दौरान, मूल्य-वृद्धि के कारण मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। मजदूरी के रुपयों में वृद्धि हुई है, लेकिन वास्तविक मजदूरी में वृद्धि नहीं हुई है। पहले कई मजदूरों को बोनस मिलता था लेकिन अब वे इस परिधि में नहीं आते। 1600 रुपये की सीमा के कारण, लाखों मजदूरों को वेतन से वंचित रखा जा रहा है। अगर आप वास्तव में मजदूरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको यह सीमा हटानी होगी।

मैं तीसरी बात 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के बारे में कहना चाहता हूं। श्रीमान्, जब आप लाभ पर कोई सीमा नहीं लगा पाये, तो आपको बोनस पर भी सीमा लगाने का कोई हक नहीं है। वास्तव में नियोजक, मालिक और पूंजीपति मजदूरों की कीमत पर पैसा कमा रहे हैं। मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि मजदूरों को भी लाभ में से हिस्सा मिलना चाहिए। जब आपने यह मान लिया है कि बोनस आस्थगित मजदूरी का भुगतान है तो इस पर सीमा क्यों?

जहां तक निर्धारित किए गए अधिशेष का संबंध है, इसके पीछे क्या औचित्य है, मैं नहीं जानता। कौन इस अधिशेष का फैसला करेगा? मालिक ही तो करेंगे। मजदूर तो मालिकों के हिसाब की जांच कर नहीं सकते। मजदूरों को तुलनपत्र के आधार पर बोनस क्यों नहीं मिले?

तुलन-पत्र को ध्यान में लिया जाना चाहिए। अन्यथा मजदूरों को लाभ के हिस्से से वंचित रखा जायेगा।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसा व्यापक विधेयक लायें, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारी और अर्ध-सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को भी बोनस अधिनियम की परिधि में लाया जा सके। राज्य सरकार और अर्ध-सरकारी उपक्रमों के 60 लाख

कर्मचारी इस विषय पर आन्दोलन करने की राह पर हैं। 1974 में उन्होंने एक दिन की हड़ताल की थी। इस माह की 15 तारीख को भी बोनस के लिए राज्य सरकार के 15 लाख कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। अगर केन्द्रीय सरकार यह मानती है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और सरकार मजदूरों के हितों की रक्षक है, तब आपको निश्चित ही एक राष्ट्रीय बोनस नीति बनानी चाहिए। एक दफा पुनः मैं, श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे निकट भविष्य में एक व्यापक बोनस विधेयक लायें ताकि सभी वर्गों के लोगों को बोनस मिल सके जो आस्थगित मजदूरी है।

2.56 म० प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं।]

श्री सोमनाथ रथ (अस्का) : श्रीमान्, मैं बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री राजीव गांधी के गतिशील नेतृत्व में हमारी एक प्रगतिशील और मजदूर-हितकर सरकार है। यह कोई नारा ही नहीं था। सरकार ने अपने पहले बजट में यह मंशा व्यक्त की थी कि मजदूरों को राहत दी जाएगी और इसीलिए माननीय वित्त मंत्री अब यह संशोधी विधेयक लाये हैं।

यह अधिनियम 1965 में लाया गया था। हमें मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। और अधिकतम वेतन सीमा जो अब 750 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दी गई है, उसे और आगे बढ़ाकर 3200 रुपये कर देना चाहिए। स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में यह फैसला किया गया था कि III और VI श्रेणियों के कर्मचारियों को बोनस दिया जाए, लेकिन कुछ राज्यों ने अभी तक अपने इन कर्मचारियों को बोनस नही दिया है। जब माननीय मंत्री इस पर एक व्यापक विधेयक लायेंगे, उस समय के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर किसी कर्मचारी का वेतन 1600 रु० से कुछ अधिक हो जाता है तो इसे बोनस से वंचित रखा जाता है। उसके लिए यह वेतन वृद्धि एक वरदान न होकर अभिशाप साबित होती है। जब व्यापक विधेयक लाया जाएगा, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बोनस कर्मचारियों की श्रेणी को देख कर दिया जाए, न कि उनकी मजदूरी देख कर। अगर कर्मचारी की श्रेणी के अनुसार बोनस दिया जाता है तो निम्न स्तर पर कर्मचारियों को यदि वेतन-वृद्धि मिलती है तो उससे बोनस की पात्रता पर असर नहीं पड़ेगा।

3.00 म० प०

जहां तक कम्पनियों का संबंध है, तुलन पत्र में दिखाये गए लाभ और हानि के ब्यौरे को सही मान लिया जाता है। एक मजदूर या कर्मकार को इसका विरोध करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए अधिनियम में कोई प्रावधान करना होगा कि तुलन पत्र में किसी विवाद के होने पर, सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, और इस पर निर्णय लिया जायेगा। एक दफा पुनः मैं श्रम मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इस विधेयक द्वारा हजारों मजदूरों को राहत मिलेगी और व्यापक विधेयक से निश्चय ही उन्हें थोड़ी और राहत मिलेगी।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, श्रीमान्, मैं भी सभा के समक्ष

लाये गये संशोधन का समर्थन करता हूं। इस मामले पर अब कोई विवाद नहीं है कि बोनस पर कार्मिकों का कानूनी दावा है तथा वे इसे अधिकार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वे दिन लद गए जब इसे बख्शीस अनुदान अथवा उपहार के रूप में दिया जाता था। बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में पारित हुआ तथा उसकी सांकेतिक सीमा 750 रुपए रखी गई तथा कर्मचारी के बोनस के लिए पात्र होने की सीमा 1600 रुपए तय हुई। सभा के समक्ष संशोधन से 1600 रुपए पाने वाले कर्मचारी बोनस के पात्र बन गये। परन्तु महोदय इसका दूसरा भाग अर्थात पात्रता की कसौटी अभी लुप्त है। इस पर बोलने वाले सभी सदस्यों ने मांग की है कि पात्रता की सीमा बढ़ा कर 3000 रुपये कर दी जाए। उनका तर्क है कि 1965 में निर्धारित की गई 750 रुपये का सांकेतिक सीमा रु० के मूल्य में कमी होने के कारण बहुत कम है उसी तर्क के आधार पर ऊपरी सीमा को भी बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाना चाहिए ताकि इसका लाभ अधिक संख्या में कार्मिकों को मिल सके। जब बोनस संदाय अधिनियम पारित किया गया था तो अधिकांश कर्मचारियों का वेतन 750 रुपये के लगभग था। अब कुशल कर्मचारी को 2000 अथवा 2500-3000 रुपए के बीच मिलते हैं अतः ये कार्मिक 1600 रुपए से अधिक पा रहे हैं तथा ये कुशल कार्मिक हैं। मुद्रा-स्फीति अथवा अन्य कारणों से उनका वेतन 1600 रुपए से बढ़ गया है तथा वे इस अधिनियम के लाभों से वंचित हो गए हैं। अतः सरकार को ऐसा संशोधन लाना चाहिए था जिससे 1600 रुपए से अधित वेतन पाने वाले 3000 रुपए अथवा 2500 रुपए वेतन पाने वाले बोनस के पात्र हो जायें। इस संदर्भ में सांकेतिक सीमा 1600 रुपए होनी चाहिए। यह बात अधिक तर्कयुक्त तथा उचित तथा संगत रहती।

मेरा दूसरा सुझाव है कि बोनस की अदायगी, जोकि आस्थगित वेतन है, सभी अर्ध सरकारी एवं सरकारी प्रतिष्ठानों में की जानी चाहिए। इसे उत्पादिकता से जोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे आस्थगित वेतन की पूरी संकल्पना ही समाप्त हो जाएगी। इसे वेतन का भाग ही माना जाना चाहिए। जैसा कि मेरे मित्र श्री अजय बिश्वास ने बताया है कि बोनस आस्थगित वेतन माना जाता है तथा उसका उद्देश्य वास्तविक वेतन तथा निर्बाध योग्य वेतन के अंतर को पूरा करना है। यदि ऐसा है तो उसे उत्पादकता के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए जैसा रेलवे तथा तार विभागों में किया गया है। इसका स्पस्टीकरण दिया जाना चाहिए तथा जैसा कि मैंने बताया इस बारे में विधि निर्णीत है, संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया है तथा इन प्रतिष्ठानों में इसे लागू न करने का कोई औचित्य नहीं है।

मैं श्री अजय विश्वास की लाभ के बारे में कही गई बात से सहमत नहीं हूं, कि उन्होंने लाभ अर्जित करने में अपना अंशदान किया है क्योंकि तब आप यह नहीं कह सकते कि इसे उत्पादकता से नहीं जोड़ सकते, चाहे लाभ हो या न हो कर्मचारी को बोनस आस्थगित वेतन के रूप में दिया जाना चाहिए और बोनस के परिकलन के लिए यह समझा जाये जैसे कि उसका वेतन 1600 रुपए है। यही कसौटी होनी चाहिए।

अब मैं विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों की समिति गठित करते समय श्रम मंत्री द्वारा उठाये गये कदम का स्वागत करता हूं। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि एक राष्ट्रीय वेतन नीति तैयार की जायेगी। मैं समझता हूं कि जब ऐसी नीति तैयार की जायेगी तो वह इन सभी तथ्यों पर ध्यान देगी। हमारे मित्रों ने सर्व-सम्मति से मंत्री जी को व्यापक कानून बनाने को कहा है। मुझे उम्मीद है कि वह इन सभी तथ्यों पर ध्यान देंगे। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम जैसी कई विधियां हैं। प्रत्येक अधिनियम में परिभाषाएं भिन्न-भिन्न हैं। सभी परिभाषाओं में एकरूपता होनी चाहिए

तथा कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। उनमें विवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्हें न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन निर्धारित करने की नीति बनानी चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि श्री जवाहर लाल नेहरू ने सरकार के इरादे की घोषणा की थी कि न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन निर्धारित किये जाने चाहिए। आज अधिकतम सीमा का कहीं उल्लेख नहीं है आकाश ही अधिकतम सीमा है। कार्मिकों के लिए न्यूनतम सीमा है तो भी 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर पर रह रहे हैं। उन्हें विकास कार्यों से कोई लाभ नहीं पहुंचा। उनका जीवन स्तर नहीं उठा। परन्तु जब राष्ट्रीय वेतन नीति तैयार की जाये तो इन सभी तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

असंगठित श्रमिकों के बारे में मैं जानता हूं कि चाय बागानों के श्रमिक संगठित हैं, उन्हें बोनस मिलता है। परन्तु भारी संख्या में कृषि मजदूर संगठित नहीं हैं। उन्हें भू-स्वामियों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। न्यूनतम वेतन के मामले में भी विवाद है। उन्हें उसकी अदायगी नहीं होती। उन्हें सभी तरह के कष्ट उठाने पड़ते है। मैंने इस बात की चर्चा सभा में की थी। मैं श्रम मंत्री को सुझाव दूंगा कि राष्ट्रीय श्रम नीति तैयार करते समय समाज के सभी वर्गों पर ध्यान दें, किसी को भी गरीबी के कष्ट झेलने के लिए न रहने दिया जाये जबकि हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज का है। उस ओर के मित्र ने बताया है कि हमने समाजवाद के विचार को त्याग दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वे कभी भी उस मार्ग पर नहीं चल रहे थे।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : नहीं हम थे। हमने गरीबी विरोधी कदम उठाये थे। परन्तु लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। परन्तु बहुत कुछ कार्य किया जाना है जिन्होंने श्रमिकों के साथ काम किया है, उन्हें सभी प्रकार के श्रमिकों के लाभ के लिए कानून बनाने चाहिए तथा श्रमिकों को पूरा लाभ पहुंचाने के लिए कानून को उचित रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय वेतन नीति के इन सभी पहलुओं पर विचार करते समय समाज के सभी वर्गों का लाभ पहुंचायें।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर-दक्षिण) : श्रम मंत्री महोदय ने न केवल अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का उत्तर देते समय अपितु श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में तथा सलाहकार समिति की बैठक में श्रमिक वर्गों के लिए बहुत आशाएं बंधाई हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अपने कथनों को कार्यरूप में परिणत करेंगे।

श्रमिकों के बारे में केन्द्रीय स्तर पर भी एवं राज्य स्तर पर भी अनगिनत कानून हैं। मैं जानता हूं कि कुछ राज्यों में बहुत से ऐसे कानून हैं जिनके अधीन नियम भी नही बने और उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। जहां तक क्रियान्विति का प्रश्न है कुछ मामलों में यह कार्य शून्य है तथा अन्यों में उसकी गति धीमी है। अतः मैं अपने मित्रों का साथ देता हूं कि अगले सत्र में व्यापक कानून लाया जाये। श्रम मंत्री ने इसका वचन दिया था तथा मुझे उम्मीद है कि वह उसे पूरा करेंगे।

इस विशेष संशोधन पर आता हूं। सीमा के 750 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए तक करने का मैं स्वागत करता हूं। इसे बढ़ाये जाने का आधार हमें ज्ञात नहीं है। अभी-अभी श्री सिंह ने

इस बारे में कुछ कहा है। 1965 में इसे 750 पर निर्धारित किया गया था तथा तब बहुत थोड़े लोगों को इतना वेतन मिलता था। यदि मुझे ठीक याद है उस समय निर्वाह सूचनांक 137 था जबकि आज यह 588 से अधिक हो गया है। यदि आप इस आधार पर ही गणना करें तो यह 2500 रुपए बैठता है। मुझे उसके आधार का पता नहीं है। निःसंदेह वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की तथा श्रम मंत्री ने इसका हिसाब लगाया है। निःसंदेह मुझे खुशी है कि श्रम मंत्री ने सम्मेलन में घोषणा की कि इसे 3000 जक दढ़ा दिया जायेगा।

इससे कितने कार्मिकों को लाभ होगा। हम कार्मिकों के बीच भेदभाव क्यों करते हैं। आज हमारे देश में अधिकाधिक उत्पादन की आवश्यकता है। सभी लोगों को सरकार को, प्रबन्धकों को, श्रमिकों को मिलकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जाये। ऐसा करने के लिए श्रमिकों को कम-से-कम न्यूनतम सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। इस व्यवस्था के अन्दर हजारों लोगों को बोनस मिलेगा। मेरा आग्रह है कि यह सीमा बढ़ाई जाये, परन्ते मुझे खुशी होगी यदि सीमा कतई हटा दी जाये। मैं समझता हूं बोनस बखशीस के रूप में शुरू किया गया था परन्तु आज यह कानूनी हक अर्थात आस्थगित वेतन बन गया है। मुझे याद है इसी सभा में पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था प्रत्येक कार्मिक को न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। कितने कार्मिकों को न्यूनतम वेतन मिलता है—आवश्यकता पर आधारित की बात तो छोडिए।

सभापति महोदया, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि लाखों श्रमिक असंगठित हैं जोकि कुल श्रमिकों का 80 प्रतिशत हैं। मेरा श्रम मंत्री से निवेदन है कि इसे याद रखें। मैं जानता हूं कि उनमें श्रमिकों के प्रति सहानुभूति है क्योंकि वह स्वयं श्रमिक नेता थे। मैं जानता हूं। अतः उनसे निवेदन करता हूं कि असंगठित श्रमिक बल के मामले पर विचार करें।

लाखों भूमिहीन मजदूर देश में कार्यरत हैं। आप जानती हैं हमारे अपने राज्य में कुल श्रमिक बल का 50 प्रतिशत भूमिहीन श्रमिकों का है। बोनस तो क्या उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नियमित रूप से नहीं मिलती। प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उन्हें बोनस की अदायगी के मामले को उत्पादकता से नहीं जोड़ना चाहिए। उत्पादकता बढ़े अथवा न बढ़े बोनस दिया जाना चाहिए। क्योंकि श्रमिक दयानतदारी से अपना कार्य करता है। कृपया श्रमिकों को विचलित न करें। जब श्रमिक बोनस की मांग करते हैं, तो वह तभी ऐसा करेंगे जब प्रबन्धक दे पायें। कृपया ऐसा न समझें कि वे तोड़-फोड़ करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। वे उद्योग के विकास के लिए परिश्रम करते हैं। प्रबन्धकों को इसे समझना चाहिए तथा मांगे जाने पर बोनस देना चाहिए। निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र को यह बात समझनी चाहिए।

अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक कार्मिक को इस अधिनियम के अंतर्गत लायें तथा इसका भी ध्यान रखें कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने के लिए व्यापक कानून बनें। मुझे उम्मीद है कि जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे तो व्यापक विधेयक सभा के समक्ष लाया जायेगा।

सभापति महोदया : श्री मूल चन्द डागा।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदया, आज इस सदन में ऐसा कोई पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होगा जो बोनस का समर्थन न करता हो। अगर उसको वोट की राजनीति में जाना

है तो उसे इसके लिए ज्यादा बात करनी चाहिए। अगर कोई 20 परसेंट कहता हैं तो उसको 25 परसेंट की मांग करनी चाहिए। लेकिन हमारे श्रम मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा जवाब रट रखा है और वह जवाब यह है कि बोनस एक्ट आने वाला है और दूसरा जवाब यह है कि काम्प्रिहैन्सिव लैजिस्लेशन लाने वाले हैं। बोनस के बारे में मैं एक बेसिक बात जानना चाहता हूं—बोनस के लिए कितनी बार कितने मैन-डेज का लास हुआ है? शुरू में जब 8.33 परसेंट बोनस हुआ उसके लिए काफी लड़ाई हुई, उसके बाद जब 20 परसेंट हुआ तब भी काफी लड़ाई हुई। आज हर इण्डस्ट्री में दो-तीन की यूनियन्ज हैं। एक कहती है कि 10 परसेंट दो, तो दूसरी कहती है 20 परसेंट दो। महाराष्ट्र वाला अगर 20 परसेंट के लिए बोलता है तो कन्नड वाला कहेगा कि 25 परसेंट दो, उसके बाद तामिलियन बोलेगा 40 परसेंट दो···

एक माननीय सदस्य : राजस्थान वाला क्या बोलेगा?

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान वाला कहेगा कि 100 परसेंट दो, यह स्थिति आज है और श्रम मंत्री जी का स्टेटमेन्ट कहीं भी नहीं होगा कि हम यहा रुकेंगे। हिन्दुस्तान में जो बोनस के मामले में सबसे ज्यादा बोलेगा, उसको मजदूर लोग और काम करने वाले लोग ज्यादा मालाएं पहनाएंगे। मजदूरों का जो झगड़ा है, जो वोन आफ कन्टेंशन है, वह बोनस के बारे में है और मैं समझता हूं कि मजदूरों को कई जगहों पर पूजा बोनस, दशहरा बोनस अलग से मिलता है। अब मजदूर कहते हैं कि वेलेंस शीट देखो और जब उसके देखने की बात होती है, तो कहते है कि जो बिजनेसमैन है, बनिया है, वह चोर है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने आर्टीकिल 39(2) में कह दिया कि लेबर का पार्टीसिपेशन होगा। हर स्टेज पर उसका पार्टीसिपेशन हो, नहीं तो कैसे जांच करेंगे कि जो मुनाफा कम्पनी ने कमाया, वह वैलेंस शीट के अन्दर है। आज तो वैलेंस शीट को मानना पड़ता है। अगर हम किसी को जज बनाते हैं, तो वह बीच में खा जाता है और बन्दर बांट हो जाती है और अनेक बार लेबर लीडर भी पैसा खा जाते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि बोनस का ऐसा मामला है, जिस पर आपको एक काम्प्रीहैंसिव लेजिसलेशन लाना होगा और इसके लिए मंत्री जी को यह सोचना होगा कि क्या क्राइटीरियन होना चाहिए। एक प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस नया चला था। आप जानते हैं कि 1974 में रेलवे की हड़ताल हुई थी, उसके बाद बोनस मिला। उसके बाद दंडवते जी आ गये थे और मजदूरों को बोनस रेलवे में मिला। फिर डिफेन्स में बोनस दिया गया और चाहे रेलवे में घाटा हो, बोनस दिया गया। चाहे पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में घाटा हो, लेकिन बोनस उनको मिलना चाहिए। फिर पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ वालों को बोनस मिला चाहे चिट्ठी 7 दिन के बाद पहुंचती हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि बोनस देने के लिए कोई क्राइटीरिया होना चाहिए। श्री शिवराज पाटिल जब मिनिस्टर नहीं थे, तो ये भी बोनस की बात करते थे। यह सबजेक्ट अब इतना कामन हो चुका है कि इसके कारण मैनडेज का लास होता है।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : आप बोनस का विरोध क्यों कर रहे हैं?

श्री मूल चन्द डागा : मैं बोनस का विरोध नहीं कर रहा हूं। क्या मैं अपने सारे वोट खो दूं। पिछले कई वर्षों से मैं इन्टक का अध्यक्ष रहा हूं।

[हिन्दी]

बोनस के मामले में गवर्नमेंट की मशीनरी को बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप इस मामले

में एक कमेटी बिठायें ताकि जो एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाया जाए उसमें बोनस के सारे आस्पेट्स को शामिल कर दिया जाए। जिससे कि मेनडेज का लास न हो और लोगों को ठीक बोनस मिले। जो एम्पलायर हैं उनको भी मुनाफा हो। इसके लिए हमें कोई-न-कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको बोनस देने से घाटा होता है। अगर उनको लोस होगा तो भी उन्हें 8.33 परसेंट बोनस देना पड़ेगा। वह इतना बोनस देने से मना नहीं कर सकती हैं। आपने जो बोनस देने का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का बेस बनाया है, उसमें भी आपको सोचना होगा। हम देखते हैं कि खेतिहर मजदूरों की कोई यूनियन नहीं है। उसकी भी यूनियन बनाई जाए और उनको भी बोनस दिया जाए और 15 दिनों का बोनस दिया जाए। अब बोनस के रेट के झगड़े हैं। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का सवाल है, इसका भी कुछ क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा। नहीं तो स्टेट के अन्दर एक नया प्रश्न पैदा होगा। हरेक आदमी बोनस मांगेगा : धीरे-धीरे हमने पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ वालों को, रेलवे वालों को, डिफेंस वालों को बोनस देना शुरू कर दिया है। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को भी दे रहे हैं चाहे उनका ग्रोस टोटल वेतन कितना ही हो। इस तरह से हरेक आदमी बोनस मांगेगा।

अब उन्होंने डेफर्ड वेज की डेफीनीशन कर दी है बोनस के बारे में। यह डेफर्ड वेज क्या है ? अगर यह डेफर्ड वेज है तो इसका इन्ट्रेस्ट भी दीजिए। हमने डेफर्ड वेज वर्ड सुन लिया।

[अनुवाद]

यह है आस्थिगत मजदूरी। बहुत अच्छे। अगर यह आस्थिगत मजदूरी है तो आप इस आस्थिगत मजदूरी पर ब्याज क्यों नहीं लेते।

[हिन्दी]

मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि सारी पार्टी के लोगों को बिठाकर, सारी बातों को ध्यान में रखकर इस बोनस ऐक्ट को आप नये तरीके से बनाएं। इसको आप ध्यान में रखें कि इस कानून से मेनडेज का लोस न हो। जिनको बोनस मिलना चाहिए, उनको बोनस मिले और जितना मुनाफा जिनके पास रहना हो वह उसके पास रह जाए। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी।

आपने कहा कि जुलाई या अक्तूबर में आप मीटिंग करेंगे। उसके बाद बोनसएक्ट बनायेंगे। इससे तो हमारा जो मोनसून सेशन है वह निकल जायेगा। मेरा पापसे कहना है कि आप मेहरबानी करके मोनसून सेशन में ही इस बिल को लाइये और उसे यहां से पास कराइये ताकि यह सवाल सदा के लिए हल हो जाए।

[अनुवाद]

*श्री आर० अण्णानम्बी (पोल्लाची) : सभापति महोदया, बोनस संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कलगम की ओर से इस विधेयक पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

हमारे देश में श्रमिकों के लिये यह शुभ चिन्ह है कि उनके प्रतिनिधि सारा कार्य-भार संभाले हुए हैं। श्रम मंत्री जी के वास्तव में श्रम नेता होने की वजह से हमें उनके द्वारा किये जा

*तमिल भाषा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रहे कामों से लाभ हो रहा है। 7-5-1985 को श्रम मंत्रालय के लिये अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए मैंने राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने की मांग की थी। सदन में सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त किये गये विचारों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए एक अत्यन्त तत्परता से हमारे श्रम मंत्री जी ने राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिति शीघ्र ही अपना कार्य पूरा कर लेगी। हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की खबर पढ़ कर मैं प्रफुल्लित हो गया। इससे हमारे श्रम मंत्री जी की वचनबद्धता की ओर हमारे देश में श्रम के प्रति उनकी समर्पण की भावना की भी पुष्टि होती है, इसी तरह से उस दिन अपने भाषण में मैंने माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा श्रम के लिये पांच 'राष्ट्रीय पुरस्कार' का भी स्वागत किया था। इससे राष्ट्र में श्रमिकों को कार्य करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के श्रमिकों का पूरा विश्वास एक उनकी अटल निष्ठा प्राप्त कर ली है और उनकी सरकार ने श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा करके इसको प्रमाणित कर दिया है यह विधेयक हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा श्रम के प्रति वचनबद्धता का एक सबूत है।

मुझे कहना चाहिये कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में जो प्रस्ताव किया था, बोनस की सीमा 750 रुपया प्रतिमाह को बढ़ा कर 1600 रुपये प्रति माह कर देना, यह विधेयक उसी के अनुसार है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विधेयक को सदन को एकमत से सहमति मिलेगी। मुझसे पहले वाले माननीय वक्ता ने बहुत से सुझाव दिये हैं जिसमें बोनस सीमा 1600 रुपये को हटाने की बात भी कही गयी है। मुझे विश्वास है कि माननीय श्रम मंत्री इन सुझावों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे और उसी के अनुसार कार्य करेंगे। बोनस आस्थगित वेतन देने की वजह से मैं इसकी बारीकी में नहीं जाऊंगा अतः इसे उत्पादकता के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। मूल रूप में मैं मजदूरों को बोनस दिलाये जाने के बारे में चिंतित हूं क्योंकि यह उनका अधिकार है। मैं देश में प्रचलित ठेका मजूरी प्रणाली एक नैमित्तिक मजूरी प्रणाली के बारे में बताऊंगा। महोदया आप मुझसे सहमत होंगी अगर मैं कहूं कि श्रमिकों का इन बोनस कानून आदि से कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि ये घातक प्रणालियां प्रचलित हैं। माननीय श्रम मंत्री जी ठेका एक नैमित्तक मजूरी प्रथा से होने वाली विपत्ति एवं कष्टों से भलीभांति परिचित हैं। चूंकि वह स्वयं भी इनका अनुभव कर चुके हैं। उन्हें देश में ठेका एक नैमित्तिक मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के गम्भीर प्रयास करने चाहिये। निजी औद्योगिक क्षेत्रों में नैमित्तिक मजदूरी प्रथा को समाप्त करना उनके लिये मुश्किल हो सकता है लेकिन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से नैमितिक मजदूरी प्रथा को समाप्त करने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिये।

आगे बढ़ने से पहले मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वालपेराई में बागान श्रमिको की दयनीय स्थिति के बारे में बताऊंगा। इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में पुरुष और महिलायें काफी तथा चाय बागानों में काम करती हैं। 10 तथा 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से उन्हें नैमित्तिक मजूरी पर रखा जा रहा है। इन बागान मजदूरों की दयनीय हालत से मैं स्वयं व्यैक्तिक रूप में परिचित हूं। बागानों के मालिक उन्हें लूटते हैं और उचित मजूरी देने से इन्कार करते हैं। मुझे मालूम है बहुत-सी युवा श्रमिक महिलायें यहां पर अपने युवा जीवन को बरबाद कर रही हैं; उनकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि वे अपनी मजूरी में से दहेज का पैसा नहीं जुटा सकतीं। माननीय श्रम मंत्री जी को देश में बागान श्रमिकों के लिये एक पृथक कानून बनाना चाहिये। मैदानों में दूसरे श्रमिकों की तुलना में इन लोगों की परिस्थितियां एकदम भिन्न हैं, मुझे इसमें कोई

संदेह नहीं है कि देश में बागान मजदूरों की भलाई के लिये श्रम मंत्री जी कार्य करने की क्षमता रखते हैं।

भारतीय रेल, डाक एवं तार विभाग तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो नैमित्तिक मजूरी प्रणाली विद्यमान है इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिये। यद्यपि निजी औद्योगिक क्षेत्र में नैमित्तिक मजूरी प्रथा को हटाना दूर की बात हो फिर भी माननीय श्रम मंत्री जी की इस दिशा में कोशिश करनी चाहिये।

हाल ही में उन्होंने घोषणा की है कि हमारे देश में श्रम समस्या पर चर्चा करने एवं उन्हें निपटाने के लिये ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिये एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया जायेगा। हमारे श्रमिकों की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार लाने के लिये श्रम मंत्री जी के निरन्तर प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हूं। मैं श्रमिकों के कल्याण संबंधी कुछ अन्य बातों को भी यहां पर बताना चाहता हूं।

हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में 1983 में 5280 कार्य समितियां गठित हो जानी चाहिये थीं लेकिन अभी तक 1838 कार्य समितियां बनाई गई हैं इससे 50 प्रतिशत मजदूरों का ध्यान नहीं किया जा सकता। माननीय श्रम मंत्री जी को सभी उद्योगों में सम्पूर्ण श्रमिक बल के लिए कार्य समितियां गठित किये जाने को सुनिश्चित करना चाहिये।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत दिये जाने वाली न्यूततम मजूरी का विद्यमान मूल्य स्तर से कोई सरोकार नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। आजकल, दो वर्ष में एक बार न्यूनतम मजूरी की पुनरीक्षा की जाती है। मेरा सुझाव है कि वर्ष में एक बार इस तरह की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि न्यूनतम मजूरी से आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्यों का पता चले। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निश्चित की गयी न्यूनतम मजूरी की वार्षिक समीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तरफ से आदेश दिया जाना चाहिये। तभी श्रमिकों को कुछ वास्तविक फायदे होंगे।

आजकल समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं है। महिला श्रमिक इसका अपवाद हैं जबकि समान पारिश्रमिक अधिनियम मौजूद हैं। इस अधिनियम का पालन सम्पूर्ण देश में समान रूप से प्रभावी ढंग से नहीं किया जा रहा है। मैं मांग करता हू कि राज्यों द्वारा इस कानून को लागू करवाने में श्रम मंत्री जी स्वयं दिलचस्पी लें ताकि महिला श्रमिकों को भी पुरुषों की ही भांति समान वेतन मिले। माननीय श्रम मंत्री जी ने दूसरे सदन में बताया है कि वे बहुत जल्दी ही एक ऐसा व्यापक श्रम कानून ले रहे हैं जिसमें श्रमिकों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि इसे जल्दी से किया जाये। समाप्त करने से पहले, मैं श्रम मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह ऐसा नियम बनायें कि जो लोग निरन्तर तीन या पांच सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी श्रमिक समझा जाये और श्रम कानूनों के तहत उन्हें सभी सुविधाओं का अधिकारी होना चाहिये। मुझे आशा है कि ऐसा करने से देश में नैमित्तिक श्रम प्रणाली धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी। एक बार फिर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : सभापति महोदया, बोनस तथा उत्पादकता के साथ जुड़ा हुआ बोनस आदि के बारे में हम काफी कुछ सुन चुके हैं और कुछ भाषण इस बारे में भी ये

कि उस तनख्वाह पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिये जिस पर बोनस मिलता है। हम सब घोषणा करते हैं कि हम समृद्ध भारत में रह रहे हैं और हमारी सभी योजनाएं इसलिये बनाई गई हैं कि निर्धन अच्छा जीवन व्यतीत करने और जो कुछ हमें आज मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा अच्छा उनका जीवन स्तर बनाया जा सके परन्तु हमारे अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली है और इसका नतीजा यह हुआ कि निर्धन ज्यादा निर्धन हो गये तथा अमीर ज्यादा अमीर। जहां तक इस देश के श्रमिकों को बोनस देने का संबंध है, मेरा विश्वास है कि हमारा दृष्टिकोण भिन्न है। हमारे वरिष्ठ नेता, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ने मांग की है कि इन कर्मचारियों एवं श्रमिकों को बोनस दिये जाने के लिये वेतन सीमा नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 1600 रुपये है वही बोनस लेने का अधिकारी है, और 1600 रुपये से ज्यादा आमदनी वाला व्यक्ति बोनस का अधिकारी नहीं है। मेरा कहना है कि किसी प्रकार की सीमा होनी चाहिये क्योंकि अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह बोनस बांटते जायेंगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी तनख्वाह 4000 या 5000 रुपये है। तो अगर हम उन्हें भी बोनस देते हैं तो हमारा फार्मूला उन लोगों के लिए क्या होगा जिन्हें पंजीकृत सूची के अनुसार बोनस नहीं दिया जाना है। हम पहले ही कह चुके हैं कि उन श्रमिकों को भी जिनकी तनख्वाह छोटी नौकरी की वजह से कम है, 50 रुपये से अधिक का बोनस नहीं दिया जाना चाहिये। इससे पता चलता है कि हमारे यहां अन्तर है ताकि निर्धन व्यक्ति या वो लोग जो कि निम्न श्रेणी में हैं, उनके लिये भी एक प्रकार का बोनस होना चाहिये। ताकि उनका जीवन स्तर भी अच्छा बन सके। आय पर घूर देने से यानि कि बोनस संबंधी सीमा हटा देने से अगर हम सभी को बोनस देते रहेंगे यानि कि ऐसे व्यक्तियों को भी जिनकी तनख्वाह 5000 रुपये है, तो इससे स्वाभाविक है कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था प्रभावित होगी। इससे इन लोगों तथा उन लोगों के बीच, जिन्हें कम दर पर बोनस मिल रहा है, विषमता एवं असन्तोष होगा। अतः हमारे श्रम मंत्री जी जो यह विधेयक लाये हैं जिसमें 1600 रुपये या इससे कम तनख्वाह पाने वाले को बोनस का हकदार दिखाया है। वास्तव में उन्होंने अच्छा काम किया है और मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। 1600 रूपये से ज्यादा पगार पाने वाले व्यक्ति को बोनस नहीं दिया जाना चाहिये।

महोदया एक न्यायाधिकरण अथवा एजेन्सी ऐसी होनी चाहिए जो यह पता लगाये कि मजूरी संबंधी या बोनस अथवा अन्य फायदों के लिए आन्दोलनात्मक रवैया अपनाने से देश में कितने श्रम दिवसों की हानि होती है, ताकि इस तरह के विरोधात्मक रवैयों को निश्चित किया जा सके। श्री डागा का कहना एकदम सही है कि बोनस के मसले को लेकर बहुत से श्रम दिवस, सैकड़ों हजारों श्रम दिवस खराब हो जाते हैं। अतः इससे पता चलता है कि बोनस देने के सम्बन्ध में हमारे पास समान राष्ट्रीय नीति अथवा राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र नहीं है। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार का न्यायाधिकरण बनायें जोकि न सिर्फ मजूरी के काम के घण्टों आदि के प्रश्नों को ही देखे परन्तु उन मसलों को भी निश्चित करे जो कि सरकार तथा प्रबन्धकों व श्रमिकों के बीच होते हैं। इन न्यायाधिकरणों को इतने अधिकार दिये जाने चाहिए कि वे इन मामलों से निपट सकें। न्यायाधिकरण के बनने से विभिन्न कारखानों/उपक्रमों में बोनस देने सम्बन्धी विभिन्न मत-भेद समाप्त हो जायेंगे। बहुत से संस्थान हैं जहां पर जैसे एवरेडी आदि जैसी संस्था में श्रमिकों ने 40 प्रतिशत बोनस की मांग की है। ऐसी भी संस्थायें हैं जिसमें श्रमिकों द्वारा 33 प्रतिशत बोनस की मांग की गई है। सरकारी उपक्रमों में घाटे की हालत में भी, हम 8.33 प्रतिशत बोनस दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कोई न कोई एजेन्सी होनी चाहिए,

एक राष्ट्रीय एजेन्सी हो जो कि इन सब मसलों को निश्चित करे क्योंकि यही बातें हैं जोकि श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्धों में मत-भेद पैदा करते हैं फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था बिगड़ती है। श्रम-दिवसों का नुकसान होता है और राष्ट्रीय राजकोष को करोड़ों रुपयों की हानि होती है। अतः मेरा नम्र निवेदन है कि प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिक अथवा मजदूरों को भी भागीदार बनाना चाहिये ताकि श्रम संगठनों का कम्पनी द्वारा हानि अथवा लाभ होने की पूरी जानकारी रहे। दूसरे, श्रमिकों में भाग लेने की इच्छा भी होनी चाहिए ताकि प्रबन्धक भी सचेत रहे कि कोई भी अनियमितता न कर पायें और अनुचित तुलन पत्र तैयार न कर सकें जो कि वह सरकार को दिखाते हैं और श्रमिकों को लाभ होने का अहसास नहीं कराते, फिर वह ऐसा नहीं कर सकेंगे और इसे बन्द किया ही जाना चाहिये। जब तक हम ऐसा नहीं करते या जब तक हम इन सभी मसलों को निश्चित करने के लिए राष्ट्रीय एजेन्सी नहीं बनाते, तो 1600 रुपये या इससे कम पर या अधिक पर सीमा लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। अतः मेरा निवेदन है कि 1600 रुपए या इससे कम वेतन पाने वालों पर बोनस सीमा निर्धारित करना एक उचित बात है, इससे जिन श्रमिकों को कम तनख्वाह मिलती है उन्हें अधिक पगार पाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध असंतोष नहीं होगा क्योंकि अगर एक बार हम सीमा बढ़ाना शुरू करते हैं तो इस पर कोई रोक नहीं लग पायेगी तथा इससे और अधिक असंतोष होगा और इसका परिणाम प्रबन्धकों एवं श्रमिकों में अनावश्यक मतभेद पैदा करेगा।

मैं एक बात का और अनुरोध करूंगा। बोनस देने का उद्देश्य है मजदूर अथवा कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना ताकि इससे उसमें यह भावना हो कि उसे राष्ट्र के लिए काम करना है, उसे समाज के लिए काम करना है। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है या फिर देश की एकता एवं अखण्डता से उनका कोई सरोकार नहीं है जबकि उन्हें जितना मिलना चाहिये उससे कहीं अधिक मिल रहा है तथा इन श्रमिकों को उससे भी कम मिल रहा है जो वास्तव में इन्हें मिलना चाहिये। इसीलिए इस तरह का असंतोष है। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए एक व्यापक कानून एवं एक समय नीति होनी चाहिये तथा कम-से-कम तीन श्रेणी के कानून होने चाहिए। वे कारखाने—जिनकी आयु निश्चित राशि से कहीं ज्यादा है। ऐसे कारखाने जिनकी आय उस निश्चित राशि के आस-पास है तथा ऐसे कारखाने, जो कि घाटे में चल रहे हैं। हमें याद है कि आपातकाल की अवधि के दौरान हम 4.33% की दर से बोनस दे रहे थे, जबकि हम नुकसान में चल रहे थे। आजकल भी, जब सार्वजनिक उपक्रमों को घाटा हो रहा है, हम 8.33 प्रतिशत बोनस दे रहे हैं। यह सब क्या है? महोदया, जब घाटा हो रहा है, सरकारी उपक्रमों में भी जहां पर तुलन पत्र झूठे नहीं होते, और हम 8.33 प्रतिशत या इससे अधिक बोनस दें तो हमारी अर्थ-व्यवस्था में कैसे सुधार आ सकता है। इस मुद्दे पर विचार करना जरूरी है। अतः सदन एवं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि वे इन सब बातों की जांच करें और इसी तरह के एक व्यापक विधेयक को लायें ताकि श्रमिकगण संतुष्ट हों क्योंकि संतुष्ट श्रमिक ही राष्ट्र की जरूरत से भी ज्यादा उत्पादन करते हैं और जब तक श्रमिकों को उनकी मजूरी और बोनस, जिस पर आप उनका हक समझते हैं या जिसे अस्थिगत मजूरी समझते हैं, नहीं देते हैं तो समाज एवं समाजवाद के राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदया, मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। मैं विद्यमान बोनस संदाय अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : इसके लिये दो घन्टे का समय रखा गया है और अब यह समय समाप्त हो रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कितना समय बचा है ?

सभापति महोदय : दो मिनट बचे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सिर्फ पांच मिनट लूंगा।

इस संशोधित विधेयक का अत्यन्त सीमित उद्देश्य हैं। यानि कि अधिकतम सीमाएं जो दो रखी गई थीं, उनके स्थान पर एक अधिकतम सीमा रखनी है। अभी तक अधिनियम में दो सीमाएं थीं। एक पात्रता की सीमा, थी कि 1600 रुपये प्रति माह से ज्यादा तनख्वाह पाने वाला बोनस का अधिकारी है तथा बोनस की गणना पर भी एक सीमा थी। वह भी 750 रुपये की अधिकतम सीमा, सैद्धान्तिक सीमा जिसका कोई औचित्य नहीं था। इस विधेयक की विशेषता यह है कि इसमें दो सीमाओं को हटाकर एक सीमा कर दी गई है यानि कि 1600 रुपये पात्रता एवं वास्तविक गणना दोनों ही के लिए अधिकतम सीमा है। निश्चित रूप से यह अपर्याप्त है और मैं विभिन्न मसलों पर सुझाव देकर समय खराब नहीं करूंगा जो कि बोनस संदाय अधिनियम को और अधिक व्यापक एवं संतोषजनक बनाने के लिए देने चाहिये। परन्तु पात्रता के लिए जहां तक इस 1600 रुपये की अधिकतम सीमा का संबंध है, मेरे विचार से सभी सदस्य जो यहां बोले वे चाहते थे कि इस न्यूनतम सीमा को बढ़ाना चाहिये—कुछ ने कहा कि इसे बढ़ा देना चाहिये—कुछ ने कहा इसे एकदम समाप्त कर देना चाहिये। मेरे विचार से जो कुछ भी किया जाता है उसका कोई तर्कसंगत आधार होना चाहिए। अन्यथा हम कैसे इसके पक्ष में कुछ कह सकते हैं। इसे 1600 रुपये कैसे रखा है। इसके पीछे क्या तर्क है ? 1600 रुपये की इस अधिकतम सीमा की कानूनी मान्यता क्या है। इसकी कोई मान्यता नहीं है। यह बोनस उन लोगों के लिए है जिनको इस कानून में मजदूर दिखाया गया है। श्रमिक हमारे देश में एक श्रेणी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में स्पष्ट रूप में कहा गया है 'श्रमिक' से आप क्या समझते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी पगार कुछ भी हो, 'श्रमिक' की श्रेणी में आता है उसे बोनस मिलना चाहिये। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसे 2000, 2500 अथवा 3000 रुपये मिल रहे हों वह इससे ज्यादा नहीं कमा रहा होगा। कोई कह रहा था कि लोग 5 या 6 हजार रुपया कमा रहे हैं। वे अधिकारी हैं, मैं अफसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अधिनियम के संशोधन के अंतर्गत श्रमिकों के बारे में बोल रहा हूं। अगर उस व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाये और उसमें और अधिक वृद्धि होने की आशा हो तो आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। आप श्रमिकों पर आरोप नहीं लगा सकते। आप अपने सम्पूर्ण उद्योग का ढांचा बदल रहे हैं, आप उद्योग का नवीनीकरण कर रहे हैं, तथा नई तकनीकियों को उपयोग में ला रहे हैं, आप हर रोज कह रहे हैं कि आप तमाम औद्योगिक तथा वित्तीय नीतियों में उद्योग का नवीनीकरण करने, कम्प्यूटरीकरण करने तथा सभी प्रकार के आधुनिकतम उपकरण लगाने पर जोर दिया जा रहा है।

जो व्यक्ति आधुनिकतम मशीनों पर काम करते हैं और जिन्हें प्रशिक्षण लेने की भी आवश्यकता है—प्रशिक्षण के बिना वे उन मशीनों को नहीं चला सकते हैं—यदि वे 3000 या उससे अधिक रुपये अर्जित करते हैं तो उसके लिये उन्हें क्यों दंडित किया जाये। आधुनिकीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का यह एक अंग है। यदि आप आधुनिक मशीनें लगाना चाहते हैं तो और आपको श्रमिकों को भी आधुनिक बनाना होगा। इसलिए, आपको आगे तक की बात सोचनी

चाहिये। ऐसी स्थिति आने वाली है जब 700 या 800 रुपया प्रतिमाह लेने वाला श्रमिक नहीं मिलेगा। वे उससे कहीं अधिक रुपया कमायेंगे। ऐसे श्रमिकों की संख्या भले ही कम हो किन्तु ऐसे लोग होंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें बोनस से वंचित रखा जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि जबकि उच्चतम न्यायालय ने श्रमिक और श्रमिक के बीच मनमानी भेद करते हुए ऐसा निर्णय लिया था। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में उदार पेंशन लाभ के बारे में सरकार ने एक निर्णय लिया और यह घोषणा की कि अमुक तिथि से पूर्व जो कर्मचारी सेनानिवृत्त हुए हैं केवल उन्ही लोगों को उदार पेंशन का लाभ मिलेगा तथा उस तिथि के बाद सेवानिवृत होने वालों को नहीं। इसके कारण बहुत आन्दोलन तथा असंतोष हुआ था, अन्तोगत्वा वे लोग इस मामले को न्यायालय ले गये और उच्चतम न्यायालय ने यह विचार प्रकट किया कि एक तारीख, एक मनमानी तारीख निर्धारित करना, अर्थात यदि कोई व्यक्ति उस तारीख से एक या दो दिन पहले सेवानिवृत होता है, तो उसे अधिक पेंशन मिलेगी और जो उस तारीख से एक या दो दिन बाद सेवानिवृत होता है, उसे अधिक पेंशन नहीं मिलेगी, इस प्रकार का निर्णय कर्मचारी और कर्मचारी के बीच मनमाना भेदभाव करने के समान है और यह मानने योग्य नहीं है, तथा उन्होंने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया जिसके परिणामस्वरूप सभी कर्मचारी उदार पेंशन लाभ पाने के अधिकारी हो गए हैं।

मैं केवल मुख्य समानता की बात कर रहा हूं। इसलिये, वेतन सीमा के बारे में भी कोई मनमानी सीमा नहीं होनी चाहिये। कानूनन यह उचित नहीं है। इसलिए, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस मुसीबत में न पड़े जो आगे चलकर और भी जटिल हो सकती है। उचित तो यही होगा कि सीधा यह निर्णय लिखा जाये कि जो भी व्यक्ति कर्मचारी की परिभाषा में आता है उसका वेतन चाहे कितना भी क्यों न हो, उसे बोनस मिलना चाहिये। हम लोगों को हर रोज अनेक पत्र और अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को भी इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए होंगे जिनमें लोगों ने यह कहा होगा कि 1600 रुपये से कुछ ही अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी बोनस से वंचित हो गये हैं।

महोदय, कुछ लोगों का विचार है कि यह बोनस हड़ताल को प्रोत्साहन देता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे हड़ताल को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। बल्कि इससे हड़ताल को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। मैं बताऊंगा कि ऐसा किस तरह है। वास्तव में मैंने पूरे वर्ष में जो वेतन अर्जित की है, यह बोनस उसी का एक प्रतिशत है। कम से कम बोनस की राशि 8.33 प्रतिशत है और अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत है। यदि मैं हड़ताल पर रहूंगा तो उस अवधि का वेतन मुझे नहीं मिलेगा। काम नहीं, वेतन नहीं! यदि मैं तीन महीने तक हड़ताल पर रहता हूं तो साल भर में मेरे द्वारा अर्जित की जाने वाली राशि उसी के समानुपात में कम हो जायेगी। इसलिए जब प्रतिशतता की गणना की जायेगी तो मेरा बोनस भी कम हो जाएगा। इसलिए, इससे हड़ताल को किस प्रकार बढ़ावा मिल सकता है? यदि मैं अधिक बोनस अर्जित करना चाहता हूं तो मुझे हड़ताल नहीं करनी चाहिए। यदि आप अधिक बोनस लेना चाहते हैं; तो आपको हड़ताल पर नहीं रहना चाहिए। यदि मैं हड़ताल पर रहूंगा तो मेरा बोनस कम हो जाएगा।

(व्यवधान)

यहां हम लोग बहुत अधित उत्पादन नहीं कर रहे हैं। मेरा विचार है कि श्रमिक हमसे अधिक उत्पादन करते हैं। हम लोग शब्दों के अतिरिक्त कुछ भी उत्पादन नहीं करते।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदया : आप ऐसा क्यों कहते हैं कि हम लोग उत्पादन नहीं कर रहे हैं, हम लोग उत्पादन कर रहे हैं·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम लोग वास्तव में शब्दों का उत्पादन करते है।

सभापति महोदय : हम लोग कुछ न कुछ उत्पादन कर रहे हैं·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप यह बात कल संसद के बाहर कहेंगी तो मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। एक विधेयक लाया जा रहा है। यदि संसद से बाहर मैं यह बात कहूंगा कि संसद शब्दों के अतिरिक्त कुछ उत्पादन नहीं करती; तो इस राजद्रोह के लिए यह कहा गया है मुझे जेल भेजा जा सकता है। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैंने यह विधेयक नहीं देखा है। मैं समझता हूं कि यह भावना गलत है। यदि आप कर सकते हैं तो बोनस के सम्पूर्ण मामले को भी समाप्त कर दें। पश्चिम में ऐसे विकसित देश हैं। यथा पूंजीवादी देश, जहां बोनस नाम की कोई चीज नहीं है। किन्तु वहां सूचकांक वेतन प्रणाली है। उन्हें केवल वेतन मिलता है किन्तु उनका वेतन जीवन यापन के मूल्य के आधार से जुड़ा हुआ है और मूल्य वृद्धि के साथ उनका वेतन स्वतः बढ़ जाता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमने यह बोनस की प्रणाली निकाली है। हमारे यहां महंगाई भत्ते और बोनस प्रणाली मूल परिलब्धि, मूल वेतन से भिन्न है। इसलिए इस प्रयोजन के लिए यह विधेयक लाया गया है और इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इस मामले में इस प्रकार की कोई मनमानी सीमा न रखी जाये। इससे कर्मचारी कर्मचारी के बीच भेदभाव बढ़ता है,। जिसे मेरे विचार से इस देश का कोई भी न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई मूलभूत कारण होना चाहिए किन्तु आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं है। यही बेहतर होगा कि बोनस सभी कर्मचारियों के लिए सुलभ कर दिया जाए, चाहे उन्हें कितना ही वेतन क्यों न मिलता हो, यदि वह एक कर्मचारी है, तो उसे बोनस मिलना चाहिए। उसके लिए खेतहर मजदूरी का मामले लीजिए। मुझे नहीं पता कि क्या आप इस बात का हिसाब लगा सकते हैं कि साल भर में वह कितना पैसा करता है। और कितना प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिए। हमारे देश की जो स्थिति है, उसके अनुसार इसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है। पहली बात तो यह कि वह वर्ष पर्यन्त काम नहीं करता। यह जोतने, बोने और काटने के मौसम में केवल कुछ महीने ही काम करता है और उसे हमेशा नकद वेतन नहीं मिलता। कभी-कभी उसे कुछ नकद और कुछ सामान के रूप में दिया जाता है। वह कोई लेखा-जोखा नहीं रखता, उसके पास कोई लेखा-जोखा है भी नहीं कि वह क्या कमाता है। (**व्यवधान**) यह समझा जाता है कि उसे न्यूनतम वेतन दिया जाता है। संगठित क्षेत्र में उन्हें अधित वेतन मिल जाता है किन्तु अधिकांश मामलों में उसे न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पाता है। साल के अन्त में वह चला भी जाता है। उसका कोई स्थायी नियोक्ता भी नहीं होता। वह आज किसी के खेत में करता है तो कल किसी और के में। यह सब समस्या बनी रहती हैं। हमें इसके बारे में विचार करना होगा। हम उनकी, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। जहां तक अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक का संबंध है, उसके वेतन की कोई अधिकतम सीमा नहीं होना चाहिए और वह बोनस पाने का अधिकरी है। मुझे इतना ही कहना है। इस समय मुझे बोनस अधिनियम के अन्य पहलुओं पर बोलना है, किन्तु अब मैं उन पर नहीं बोलना चाहता। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मैडम चैअरमैन साहबा, मैं इन बिल की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसकी स्प्रिट की हिमायत कर रहा हूं। एक बात इस सदन में आई है और बार-बार कही गई है कि 1965 में जब यह बिल आया तो उस वक्त 750 रुपए पर सीलिंग थी, अब 1985 में आप जो तरमीम ला रहे हैं उसमें 1600 रुपए तक के लिए आपने उसके हक को तसलीम कर लिया है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं—आज हमारे लेबर में जो आन्दोलन चल रहे हैं, उनके जो मुतालबात हैं, हमारे जो 16 करोड़ मजदूर और मुलाजमीन हैं उनकी बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत बड़ी समस्यायें हैं, जिनका हल सरकार ने अभी तक नहीं ढूंढा है, क्योंकि ये लोग एक ऐसे तबके से ताल्लुक रखते हैं जिनकी फिक्स्ड इन्कम है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे कारोबार करने वाले लोग हैं जिनकी आमदनी के जराये दूसरे भी हैं, लेकिन जो हमारा मजदूर है, एम्पलाई है, उसकी आमदनी उस कदर मुख्तसिर है? उसके बच्चों की तालीम और दूसरे इखराजात हैं, उसे उस फिक्स्ड इन्कम में उन समाम मसाएल का मुकाबला करना पड़ता है।

400 म० प०

जिस तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं और जिस तेजी से आम मजदूर और आम मुलाजमीन की मुश्किलात बढ़ रही हैं, उसको पेशेनजर रखते हुए सरकार को चाहिए कि इस सारे मामले को सुलझाने की कोशिश करे और पीसमील लेजिसलेसन लेकर इस सदन में न आए। यह बहुत बड़ा मसला है और इस मसले का हल करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। जब आप मजदूरों से, मुलाजमीन से यह तवक्को रखते हैं कि वे पैदावार को बढ़ाएं, जब आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की के रुख पर आगे चले, जब आप चाहते हैं कि मुल्क खुशहाल हो, तो उस सूरत में, जिनके कन्धों पर यह जिम्मेवारी है, उन मजदूरों और एम्पलाइज की बेहतरी के लिए आप सोचें और जब तक आप उनको अच्छे साधन नहीं दे पाते, जब तक आप उनकी मुश्किलात हल नहीं कर पाते, जब तक आप उनकी जरूरयात के मुताबिक उनकी वेजेज का फैसला नहीं कर पाते, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मुल्क की पैदावार बढ़ेगी और आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि तकरीबन 16 लाख मजदूर और एम्पलाई मुल्क को तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे आएंगे। यह तवक्को उनसे नहीं की जा सकती। इसलिए हमारी लेबर में, हमारे एम्पलाइज में जो बेइत्मीनानी है, जो आए दिन यहां स्ट्राइक्स हो रहे हैं, लोक-आऊट्स हो रहे हैं और कारखानों में झगड़े बढ़ रहे हैं, उनका कोई हल आपको तलाश करना है। एक बात तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां— मैं आनरेबिल सिन्हा जी से इत्तिफाक करता हूं—पैदावार और मजदूरों की आमदनी का कोई ताल्लुक नहीं है, मुनाफा कितना कारखाने में हो रहा है और मजदूरों की कितना वेजेज के तौर पर मिल रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज मसाला पैदावार का है। जितनी पैदावार बढ़ेगी, उसी के मुताबिक हमें मजदूर को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोनस देना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखा जाए। पब्लिक सैक्टर के बहुत सारे कारखाने हैं जो कि घाटे पर चल रहे हैं लेकिन घाटा होने पर भी मजदूरों को बोसन मिलता है लेकिन जहां तक प्राइवेट सैक्टर का ताल्लुक है, मैं यह समझता हूं कि आज भी प्राइवेट सैक्टर का जो ओनर है, वह मालिक अपने फायदा के लिए ज्यादा सोच रहा है और मजदूरों के फायदे की कम सोच रहा है। आपको अलग ढंग से इसका हल ढूंढना चाहिए क्योंकि जो कारखानेदार हैं, जो सरमाएदार हैं, वे मजदूरों को आग की भट्टी में डालकर अपने फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा साधन और मुनाफा

करने की कोशिश में हैं। इसलिए प्राइवेट सैक्टर में जो मजदूरों के हकूक हैं वे उन्हें मिलने चाहिए। आज उनको वे हकूक नहीं मिल रहे हैं।

एक जरूरी बात यह है कि आपका जो कमिटमैंट है और इस सदन में भी यह बात उठाई गई है कि मैनेजमेंट में मजदूरों का, एम्पलाइज का पार्टीसिपेशन होना चाहिए। उसके बगैर कोई हल नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइवेट सैक्टर में कितनी आमदनी हो रही है और कितना मुनाफा कमाया जा रहा है। मजदूरों को इससे बिलकुल बेखबर रखा जा रहा है। जब उनका पार्टीसिपेशन नहीं होगा, उनको मालूम नहीं होगा कि कारखानेदार कितना फायदा ले रहे हैं।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि यहां पर एक ऐसा तबका भी मजदूरों और एम्पलाइज का है, जिनके लिए लेबर लाज हैं ही नहीं। हमारे गांवों में लाखों लोग काम कर रहे हैं, दस्तकार लोग हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं और उनकी चीजें यहां मुल्क में भी बेची जाती हैं और मुल्क के बाहर भेजी जाती हैं और उनसे फोरन एक्सचेंज कमाया जाता है और वह फोरेन एक्सचेन्ज का एक बहुत बड़ा जरिया है लेकिन अक्सर यह होता है कि जो मिडिलमैन होता है, वह उनका एक्सप्लायटेशन करता है और उनके बारे में हमारे पास कोई हिसाब-किताब नहीं है। मैं आपके माध्यम से आनरेबिल मिनिस्टर को यह बताना चाहता हूं कि मेरा अपना यह तजुर्बा है कि हमारे यहां लाखों मजदूर काम करते हैं, जम्मू व कश्मीर में कालीन बुनने वाले, पेपर मेसी, वुड कार्विंग और केबिल एम्ब्रायडरी करने वाले लाखों लोग हैं, जो बहुत हुनरमन्द हैं, बड़े काबिल हैं और बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं लेकिन मुझे दुःख के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि उनकी आमदनी 6 रुपये और 8 रुपए रोज है, मिनीमम वेजेज की बात तो आप छोड़ दीजिए। वे दिन रात काम करते हैं और 10-10 घंटे काम करते हैं लेकिन उनको पूरे वेजेज नहीं मिलते जबकि जो कालीनों के कारखानेदार हैं, वे लोग और दूसरे लोग केबिल एम्ब्रायडरी से, पेपर मैसी, वुड कार्विंग और दूसरे हैंडीक्राफ्ट जो बन रहे हैं, उनसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और फोरन एक्सचेन्ज में इन दस्तकारों का बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूशन है लेकिन उसका फायदा उनको नहीं मिल रहा है। और मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां पर जो बेसिक लाज हैं उनको कहीं भी इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है।

मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि लेबर के मामले में जब आप कोई तसल्लीबख्श कम्प्रीहेंसिव बिल लाएं तो उसमें उन मजदूरों के हकों का भी ख्याल रखें जो कि बेखबर हैं, जाहिल हैं और जिनका कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। इससे अरबों रुपये का फायदा हमारे कारखानेदार उठा रहे हैं, मिडिलमेन उठा रहे हैं। जो वाकई मेहनत करते हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

मैं इस सदन को खबरदार करना चाहता हूं कि कश्मीर का कालीन किसी भी कन्ट्री से मुकाबला कर सकता है। अब तो पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला है। हमारे यहां कालीन का इतना प्रोडक्शन हो सकता है कि हमारे मुल्क की आमदनी का एक जरिया बन सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे कालीन बनाने में हजारों मासूम बच्चे काम करते हैं। उन पर लेबर लाज लागू नहीं होते। उनके जिस्म का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उनके हाथ-पांव टेढ़े हो जाते हैं। वे बीमार हैं। इसलिए जो हमारे दस्तकार लोग हैं उन पर भी लेबर लाज लागू होने चाहिएं।

जो लोग लड़ना जानते हैं वे तो इन लाज को लागू करवा लेते हैं लेकिन जो बिचारे

बराबर

खबर है उन पर ये लागू नहीं करवा पाते। कारखानेदार और मिडिलमेन लोग इतने चालाक और बेईमान होते हैं कि वे इन चीज की बन्दिशें अपने कारखानों पर लागू नहीं होने देते। उनके कारखानों में हजारों मजदूर काम करते हैं, मेरी आंखों देखी बात है कि कारखाने में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन उसका ओनर कहीं मजदूर नहीं दिखाता है। वह उसमें धांधली और बेईमानी ईमानदारी करता है।

इसलिए मेरा कहना यह है कि यह जो बिल आप लाये हैं उससे मसला हल नहीं होने वाला है क्योंकि बोनस के मसले के साथ बहुत से मसले जुड़े हुए हैं। मजदूरों और उनके बच्चों का मामला है है। बोगस लेबर का मामला है। बोगस लेबर का मामला कहां नहीं है? इसको हमें खत्म करना चाहिए चाहिए। कांग्रेस आई के बीस नुक्ता प्रोग्राम में भी इसको खत्म करने की बात कही गई है।

इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इन सारी चीजों की जांच करके एक कम्प्रीहेंसिव बिल यहां लाया जाए। इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े वह करें और लेबर के सारे मसाइल को हल करें।

श्री عبدالرشید کابلی (سری نگر): میڈیم چیئرمین صاحبہ میں اس بل کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کی اسپرٹ کی حمایت کر رہا ہوں۔ ایک بات اس سدن میں آئی ہے، اور بار بار کہی گئی ہے کہ ۱۹۶۵ میں جب بل آیا تو اس وقت ۷۵۰ روپے پر سیلنگ تھی۔ اب ۱۹۸۵ میں آپ جو ترمیم لا رہے ہیں اس میں ۱۶۰۰ روپے تک کے لئے آپ نے اس کے حق کو تسلیم کر لیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے لیبر میں جو آندولن چل رہے ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں ہمارے جو ۱۶ کروڑ مزدور اور ملازمین ہیں ان کی بہت ساری مشکلات ہیں، بہت بڑی سمسیائیں ہیں جنکا حل سرکار نے ابھی تک نہیں ڈھونڈا ہے۔ کیوں کہ یہ لوگ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جنکی فکسڈ انکم ہے۔ ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جنکی آمدنی کے ذرائع دوسرے بھی ہیں۔ لیکن جو ہمارا مزدور ہے ایمپلائی ہے، اس کی آمدنی اس قدر مختصر ہے۔ اس کے بچوں کی تعلیم اور دوسرے اخراجات ہیں، اسے اس فکسڈ انکم میں ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جس تیزی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور جس تیزی سے عام مزدور اور عام ملازمین کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار کو چاہیے کہ اس سارے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے اور پیس میل لیجسلیشن لے کر اس سدن میں نہ آئے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل کرنے کی پوری کوشش ہونی چاہیئے۔ جب آپ مزدوروں سے ملازمین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پیداوار کو بڑھائیں، جب آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کے رخ پر آگے چلے، جب آپ چاہتے ہیں کہ ملک خوشحال ہو تو اس صورت میں جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے ان مزدوروں اور ایمپلائیز کی بہتری کے لئے آپ سوچیں اور جب تک آپ ان کو اچھے سادھن نہیں دے پاتے جب تک آپ ان کی مشکلات حل نہیں کر

اتنے جب تک آپ اُن کی ضروریات کے مطابق اُن کی ویجز کا فیصلہ نہیں کرپاتے تو آپ کیسے توقع کرسکتے ہیں کہ مُلک کی پیداوار بڑھے گی، اور آپ کیسے توقع کرسکتے ہیں کہ تقریباً 16 لاکھ مزدور اور ایمپلائی ملک کو ترقی کے راستے پر تیزی سے لے جائیں گے۔ یہ توقع اُن سے نہیں کی جاسکتی۔ اِسلئے ہماری لیبر میں ہمارے ایمپلائیز میں جو بے اطمینانی ہے، جو آئے دن یہاں اِسٹرائکس ہو رہے ہیں۔ لاک آؤٹس ہو رہے ہیں، اور کارخانوں میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں اُنکا کوئی حل آپ کو تلاش کرنا ہے۔ ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

دوسری بات میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں میں آنریبل سنہاجی سے اِتفاق کرتا ہوں۔ پیداوار اور مزدوروں کی آمدنی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مُنافع کتنا کارخانوں میں ہو رہا ہے اور مزدوروں کو کتنا ویجز کے طور پر مِل رہا ہے، اِسکا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج مسئلہ پیداوار کا ہے۔ جتنی پیداوار بڑھے گی، اُسی کے مُطابق ہمیں مزدور کو زیادہ سے زیادہ مُنافع دینا چاہیئے۔ زیادہ سے زیادہ بونس دینا چاہیئے۔ اِس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ پبلک سیکٹر کے بہت سارے کارخانے ہیں جو کہ گھاٹے پر چل رہے ہیں۔ لیکن گھاٹا ہونے پر بھی مزدوروں سے بونس مِلتا ہے، لیکن جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پرائیویٹ سیکٹر کا جو اونر ہے وہ مالک اپنے فائدے کے لئے زیادہ سوچ رہا ہے اور مزدوروں کے فائدے کی کم سوچ رہا ہے۔ آپ کو الگ ڈھنگ سے اِسکا حل ڈھونڈنا چاہیئے کیونکہ جو کارخانے دار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں وہ مزدوروں کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر اپنے فائدے کیلئے زیادہ سے زیادہ سادھن اور منافع کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اِس لئے پرائیویٹ سیکٹر میں جو مزدوروں کے حُقوق ہیں وہ اُنہیں ملنے چاہئیں۔ آج اُن کو وہ حُقوق نہیں مِل رہے ہیں۔

ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا جو کمٹمینٹ اور اِس سدن میں بھی یہ بات اُٹھائی گئی ہے کہ مینجمینٹ میں مزدوروں کا ایمپلائیز کا پارٹیشن ہونا چاہیئے۔ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی آمدنی ہو رہی ہے، اور کتنا مُنافع کمایا جا رہا ہے۔ مزدوروں کو اِس سے بالکل بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ جب تک اُنکا پارٹیشن نہیں ہوگا اُن کو معلوم نہیں ہوگا کہ کارخانے دار کتنا فائدہ لے رہے ہیں۔

تیسری بات مَیں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر ایک ایسا طبقہ بھی مزدوروں اور ایمپلائیز کا ہے، جن کے لئے لیبر لاز ہیں ہی نہیں۔ ہمارے گاؤں میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں۔ دست کار لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اور اُن کی چیزیں یہاں مُلک میں بھی بیچی جاتی ہیں اور مُلک کے باہر بھی بھیجی جاتی ہیں اور اُن سے فارین ایکسچینج کمایا جاتا ہے، اور وہ فارین ایکسچینج کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مڈل مین ہوتا ہے، وہ اُن کا ایکسپلائیٹیشن کرتا ہے، اور اُن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے آنریبل منسٹر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا یہ تجربہ ہے

کہ ہمارے یہاں لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں۔ مجھے کشمیر میں قالین بُننے والے پیپر میسی ویڈ کارونگ کرنے والے ایمبرائڈری کرنے والے لوگ ہیں، جو بہت ہُنرمند ہیں، بڑے قابل ہیں، اور بہت ہی ایمانداری سے کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن مجھے دُکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اُن کی آمدنی ۶ روپے اور ۸ روپے روز ہے، منی مم ویجز کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے۔ وہ دن رات کام کرتے ہیں اور ۱۰-۱۰ گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن اُنکو پُورے ویجز نہیں ملتے، جب کہ جو قالینوں کے کارخانے دار ہیں وہ لوگ اور دوسرے لوگ کیول ایمبرائڈری سے پیپر میسی ویڈ کارونگ اور دوسرے ہینڈی کرافٹ جو بَن رہے ہیں، اُن سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اور فارین ایکسچینج میں ان دستکاروں کا بہت بڑا کنٹری بیوشن ہے لیکن اس کا فائدہ اُن کو نہیں مل رہا ہے۔ اور مزدوروں کو کچھ نہیں مِل رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو بیسک لاز ہیں، اُنکو کہیں بھی اِمپلیمینٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔

مین منسٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ لیبر کے معاملے میں جب آپ کوئی تسلّی بخش کمپری ہینسِو لائین تو اسمیں ان مزدوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں جو کہ بے خبر ہیں، جاہل ہیں اور جنکا کہ بہت زیادہ ایکسپلائیٹیشن ہو رہا ہے۔ اس سے عربوں روپے کا فائدہ ہمارے کارخانے دار اُٹھا رہے ہیں، مڈل مین اُٹھا رہے ہیں جو واقعی محنت کو تر ہیں، اُنکو کوئی لابھ نہیں مِل رہا ہے۔

میں اِس سَدن کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا قالین کسی بھی کنٹری سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب تو پاکستان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ ہمارے یہاں قالین کا اِتنا پروڈکشن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کی آمدنی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہمارے قالین بنانے میں ہزاروں مَعصوم بچے کام کرتے ہیں۔ اُن پر لیبر لاز لاگو نہیں ہوتے۔ اُنکے جسم کا اِسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے۔ اُن کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ وہ بیمار ہیں۔ اِس لئے جو ہمارے دستکار لوگ ہیں اُن پر بھی لیبر لاز لاگو ہونے چاہئیں۔

جو لوگ لُٹتا جانتے ہیں وہ تو اِن لاز کو لاگو کروا لیتے ہیں، لیکن جو بے چارے بے خبر ہیں، اُن پر یہ لاگو نہیں کروا پاتے۔ کارخانے دار اور مڈل مین لوگ اِتنے چالاک اور بے ایمان ہوتے ہیں کہ وہ اِن لاز کی بندشیں اپنے کارخانوں پر لاگو نہیں ہونے دیتے! اُن کے کارخانوں میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ کارخانے میں ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں، لیکن اُس کا اندر کہیں مزدور نہیں دکھاتا ہے۔ وہ اس میں دھاندھلی اور بے ایمانی کرتا ہے۔

اِسلئے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بل آپ لائے ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں کہ بولنس کے مسئلے کے ساتھ بہت سے مسئلے جُڑے ہوتے ہیں۔ مزدوروں اور اُن کے بچوں کا معاملہ ہے بانڈیڈ لیبر کا معاملہ ہے۔ بانڈیڈ لیبر کا معاملہ کہاں نہیں ہے۔ اِسکو ہمیں ختم کرنا چاہئیے! کانگریس آئی کے بیس نکتہ پروگرام میں بھی اِسکو ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے!!

اِس لئے میں عرض کروں گا کہ اِن ساری چیزوں کی جانچ کرکے ایک کمپریہینسیو بِل یہاں لایا جائے۔ اِسکے لئے جتنی بھی محنت کرنی پڑے وہ کریں اور لیبر کے سارے مسائل کو حل کریں۔

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : मेडम चेयरमैन, अभी बहुत से मेम्बर्स ने बातें रखीं। बोनस के बारे में आप जानती हैं कि मजदूरों की लड़ाई सालों से चलती रही है। आखिर 1965 में यह परमानेंट बोनस का सिस्टम आया। फिर 1980 में इन्दिरा जी ने दुबारा 8.33 परसेंट बोनस देने के लिए एक बिल यहां रखा और मजदूरों को उतना बोनस दिया। बोनस तो आप जानते हैं कि कुछ लोगों को मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है, जैसा अभी कश्मीर के भी काबुली जी ने बताया कि कुछ को नहीं मिलता है, यह बात सही है, मगर इस मुल्क में लेबर लाज में जो एनामलीज हैं वे दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं हैं, चाहे वे कैपिटलिस्ट्स हों, सोशलिस्ट हों, उसके बारे में हमको देखना है। हमारे मुल्क में जो पूंजीपति लोग हैं अभी उनके दिमाग में यही है कि हमारा देश एक एग्रीकल्चर मुल्क है और उसी हिसाब से वे तनख्वाहें देते हैं। आज यहां का फार्मर भी मुसीबत में है एग्रीकल्चर लेबरर भी मुसीबत में हैं, इंडस्ट्रीज वर्कर भी मुसीबत में हैं। यहां पर मजदूर को जो दो हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, इतनी तो दूसरे मुल्कों में अनस्किल्ड वर्कर को मिलती है, अभी डागा साहब ने बताया, बाहर आकर यही मजदूर 10 हजार रुपये कमाते हैं, इसलिए वे बाहर जाते हैं कि बाहर पैसा ज्यादा मिल रहा है। यही वर्कर्स अमरीका में जाते हैं, अरब कंट्रीज में जाते हैं तो उनको ज्यादा मिलता है, लेकिन यहां क्या होता है, वहां 8 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि दूसरे मुल्कों में 6 घंटे काम करते हैं। यहां एक छुट्टी संडे की मिलती है, जबकि दूसरे मुल्कों में दो छुट्टियां मिलती हैं, और भी कई फैसिलिटीज मिलती हैं। यहां कोई मैनेजमेंट वर्कर्स को सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं होता। वर्कर्स के लिए मकान बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने के लिए कहते हैं तो वे समझते हैं कि यह सारा पैसा फिजूल है। इस पैसे को जमा करके एक इंडस्ट्री और लगाई जा सकती है। आज हमारे सारे पूंजीपति इसी दृष्टि से सोचते हैं कि पैसे कमाओ। आप देखेंगे कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पहले क्या थे और आज क्या हो गए हैं। कई लोग कहते हैं कि बहुत तनख्वाहें दे रहे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं हमेशा कहता हूं कि हिन्दुस्तान में वर्कर को तनख्वाह बहुत कम मिलती है, चाहे वह एग्रीकल्चर लेबरर हो, किसान हों, सबको बहुत कम तनख्वाह मिलती है। जब तक लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तब तक इंडस्ट्री और नहीं लग सकती हैं। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वे उसको खर्च करेंगे, इससे नई इंडस्ट्रीज लगेंगी। अगर किसी मजदूर को ज्यादा पैसा मिलता है तो वह फैक्ट्री तो लगाएगा नहीं, वह जाकर उससे टी० वी० खरीदता है, स्कूटर खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, मकान बनवाता है, तो इससे नई इंडस्ट्रीज लगेंगी और नई इंडस्ट्रीज लगने से ही अनएंप्लायमेंट की प्राब्लम दूर होगी। जहां पर परचेजिंग पावर नहीं हैं वहां पर एम्प्लायमेंट की प्राब्लम साल्व नहीं हो सकती। आज दूसरे मुल्कों में बेरोजगारी का मसला नहीं है, ईस्ट जर्मनी में जाकर देखिए, कम्युनिस्ट कंट्रीज में जाकर देखिए, सोवियत यूनियन में देखिए, वहां पर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी हुई है, इसलिए वहां पर अनएंप्लायमेंट की प्राब्लम भी नहीं है।

आज कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को प्रिवलेज क्लास कहा जाता है, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। इंडिया की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उसको थोड़ा-बहुत प्रिवलेज क्लास कहा जा सकता है, लेकिन

जब तक वह पैसा खर्च नहीं करेगा तब तक किसी का फायदा होने वाला नहीं है। अगर किसानों के पास, मजदूरों के पास चीज खरीदने की ताकत नहीं है, अलमारी कुर्सी खरीदने की ताकत नहीं है तो इंडस्ट्री को क्या मिलने वाला है। इंडस्ट्रियल लेबरर के पास पैसा है, इसलिए वह पैसा खर्च करता है, उससे काम आगे बढ़ता है। लेकिन होता क्या है कि इंडस्ट्रियल लेबरर की तो परचेजिंग पावर बढ़ी नहीं और इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। अगर देखेंगे तो पता लगेगा कि तमाम पैसा उन्हीं के पास है। मैं कोई प्राइवेट इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कंट्री में एक्सप्लाइटेशन का जो सिलसिला चल रहा है, वह रुकना चाहिए। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी, सबने कदम उठाए हैं। अभी इन्द्रजीत गुप्त जी कह रहे थे कि लोग वर्कमैन की डेफीनेशन के अन्दर आते हैं, उनकी ओर भी ध्यान जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में वर्कर्स की डेफीनिशन क्या है। वे तो फिटर या टर्नर समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ट्रॉक्टर्स भी उसमें आते हैं। यहां पर आउट-लुक दूसरा है। जब हम सोशलिस्ट रास्ते पर चल रहे हैं तो मैं समझता हूं इसमें बहुत-सी बातें आ सकती हैं। बोनस से हटकर भी कई लोगों ने बात की है। यह तो नामुमकिन है कि हमारा मुल्क फॉरेन कंट्रीज के बराबर हो जाए। इण्डस्ट्रीज की जो हिस्ट्री है वह दो-सौ, ढाई-सौ साल पुरानी है। आजादी के बाद ही यहां पर ज्यादा इण्डस्ट्रीज लगी हैं। उससे पहले तो बिरला जी या कुछ दूसरे लोगों के कारखाने नजर आते थे। हमारा मुल्क इण्डस्ट्रीज में आगे बढ़ रहा है इसलिए बेजेस का मसला और दूसरी बातें भी उठेंगी। इनको कोई रोकना चाहेगा तो भी नहीं रुक सकती। हमने जो कदम उठाया है वह यही सोचकर कि इस वक्त काफी बड़ा बर्डन है। हमने पब्लिक सैक्टर में 1.65 या 600 करोड़ डी० ए० में बढ़ाया है। प्राइवेट सेक्टर क्या देता है, वह आप सबको मालूम है। वह तो यही कहता है कि कमाने के बाद भी दिवाला निकल गया। बैलेंस सीट इस तरीके से बन जाती है कि मुनाफा होने के बाद भी नहीं बतलाते हैं। इसके बाद भी कुछ इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स की बातें डिफर हो सकती हैं। मल्टी नेशनल इण्डस्ट्रीज वाले कम से कम एकाउन्ट करते हैं और यह बताते हैं कि इतना प्राफिट हुआ। उनकी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के जो इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स हैं कमाई के अलावा वे बदली सिस्टम एन० एम० आर० लेबर केजुअल लेबर या टैम्परेरी लेबर के सिवाय नहीं रखते हैं। सारी उम्र काम करने के बाद भी केजुअल लेबर ही रहते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम अपने प्राईम मिनिस्टर की लीडरशीप में सोच रहे हैं कि तमाम लेबर-लाज को चेंज करना चाहिए और तेजी से प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए तथा वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस की लीडरशीप को किसी तरीके से भी हम लोग एन्करेज नहीं करेंगे। न्याय के लिए वायलेंस की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के जो कानून बनेंगे उससे लाभ उठा सकते हैं। वायलेंस तो इण्डस्ट्रीज और नेशन को तबाह करेगा। हमारे माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी कहा कि स्ट्राइक करने से बोनस का नुकसान होता है। उन्होंने बड़ी समझदारी से बात की है। स्ट्राइक करने से तो चाहे प्राइवेट इण्डस्ट्रीयलिस्ट हो कुछ देने वाला नहीं है। एक काम्प्रीहेन्सिव बिल लाकर उसमें कुछ लेबर-लाज को चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। जो कानून बना हुआ है, उसमें कुछ एनोमेलीज हैं। उसमें बोनस का ही नहीं मिनिमम वेजस ऐक्ट के बारे में भी है। काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरीके से वर्किंग क्लास के लिए कुछ करना है, यह सोच रहे हैं। काश्मीर गवर्नमेंट ने अभी तक लेबर-लाज लागू नहीं किए हैं। जब मैंने पूछा कि आपने लेबर-लाज का ऐक्ट क्यों नहीं लागू किया तो कहा कि करने वाले हैं।

श्री राज मंगल पांडे : पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग्स में घाटा होने के बाद भी 8.33 का

बोनस दिलाने के लिए आप विचार करेंगे या नहीं।

श्री टी० अंजैया : यह तो सब लोग जानते हैं कि प्राफिट हुआ तो कितना देने वाले हैं। वर्कर्स को वन मन्थ का राइट दिया गया है। हिन्दुस्तान के लोग तो यही बोलते हैं कि घाटा हो रहा है।

श्री राज मंगल पांडे : हम तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात कर रहे हैं।

श्री टी० अंजैया : केवल कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग्स में ही घाटा हो रहा है। मगर बाज इंडस्ट्रीज अच्छी चल रही हैं। उनमें भी बोनस दिया जाएगा। किसी भी इंडस्ट्री में बोनस न मिलने का सवाल ही नहीं है। बोनस तो सभी में मिलेगा, भले ही उस इंडस्ट्री में घाटा होता है या मुनाफा होता है।

मैडम जैसा आप जानती हैं, बंगलूर में आज कितनी इंडस्ट्रीज आई हैं, उनमें घाटे की बात को आप छोड़ दीजिए। उनमें घाटे के पीछे क्या कारण हैं, उसके बारे में हमें जानकारी है। हम जानते हैं कि किसी इंडस्ट्री में कैसे घाटा होता है, कैसे मुनाफा होता है। हमारे कुछ पब्लिक सैक्टर के अंडरटेकिंग्स में मैनेजमेंट अच्छा है, उसमें तजर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, अच्छे काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ कहीं पर ऐसे लोग भी मेनेजमैंट में हैं जिनको उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मगर वे वहां बैठे हुए हैं। इसलिए कई तरह की बातें हैं, उन सबके बारे में आपको जानकारी है। ऐसी इंडस्ट्रीज में तबदीली लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहां आज इसकी आवश्यकता है। यही कारण है कि ऐसी इंडस्ट्रीज घाटे में जाती हैं और हम उसमें सुधार ला रहे हैं।

हमारी भारत सरकार अब इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी भी अंडरटेकिंग्स में घाटा होता जाए। हमारी कोशिश होगी कि हर इंडस्ट्री में अच्छे और योग्य आफिसर्स को लगाया जाए जिनको उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी जानकारी हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनमें मुनाफा हो। उदाहरण के लिए बी० एच० एल० को ही लीजिए, वह अंडरटेकिंग काफी मुनाफे में चल रही है, वहां घाटा नहीं है। इसके अलावा कई दूसरी अंडरटेकिंग भी हैं, जैसे एच० एम० टी० है, जिनके अन्दर लाखों का मुनाफा हो रहा है। इसलिए घाटे के पीछे मुख्य कारण उसमें बैठे लोगों का अनुभव न होना है, उनको अंडरटेकिंग के बारे में जानकारी नहीं है। जब उनमें अच्छे आफिसर्स लगाये जाएंगे तो उनके अन्दर किसी प्रकार का घाटा नहीं रहेगा, ऐसा मेरा विचार है।

अब जहां तक बोनस दिए जाने के लिए वर्कर्स की तनख्वाह का प्रश्न है, जैसा आप जानते ही है बोनस देने का सिस्टम ट्रैडीशनल है और इसकी शुरुआत बम्बई से हुई है। पहले बोनस दशहरा, दीपावली आदि के लिए दिया जाता था, लेकिन अब वह सिस्टम बदल गया है और अब इसकी शेप कस्टम या ट्रैडीशनल न रह कर परमानेंट बोनस की हो गई है। इसलिए बोनस दिए जाने का सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ है, वह बहुत समय से चला आ रहा है। हम तो अब उसको लीगल शेप देना चाहते हैं और इसीलिए यह बिल आपके सामने है।

इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि हमने बोनस की सीलिंग बढ़ाने का जो प्रस्ताव किया है, वर्नमेंट ने काफी सोच-विचार कर इस सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है और सीलिंग 1,000 रु० स की गई है, मैं सभी मेम्बर्स से अपील करता हूं कि वे इस बिल को सपोर्ट करें।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री मूल चन्द डागा ने अधिकतम सीमा की बात उठाई थी और हम इस अधिकतम सीमा को जारी रखना चाहते हैं।

श्री टी० अंजैया : कुशल श्रमिक और अर्द्ध कुशल श्रमिक में अन्तर है। जिन्हें 750 रुपये से अधिक वेतन मिल रहा है उसे 1600 रुपये बोनस मिलना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खण्ड-2

सभापति महोदय : खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री टी० अंजैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.24 म० प०

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 1985**

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

** दिनांक 16.5.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 16 मार्च, 1985 को वित्त विधेयक पुरःस्थापित करते समय सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नीति की घोषणा की थी। उन घोषणाओं में एक घोषणा यह भी थी कि कम्पनियों को राजनीतिक अंशदान करने की अनुमति दी जाये जिससे वे हमारे लोकतंत्र के कार्यकरण में निश्चित मानदंडों के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में अपनी उचित भूमिका निभा सकें और इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित विधेयक लाया जाएगा। हाल के वर्षों में यह धारणा दृढ़ होती गई है कि राजनीतिक अंशदान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के स्थान पर कुछ राशि खुले आम लगाने की अनुमति देने से राजनैतिक आर्थिक पर्यावरण की छवि निश्चित रूप से स्वच्छ होगी। व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि भी सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं। धारा 293-क के वर्तमान उपबन्ध में परिवर्तन करने के बारे में विचार किया जाए, यह उपबन्ध 1969 से पूर्व का है और जिसे 1960 में पुरःस्थापित किया गया था जिसके तहत कम्पनियों को एक निश्चित सीमा तक राजनैतिक अंशदान देने की छूट दी गई थी। कम्पनियां प्रायः यह तर्क देती हैं, जो ठीक ही हैं, कि उन्हें उन राजनैतिक दलों का समर्थन करने का अधिकार है जो गैर-सरकारी व्यापार में थोड़ा-बहुत विश्वास रखती हैं। दूसरे, अनेक कम्पनियां यह महसूस करती हैं, किसी राजनैतिक दल के इस दबाव को वे रोक नहीं सकतीं कि उस दल को बिना लिखा-पढ़ी में कोई दान दिया जाय और यदि कोई कानून बनाकर उन्हें यह दान देने की अनुमति दे दी जाती है तो वे अपनी क्षमता के अनुसार इस मद में कुछ राशि व्यय कर सकती है। तीसरे, यह भी तर्क दिया गया है कि कम्पनी स्वयं भी लोकतन्त्र के शेयर होल्डर सिद्धांत पर कार्य करती हैं, अतः एक लोकतांत्रिक समाज में राजनैतिक दलों को दान देने पर प्रतिबंध लगाना समयानुसार ठीक नहीं है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि राजनैतिक अंशदान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना अधिक उपयोगी होगा। तथापि, इन प्रतिबन्धों को वास्तव में सार्थक बनाने के लिए पूर्व इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बातें जोड़ दी गई हैं। चूंकि लाभ में न चल रही कंपनियों को अंशदान देने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए इसलिए राजनैतिक दान भी अनुमत राशि सुनिश्चित करने हेतु लाभ की कुछ प्रतिशत राशि की सीमा निर्धारित करने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान विधेयक में सरकारी कम्पनियों पर राजनैतिक दान न देने का पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन कम्पनियों का अस्तित्व गत तीन वित्तीय वर्ष से कम समय का है, उन्हें राजनैतिक दान देने की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक धन की परिभाषा के बारे में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो इसलिए इस विधेयक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी राजनैतिक दाम को दल, या अंशदान या भुगतान के रूप में जो भी राशि दी जाती है, उसे राजनैतिक दान माना जाएगा। यहां तक कि स्मारिका, विवरणिका, इश्तहार या इसी प्रकार के विज्ञापन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी राशि व्यय होगी, उसे भी राजनैतिक अंशदान या दान माना जाएगा। वास्तव में, इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि दान की गई पूर्ण राशि खोली जाये, दल का, व्यक्ति का या निकाय आदि का नाम भी बताया जाये। इन प्रस्तावों को और अधिक सार्थक बनाने के विचार से इस विधेयक में यह भी व्यवस्था करने की मांग की गई है कि जो कम्पनी किसी प्रकार का भी दान करने में इस विधेयक में दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करेगी, तो उसे दान की गई राशि की तीन गुना राशि आर्थिक दण्ड के रूप में अदा करनी

होगी। कम्पनी के जो अधिकारी इस उपबंध का उल्लंघन करने के दोषी पाये जायेंगे, उन्हे अर्थदण्ड के साथ-साथ कारावास की सजा भी दी जा सकती है।

4.27 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

बजट प्रस्ताव पुरःस्थापित करते समय सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की थी, वह यह है कि सरकार एक आवश्यक विधेयक पुरःस्थापित करेगी जिससे कम्पनी के बन्द होने की स्थिति में और सरकार की बकाया राशि अधिक होने की स्थिति में पद के अनुसार श्रमिकों की वास्तविक बकाया राशि को उस राशि के समतुल्य समझा जाये जो राशि जमाकर्ताओं से प्राप्त की गई है। सुरक्षित जमाकर्त्ताओं के ऊपर सुरक्षित जमाकर्ताओं और श्रमिकों की हैसीयत असुरक्षित जमाकर्त्ता के रूप में मानने का वर्तमान कानून में जो उदाहरण दिया गया है वह एंग्लो सैक्शन कानून से लिया गया है। तथापि विश्व में कुछ ऐसे देश हैं, जिनमें इस बात का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार, कनाड़ा में तथा संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ राज्यों में किसी निगम के दिवालियां हो जाने की स्थिति में और कुछ मामलों में कर्मचारियों के वेतन के दाब को प्राथमिकता दी जाती है और निगम के दीवालिया होने के स्थिति में गिरवी तथा गृहणाधिकार या श्रमिकों के वेतन को पूर्ववर्तिता प्रदान की जाती है।

कल्याण कार्यरत देश में श्रमिकों के हितों को सर्वाधिक ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विधेयक पुरःस्थापित किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी श्रमिकों की बकाया राशि, वह राशि, चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, को कम्पनी की समस्त सुरक्षित परिसम्पत्ति को श्रमिकों के हक में रखने के लिए कानून बनाकर पूर्णतः सुरक्षित रखा जाए। यह संरक्षण उन्हीं श्रमिकों को उपलब्ध होना चाहिये जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत कर्मचारी की संज्ञा प्रदान की गई है। कम्पनी के अन्य कर्मचारियों पर वर्तमान कानून ही लागू होगा। इस विधेयक के उपबंधों के अन्तर्गत सुरक्षित जमाकर्ता अपनी बकाया राशि की वसूली के लिये सरकारी लीक्वोडेटर के साथ मिलकर ही कर सकता है। सुरक्षित जमाकर्ताओं की सुरक्षा से श्रमिकों की जो बकाया राशि बिना वसूल की हुई रह जाती है, उस बकाया राशि की वसूली के लिए असुरक्षित जमाकर्ताओं के ऊपर श्रमिकों को प्राथमिकता दी जायेगी। समता और न्याय के हित में, उन सुरक्षित जमाकर्ताकों को, जिन्हें श्रमिकों के हित में अपनी प्रतिभूमि छोड़ने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, उन्हें भी अन्य असुरक्षित जमाकर्त्ताओं के ऊपर उसी प्रकार प्राथमिकता दी जायेगी, जो श्रमिकों के बराबर होगी तथा वास्तव में भुगतान उतना ही दिया जायेगा जितना कि उन्हें हानि हुई है, उससे अधिक नहीं।

इस विधेयक के माध्यम से, मैं कम्पनी अधिनियम की वर्तमान धारा 396 में कुछ स्पष्टीकरण संशोधन पुरःस्थापित करना चाहता हूं। इस धारा के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को जनहित में कम्पनी के विलयन के आदेश देने का अधिकार है। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (सातवीं लोक सभा, ने सिफारिश की है कि इस धारा के अन्तर्गत विलयन आदेश के तहत देय मुआवजे का मूल्यांकन करने वाले समाहर्ता के आदेश से कम्पनी नियम बोर्ड को अपील पर मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार दिया जाए। इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अधिनियम की धारा 394 के मौजूदा उपबंधों के अन्तर्गत उच्च न्यायालय विलयन के आदेश देता है, उसी

विलयन आदेश के अन्तर्गत यह प्रावधान किया जा सकता है कि अन्तरित कम्पनी के हित में और विरोध में यदि कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है, तो उस निर्णयाधीन कानूनी कार्यवाही को यथावत चलने दिया जाये। इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम की धारा 396 में समुचित संशोधन करने का प्रस्ताव है।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक में कम्पनी अधिनियम की तीन महत्वपूर्ण धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है। धारा 396 में विलयन के बारे में कहा गया है। इसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। धारा 529 और 530 में जो संशोधन किया गया है उसमें श्रमिकों की बकाया राशि को सुरक्षित जमाकर्त्ताओं की राशि के समतुल्य ठहराया गया है, जो स्वागत योग्य है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। पहली बार सरकार ने यह महसूस किया है कि उद्योग के विकास में श्रमिकों की भी भूमिका होती है और यह कि कम्पनी की सम्पत्ति के मूल्य में उनका भी हिस्सा होता है। यह बात स्वागत योग्य है।

तीसरा संशोधन धारा 293(क) के संबंध में है। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इससे कम्पनी कानून के अन्तर्गत शेयर-धारियों को दी गई सुरक्षा समाप्त होती है। मैं इस आधार पर इसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि अंशदान मुख्य रूप से सत्तारूढ़ दल को मिलेगा और विरोधी दल को नहीं मिलेगा आदि-आदि। मेरा ऐसा विचार नहीं है। चाहे सत्तारूढ़ दल हो अथवा विरोधी दल या कोई व्यक्ति विशेष, जो भी व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ना चाहता है, आज उसे कम्पनियों की ओर से किसी प्रकार का दान दिये जाने का निषेध है। वह स्वागत योग्य कदम था। किन्तु इस विधेयक से यह विशेष प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि आप शेयर धारियों के धन का दुरुपयोग करने का हर प्रकार का अधिकार कुप्रबन्धकों को दे रहे हैं। अन्ततोगत्वा, जब कम्पनी कुछ भुगतान करती है तो वह भुगतान कौन करता है ? इसका मतलब है कि शेयरधारी ही बहुत भुगतान करते हैं। शेयरधारियों की ओर से यह विधेयक-विशेष निदेशक मण्डल को चन्दा देने की शक्तियां प्रदान करता है। मेरी आपत्ति केवल इस बात को लेकर है। यदि शेयरधारी किसी राजनीतिक दल को चन्दा देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारतवर्ष में कम्पनी कानून इस प्रकार बनाए गये हैं कि शेयर-धारी कम्पनी के कार्यचालन में बहुत ही कम भूमिका निभाती है। आम सभा की बैठक वर्ष में केवल एक बार या दो वर्ष में एक बार ही बुलाई जाती है। और हम यह जानते हैं कि आम सभा की बैठक में क्या होता है और कितने शेयरधारी इसमें भाग लेते हैं। छोटे शेयरधारी तो कभी आते ही नहीं हैं, केवल कुछ ही लोग एकत्र होकर निदेशक मण्डल के संकल्पों को पास करने का प्रबन्ध करते हैं और उन्हें आम सभा की बैठक में ले जाकर वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

परीक्षित लेखाओं को स्वीकार कर लिया जाता है ।

इस बिधेयक की धारा 293-क में, जिसे एक अन्य खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यह कहा गया है कि कम्पनी गत तीन वर्षों के लाभ के आधार पर परिगणित, कुल वार्षिक लाभ का पांच प्रतिशत तक राजनीतिक दलों को चन्दा दे सकती है । 'गत तीन वर्षों' वाला यह खण्ड इस बात की छूट देता है कि किसी उस विशेष वर्ष में भी कम्पनी को राजनीतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति होगी जिसमें कि उसे चाहे हानि भी हुई हो, क्योंकि यह देखना होगा कि गत तीन वर्षों में यदि कम्पनी का लाभ होता है तो उस कुल लाभ का 5 प्रतिशत चन्दे के रूप में दिया जा सकता है ।

जहां तक शेयरधारियों का सम्बन्ध है, मेरा यह दृढ़ मत है कि यह अधिकार केवल शेयर-धारियों को ही दिया जाना चाहिए । हम शेयरधारियों को यह अधिकार कैसे दे सकते हैं कि वे राजनीतिक दलों को चन्दा दें ? हमें कम से कम इस विधेयक में इतना तो कर ही देना चाहिए कि यदि कोई कम्पनी राजनीतिक दल को चन्दा देती है तो, तीन मास के भीतर-भीतर कम्पनी को आम सभा की एक असाधारण बैठक बुलाकर इसकी अभिपुष्टि करा लेनी चाहिए । वर्ष के अन्त में, जब शेयरधारियों के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन आता है तो वे इसके बारे में भूल गये होते हैं । उन्हें यह पता नहीं होता कि कम्पनी ने अमुक चन्दा अमुक दल को दिया है और कोई भी व्यक्ति यह याद करने की स्थिति में नहीं होगा और लाभ तथा हानि के लेखाओं के आंकड़ों को देखकर कुछ नहीं बोलेगा । सिद्धांत के आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि कम्पनियों को राजनीतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । परन्तु यदि, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी उल्लेख किया है कि कम्पनियों को चन्दा देकर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में भूमिका निभाने की अनुमति दी जा रही है । यदि सरकार कम्पनियों को यह अधिकार देना चाहती हैं तो ये कम्पनियां चन्दा देने के तीन मास के भीतर ही आम सभा की असाधारण बैठक बुलाएं और इसकी अनुमति लें । महोदय मुझे यही कहना है ।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जब फाइनेन्स बिल इन्ट्रोड्यूस हो रहा था उस समय यह बात आई थी कि एक ऐसा बिल आयेगा जिसके अन्तर्गत विभिन्न पोलिटीकल पार्टीज को दान दिया जा सकेगा । यही नहीं चुनावों के समय हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनाव घोषणा-पत्र जारी हुआ था उसमें भी हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने यह विचार दिया था कि पोलिटीकल पार्टीज को दृष्टि में रख कर और देश से भ्रष्टाचार को दूर करने की दृष्टि से ऐसी कोई तजवीज अवश्य होनी चाहिये जिससे करप्शन कम हो। इन सब बातों को दृष्टि में रख कर आज माननीय मंत्री जी इस बिल को लाये हैं, इसलिये मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय, आप पिछले 37-38 साल के इतिहास को देखें, 1956 में एक बिल आया और यही नहीं इधर की पोलिटीकल पार्टीज के नेता, चाहे प्रो० मधु दण्डवते हों, चाहे सच्चर कमेटी हो, सब लोगों की तजवीज थी कि डोनेशन को बैन कर दिया जाय और उन तमाम परिस्थितियों को देखकर सरकार ने इस पर रोक लगाई थी । लेकिन रोक लगाने के बाद ऐसा महसूस किया गया कि जो ब्लैक मनी है वह ज्यादा बढ़ रही है और विभिन्न पार्टियों के लोग या जो ऐसी पार्टियां हैं जो किन्हीं अपनी नीतियों के कारण, किन्हीं अपनी परिस्थितियों के कारण

चन्दा इक्ट्ठा नहीं कर पाती हैं, उनको चुनाव में भी न्याय नहीं मिल पाता है। उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया है। मैं अभी राज्य सभा में इस बिल पर हुई बहस को देख रहा था। काफी विरोधी दलों के लोगों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि कांग्रेस इस बिल को अपने हित में लाई है। मैं माधव रेड्डी साहब को बतलाना चाहता हूं—आन्ध्र प्रदेश में आपकी सरकार है। बंगाल में सी० पी० एम० और लेफ्ट फ्रन्ट की सरकार है और कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार है। तो आलोचना की दृष्टि से ही अगर आप आलोचना करते हैं, तो यह ठीक नहीं है।···(व्यवधान)···इसमें बैनीफिट का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि किस तरह से पोलीटिक्स में से करप्शन को मिटाया जाए। आज ब्लैक मनी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बन गई है और बड़े-बड़े पूंजीपतियों द्वारा, बड़े-बड़े उन तत्वों द्वारा जो हमारे देश की एकोनामी पर काफी असर डालते हैं, यह सब किया जा रहा है और यदि आपने इसको नहीं रोका, तो स्वाभाविक है कि बहुत-सी पोलीटीकल पार्टीज का सहारा लेकर वे बचने का प्रयास भी करती हैं। तो हमारे प्रजातांत्रिक देश में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मंत्री जी जो यह बिल लाए हैं यह एक ऐतिहासिक बिल है और इससे वे चीजें, जो चन्दे पर बैन लगाने से आ गई थी, रुकेंगी। यही नहीं, हम तो इस राय के समर्थक हैं और हमारी पार्टी के लोग भी समर्थक हैं कि बहुत सारे दल नहीं होने चाहिएं। इस देश में कितने दल हो गये थे इलेक्शन के पहले, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर और कोई सम्प्रदाय के नाम पर दल बने गये थे और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्प्रदाय के नाम पर जब ऐसा हुआ तो एक बार बड़ी तकलीफ हुई थी लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों ने चुनाव में ऐसी पार्टियों को न लाकर प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत कर दी। चुनाव से पहले क्या हो रहा था? जातीयता और सम्प्रदायकता का नापाक संगठन हो रहा था और उस नापाक संगठन का क्या होता। आज जो दुनिया में हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं और आज बहुत ही गंभीर समय आ गया है और सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर इस पर विचार करना है। प्रजातंत्र में मैं मानता हूं जब चुनाव आता है तो चन्दे की बात आती है और हम कह सकते हैं कि यह एक अनएवायडेबिल इविल है लेकिन इस इविल को कैसे कर्व करें। मैं ऐसा समझता हूं कि यह जो बिल आया है, काफी दूर तक इसको कम करने का यह प्रयास करेगा। हिन्दुस्तान में जो इतनी सारी पार्टियां हैं, जो विभिन्न पार्टियां हैं, हमारा ख्याल है कि इतनी सारी पार्टियां नहीं होनी चाहिएं और दो, तीन सिद्धांत वाली पार्टी होनी चाहिए। एक लेफटिस्ट हो सकती है, एक राइटिस्ट हो सकती है और हमारी जो पार्टी है, हमने सर्वदा मिक्स्ड एकोनामी की बात कही है। सन् 1956 में जो इन्डस्ट्रियल प्रस्ताव पंडित जी के समय आया था, उसमें हमने प्राइवेट सैक्टर को भी बढ़ाया है और सार्वजनिक क्षेत्र को भी महत्व दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि आज इन सेक्टरों का कोई महत्व नहीं है। अब तो ज्वाइन्ट सेक्टर है, काआपरेटिव सेक्टर है। सारा रुपया एक ही स्रोत का है, सब पब्लिक मनी है और जो नेशनेलाइज्ड बैंक हैं, उनका पैसा है।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ चन्दा देने की छूट दे रहे हैं, वहां पर जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कुछ पार्टियों को, कैंडीडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए साधन मिलने चाहिए लेकिन जहां पर एक-एक बेलेट पेपर में 337 केन्डीडेट्स हों और बेलेट पेपर की लम्बाई इतनी हो जाती है कि वोट देने वाले के लिए मुश्किल होती है, तो उस मुल्क में निश्चित तौर पर बड़ी कठिनाई है। धीरे-धीरे वे पार्टियां जो जातीयता पर आधारित

रही हैं, जो क्षेत्रीयता पर आधारित रही हैं और जो भाषा पर आधारित रही हैं, इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनकी सफलता नहीं मिली है। एसेम्बली के चुनाव में तो वे चल गये लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिन्दुस्तान की जनता ने संकुचित और संकीर्ण उद्देश्य रखने वाले जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनको धक्का दिया। लेकिन अभी काफी सुधार करने की जरूरत है। इसलिए समय नहीं आया है कि हम सरकार से मांग करें कि पालीटीकल पार्टीज के लिए चन्दे की व्यवस्था हो जाए। अगर चन्दे की व्यवस्था कर देंगे तो यहां पर हजारों पार्टियां पुनः पैदा हो जाएंगी। मैं तो यह कहना हूं कि कुछ ऐसी रास्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, जिनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मानने में झिझक होती है। एक-एक कौने में, एक-एक पाकिट में पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली पार्टियां हैं। पांच परसेंट वोट प्राप्त कर लिये और बन गये नेशनल पार्टी। अब समय आ गया है कि इस पर बड़ी संजीदगी और गंभीरता से फिर से सोचना होगा। यह जो बिल लाया गया है, इससे मैं समझता हूं कि हमारे राजनीतिक जीवन में सफाई आयेगी।

. जहां तक बंगाल का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल में इंडस्ट्रियलिस्ट्स बहुत खुश हैं। आप जानते ही हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों खुश होता है। पिछले इलेक्शन में किस तरह से चुनाव में धन पाया यह सबने देखा होगा। बंगाल में आज रवैया बहुत ही गड़बड़ है। आप वहां की विकास की गति को देखें। सन् 1951-52 की योजना जब बनी थी उस समय बंगाल की विकास की गति 14-15 परसेंट थी। वहां पर-केपिटा इनकम थी वह भी बहुत अधिक थी। लेकिन आज वहां पर-केपिटा इनकम क्या है? आज बंगाल बहुत ही पिछड़ गया है। पिछले 7-8 सालों में वहां बहुत गड़बड़ हो गई है।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि राजनीति में शुद्धता लाने के लिए राजनीति में आये दिन की गड़बड़ को दूर करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम इस बिल को सर्वसम्मति से पास करें। कई जो कम्पनियां हैं जो बड़े-बड़े कारखाने चला रही हैं उन पर भी हमको दबाब डालने की जरूरत है। कहीं इसका बहाना लेकर वे अनुचित लाभ न कमा सकें। कहीं वे हमारी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की भावना के विपरीत काम न करें।

मैं मांग करना चाहता हूं कि जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया, चंदा देने की जो बात है वह कामन फण्ड में दिया जाए। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। जो चन्दा दिया जाए उसका हिसाब-किताब भी रहना चाहिए। ऐसा न हो कि ब्लैक मनी पनपती रहे। यह नहीं होना चाहिए।

आपने जो यह संशोधन विधेयक रखा है, इससे निश्चित तौर से देश में एक अच्छा वातावरण बनेगा और इससे हमारे यहां पार्टियों की संख्या भी कम हो सकती है। धन्यवाद।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। इस बिल के माध्यम से 1956 के ऐक्ट में तीन संशोधन किये गये हैं। जहां तक दो प्रोविजन का सवाल है, उसके विषय में कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो तीसरा प्रोविजन है उसके बारे में विरोधी दलों ने कुछ विरोध प्रकट किया है। यों तो इस प्रोविजन को भी एक मतैक्य के रूप में ही यहां लाया गया है परन्तु फिर भी एक प्रश्न जो विरोध पक्ष की तरफ से उछाला जाता है वह वह है कि 1956 के बाद 1969 में किन परिस्थितियों में कम्पनियों द्वारा चन्दा देने पर प्रतिबन्ध

लगाना पड़ा और अब कौन-सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं जिनके कारण इस प्रतिबन्ध को फिर से हटाना पड़ा।

आज जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, वह खुली राजनीतिक व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में हर वर्ग को अपना अपना निर्णायक रोल प्ले करने की आजादी है। उसमें निश्चित तौर से साधन-सम्पन्न वर्ग अपने प्रभाव का अधिक इस्तेमाल करता है। इससे भी कोई इन्कार करने की बात नहीं है कि हमारी चुनाव प्रणाली में आज धन का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। इस धन को हर पोलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सोर्स से ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है। कोई भी राजनीतिक दल आज यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हम केवल अपनी सदस्यता या अपने राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा एकत्रित चन्दे के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। आज जिस तरीके की प्रक्रिया हमारे यहां डेवलप होती जा रही है, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें बनती जा रही हैं, तो आज यह नहीं कहा जा सकता कि चन्दा लेने के साधन केवल कांग्रेस पार्टी के लिए ही हैं और बाकी पार्टियों के लिए प्रतिबन्ध है और वे धन नहीं ले सकते, ऐसी बात नहीं है।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर 1969 में इस पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया था। जब प्रतिबन्ध लगाया गया था उस समय भी यही कहा गया था कि विभिन्न कमेटीज की रिपोर्ट्स की अनुशंसाओं के आधार पर कि डोनेशन कंपनियों के द्वारा देने से राजनीति में एक तरह की गिरावट आ रही है, एक प्रकार की गंदगी हो रही है, मगर 1969 के प्रतिबन्ध के बाद नई चीज सामने आई। उस प्रतिबंध के पीछे जो मंशा थी वह अच्छी थी, लेकिन वह मंशा पूरी नहीं हुई और यह बात बराबर राजनीतिक दलों के द्वारा और विचारवान लोगों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा उठ रही थी कि राजनीतिक दलों को कंपनीज के द्वारा ब्लैकमनी मिलती है और कंपनीज ब्लैक मनी देकर राजनीति को एक तरह से दूषित कर रही हैं और साथ-साथ राजनीतिक दल चन्दा लेकर ब्लैकमनी पैदा करने वाली कंपनीज को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कंपनीज को राजनीतिक पार्टियों को पैसा देने की छूट से पार्टियों की जो चन्दा मिलेगा, वह ब्लैक मनी नहीं होगी। उसका एक हिसाब उन कंपनीज को इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को देना होगा और उसका जानकारी किसी न किसी रूप में दूसरे लोगों को भी हो सकती है। मैं समझता हूं कि यह पहले से अधिक खुली व्यवस्था है, क्योंकि जिस गंदगी को हम दूर करना चाहते हैं, बेन लगाकर जब उस गंदगी को दूर नहीं कर सकते हैं तो हमको यह देखना चाहिए कि कौन से माध्यम हो सकते हैं, जिससे हम धन के प्रभाव से और वह भी गलत ढंग से प्राप्त धन के प्रभाव से राजनीतिक दलों को रोक सकें और मैं समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने इस मंशा को पूरा करने के लिए यत्न किया है और साथ-साथ फाइनांस बिल मूव करते वक्त वित्त मंत्री जी ने इस बात को कहा था और राजनीति को स्वस्थ बनाने का जो हमारे प्रधान मंत्री का संकल्प है, यह उस संकल्प का एक अंग है और मैं समझता हूं कि इस मामले को अकेले इस 293 में अमेंडमेंट लाकर के बात को नहीं देखना चाहिए, टोटल प्रास्पेक्टिव जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी चल रही है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव कानून में संशोधन किया और विभिन्न प्रकार की कमजोरियों को, गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, उस सारी लाइट में इस विधेयक को देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो सकता है कि अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए

थोड़ी देर के लिए कांग्रेस के ऊपर छींटाकशी करने के लिए इस बात को कहे, कुछ आलोचना करे लेकिन जहां तक तथ्य है, मूल मंशा का सवाल है, उसमें किसी भी तरह का मतभेद नहीं हो सकता। जब हमने इस राजनीतिक सिस्टम को स्वीकार किया है, ओपन सिस्टम को स्वीकार किया है तो इस बात को मानना पड़ेगा और मैं विरोधी दलों से निवेदन करना चाहूंगा, विरोधी दल के मित्रों से कि वे एक दूसरे पर जो छींटाकशी करते हैं और दोषारोपण की कोशिश करते हैं, सत्तारूढ़ दल को बेइमान कहते हैं, जो सत्ता में है वह व्यक्ति बेइमान है; स्थिति यह नहीं है। हम राजनीति में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंककर, दोषारोपण करके उन लोगों को खुली छूट देने की कोशिश करते हैं जो लोग वास्तव में हमारी राजनीति को या हमारे टोटल स्ट्रक्चर को करप्ट करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। हमारी जो प्राइवेट और दूसरी कंपनीज हैं, इनके ऊपर किसी न किसी तरीके से नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण इस तरीके से होना चाहिए जिससे वे गलत ढंग से धन अर्जित न कर सकें। जो घोषित नीति है, जिसको वह सरकार के सामने रखते हैं, उसके बाहर वे न जा सकें। उसके लिए सरकार किस तरीके से कार्यवाही कर रही है, इसको देखना चाहिए। मैं समझता हूं हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने बड़े-बड़े धनाढ्य लोगों और बड़ी-बड़ी धन की शक्तियों को कानून के जरिए उनकी मंशा को रोकने की कोशिश की है। उन सारी कोशिशों का स्वागत होना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का स्वागत करता हूं। वर्कर्स को राहत मिलेगी और विभिन्न प्रकार की कंपनीज जो गड़बड़ पैदा करती हैं उनको रोकने में मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : सभापति महोदय, इस विधेयक में तीन बातों पर ध्यान दिया गया है। प्रथम है, कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चन्दे पर से पाबन्दी उठाना। अन्य दो स्वागत योग्य उपबन्ध हैं, जिनमें श्रमिकों की देनदारियों और कम्पनियों के एकीकरण से उठने वाली समस्याओं पर विचार किया गया है।

मैं कम्पनी अधिनियम की धारा 293-क के इस संशोधन का विरोध करता हूं। इस संशोधन का एक लम्बा इतिहास है। 1956 में जब कम्पनी अधिनियम पारित किया गया था तो उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि कम्पनियां राजनीतिक दलों को चन्दा दे सकती हैं। कुछ समय बाद संसद के बाहर और भीतर वाद-विवाद भी चला था और कुछ समितियां नियुक्त की गई थीं और 1969 में तत्कालीन सरकार ने 1956 के मूल विधेयक को संशोधित करते हुए इस पर पाबन्दी लगा दी थी। उस समय, इस संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए, तत्कालीन उद्योग मंत्री स्व० श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने उल्लेख किया था कि संशोधन को स्वस्थ जन-जीवन और अपने जन-जीवन को स्वच्छ करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। अब हमारे वर्तमान उद्योग मंत्री महोदय भी उसी तर्क को दोहरा रहे हैं क्योंकि सदन के समक्ष इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय उन्होंने भी उसी वक्तव्य का सहारा लिया कि इस विधेयक को स्वस्थ और स्वच्छ जन-जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुरःस्थापित किया जा रहा है। यह मेरी समझ से बाहर की बात है। नियुक्त की गई सभी समितियां—बी० एन० शास्त्री समिति और सच्चर समिति—कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा दिया जाने के विरुद्ध थीं। एक गैर-सरकारी समिति भी थी, जिसे स्व० श्री जयप्रकाश नारायण ने नियुक्त किया था और वह थी तारकुण्ड समिति। जैसा कि श्री माधव रेड्डी जी ने कहा है तारकुण्ड समिति तो नैतिक आधारों पर भी इसके विरुद्ध थी।

यह आवश्यक नहीं है कि शेयरधारियों का बहुमत भी उसी राजनीतिक विचारधारा का हो जो कि निदेशक मण्डल का है और इस प्रकार बहुसंख्यक शेयरधारियों पर निदेशक मण्डल की राजनीतिक इच्छा या राजनीतिक विचारधारा को लादा जाता है। और यही होगा भी। इस संशोधन से कौन-सी पार्टी लाभान्वित होगी ? हर कोई जानता है कि इससे सत्तारूढ़ दल को लाभ होगा। उनकी तो पहले ही से पांचों ऊंगलियां घी में हैं और परोक्ष रूप से धन बटोर रहे हैं। अब इस संशोधन से सत्तारूढ़ दल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप दोनों ही तरह से रुपया खींचेगा।

5.00 म० प०

यही तो होने जा रहा है। व्यवहारिक रूप में हमारे जन-जीवन पर कोई स्वस्थ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस विधेयक से तो भ्रष्टाचार वैध बनेगा और काला धन सफेद धन बनेगा। हमारे जन-जीवन में यही कुछ तो होगा क्योंकि सत्तारूढ़ दल उनको दबाने की स्थिति में जो चन्दा दे सकते हैं। (व्यवधान)

महोदय, यहां तक कि इस देश का बच्चा तक भी यह जानता है कि सत्तारूढ़ पार्टी काला धन बटोर रही है। हाल ही के चुनावों में खर्च करने के लिए उनके पास इतना सारा धन कहां से आया था, क्या आप समझते हैं कि यह धन आकाश से गिरा था ? यह धन हमारे देश के बड़े व्यावसायिक घरानों ने परोक्ष रूप से दान में दिया था। मैं एक बार फिर इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस विधान को लाकर सत्तारूढ़ दल परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से धन बटोरेगा।

महोदय, मैं इस विधेयक के एक और खण्ड—293-क के उप-खण्ड 5(क)—का भी विरोध करता हूं जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध कोई कम्पनी चन्दा देती है तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है। मान लो एक अधिकारी या निदेशक मण्डल इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध चन्दा देता है तो शेयरधारियों को बहुमत क्यों दण्डित हो ?

महोदय, मैं श्रमिकों सम्बन्धी धारा 529 के संशोधन का हृदय से स्वागत करता हूं। यह तो इस देश के श्रमिकों की लम्बे समय से चली आ रही मांग है। इस मामले में भी मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि श्रमिकों को शेयरधारियों के समकक्ष लाया जाए, क्योंकि श्रमिकों के ही खून पसीने से कम्पनी को लाभ होता है।

इसलिए मैं अन्य दो संशोधनों का भी स्वागत करता हूं, परन्तु मैं धारा 293-क में संशोधन का घोर विरोध करता हूं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इससे भ्रष्टाचार वैध और काला धन सफेद बनने जा रहा है।

श्री राज मंगल पाण्डे (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह एक ऐसा विधेयक है जिसका हर सदस्य को स्वागत करना चाहिए। यह एक प्रसन्नता की बात है कि सारी सभा इस कैंसर जैसी बीमारी को, जिसका दुष्प्रभाव हमारे राष्ट्रीय जीवन पर पड़ा है, दूर करने का गम्भीर प्रयास कर रही है। कौन नहीं जानता कि काले धन की उपज ने ही मुख्य रूप से हमारे राजनीतिक जीवन को इतना प्रभावित किया है कि हमें संसद के बाहर और भीतर अपने ही विरुद्ध गम्भीर शिकायतें सुनने को मिली हैं कि समस्त प्रणाली को काले धन ने भ्रष्ट कर दिया है। और जो लोग यह काला-धन पैदा करते रहे हैं वे हमें चुनाव जीतने में

सहायता करते रले हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल टेनीसन के एक पद्यांश को उद्धृत करूंगा :—

"द ओल्ड आर्डर चेन्जैथ यील्डिंग प्लेस टु न्यू; लेस्ट वन गुड कस्टम करप्ट द वर्ल्ड।"

महोदय, जो कुछ 1969 में अपेक्षित रहा सम्भवतः 1985 में उपयुक्त न हो और इसका प्रतिकूल भी हो सकता है। उस समय व्याप्त विशेष परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ निर्णय ले लिया होगा। परन्तु अब परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण यदि हम अपने पहले मत के विपरीत जाते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर कोई यह अनुभव करता है कि जब राजनीतिक चन्दे पर कोई पाबन्दी भी नहीं थी उस समय भी काला धन इस तेजी से पनप रहा था कि गम्भीरतापूर्वक जांच आवश्यक थी क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य और लोकतन्त्र का भविष्य बुरी तरह से प्रभावित था। महोदय, लोकतन्त्र का मुख्य आधार यह है कि हमारा जन-जीवन स्वच्छ होना चाहिए और राजनीतिक ढांचा भी अपेक्षाकृत बेहतर हो। हम स्वच्छ जन-जीवन की परम्परा चला कर एक ऐसे समाज का सृजन कर सकते हैं जिस पर हमारे बच्चे गर्व करें। आजकल व्याप्त स्थिति यह है कि गम्भीर शिकायतें हैं जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। अब प्रश्न यह है कि काले धन की बुराई को कैसे खत्म किया जाए जो हमारे राष्ट्रीय एवं जन-जीवन को भ्रष्ट कर रही है। इस सभा में, हमने अनेक बार निवेदन किया है कि इस राष्ट्रीय अभिशाप पर रोक लगनी चाहिए। परन्तु अब मैं नहीं समझता कि दूसरी ओर से आपत्ति क्यों उठाई जा रही है। जब-जनता के चन्दे बन्द कर दिये गये थे, तब भी, काले धन का पनपना बन्द नहीं हुआ था। यह कई गुणा बढ़ गया है और इसने हमारे राष्ट्रीय और राजनीतिक जीवन को दूषित कर दिया है। अतः दूसरी ओर के सदस्यों का यह तर्क हमें नहीं जंचा कि राजनीतिक चन्दों पर से पाबन्दी हटने से हमारे राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा और काले धन को बढ़ावा मिलेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम इतना अधिकार नहीं देता कि भ्रष्ट तरीके या काले धन द्वारा चुनाव को गलत करार किया जाए। अतः; यदि हमें वास्तविक लोकतन्त्र चाहिए और स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव चाहिएं तो यह स्वाभाविक है कि काले धन को पैदा करने की यह प्रक्रिया बन्द होनी चाहिए क्योंकि यह एक जबरदस्त कारण है जो चुनावों के दौरान लोगों को लालच में डालता है। हमें सरकार के इरादों की सराहना करनी चाहिए जो इस मामले पर गम्भीरता से कार्य कर रही है। इसीलिए राज्य सभा ने पारित करके स्वीकृति के लिए लोक सभा को भेजा है। महोदय, विपक्ष ने दो या तीन संशोधन तो स्वीकार कर लिए है। परन्तु उनकी एकमात्र आपत्ति सार्वजनिक चन्दे से है जो कतई समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम यह याद नहीं कर सकते कि 1969 तक जब सार्वजनिक चन्दे की अनुमति थी, विपक्ष ने, राजनीतिक वातावरण के भ्रष्ट होने के बारे में बहुत आवाज उठाई थी। विपक्ष हमें कहता रहा है कि काले धन को पैदा करने के लिए राजनीतिक चन्दे जिम्मेदार हैं जो हमारे चुनाव जीतने का कारण हैं परन्तु अब जबकि हम इसे बन्द कर रहे हैं वे वही पुराना रोना रो रहे हैं। मेरे विचार से तो इस विधेयक को लाने के अतिरिक्त और कोई प्रशंसनीय बात हो ही नहीं सकती। मैं उस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं जो हमें स्वच्छतर राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवन प्रदान करेगा और देश में टिकाऊ प्रजातन्त्र लायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, इस विधेयक की विभिन्न धाराएं हैं। अंतिम दो धाराएं विवादास्पद नहीं हैं। लेकिन वास्तव मे ये दोनों मुख्य धारा 293(क) के साथ जुड़ी

हुई हैं। जिसमें कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाना वैध बताया गया है। अधिकांश लोगों ने यह समझ लिया है कि इन सभी उपबंधों को एक साथ मिलाने का अर्थ है कि धारा 293(क) के वास्तविक उद्देश्य को छिपाना। मैं अन्य दो उन उपबन्धों के बारे में नहीं बोलूंगी जो आपत्तिजनक नहीं हैं। मैं केवल धारा 293(क) का जिक्र करूंगी जिसका मैं पुरजोर विरोध करती हूं। इस समय सभा में जिस विधेयक पर चर्चा की जा रही है वह वास्तव में हास्यास्पद है और इस विधेयक को लाने के कारण भी बहुत लचीले हैं। मेरा यही विचार है। इसके वही पुराने कारण बताए जा रहे हैं जो उस समय बताये गये थे जब 1969 में कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले चंदे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। मैं इस सभा द्वारा पारित 1969 के विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण पढ़ कर सुनाती हूं।

> "ऐसे चन्दे से राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार फैलता है और देश में लोकतंत्र के स्वस्थ विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।"

विधेयक में ये उद्देश्य और कारण बताए गए थे। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को प्रभावित करने के लिए उठे सभी उद्देश्यों और कारणों को जो 1969 में पेश किए गए विधेयक में बताए गए थे, नए रूप में बताया जा रहा है। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले चन्दे को पुनः आरंभ करने के लिए वही बातें दोहराई जा रही हैं। इसे राजनैतिक औचित्य या अवसरवाद कहा जाता है और आजकल इसे उपयोगितावाद कहा जाता है। काफी वर्षों तक ऐसा होता है और हमें यह बात भुलानी नहीं चाहिए।

न्यायामूर्ति श्री एम० सी० छागला, जिनका हमारे देश की जनता बहुत सम्मान करती थी, ने 1960 में तमिलनाडु उच्च न्यायालय में एक मामले पर निर्णय देते समय कहा था :

> "यदि राजनैतिक दलों को कंपनियों द्वारा चन्दा दिया जाना जारी रहा तो जनता की यह सरकार उद्योगपतियों द्वारा उद्योगपतियों के लिए ही रह जाएगी।"

अतः इस विधेयक का यह सार है। सरकार पहले ही उद्योगपतियों की है किन्तु वह पूर्णतः उद्योगपतियों के लिए नहीं है। इसलिए उनके लिए द्वार खुले रखे गए हैं। स्वभावतः स्वच्छ सार्वजनिक जीवन का प्रश्न उठता है। मैं उसे पुनः उद्धृत करने नहीं जा रही हूं। श्री कुरूप पहले ही बता चुके हैं कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद, जो तत्कालीन औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्री थे, ने उस समय क्या कहा था। उन्होंने जो कुछ कहा मैं उसे उद्धृत करती हूं क्योंकि यह बहुत संगत है :

> "इस समय हर तरह की शंकाए और संदेह उठाए गए हैं। उन्हें उठाये जाने के कारण समाप्त हो जायेंगे और यह सरकार तथा अन्य लोगों के लिए यह महसूस करना बेहतर होगा कि सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हो और जहां तक राजनैतिक गतिविधियों या चुनावों पर किसी कम्पनी का प्रभाव नहीं पड़े।"

तत्कालीन औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्री ने ऐसा कहा था। आजकल क्या हो रहा है ? आपने 'मिस्टर क्लनी' के बारे में जो कुछ कहा क्या आप सार्वजनिक जीवन स्वच्छ बनाना चाहते हैं ? क्या आपको कुछ नया लगता है ? हमें यह पता चला है कि 1969 में जो कुछ कहा गया था यह उसका प्रत्यक्ष अतिक्रमण है। मैं इस सभा को याद दिलाना चाहती हूं कि 1969 वास्तव में कुछ देर के लिए कांग्रेस के लिए अच्छा समय था। यह

ऐतिहासिक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। मुझे विश्वास है कि सत्ताधारी दल के सदस्य वहां कुछ युवा हैं और कुछ वृद्ध भी—इस विधेयक के बारे में कुछ महसूस कर रहे हैं। संभवतः वे सोच रहे हैं कि अन्ततः धन केन्द्र में सत्ताधारी दल के पास आएगा जो शासन की बागडोर बड़ी मजबूती से अपने हाथों में संभाले हुए हैं। इसलिए औचित्य, उपयोगितावाद या अवसरवाद के सम्बन्ध में वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वास्तविक स्थिति यह है। लेकिन मैं इस विधेयक का विरोध घोर करूंगी।

कोई सदस्य कह रहा था कि हम रिश्वत आदि लेते थे। सम्भवतः श्री दास मुंशी ही ऐसा कह रहे थे। जहां तक मेरे दल का संबंध है। हम उससे पूर्णतः मुक्त हैं। लेकिन मैं इसका दावा नहीं करती।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैंने आपके दल को दोषी नहीं ठहराया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह अच्छी बात है। श्री पनिका कह रहे थे कि यह ऐतिहासिक अवसर है और कंपनियों को देश के लोकतांत्रिक जीवन में योगदान देना चाहिए। यदि आप राजनीति में ऐसे अंशदान के लिए इतने ही चिंतित थे तो आपने श्री वांपू की उस सिफारिश को स्वीकार क्यों नहीं किया जिसमें उन्हें कहा था कि कम्पनियों द्वारा चंदा दिया जाए और उसे सभी राजनैतिक दलों में उनके पिछले चुनाव परिणामों के अनुसार यथाअनुपात बांट दिया जाए। मैं स्वयं उससे सहमत नहीं हूं मैं राजनैतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले चंदे में विश्वास नहीं रखती। लेकिन यदि आप अपने तरीके से उनकी भागीदारी के प्रति इतने गंभीर थे तो इस बारे में श्री वांचू के सुझाव को ले सकते थे लेकिन इससे काफी हद तक वह प्रयोजन ही खत्म हो जाता। अतः यह बहुत स्पष्ट है कि कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले दान को इस विधेयक में लाने सम्बन्धी इस कार्यवाही से इतिहास एक नया मोड़ लेगा क्योंकि सरकार के विचार से पुराने घूंघटों की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में हम इसे घूंघट कहते हैं। सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से कहें और लोगों को भ्रम में न रखें क्योंकि कोई इतना मूर्ख नहीं है जो नहीं समझेगा कि सरकार इस विधेयक को सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ करने के लिए नहीं ला रही है। अतः मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करती हूं।

मुझे पक्का विश्वास है कि सत्तारूढ़ दल के लोग भी हैं जो ऐसा ही महसूस करते हैं लेकिन वे बोल नही सकते हैं हालांकि वे अलग तरह से महसूस करते होंगे। वस्तुतः मेरी उनके प्रति सहानुभूति है।

वे कहते हैं कि इसके द्वारा काले धन पर रोक लगेगी। काले धन को रोकने के लिए क्या नया तरीका निकाला है। सरकार की राजनीतिक इच्छा नहीं है और काले धन को रोकने में पूरी विफलता के बाद अब उसने निर्णय किया है कि काले धन को रोकने और इसे समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीका सीधे ही कम्पनियों से दान लेना है। इससे शेयरधारियों पर भारी बोझ पड़ेगा क्योंकि पहले सफेद धन का दान देना होगा। क्योंकि यह रिकार्ड में रहेगा। जब परमिट अथवा लाइसेंस जारी किए जायेंगे तो वे पूछेंगे 'इस बारे में आपका रिकार्ड क्या है ?' अतः सत्तारूढ़ दल को अंशदान करने के लिए उनका रिकार्ड हर हालत में हो। इसके अतिरिक्त, यह केवल राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला दान नहीं है। इस विधेयक में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को भी राजनीतिक प्रयोजन के लिए दान की अनुमति है। राजनीतिक दलों के नाम पर तथा किसी राजनीतिक प्रयोजन के लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति सफेद धन ले सकता है। अतः किसी राज-

नीतिक प्रयोजन सहित कोई राजनीतिक व्यक्ति कम्पनी दान ले सकता है। उसके बाद चुपके से काला धन ले सकता है। इसकी पूरी गुंजाइश है? इस प्रकार कोई की राजनीतिक व्यक्ति किसी भी राजनीतिक प्रयोजन हेतु कम्पनी से दान ले सकता है। शेयरधारियों पर न केवल सफेद अंशदान का भार पड़ेगा अपितु उन पर तीन, चार अथवा पांच गुना काले धन के अंशदान का भार पड़ेगा और कुल मिलाकर बहुत अधिक राशि केन्द्रीय सतारूढ़ दल के पास पहुंच जायेगी।

अतः मेरे विचार से स्पष्टवादिता से काम लेना ही अच्छा है। यह सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ करने का प्रयास नहीं है अपितु सार्वजनिक जीवन में खुले आम गलत कार्यों की इजाजत देना है। इस विधेयक का वास्तविक प्रयोजन यही है। यह घृणित है और इसे रद्द किया जाना चाहिये।

श्री सलाहुद्दीन (गोड्डा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह अत्यन्त प्रगतिशील है और इससे शेयरधारियों तथा श्रमिकों का मनोबल बढ़ेगा। इस विधेयक से कम्पनी कार्यकरण के सभी पहलुओं में सुधार होगा—(1) कम्पनी का ढांचा, (2) श्रमिक और (3) शेयरधारी। कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है। लेकिन मेरे विचार से संयुक्त स्टाक कम्पनी का ढांचा स्वरूप में लोकतंत्रात्मक है। शेयरधारी मालिक हैं, वे नीति निर्माता हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार उनका मतदान का अधिकार है। कम्पनी कार्यों में शेयरधारियों की प्रमुख भूमिका रहती है। अधिनियम में इस संशोधन से संयुक्त स्टाक कम्पनियों के ढांचे में सुधार होगा। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि परिसमाप्त कम्पनी की वरीयता सूची में श्रमिकों का दर्जा बढ़ गया है। एक कम्पनी के विलय के मामले में संयुक्त स्टाक कम्पनी के ढांचे में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और कम्पनी का प्रबंध बिना किसी रुकावट के आगे सुचारू रूप से चलेगा।

राजनीतिक दलों को कंम्पनियों के अंशदान के बारे में 293(क) की तीसरी धारा एक विवादास्पद विषय है। लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं कि यह अत्यधिक मुश्किल मामला है लेकिन साथ ही यह बहुत जरूरी है।

[हिन्दी]

हमारे जो अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खास करके वेस्ट बंगाल के लोग। मैं जानता हूं कि सी० पी० एम० के लोग खुले आम इन कम्पनियों से पैसा लेते हैं। दिस इज एक्सेप्टेड फेक्ट, और ये लाजिक पेश कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले ही लेते हैं। सी० पी० एम० वाले बाई फोर्स, बाई थ्रेटनिंग, बाई कोआरसन पैसा लेते हैं। दिस इज एन एडमिटिड फेक्ट। ये जाकर कम्पनियों पर दबाव डालते हैं। वे उन्हें कम्पेल करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट्स लोगों के काम में रुकावट डालते हैं। वर्कर्स के स्ट्राइक करवाते हैं, लेबर को भड़काते हैं। वर्कर्स को जितना सी० पी० एम० वाले सताते हैं, उतना कोई मैनेजमेंट वाले नहीं सताते हैं। आप यहां बहुत बोलते हैं। आपको यहां बोलने का अधिकार है। मैं भी अपने अधिकार को यहां प्रकट करता हूं।

इसी कोअरसन, थ्रेटनिंग, और फोर्स को दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है। यह इसलिए लाया गया है कि कोई किसी को धमकी न दे सके। यह काम हम अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, यह सबके लिए कर रहे हैं।

इस बिल से ब्लैक मनी को भी रोका जा सके, यह हमारी भावना है।

[अनुवाद]

यह इस सरकार द्वारा उठाया गया अत्यन्त प्रगतिशील कदम है।

हिन्दी

अमाल्गनेशन का संबंध स्ट्रक्चर से होता है। आज स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बुराइयां आ गई हैं और स्ट्रक्चर बहुत ही खराब हो चुका है अमेल्गमेशन से। इससे जो कमजोर कंपनियां हैं, सिक यूनिट्स हैं, जो कंपीटीशन में पीछे रह गई हैं, ऐसे सिक यूनिट्स को, इनएफिशिएंड कंपनीज को इससे नया रूप मिलेगा और वे मार्केट में आ सकती हैं, उत्पादन कर सकती हैं। इसलिए इस बिल का स्वागत करता हूं। यही कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सभापति महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं केवल इतना अवश्य कहूंगा कि जहां कम्पनियों द्वारा दिये गए दान पर रोक खत्म की जा रही है, वहां मुझे इस देश में चलाई जा रही समानान्तर अर्थ-व्यवस्था की याद आ जाती है। एक अलग अर्थ में हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, देश में सरकारी अर्थव्यवस्था है और जैसा कि एक बार स्वर्गीय वित्त मंत्री श्री वाई० बी० चव्हाण ने कहा था कि देश में हमारी समानान्तर काले धन की अर्थव्यवस्था है।

जहां तक चुनावों में दान का संबंध है भविष्य में दो समानान्तर अर्थव्यवस्थायें होंगी, एक अर्थव्यवस्था दान की होगी जो इस विधेयक द्वारा जो आज अधिनियम का रूप ले लेगा, कम्पनी लेखे में सरकारी तौर पर दर्ज की जायेगी जिसके द्वारा राजनीतिक दलों को सफेद धन प्राप्त हो सकेगा। प्रत्येक दल को प्राप्त सफेद धन के अनुरूप ही काला धन मिलेगा। अतः एक अजीब तरीके से हम अपने चुनावों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म देंगे।

यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।

5.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, आप उपयुक्त समय पर आये हैं। संसद की जननी अर्थात हाउस आफ कामन्स में पिछले कई वर्षों से चुनाव संबंधी एक भी याचिका दाखिल नहीं की गई है और चुनाव निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रहे हैं जहां न तो कंजरवेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी के खिलाफ और न ही लेबर पार्टी ने कंजरवेटिव पार्टी के खिलाफ कभी शिकायत की है। बहुत वर्ष पहले अर्थात 18वीं शताब्दी में ऐसे संसदीय लोकतन्त्र में, जो संसदीय लोकतन्त्र की जननी है, यह केवल एक व्यापार था, एक वित्तीय लेन-देन था। प्रो० रंगा जी, चूंकि यह इस सभा के लिए रुचिकर होगा इसलिए मैं आपको एक अत्यन्त दिलचस्प सर्वेक्षण पढ़कर सुनाता हूं कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश संसद के हाऊस आफ कामन्स के चुनावों में क्या हुआ करता था;

> "कुछ वर्ष पूर्व बी० बी० सी० ने ब्रिटिश संसद के कार्यों और इतिहास पर एक श्रृंखला आरम्भ की थी। इन श्रृंखलाओं में से एक में 18वीं शताब्दी में हाऊस आफ कामन्स की एक दिलचस्प घटना का वर्णन किया गया था।"

> "18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में एक ऊधमी संसद सदस्य ने अपने उन मतदाताओं को, जिन्होंने उसे बजट के विरुद्ध मतदान करने के लिए लिखा था, उत्तर में लिखा···"

मतदाताओं ने कहा :

"बजट के विरुद्ध मतदान करो।" सर्वेक्षण आगे बताता है—उसने "कहा भाइयो, मुझे उत्पाद शुल्क के बारे में आपका पत्र मिला है और मैं हैरान हूं कि आपने मुझे पत्र लिखने की गुस्ताखी कैसे की। आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि मैंने यह निर्वाचन-क्षेत्र खरीदा था। आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि मैंने अब इस बेचने का निश्चय कर लिया है। आप जानते हैं, और यह सोचते हैं कि मैं शायद नहीं जानता कि आप किसी और खरीदार की तलाश में है; और मैं जानता हूं परन्तु आप निश्चित रूप से नहीं जानते कि मैंने खरीदने के लिए एक और निर्वाचन-क्षेत्र ढूंढ लिया है।"

यह हो रहा था।

"उन दिनों संसदीय क्षेत्रों की खरीद फरोख्त कोई अपवाद नहीं था। यह लगभग एक नियम था। वास्तव में बिक्री के लिए अथवा किराए के लिए स्थानों का विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया जाता था। स्ट्राटहर्न गोर्डन द्वारा लिखित हन्सर्ड प्रकाशन 'अवर पार्लियामेंट' में लिखा है : 1832 और 1832 के बीच एक संसदीय सीट को खरीदने की कीमत 5000 से 6000 पाउंड थी और एक वर्ष का किराया 1800 पाऊंड था।"

संसद की जननी अर्थात ब्रिटेन में यह स्थिति थी क्योंकि उन दिनों कुछ बैरनस और लैण्ड लार्ड्स ने सीमित निर्वाचन क्षेत्र बना रखे थे और कुछ के हाथ में नकेल होती थी। वे बोर्ड टांग दिया करते थे "निर्वाचन क्षेत्रों की निलामी" बोली लगाने वाले आया करते थे। कोई कहता 3000 पाऊंड, दूसरा बोलता 4000 और तीसरा बोली लगाता 5000 और वह कहता 5000 एक, 5000 दो और 5000 तीन, इस प्रकार एक निर्वाचन क्षेत्र बिक जाता। भ्रष्टाचार इस प्रकार होता था। मुझे आज उस घटना की याद आती है। आज आप दान पर लगा प्रतिबन्ध हटाने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस संबंध में क्या करना चाहते हैं। मैं यहां मजदूरों, कंपनियों के विलय से संबंधित उन सभी पहलुओं को नहीं उठा रहा हूं जिन पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। कंपनियों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाकर हम क्या कर रहे हैं, आप गैर-कानूनी चीज को कानूनी बनाने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप यह महसूस करते हैं कि नशाबन्दी के बावजूद शराब का कुटीर उद्योग पनप रहा है और समुद्र के किनारे गांवों में और छोटे कस्बों में शराब का निर्माण हो रहा है और आप इसे बन्द करने की बजाय यह कहते हैं कि हमने कानून द्वारा सब नागरिकों को शराब पीने की छूट दे दी है। यद्यपि यह एक व्यसन है फिर भी आप कहते हैं कि आप नशाबन्दी समाप्त कर रहे हैं। आप केवल यह कर रहे हैं, आपने देख लिया है कि आपके कानूनों के बावजूद दान आ रहे हैं, दान किसी एक को नहीं मिलता। आखिर साम्यता भी होती है। उद्योगपति और एकाधिकारवादी देश मे सर्वाधिक सन्तुलित व्यक्ति हैं। वे जानते हैं कि विभिन्न दलों में कैसे सन्तुलन रखना है ? अतः वे जानते हैं कि जिन्होंने शक्ति पर एकाधिकार कर रखा है, एकाधिकारियों को उनके स्वास्थ्य पर एकाधिकार करना है। अतः वे उन्हें अधिकाधिक सहायता देना जारी रखते हैं। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद और क्रियान्वित किए जाने के बाद आप यदि विभिन्न कम्पनियों के खातों में से यह देखेंगे कि उन्होंने क, ख और ग पार्टी को कितना दान दिया है तो आप स्वयं एक सूत्र बना लेंगे कि खाते में दिखाई गई राशि से पांच गुणा अधिक राशि पार्टी को दी गई है और इस प्रकार समानान्तर काला धन चलता रहता है और दान वास्तव में कम्पनी को मिलता रहेगा। इस प्रकार आप एक बुराई में एक खूबी भरना चाहते हैं। हम समस्या को गलत ढंग से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इरादे नेक हैं। परन्तु याद रखो कि नरक का मार्ग हमेशा नेक इरादों से प्रशस्त किया जाता है और नेक इरादों में वे माहिर हैं। इसलिए वे

पूर्ण नेक इरादों से देश को नरक में धकेल रहे हैं। मैं केवल यह कह रहा हूं कुछ और नहीं। इसका शुद्ध प्रभाव क्या होगा? आप अनुचित चुनाव, नैतिक शक्ति का विकास, वित्तीय शक्ति का विकास, बाहुबल का विकास, मशीनरी शक्ति का विकास जैसी बुनियादी समस्या का हल करने के बारे में नहीं सोचते। ये सब रोग के लक्षण हैं। ये स्वयं रोग नहीं हैं। आपकी जन शक्ति रोग नहीं है। परन्तु मूल में जो कुछ हो रहा है, वह रोग हैं भ्रष्ट प्रवृत्तियां रोग है और यदि आप वास्तव में इस कदम विशेष को इसलिए उठाना चाहते हैं कि बुराई कम हो जाएगी तो कम्पनियों के दान पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने से समस्या हल नहीं होगी।

आप समस्या के मूल में जाइये और यदि आप समस्या के मूल में जाते हैं तो भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह सुझाव दिया था कि राज्य द्वारा चुनावो के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए पांच वर्षों के लिए सैंकड़ों करोड़ रुपये की निधि बनानी होगी। आप एक सीमा निर्धारित कर दीजिए कि सरकार द्वारा उन उम्मीदवारों का व्यय वहन नहीं किया जाएगा जिनकी जमानत जब्त हो गई है। सरकार केवल उन उम्मीदवारों का व्यय वहन करेगी जिन्होंने अपनी जमानत बचा ली है। आप एक पैमाना निर्धारित कर दीजिए और एक बार राज्य द्वारा चुनावों के लिये धन देने का काम आरम्भ होने के बाद आप एक और प्रयोग आरम्भ कर सकते हैं जैसा कि पश्चिम जर्मनी में है जहां उन्होंने प्रतिशत विशेष निर्धारित कर दिया है। वे दल जो एक न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करते हैं उन्हें सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। और यदि इस बात की घोषणा कर दी जाती है, तो राजनैतिक दलों का परिवार नियोजन हो जाएगा। वे भी ऐसा महसूस करते हैं कि यदि आप उनके चुनाव में वित्तीय सहायता देना चाहते हैं, तो अनेक दलों के स्थान पर वे सब मिलकर एक दल बना सकते हैं। हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि यदि दो विधान सभा सदस्य होते हैं, तो वे दोनों मिलकर भी तीन राजनैतिक दल बना लेते हैं। क्योंकि हमारा ढांचा ही ऐसा है कि एक निश्चित प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त करने वाले दल सरकार से आर्थिक सहायता पाने के अधिकारी हो जायेंगे, तो यह स्वाभाविक है कि छोटे-छोटे राजनैतिक दल, भारत की आबादी के समान नहीं बढ़ेंगे बल्कि उनका ध्रुवीकरण होगा। यह प्रक्रिया विखंडन की न होकर विलयन की होगी। अधिक-से-अधिक छोटे-छोटे दल मिलकर एक हो जायेंगे क्योंकि वे चाहेंगे कि उन्हें सरकार से आर्थिक सहायता मिले और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से दलों की संख्या कम होगी और जिसके परिणामस्वरूप भारत में लोकतांत्रिक स्थिरता पैदा होगी तथा इसके साथ ही चूंकि एक निश्चित प्रतिशत से अधिक मत पाने पर उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी, आप यह शर्त लगा सकते हैं कि यदि आपको एक बार चुनाव के लिए राज्य से धन प्राप्त हो जाता है तो उसके पश्चात् आपको बिल्कुल भी धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इंगलैण्ड में, बहुत सारा व्यय—श्री रंगा, जिसे मैं और आप पहले ही व्यय कर रहे हैं—राज्य द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा प्रत्येक मतदाता को कार्ड भेज दिये जाते हैं। उस कार्ड पर प्रत्येक प्रत्याशी का संक्षिप्त ब्यौरा उल्लिखित होता है। संक्षिप्त प्रचार अभियान, उनके चुनाव अभियान का सार, कार्यक्रम—यह सब सरकार द्वारा परिचालित किया जाता है। जिसके परिणाम-स्वरूप चुनाव सस्ता होता है। इसलिए 15 या 20 दिन की सूचना पर इंग्लैण्ड में चुनाव कराये जा सकते हैं और इसीलिए वहां चुनाव बहुत ही सस्ता हो जाता है।

इसलिए, हमें इस मूल समस्या पर विचार करना है कि चुनावों को किस प्रकार कम

खर्चीला बनाया जाए। यह नहीं कि चुनाव तो अधिक खर्चीले बनाये जायें और कम्पनी विधि में यह प्रावधान किया जाय कि उसके लिए कम्पनियों से पर्याप्त रुपया दान के रूप में मिल सकेगा। हम लोग वास्तव में विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए इस समस्या के मूल कारण को नहीं देख रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि राजनैतिक दल, इस समस्या के मूलभूत कारण पर विचार करने के बजाय, केवल उसके ऊपरी कारणों पर विचार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समस्या का हर समाधान समस्या का क्षणिक समाधान हो पाता है—मूल रूप से समस्या सुलझ नहीं पाती। इस देश में वास्तव में यही हो रहा है। अन्यथा, जैसा कि प्रतीत होता है, यह बहुत ही अहानिकर कानून है और जिन लोगों ने इसके प्रभावों का तथा इस बात का अध्ययन नहीं किया है कि इस देश में क्या होता है, वे कहते हैं कि यह एक प्रशंसनीय प्रयास है किन्तु जब वे इसको कार्यान्वित करेंगे तथा जब सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग विरोधी दल में चले जायेंगे और विरोधी दल के कुछ लोग सत्तारूढ़ दल में मिल जायेंगे तब वे इस बात को महसूस करेंगे कि इस कम्पनी विधि की वास्तव में क्या कमियां हैं। और इसीलिए, मैं इस बात को अच्छा समझता हूं कि राज्य चुनाव में दलों को धन दे, बजाय इसके कि दलों को कम्पनियों द्वारा धन दिया जाए। और यदि आपने चुनाव में कम्पनियों द्वारा धन दिये जाने की अनुमति दे दी, तो इस बात को ध्यान रखिए कि व्यापारी बहुत ही चालाक और होशियार जीव होता है। मैं इस बात को विवेकी जीव के विचार से कह रहा हूं। मनुष्य को भी एक विवेकी जीव कहा जाता है। मैं इसी विचार से कह रहा हूं कि व्यापारी और उद्योगपति बहुत ही चतुर जीव होता है, वह जीव क्या करता है? वे लोग जब भी कोई दान देते हैं तो वे उस दान को एक निवेश के रूप में मानते हैं तथा निवेश का पहला सिद्धांत यह है कि निवेश केवल उस उद्योग में किया जाये जिससे भविष्य में कुछ प्राप्ति हो सके। और इसलिए, मेरे मित्रो, इस बात को ध्यान में रखिए, कि हम लोग चाहे जनता पार्टी से संबंध रखते हों, चाहे कांग्रेस पार्टी से, यदि एक बार हम कम्पनियों को, मशीनों, संयंत्रों, बांधों, विभिन्न परियोजनाओं में धन लगाने के बजाये चुनावों में राजनैतिक दलों में धन लगाने की अनुमति दे देते हैं, तो निवेशकर्ता निवेश की गई राशि के बदले पर्याप्त धन पाने की आशा करेगा और ये लोग ऐसा ही करेंगे। यह बात सर्वमान्य और सर्वविदित है कि यदि कोई कम्पनी मेरी बहुत अधिक सहायता करती है, यदि कोई एकाधिकारवादी घराना मेरी बहुत अधिक सहायता करता है, तो यह मानवीय मनोवृत्ति है कि किसी धोखाधड़ी के मामले में यदि उसका हाथ पाया गया तो मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यदि मेरी प्रवृत्ति उसके हित में बोलने की न भी हुई तो भी मैं उसके विरुद्ध कुछ न कह सकूंगा और कम-से-कम चुप तो अवश्य ही रहूंगा तथा उस एकाधिकारवादी घराने और उस उद्योगपति द्वारा की जा रही धोखाधड़ी का मूक दर्शक बना रहूंगा। यह मनोवृत्ति केवल विरोधी दल के लोगों को नही अपितु सत्तारूढ़ दल के लोगों की भी है। यदि मैं विरोधी दल के सदस्यों को किसी विशेष उद्योगपति से लाखों रुपया प्राप्त हो जाता है, तो मेरा रवैया उस उद्योगपति के अवैध कार्यों का उजागर करने का नहीं होगा अपितु उस उद्योगपति के विरुद्ध बोलने का होगा जिससे मुझे एक भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है जिससे कि वह सभा में अथवा सभा के बाहर मेरे खिलाफ कुछ भी न कह सके। अतः असमानता, समृद्ध वर्ग, उद्योगपतियों और एकाधिकारवादियों के प्रति जो हमारा संघर्ष है, वह व्यर्थ हो जाएगा।

यह एक ऐसा कदम है जिसके न तो पक्ष में और न विरोध में मत दिया जा सकता है। इसमें ऐसी क्या बात है? वास्तव में, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। हमारे विरोध किन्हीं छोटे

मोटे कारणों से नहीं है अपितु किसी गम्भीर कारण से है। इसलिये इस विधेयक पर हो रही चर्चा का लाभ उठाते हुए मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह अपने बहुमत से विधेयक को पारित करवा लेंगे, क्योंकि यदि आप एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को कठोर बनाने की चेष्टा करेंगे तो आपके दल के लोग कहेंगे कि यह एक प्रशंसनीय प्रगतिशील उपाय है और यदि आप 25 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने की चेष्टा करेंगे आपके तो दल के वही व्यक्ति अपने भाषणों में कहेंगे कि यह आश्चर्यजनक व्यावहारिक कदम है और इससे देश में विकास कार्य बढ़ सकता है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बहुमत से इसे पारित करा रहे हैं। पीठासीन प्राधिकारी महोदय, आप एक सांस में ही कह सकते हैं कि इस विरोध में इतने सदस्य हैं और पक्ष में इतने सदस्य हैं तथा विधेयक पारित हो जायेगा। आप यह गिनने की प्रतीक्षा तक नहीं करेंगे कि कितने पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको दोष नहीं देता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी वर्तमान दलीय प्रणाली में, 'सर्व सम्मति' का राष्ट्रीयकरण हो गया है और अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहां तक कि यदि प्रो० रंगा को कुछ अन्यथा महसूस होता है—मैं उन पर यह आरोप नहीं लगाता कि उन्हें अन्यथा लगता है—तो भी वह इस बात को नहीं भूल सकते कि वह कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं। वास्तव में वह उस वर्ष में उपनेता हैं जबकि कांग्रेस पार्टी अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। जो लड़की 71½ वर्ष की है वह सौ वर्ष की होने का दावा कर रही है। निस्संदेह रंगा जी काफी पुराने सदस्य हैं। किन्तु जो थोड़े समय से कांग्रेस में है वे भी इस बात को कह रहे है कि वे सौ वर्ष से कांग्रेस में हैं। इस अवसर पर, अपने बहुमत से वे इस विधेयक को पारित कर सकते हैं। मुझे उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। यदि हम भी बहुमत में होते तो हम भी जो चाहते उसे बहुमत से पारित करते। किन्तु यह स्थिति ही ऐसी है कि मैं केवल उन्हें यह कहते हुए सचेत करना चाहता हूं कि आप यदि आज इसे बहुमत से पारित करना चाहते हैं, तो पारित करें, किन्तु किसी-न-किसी समय अपने अन्तःकरण को जागृत होने दीजिए और चुनावों के लिए राज्य द्वारा धन दिये जाने के बारे में बुनियादी रूप से विचार कीजिए और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पायेंगे कि यह समस्या का केवल अस्थायी समाधान है और वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि समस्या का मुकाबला किया जाय और उसे स्थायी रूप से सुलझाया जाये। केवल इसी संदर्भ में, इस विधेयक में मेरी रुचि है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गीता जी और दंडवते जी के भाषणों ने मुझे इस समय बोलने के लिए उकसाया है। उन्होंने जो ठोस सुझाव दिये हैं, मैं उनसे सहमत हूं। पश्चिमी जर्मनी सदैव इस प्रक्रिया को अपनाता रहा है। वहां राज्य के लिये आवश्यक बना दिया गया है कि विभिन्न राजनैतिक दलों को, चुनाव में जनता से वे जितने मत प्राप्त कर पाते हैं, उसके अनुनार उन्हें अंशदान दिया जाए। इस प्रकार उन्होंने अपने राजनैतिक दलों के लिये चुनाव लड़ने के लिये, पूरा न सही, कम से कम इसका अधिकांश भाग प्राप्त करने का काम सुगम बना लिया है। इस सीमा तक तो मैं उनसे सहमत हूं। मुझे यह आशा थी कि चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकार का कोई सुझाव दिये जाने से पूर्व हमारी सरकार तथा विरोधी दल आपस में विचार-विमर्श करके किसी सर्वसम्मति पर पहुंच जायेंगे। किन्तु, दुर्भाग्यवश इस प्रकार का कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि इस प्रकार

का प्रयास यथाशीघ्र किया जायेगा और इस मामले में सभी राजनैतिक दल किसी न किसी समझौते पर पहुंच जायेंगे ।

मैं प्रो० दंडवते की इस बात से भी सहमत हूं कि यदि इस प्रकार की कोई प्रणाली अपनाई जाती है, तो छोटे-छोटे अनेक दलों को एक होने की विशेष प्रेरणा मिलेगी तथा वे आपस में मिल-कर ऐसे ग्रुप या दल बनायेंगे जिससे दो दलीय प्रणाली का विकास होगा, जैसा कि इंगलैण्ड अथवा अमरीका में है । किन्तु अभी तक तो स्थिति यह है कि श्री दंडवते के दल के ही नेता अन्य राजनैतिक दलों के आपस में विलय करने के लिये पहल करने के इच्छुक नहीं हैं। जिससे कि किसी एक सशक्त राजनैतिक दल का गठन हो सके । मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि मेरी माननीय मित्र गीता मुखर्जी, जो इतनी नीरस और वृद्ध सी प्रतीत होती हैं, अचानक एक खूबसूरत युवती के रूप में परिवर्तित हो गई हैं । मुझे अब समझ में आया है कि बार-बार कैसे चुनाव जीत जाती हैं । वह थोड़ी-बहुत अभिनेत्री भी रही हैं । (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : वह विपत्ति में फंसी एक युवती भी हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केवल वही नहीं, ऐसी स्थिति में इस ओर भी लोग हैं । हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते तथापि हमें पता है कि कौन बुरा और कौन भला है । आवश्यकतानुसार उचित रूप से या अनुचित रूप से धन इकट्ठा करने का अनुभव सभी को है ।

इस पक्ष के मेरे माननीय मित्र ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह उठाया है कि केवल कम्पनियां, उनके प्रबन्धक और उनके निदेशक तथा जैसा कि मेरे मित्र कहना चाहेंगे उनके पूंजीपति ही नहीं हैं, जिन्होंने कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले दान के सम्बन्ध में निर्णय करना है, अपितु श्रमिक भी हैं, क्योंकि हम कम्पनियों को प्रबन्ध में उनकी भागीदारी के उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहते हैं । अतः उन्हें भी इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होगा कि किस कम्पनी द्वारा, कितने अनुपात में, अपने लाभ या हानि अथवा लेन-देन में से कितनी राशि दान की जानी चाहिए । श्रमिकों को स्वयं और उनके प्रतिनिधियों को उन्हें यह निर्णय लेने का स्वतंत्र अवसर मिलेगा । साम्यवादी प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, हम भी यही दावा करते हैं । अतः उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा । और जब वे ऐसा करेंगे, तो उन्हें पा सकेंगे जो अनेक दलों को अंश-दान देने वाली कम्पनियां मिल जायेंगी, वे कम्पनियां जो सत्तारूढ़ दल के समर्थन करती हैं, और वे कम्पनियां जो विरोधी दलों का समर्थन करती हैं । सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध विरोधी दल का गठन करने में वही तो एक मात्र विशेषज्ञ नहीं हैं । कुछ समय तक मैं भी विरोधी दल में रहा था । मुझे भी इसका कटु अनुभव रहा है कि उनमें कुछ ईमानदार लोगों के लिये किसी से चंदा प्राप्त करना कितना कठिन होता है । किन्तु मुझे एक या दो लोगों के बारे में पता है, मेरे विचार से, वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, जिन्हें तत्कालीन सत्तारूढ़ दल से यह कहने का नैतिक साहस था कि वे दोनों को ही दान दे रहे हैं—उस दल को भी जिसका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था और सत्तारूढ़ दल को भी । सत्तारूढ़ दल के नेता ने उनसे यह पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं जिसमें विरोधी दल भी होना चाहिये । चूंकि आप सत्तारूढ़ दल के हैं और आपका नियंत्रण तीन-चौथाई पर है, इसलिये तीन लाख रुपया आपके लिये है और चूंकि उनका नियंत्रण केवल एक चौथाई पर है, इसलिये हम उन्हें एक लाख रुपया दे रहे हैं ।

एक अन्य बहुत बड़े पूंजीपति ने कहा था कि यदि हम उन्हें दान देने नहीं देंगे तो वह हमें 'ब्लैकमेल' करेंगे। यदि हम आपको दान नहीं देंगे तो आप अपनी अफसरशाही के माध्यम से तंग करेंगे। इसलिये हम दोनों को दान देते हैं। क्या आपका भी ऐसा व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा है? क्या आपको नहीं पता कि यह सब हो रहा है? क्या यह बात नहीं हैं कि चूंकि किसी संस्थान में या किसी बड़ी कम्पनी में, या उस कम्पनी के किसी भाग में कार्यरत समस्त श्रमिकों पर आपका नियन्त्रण है, इसलिये आप ब्लैकमेल से अथवा उन्हें मनवाकर जैसे की संभव हो, आप धन एकत्र कर सकते हैं? यह सच है। यह सब हो रहा है। हमें इन सब बातों की जानकारी है। अपने चुनावों के बारे में हमारा क्या अनुभव रहा है?

श्रीमती गीता मुखर्जी : रंगा जी, धूर्त व्यक्ति यह कहते हैं कि चूंकि उस समय स्वतंत्र पार्टी धन बटोर रही थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी 1969 में पहले भी यह विधेयक लाई थी। क्या स्वतंत्र पार्टी में रहते हुए, आपका भी यही अनुभव रहा है?

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं आपकी बात नहीं सुन पाया हूं।

प्रो० मधु दंडवते : दुबारा कहिये, वह आपकी बात नहीं समझ पाये हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : व्यंग्य करना ठीक नहीं है। मैं किसी की दुखती रग को नहीं पकड़ना चाहता किन्तु हम सभी को अपने प्रति ईमानदार होना चाहिये।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : प्रो० रंगा, जब कोई पुरुष बोल रहा हो तो भी क्या आप यही मानदण्ड अपनाते हैं?

प्रो० एन० जी० रंगा : दंडवते जी, आपने अपनी बात इतने विस्तार से कही है कि यदि मैं चाहूं तो भी मैं अपनी बात छः मिनट में पूरी नहीं कर सकता।

अब एक बात और रह जाती है। उन्होंने यह बात पूछी है कि आप इस अस्थायी समाधान से क्यों संतुष्ट हैं? मेरे माननीय मित्र ने इंगलैण्ड के 'पाकेट बोरो' का उल्लेख किया है। मुझे उसके सारे इतिहास की जानकारी है और अपने देश में कांग्रेस द्वारा चुनाव लड़ाये जाने की विधि के बारे में भी मुझे पता है। किसी समय में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये हमें केवल 5,000 रुपयों की आवश्यकता पड़ती थी। किन्तु, मुझे पता है कि आज कम से कम 5 लाख से कम में काम नहीं चलेगा। इतना रुपया कहां से आयेगा? वह रुपया कहीं न कहीं से तो आयेगा ही। इस बात को छोड़िये। इंगलैण्ड में, इस विचार से श्रमिक वर्ग सार्वजनिक जीवन में अपनी सम्मान भूमिका अदा कर सके, उन्होंने श्रमिकों पर "राजनैतिक अंशदान" नाम का चंदा डाल रखा है। इसका भी अपना एक इतिहास है। प्रत्येक श्रमिक, किसी भी समय, चूंकि वह यूनियन का सदस्य रहा था, और चूंकि यूनियन इस बात का निर्णय लेती है कि बोट लेबर पार्टी को दिया जाना चाहिये, की श्रमिक अपने श्रमिक निधि के लिये एक निश्चित राशि अंशदान के रूप में देनी पड़ती थी। इसके पश्चात् जब कंजरवेटिव पार्टी सत्तारूढ़ हुई तब उसने यह कहा कि केवल यूनियन को इस बात का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, अपितु प्रत्येक कर्मचारी को, जो भी चंदा देना चाहता है, इसका निर्णय लेना चाहिये। इस प्रकार अब वे लोग इस हद तक प्रगति कर गये हैं कि अब वहां अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो सब जगह होता है। मेरे माननीय मित्र, श्री

कुरूप, जो यहां अपनी दाढ़ी पर अपने हाथ रखे बैठे हैं, बाहर वह उचित और अनुचित धन, काले और सफेद धन की बातें कर रहे थे। यह सब तो होता ही रहता है ये सब होंगी··· (व्यवधान)

श्री एस० जयगोपाल रेड्डी (महबूबनगर) : काला वहीं रहने दीजिये। हमें तो काले पर सफेदी करने के लिये 'श्वेत' चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम लोग स्वयं ईमानदार बनें। मैं प्रशंसा पाने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं क्योंकि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं सर्वसम्मति पाने की चेष्टा कर रहा हूं। हमारे माननीय मित्र प्रो० मधु दंडवते ने जो 'साफ-सुथरी छवि वाले व्यक्ति' का उल्लेख किया, उनकी यह बात मुझे पसंद नहीं आई, मुझे उनसे कुछ बेहतर बात की आशा थी। अपने अनुभव की बात मैं आपको बता सकता हूं·····

प्रो० मधु दंडवते : मैंने 'गंदे आदमी' का उल्लेख किया था। मैंने 'साफ-सुथरी छवि वाले व्यक्ति' का उल्लेख कदापि नहीं किया।

प्रो० एन० जी० रंगा : सम्भवतः श्रमती गीता मुखर्जी ने किया होगा।

मेरा अनुभव कहता है कि सही प्रयत्न किया जा रहा है। हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यह एक ही कदम हो सकता है। तथापि हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति सही दिशा में बढ़ता है और आप इसी प्रकार चिल्लाते, लड़ते और इसी प्रकार मजाक उड़ाते हैं तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से पीछे हट जायेगा और हम लोग सही दिशा में नहीं बढ़ पायेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी राजनैतिक दल सार्वजनिक जीवन में यथासंभव शीघ्र शुद्धता लायें और यह बहुत ही अच्छा योगदान है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों ही सम्बद्ध हैं। श्रमिक तथा पूंजीपति दोनों को ही अवसर मिलेगा और दोनों ही अपनी धारणा बना सकते हैं। यह नितांत संभव है कि विरोधी दलों को उस अंशदान का 25 प्रतिशत भाग मिले, जबकि सत्तारूढ़ दल को 75 प्रतिशत भाग मिले। हो सकता है धीरे-धीरे दोनों की प्रतिशतता बराबर-बराबर हो जाये। इस प्रकार की स्थिति पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप श्रमिकों की 'भागीदारी' के बारे में पूछ रहे थे। आपकी ही बात कर रहा हूं। इन सब बातों के अलावा, क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश में राजनैतिक दलों को केवल अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी धन मिल रहा है? क्या विभिन्न विधान सभाओं तथा संसद में हम लोग एक दूसरे पर यह आरोप नहीं लगाते रहे हैं? और क्या उसके साथ-साथ हम उसे लेते नहीं रहे हैं?

5.58 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इन बातों का 1930 से अनुभव है। 1930 में मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। 1931 में मैं हार गया था। जैसा कि मैं लोगों से कहता रहा हूं, मेरे विचार से यहां ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो इतनी बार हारा है जितनी बार मैं हारा हूं और न ही इतनी बार निर्वाचित हुआ है जितनी बार मैं हुआ हूं। मुझे दोनों का ही सामना करना पड़ा है। मुझे पता है कि हम लोग किस तरह बढ़ रहे हैं। हम लोग

उत्तरोत्तर प्रगति की ओर, अधिक से अधिक स्वच्छता की ओर, आत्म प्रवंचना की ओर कम से कम बढ़ रहे हैं। अतः·····

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रंगा, कृपया बैठ जाइये। मुझे एक घोषणा करनी है।

5.59 म० प०

सदस्य का निधन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि हमारे एक माननीय सदस्य वयोवृद्ध श्री गिरधारी लाल, जो बिजनौर (उत्तर प्रदेश) से निर्वाचित हुए थे, का निधन हो गया है। उनके सम्मान में, मैं सभा को स्थगित करता हूं। निधन सम्बन्धी उल्लेख कल किया जायेगा। किन्तु सभा के स्थगित होने से पूर्व सदस्यगण उनकी स्मृति में, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये खड़े होकर कुछ क्षण के लिये मौन धारण करेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 मई, 1985/27 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-53